

भारतीय मञ्जदूर



लेखक

गंकरसहाय सक्सेना एम ए, एम काम,
अर्धशास्त्र प्रोफेसर पेरली कॉलेज, वेरली



रचयिता

भारतीय सहकारिता आन्दोलन, गांगों की समस्याएँ,
काल मानस के आधिक सिद्धांत, पूर्व की राष्ट्रीय
जागृति, भारतीय माम अर्धशास्त्र इत्यादि ।



❀ गोपाल तुड डिगो जयपुर ❀

गो ग ऐ ने न ग

ती ज टारा गेम ली० प्रयाग

प्रकाशक

नवयुग माहित्य-सदन

प्रकाशक
गोउजदास धृत
नरयुग-समादित्य-गृहन
इन्दौर

प्रथम संस्करण

१६४८

सुदक
सी. एम. शाह
मॉन विग्रह जिमिंग
इन्दौर

आचार्य श्री नरेन्द्र देव

को

“निजकी
धारी में समान क
शापित अग की आशा निहित है,
जो प्रति लग्न दश के लिए हा जीवित रहत है,
और निजके सदान दशकित्र ने
संग्रहक को प्रभावित
हिया है।”

सादर समर्पित



निवेदनः

१५ अगस्त १९४७ को भारतव्रप ने यतान्त्रियों के उपरान्त अपनी चिरोपित अमिलापा स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है। ऐसी दशा में देश की आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में देशवासी गम्भीरतापूर्वक सोचने चाहें यह स्वामान्विक ही है। गठ युद्ध का विमोचिका ने आंदोलिक समने उन्नति की आवश्यकता को और भी नम्रत्य में हमार देश के सामने उपस्थित कर दिया है। यही कारण है कि मित्र मित्र विवार के लोग अपना आर्थिक योजनाओं को लेकर देश के सामने उपस्थित हुए हैं। परन्तु आंदोलिक उन्नति और घर्षों में काम करने वाले मन्दरों का समस्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतएव हम मन्दरों के प्रश्न को अबहेजना नहीं कर सकते।

हिन्दी में अर्थशास्त्र सर्वी साहित्य हवना कम है कि उसके लिए हम स्थानों पर हिन्दी में एक ने प्रयोग है, वहा मन्दरों के सम्बन्ध में एक पुस्तक का भी न होना लेनक को बहुत खूकता था। कड़ बार मन्दरों की विज्ञान दो गड़। और पुस्तकों के लियने की बात मन में उठी और पिछले वर्षों से कॉलेज का काय मार थड़ जाने के कारण मैं इस पुस्तक को न लिय सका। १९४२ के जून मास में जब मैं अपने से मिज्जने प्रयाग गया तो वहा इस सम्बन्ध में किर चर्चा चड़ी और मैंने पुस्तक लियने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

यद्यपि मैंने “भारतीय मन्दरों” पर ही पुस्तक लिखी है, किन्तु वहा उहा मन्दरों के प्रश्नों का मैदानिक प्रियेत्व किया गया है, वहा मैंने आय नेहों के बारे में भी संकेत किया है। उच्च समस्याओं के इल करने में हमें विनेशों के उदाहरणों से महायता मिल सकती है।



विषय सूची

भ्रूमिसा

१ पूर्ण स्थन

२ गाव और उद्योग बन्धों का मन्दन्ध

भारत व मुख्य आंदोलिक केन्द्र	पृष्ठ
भारतीय धर्मों में न्यायी मनदूरों का अमाव	१
गार्वों से आंदोलिक देंड्रों की ओर प्रश्नम के कारण	५
मनदूरों का अपने गाव से मन्दन्ध बनाये रखना	९
	१३]

३ मनदूरों की भर्ती

जावर	पृष्ठ
कल्पी कल्पोङ्ग पढ़ति	१६
आमाम के चाय के बाग	१८
गार्वों में मनदूरों की भर्ती	२०
समुद्री मनदूर	२३
रखवे	२४

४ कारणान्ते में मनदूरों व जोन और स्वाध्य

पूर्ण आर गढ़गी	पृष्ठ
सफाई	२६
गरमी	३०
रदा	"
इमारतें	३२
भोजन	३३
	३८]

हड्डालों तथा प्राचीनिक शास्ति बनाए रखने से सम्बन्धित कानून	६५
हड्डाल कानून १९२६	६६
अम्बेड हड्डाल कानून १९३८	६७
भारतीय ट्रेड यूनियन एकट १९२६	७२
मजदूरों की सुरक्षा सुविधा सम्बद्धी कानून	७४
भिन्न भिन्न प्रांतों में मातृस्व लाभ कानून	७५
मजदूरों सम्बद्धी पुल्टर कानून	७६
माथ प्रतीय मजदूर क्रय मोचन सम्बद्धा कानून १९३६	७७
बगाल मजदूर सशक्ति कानून १९३४	,,
पताय कर्जदारी कानून (१९३४)	७८
केंद्रीय सिविल प्रोसीजर एकट सशोधन कानून १९३५	,,
देशी राज्यों के मजदूर कानून	७९
सन् १९४६ के कुछ नए कानून	८२
काम के घटे	,,
सवेनन छुट्टी	,,
न्यूनतम मजदूरी विल	८३
भारत सरकार की पञ्चवर्षीय योजना	,,
न्यूनतम मजदूरी विल (१९४६)	८४
हड्डालों सम्बन्धी विल	८६
मनदूर सर्धों की स्वीकृति सम्बन्धी विल	८७
कैलान विल	,,
मजदूर राजकीय खीमा कानून	,,
फ़िकरी कानून वा सशोधन और परिवर्धन	८९
ट्रेड डिस्प्यूट एकट (१९४७)	९०
न्यूनतम मनदूरी कानून	९३
<u>६ मजदूरों के रहने के मान</u>	९५
भौद	९६

वर्मड	
उत्तम चालें	
कृष्णदास की सतिवाँ	६७
मिस्र द्वारा यनाहुङ्कुसी लाइने	१००
मद्रास की चीरी	१०२
मुजाफ में मराना की समस्या हल करने का प्रयत्न	१०३
कानपुर	१०४
उत्तम महान	१०५
चैम्पशाहाद	१०८
गानपुर	"
पांच क बाग	११०
पानी क मन्त्रदूर्ज क रहने क मसान	१११
ब्रह्मगोद्धुर (ब्रह्मगार)	११२
मद्यानी का समस्या हल करने म किनारायी	११३
यन द्वारा आवागिक उद्दी में नेत कारबान म	११४
शाश्वत दिप गायें	११५
कारणार्थ में मान्त्रों के लिए मद्यानी की व्यवस्था	११६
<u>५ मन्त्रों का उत्तन वथा उनकी आविष्करिति</u>	"
मन्त्रदूर्ज का किन किन प्रतियाँ	१२०
प्रभियम वास्तम प्रति	१२१
ट्रैक रहने	१२४
" ५१ वास्तम प्रदानी	"
१२५ वास्तम प्रदानी	१२५
मन्त्रदूर्ज वास्तम प्रति	१२६
वास्तम प्रदानी	१२७
वास्तम में फिल्मेंटग (Profit sharing)	१२८ "
	"

१ साकेदारी (Co partnership)	१२६
महाकारी उत्पादन (Co operative production)	१३०
भारत म भजदूरी	१३१
धाय के खाग में भजदूरी	१३२
खानों में काम करने वाले भजदूरों की भनदूरी	१३३
ग्रो की कमी	१३४
काम पर न आना	१३५
माताह म उपमिथि	१३७
सूती वस्त्र - यवमय में भनदूरी	"
जूट भिजों में भनदूरी	१४०
इन्डीनियरिंग संथा कोडे कल भधा	१४१
भारतीय भनदूरों के रहन सहन का दर्ना	१४४
कुन्कर व्यव (स्वास्थ्य, विज्ञा और मनोरनन पर)	१४७
भनदूर का झण	१४८
विहार के बोयले की खाना के भनदूरों का झण	१४९
जमरोन्पुर के कारपाने के भनदूरों का झण	"
ट न्यूनतम भजदूरी (Minimum wage)	१५६
न्यूनतम भनदूरी कानून का इतिहास	१५८
न्यूनतम भजदूरी की दूर	१६१
धर्म की आर्थिक दशा	"
सुना और अकुशल भनदूर	१६२
न्यूनतम भनदूरों निर्धारित करने का दर	"
भनदूरी पर प्रभाव	१६३
भारत वर्ष में न्यूनतम भजदूरी	१६४
भारत सरकार और न्यूनतम भजदूरी कानून	१६५
ई भजदूरों का समाचार	१७१

मान्दूर समाज का डॉन	१११
दियों आर मन्दूर संगठन	११२
यूनियन का संघ	११३
मान्दूर संघों का कारण	११४
भारतीय मान्दूर समाज	११५
मंचस्टर के व्यवसायियों का प्रभाव	११६
मित मन्दूरों का गमा	११७
मन्दूर पत्र	११८
मन्दूरी की वर्षीन मात्रों	११९
शतकांद पुस्ती प्रथा का समाप्त होना	"
योरापीय महायुद्ध और मान्दूर समाज	१२१
मान्दूर समाज के संघ	१२२
भारतीय चालाकों और ट्रेइंग यूनियन	१२३
अरिजन भारतीय ट्रेइंग यूनियन कोप्रेस	१२४
चहमदायाद मन्दूर संघ	"
मान्दूर समाज के संगठन में कठिनाइयाँ	१२५
मान्दूर आदोलन की नियंत्रण के कारण	२०
मान्दूर आदोलन के प्रति मालिकों का कहा रख	२१
सरकार का कठार व्यवहार	२११
मान्दूर आदोलन में जाति भेद	२१२
भारतीय ट्रेइंग यूनियन के बल हड़ताल करने हैं	२१३
राष्ट्रीय ट्रेइंग यूनियन कांग्रेस	"
<u>१० मन्दूरा और पूजीपतिया का संघर्ष</u>	२२०
१६२१ के उपरात होने वाली हड़ताल को तालिका	२२२
हड़ताल के कारण	२२३
मान्दूर और मालिकों के संघर्ष को कम करने के उपाय	२२४
वर्कर्स कमेटी	२२५
	"

खेचर आक्षिया और महादूर बोट	२३८
इडताल का नोटिस और समझौता	२३९
इडतालों के स्वध में कुछ आवश्यक बातें	२४०
११ मज़दूर हितकर कार्य	२४६
काम के घटे	२४७
विश्राम	२४९
रोशनी और हवा का प्रबन्ध	"
फैक्ट्री का तापक्रम	२५०
अन्य सुविधाएं	२५२
विश्रामगृह	२५४
चोट वारयारों को फैक्ट्री कानून के अन्तर्गत खाने की आवश्यकता	"
स्थानों सम्बन्धी कानून में सशोधन की आवश्यकता	२५६
साधारण शिल्प और शिल्प शिक्षा	"
विकिमा सुविधाओं का दीमा	२५८
सामाजिक दीमा	"
वेकारी	२६०
लेयर एक्सचें	२६२
सामाजिक दीमा की योजना	२६३
महादूरों में भव्यपान	२६४

भारतीय मजदूर

प्रथम परिच्छेद

पूर्ण रूपन

अग्रहरों शमाला के अन्त तक भारतवर्ष के बन अपनी उनसम्मया हु किए ही नैयार माल उत्पन्न नहा करता था, वरन् विनेशों को भी अपना नैयार माल भेजता था। उन्नीसवा गतासी के आरम्भ होने से ही भारतीय उद्योग धन्यों का पन्न आरम्भ हो गया। इससे भारतवर्ष विनेशों द्विग्राम कर त्रिटेन से नैयार माल मेंगाने लगा और कच्चा माल तथा अनान विनेशों को भेजने लगा। यह यथ इस राग्या हुआ कि भारत परत्र हो गया। इस्ट इविंश्या क्षणी को घातक नीति न भारतीय धार्या को नष्ट करने में मद्दायता पूँछाह। इधर त्रिटेन में भाप तथा यत्रों के शाविकार से आँदागिरि क्रान्ति हुड़ और बहा वर्ष यह कारबाने स्थापित हुए। अपने सारगानों के माल को भारत में भरने के लिये यह आवायक था कि भारत के धन्यों का नष्ट कर के भारत को केवल कच्चा माल उत्तर बरने वाला राग भना दिया जावे। इस नाति का फूर यह हुआ कि भारत इससे विनेशों को गाय प्राय नथा कर्जा माद्द माने लगा और उमक बदले नैयार माल मेंगाने लगा।

इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तोंग धारा में शाम भरने वाले भी ये नी करने पर दिया हो गय आर भारत की कड़ा, कारगारी, उद्योग वर्ते नष्ट हो गये। आर्थिक पन्न के माय हो हमारा प्रांदिक विकास न हो गया आर हमारा नैनेक पता भी आरम्भ हो गया।

१८६० इसकी ए टप्परात्त गमनागमन के साधना का उत्तरि के पन्न स्वरूप नय उद्योग धन्यों का भारत में प्रादुभाव हुआ। सब से पहले नैनी से सम्बद्धित धन्यों का यहाँ भी गणग हुआ। अप्रैच ल्पदमायिया न

महामन्त्री और भनुदत्त गजवायु तथा भूमि का स्थान लगाने के लिए महामन्त्री शाय, कड़वा, गुर्जरी करना चाहता है।

इसके उपरान्त शायले तथा अन्य निर्दिष्ट पश्चातों का नाम संनिवालन का धया चाहते हुए दिया गया। निर्दिष्ट पश्चातों का निवालन में भी मुख्यतः शंखें ऐसी ही लगाड़ गई। इनमें एक शंख यह है कि शारीर का धारा भावित का बरण मालूम ही दिया गया।

१८६० के उपरान्त ही भारत में गढ़का और रसों का विस्तार चाहते हुए। रेखण ग्रन्थ में यह यहुत बहुत धूपा है। मध्य ता यह है कि रसेवन दृष्टि में यहुत से धूपों का आम दिया है। इसके उपरान्त वामवी शाशान्दा के चाहते हुए नदीरा का विस्तार दिया गया।

किन्तु ही सब धूर्ण से अधिक महायुद्ध धूप सूता कपड़े का वारपान था, जो १८६० के उपरान्त तेजी से स्थापित होने लगे। सूती कपड़ी के अतिरिक्त गुरु का डारगाहा, खाद के कारबाने और उनके कारबान भी स्थापित हुए।

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सूता कपड़े के कारबानी, खाद दिया-सजाई, शीश शाफ़र, घमड़ बागन, सामेंग के कारबानी का भी स्थापना हुई।

द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय धूपों की ओर भी धूमिक हुई; भारत अब दृश्य में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाने वाले स्वरूप वे अधिक योजनायें जो कि दृश्य के सामने उपस्थित की जा रही हैं, यदि काय रूप में परिणत की गई तो निकट भरिय में भारतवर्ष में आशानीत धूमोंगिक उत्थाति हो सकता है, इसमें कोई सदृश नहीं।

किन्तु इससे हम यह न मान सकेंगे कि भारत में आधुनिक दृश्य के उद्योग धारा का प्राधार्य है। शात दीक इसके दिवरीत है। आज भी देश की अधिकारी जन सदृश्य (७५ प्रतिशत) खेती पर निभर है। और शेष ग्रामीण जन सदृश्य जो गाँवों में निवास करता है वह भी परोच्च रूप से खेती पर निभर है। इस संबंध में नीचे लिखे गए कह

महात्मपृथक है ।

पिछले पचास वर्षों में होती पर अवज्ञानित जनभरण्या का अनुपात भारत की कुल जन भरण्या की सुन्दरना में इस प्रकार था—

१८६१ में ६१ । प्रतिशत, १८०१ में ६५ । प्रतिशत । १९११ में ७२ । प्रतिशत, १८३१ में ७२ प्रतिशत, १८४१ में ७५ प्रतिशत ।

इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि होती पर अधिकाधिक जन भरण्या निम्र द्वितीय गढ़ और यही कारण है कि भारत में प्रति किमान जोती जाने वाली भूमि का आमत देवल ढाट एकड़ रह गया । भूमि पर जन भरण्या के अधिक भार का मुख्य कारण यह है कि जहाँ एक और देश का जन भरण्या बढ़ता गढ़, दूसरी ओर गृह उद्योग घटने पर होते गए और आधुनिक टग के जाह्याने और घटने, गृह उद्योग घन्तों में दृश्य हुठ जनभरण्या को जम्पा मके । इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग घटनों में जागी हुठ जन भरण्या का अनुपात कम होता गया । जहाँ १९११ में उद्योग घन्तों (निम्नमें गृह उद्योग घन्ते भी सम्मिलित हैं) में जागी हुठ जनभरण्या देश की कुल जनभरण्या की ८ । प्रतिशत था, वहाँ १८४१ में ४ । प्रतिशत रह गढ़ ।

यदि हम केवल आधुनिक टग के यों से चरने वालों पैकरियों, खानों, चाय, कइबारा, रबर इयादि के यों, रेलवे वर्क्सोंपा तथा बन्दर गाहों में जागे हुए मन्त्रों को ही लें तो उनकी भरण्या भारत की कुल जनभरण्या का केवल एक प्रतिशत ही है । यदि हम उन लोगों को भी हम भरण्या में सम्मिलित कर लें जो कि काम करने वाले मन्त्रों पर अवज्ञानित हैं—जैसे उनकी पानी और यत्त्वे इयादि, तो भी आधुनिक घटनों में जागे हुए मन्त्रों और उनके आपितों की भरण्या देश की हुठ जनभरण्या के ४ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

भारतपर में जनभरण्या का भूमि पर इतना अधिक भार है कि अन्य किमी दश में जनभरण्या हम सीमा तक देना पर निम्र नहीं है । अत

बारतानी के काम बरने वाले मातृरों का यदुग पदा भाग हाथ दरगा है। इन दो केन्द्रों के अतिरिक्त अद्यमशापाद, शान्तुर, मराम मातृरुर, अमराद्युर, प्रमुख धौधोगिक केन्द्र हैं। अद्यमशापाद में भूमि कारों की मिट्ठे हैं मदराम में कवड़ा, शमका गपा चाय कारणा है, शान्तुर में कलह सींच पमहे के बारमारा है भार गागुर मुद्रा कारों के कारणा है। जमराद्युर में प्रविद टारा कर्णी का लाट का बारमारा है। इन प्रमुख केन्द्रों के अतिरिक्त पूर्वर धौधोगिक केन्द्र, गोवा पथ मिट्ठे धार कारमारा है गोम शान्तुर रुदा, दक्षिण अमरनाथ काहार द्यायारि।

इन अतिरिक्त बारानी-फरिया की कापत के बाने आमाम घगाल गपा दृष्टिगत धाय धीर कद्या के बाग गपा रवावे पर गार्डों में भी मातृरों की आपस्यक्ता देखी है।

इनमें कलकत्ता, एम्बेड जमराद्युर कायड़ों की बारा धार धाय के धारों का द्वाद धार सभी केन्द्रों में महार भासारवर्णों निझा में हो जाते हैं।

भारतीय धधा में स्थायी मनदूरा का अभाव

भारतीय धंधों की एक विशेषता है। धंधों में काम बरने वाले मतदूर धौधोगिक केन्द्रों में उत्पत्ति नहीं होते, वरन् ये गार्डों से आते हैं और कुछ समय कारतानी में धाम बरने के उपरात अपने गावों का धापस लौट जाते हैं। दूसरे शार्दूल में हम वह सन्तुत हैं कि भारतीय धधा में काम बरने वाले मातृरुर उन धौधोगिक केन्द्रों के स्थायी रहने वाले नहीं होते, वरन् ये कुछ समय के लिए गार्डों से प्रवास बरके केन्द्रों में आते हैं और आते में किर गार्डों में वापस लौट जाते हैं। गो भी ग्रामीय गार्डों से धौधोगिक केन्द्रों को धार आता है, वह इस आते वी कलरना भानहीं करता कि यह स्थायी रूप से गोव का लोड रह धौधोगिक केन्द्र में रहेगा। वह तो अपने गार्डों को ही अपना दशा मानता है और जहा काम

करता है, उसे परदेश मानता है।

भारतीय मन्दूर की इस मनोवृत्ति के आधार पर कुछ मिल मालिक और विद्वान् यह कहते हैं कि भारतीय कारमानों में मुख्यत किमान काम करते हैं। नव वे खेती से अवकाश पाते हैं तो कारमानों में काम करने चले आते हैं और जब खेती के लिए उनकी जरूरत होती है तो वे गार्वों को लौट जाते हैं। जहाँ तक मौसमी कारमानों जैसे गवर चावल, कपाम के पेच वा प्रश्न है यह बात ठीक है किन्तु स्थायी कारमानों में काम करने वाले मन्दूर किमान नहीं होते। उन मनदूरों का, जो सूती कपने, धमड़े, लौह तथा अन्य कारमानों में काम करते हैं, खेती से कोइ मीधा सवध नहीं होता परंतु प्रति वर्ष वे कुछ भवय के द्विं नियमित रूप से गार्वों को जाते हैं, जिससे कुछ मिल मालिक यह अनुमान लगाते हैं कि वे मुख्यत खेती करने वाले किमान हैं, जो अवकाश के समय कारमानों में काम कर लेते हैं। वास्तव में यह धारणा गलत है, भच तो यह है कि जो मन्दूर कारमानों में काम करते हैं, वे गार्वों में उपर, गाव में पक्के और अपने जीवन व्य सभ्या काल में पिर अपने गाव को छोड़ते नहीं, बरन् उसमें सम्बाध बनाये रखते हैं। किन्तु उनका खेती से मीधा कोइ सम्बाध नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि किसी की दो-चार योधा मौहर्यी भूमि होती है तो किसी के भाइ, बाप, चाचा, गाव में रहते हैं और उसका भी अपने कुटुम्ब की पैतृक जायदाद में थोड़ा दिस्या है। किसी किसी कुटुम्ब में ऐसा होता है कि यदि घर में चार भाइ हैं तो दो बड़वड चले जाते हैं, और दो गाव में खेती करते हैं।

यद्यपि मनदूरों का खेती से सीधा सम्बाध नहीं रहता, परन्तु यह सथ है कि प्रायेक मन्दूर अपने पैतृक गाव से सम्बाध बनाये रखता है और अन्त में गाव को ही लौट जाता है। मन्दूर अपने गाव से सम्बाध क्यों बनाये रखता है, इसके कुछ वारण हैं। वह हृदय से प्राप्तीण हैं, गार्वों में ही उत्तम हुआ, गार्वों म ही वह पढ़ा और अविकाश मन्दूर अपनी

परिया को गांव में ही पाइ देते हैं। यदि धौलिहड़ कन्द्र में भारती परिया का साल भी है तो बरका उमा होन के नाम पर गांव का चर्ची जाती है। यही नहीं, अधिकार पर्याका का परान भार गांव में ही व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से जय काइ वामार होता है भा शूद्र हो जाने के कारण कार्य महा कर महाता यह अस्त देवृष्ट गांव का चला जाता है। इही पारली में यह भरा गांव का पाइग महा चहना भार विगाह के मौसम में, शुद्धपर के लिया भाद्रवृत्त काष म बरापर ममि खित होता रहता है। यही महा, यदि उमा धौलिहड़ विभिन्न भाष्ठी होता है तो यह प्रतिवर्ष पूर्व या द्वी महान के जिए गाँव जाता है नहीं तो दूसरे या तीसरे वर्ष तो भावर्य ही जाता है।

गावा से औद्योगिक फन्दा की ओर प्रवास के कारण

गाँवा से मनदूर क्यों कारणार्ना में काम करा जाता है, इसका मुख्य कारण उमरी निपन्ना धौर गाँव में आय के साथनों का होता है। यह तो पहचे ही कहा जा सकता है कि भारत में भूमि पर जनसंख्या का व्यवधिक भार है। ऐसी का दोइ कर गाँव में धौर पहे नहीं है साथ ही ग्रामीय घरलू धंधे नहीं हो रहे हैं और जनसंख्या तेरी से यह रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गाँव में युत वही मात्रा में भूमि इहत मनदूर घर उत्पन्न हो रहा है। साथ ही, अधिकारा इसारों के पास इतना कम भूमि है कि उसका भूमि से गुजारा नहीं होता। अत पूर्व आपनी रोज़ी कमारे के लिए उसे अपना गाँव दोइ कर औद्योगिक फन्दा की ओर जाना पड़ता है। वज का भयकर यात्रा भी इसारे के धौलिहड़ के द्वारा में जा कर धन वसाने के लिए विषय करता है। गाँवों में घलने वाले घरेलू उद्योग धौलों के मिलों तथा विदेशी भाल के गुजा गिले में नहीं हो जाने के कारण धौर भूमि का कमी के वारण उन धौलों से हटो वाले कारीगर मिलों में जारी बगम करते हैं। अहमदाबाद तथा अहमदाबाद में अधिकांश गुजारे वाले जुलाहे या कोरो हैं, जिनका घरेलू धन

नप्त हो गया तो उनके पास जीविका का कोड माधवन न रहने के कारण उन्हें केंद्रों में जाने के मिलाय और कोड चारा नहीं रहा।

२॥^{३०} अतएव यह भाष है कि किमान अपनी निधनता के कारण शहरों की ओर जाता है। हा, पिछले दिन म जो नीची जाति के लोगों में वैतन्य उद्य दृष्टा हैं, वह भी इस प्रवास का एक कारण है। क्योंकि गाँधों में दुश्चादूत, जातपान के प्रवास इतने कहे हैं कि अद्वृत कहे जाने वाले लोगों को वह आसद्य होते हैं। इसके विपरीत शहरों में हिति इतनी कठोर नहीं है। हरिननों के अतिरिक्त और भी जो लोग गाँधों में जातिच्युत हो जाते हैं, उनका जावन भी वहाँ दूभर हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनका सामाजिक बहिष्कार होता है। इस कारण ऐसे लोग गाँध से भाग फर नगरों में चले आते हैं। यद्यपि ग्रामीणों के शहर की ओर जाने के यह सामाजिक कारण भी हैं, किन्तु सुख झारण तो उनकी निधनता ही है।

मजदूरों का अपने गाव ने मनव बनाय रखना

उपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि आधिक तथा सामाजिक कारणों से ग्रामीण, केंद्र को प्रवास करता है, किन्तु गाँव से वह सम्बन्ध क्यों बनाये रखता है, यह स्पष्ट नहा होता। गाव से सम्बन्ध बनाये रखने का प्रभाव कारण यह है कि ग्रामीण के लिये शहरों में कोड भी आकरण नहा है वह तो अपना निर्भना के कारण वहीं पैसा कमाने के लिये जाता है। किन्तु वहाँ उमसा मन ना लगता, वह अपने गाँव के गेत याग और भोजड़ी रा याएँ करता है और उन निन की याट चालता है, जब वह गर्वदा के लिये शहर का छोड़ कर अपने गाव में आकर शार्ति पूर्ण रूपन व्यवान करता। नुसरे शहरा यह इस वह सबके है कि ग्रामीण को आगर अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, वरन् परिस्थितिया दमे शहरों की ओर ढकेन देता है। यही कारण है कि जब परिस्थिति अनुहन होती है तभी वह गाँध को लौट आता है। और निन दिनों वह शहरों में रहता है उन दिनों भी वह अपने गाँध से सम्बन्ध बनाये रखता

हे और समय और मुद्रिया होने पर गाँव आता है।

हिन्दुओं में प्रथमित श्रमुकन कुद्रुप्य ब्रह्मार्णी भी हमारा एड़ मुख्य कारण है। मग्नूर के अधिकारी एवियार के जाग गाँव में रहने हैं और उनके दिग्गज की घोड़ी भूमि भी होती है। वह इस वर्षपाल में गाँव रहता है। ऐसे कारण मग्नूर अपने गाँव और वर्षपाल को गाँव में ही छोड़ देता है वर्षोंहि गाँव में रहने का गाँव यटुग यम है और यहाँ भ्राता द्वापारिकी असुविग्रह नहीं है। गाँव में खालायटुग काम ग्रावरपे सभी कर सकते हैं, इस कारण गाँव में परिवार का पालन पायण मरता से ही सहता है। ऐसे शहरी नीरा, जो अविनियोगी के आशार पर निभर है उठी भाता। उसे गाँव का सामूहिक जोनन ही अच्छा लगता है।

ऐसे शहरी और औषधिक केंद्रों के नीचन में आक्षरा पालाज का अतार होता है। जब ग्रामीण यवदृग्या कलकाला जैसे रिशाल केंद्र में पहुँचता है तो वह भौतिक सा रह जाता है। वहाँ गाँव का शास्त्र आता वरण और वहाँ हाँ एकेंद्र का मनुष्य को यक्का देने याला निरन्तर शोर। कहीं शूषों का नाम नहीं। रहने का स्थान गदा और पशुओं के निवास स्थान से भी निहट। यक्का हृदया मजदूर जब अपनी चाल में आता है तो मानो जब की एकात कोटी म आ गया हो।

वेगल यही अतर नहीं होता यहुत से औषधिक के द्रूमरे प्राणों के मजदूरों को आकर्षित करते हैं। वहाँ की भाषा, वेश, भोजन, रहना सहन, और नलबायु सभी ग्रामीण के लिए अपरिवित होते हैं और वह वहाँ रोबा-खाया सा रहता है। शहरों को सभ्यता, वहाँ का जावन और वह के शादरी, गाँवों से इतने भिन्न हैं कि ग्रामीण उद्द कभी भी नहीं अपना पाता।

जब ग्रामीण पहली बार अपने गाँव को छोड़ कर औषधिक केंद्र में आता है तो वहाँ की ज़ज़बाय की भिन्नता और रहन-सहन की भिन्नता

के कारण वह बीमार पढ़ जाता है। उस समय वह गाँव और श्रीयोगिक केंद्र के अन्तर को समझता है। जहाँ गाँव में बीमार पढ़ने पर उसकी चारपाड़ के पास चार गाँव के लोग बैठे रहते थे, वहाँ वह शहर में अपनी गढ़ी कोगरी में अकला पड़ा रहता है। उस समय उसे अपनी गाँव की चौपाल, खेन, भाड़ विरादरी की याद आती है और वह भाग गड़ा होता है। यदि ग्रामीण पहला यार की बीमारी भेज गया तो फिर वह वहाँ रह कर काम करता है। फिर भी जब उभी ग्रामीण लम्बा बामार हो जाता है अथवा उद्द हो जाता है, या खेन रहो जाता है तो वह अपने गाँव को यदृच्छा करता है। बामारी, बकारी, और बुदापे को कानूने के लिए गाँव श्रीयोगिक कन्द्रों की अपेक्षा बहुत ही सुनिधा जनक स्थान हैं।

यही नहीं, कारखानों का जाम भा ग्रामीण के अनुकूल नहीं पढ़ता। ग्रामीण बहुत भेदभाव होता है, किन्तु खेती का काम पेमा नहीं होता कि नियम किमान को भशान बन जाना पड़े। ऐक्टरियों का काम भनुप्य को यत्रशन बना देता है, वहाँ का अनुशासन भी ग्रामीण मनदूर को बहुत बहुत है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय मनदूर अपने युवाओं में श्रीयोगिक केंद्र में आता है, तथा तक वह खेती करता है। खेती और कारखानों के काम में बहुत यड़ा अन्तर है।

यही कारण है कि ग्रामीण मर्यादा के लिये गाँव का नहीं छोड़ता, वह अस्थायी रूप से ही केंद्रों में रहता है।

अब प्रश्न यह है कि हिन्दुस्ताना मनदूर का इस विगेषणा से धर्षों को ज्ञाम है या ज्ञानि? सच तो यह है कि इससे ज्ञाम और ज्ञानि दोनों ही हैं। उन्हीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ग्रिटेन का मनदूर जो श्रीयोगिक केंद्रों में ही नाम लेता है और अपने पिता को शास्त्रानों में जाते देता है, उन्हीं कारखाना में स्वयं भी यड़ा होने पर काम करने की यात्र सोचता है तो वह यह मानने पर विवश होता है कि कारखानों और उमस्ता चिर सम्याप्त हैं। वह जानता है कि उम्मीदेव इन्हीं कारखानों में काम करना ही और सदा श्रीयोगिक केंद्रों में ही रहना है। ऐसी दृगा में ग्रिटेन

हे और समय और सुविधा होने पर गाव आता है।

इन्दुओं में प्रचलित सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली भी इसका एक मुख्य कारण है। मन्त्रदूर के अधिकाँश परिवार के लोग गाँव में रहते हैं और उनके इससे की थोड़ी भूमि भी होती है। वह इस रथा से दृष्टि रहता है। फिर शहरों में वाचो और औरतों के लिए काम की कमी रहता है। इस कारण मन्त्रदूर अपने स्त्री और बच्चों को गाँव में ही छोड़ देना है वयोंकि गाँव में रहने का रथ बहुत कम है और वहाँ मरान इत्यादि की असुविग्रह नहा है। गाँव में थोड़ा बहुत काम स्त्रीपर्याय सभी कर लेते हैं, इस कारण गाँव में परिवार का पालन पोषण सरलता से हो सकता है। फिर प्रामाण का पीढ़ी दर पीढ़ी का गाँव से मम्पाव होता है। उसे गहरी चीवन, जो अवित्तवाद के आगार पर निभर है, नहा भाता। उसे तो गाँव का सामूहिक जीवन ही आद्या लगता है।

फिर शहरों और औद्योगिक केंद्रों के जीवन में आकाश पाताल का अंतर होता है। जब ग्रामीण बस्ति या कलकत्ता जैसे विशाल केंद्र में पहुँचता है तो वह भौचक्का मा रह जाता है। कृषि गाव का शास्त्र चाता बरण और कहा हूँ देंद्रों का मनुष्य को धक्का देने वाला निरन्तर शोर। कहा वृद्धों का नाम नहा। रहने का स्थान गदा और पशुओं के नियास स्थान में भी निरूप। यक्षा हुआ मन्त्रदूर जब अपनी चाल में आता है तो मानो नज़र की एकत्र कोरी म आ गया हो।

कवज यही अन्तर नहीं होता बहुत से औद्योगिक केंद्र दूसरे प्रांतों के मन्त्रदूरों को अवर्पित करते हैं। वहाँ का भाषा बश, भोजन, रहन सहन, और चलवायु सभा ग्रामीण के लिए अवरिचित होते हैं और वह वहाँ मायान्दोपान्मा रहता है। शहरों का सम्पत्ता, वहाँ का भावन और वहाँ के आदर्श, गार्यों से इतने भिन्न हैं कि ग्रामीण दृढ़े कभा भा नहा अपना पाता।

जब ग्रामीण पहला बार अपने गाव को छोड़ कर औद्योगिक केंद्र में गता है तो वह का चलवायु का भिन्नता और रहन-मृदृग की भिन्नता

के कारण वह धीमार पड़ जाता है। उस समय वह गाव और श्रीयोगिक केंद्र के अन्तर को समझता है। जहा गाव में धीमार पड़ते पर उसकी चारपाई के पास चार गाव के लोग बैठे रहते थे, वहा वह शहर में अपनी गदी को भी म अकेला पड़ा रहता है। उस समय उसे अपनी गाव की चौपाल, खेत भाट विरादी की याद आती है और वह भाग गड़ा होता है। यदि ग्रामीण पहला बार की धीमारा फेल गया तो फिर वह उहा रह जर काम करता है। फिर भी नब ऐसी ग्रामीण लम्बा बामार हो जाता है अथवा उछ हो जाता है, या बेकार हो जाता है तो वह अपने गाव को यह छरता है। ग्रामीण, बरारा, और बुजाप को कानूने के लिए गाव श्रीयोगिक केंद्रों की अपेक्षा बहुत हा सुरिया जनक स्थान हैं।

यही नहीं, कारखानों का काम भी ग्रामीण के अनुकूल नहीं पड़ता। ग्रामीण बहुत मेहनता होता है, किन्तु येता का काम ऐसा नहीं होता कि जिसमें किमान को मरीन बन जाना पड़े। ऐक्सरियों का काम मनुष्य ने यशवन बना देता है, वहाँ का अनुरामन भी ग्रामीण मनदूर को बहुत गलता है। इसका सुधर कारण यह है कि भागीय मनदूर अपने युगाकाल में श्रीयोगिक केंद्र में आता है, तथ तक वह खेती करता है। खेती और कारखानों के काम में बहुत बहा अन्तर है।

यहा कारण है कि ग्रामीण मर्यादा के लिये गाव का नहीं ढोकता, वह अस्थायो मृप से हा केंद्रों में रहता है।

अब प्रश्न यह है कि हिन्दुस्ताना मजदूर का इस विशेषता से धर्षों को ज्ञाम है या हानि? सच तो यह है कि इससे ज्ञाम और हानि दोनों ही हैं। जहाँ सयुक्त राज्य अमेरिका या निटेन का मनदूर जो श्रीयोगिक केंद्रों म ही न जे ता है और अपने पिता को कारखानों में जाते देता है, उहाँ कारखाना में मृप भी बहा होन पर काम करो की बात सोचता है सो यह यह मानने पर विवरा हाता है कि कारखानों और उभया चिर मम्याव हैं। यह गानता है कि उससे भर्दूर इहाँ कारखानों म काम करना है और सदा श्रीयोगिक केंद्रों म ही रहना है। ऐसी दशा में निटेन

का मजदूर अपने अधिकारों, धेतन, काम के घर्भों के प्रश्नों में तथा मजदूर सभाओं में अधिक दिलचस्पी लेता है। वह यशों से काम करने में अधिक कुशल होता है क्योंकि, वह वचपन से ही यशों से परिचित होता है। किन्तु भारतीय मजदूर जब तक कि वह शौधोगिक केंद्रों में नहीं पहुँचता, यत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। बहुत दिनों में यशों पर काम करने की कुशलता वह प्राप्त कर पाता है, फिर भारतीय मजदूर जानता है कि उसे सदैव तो शौधोगिक केंद्रों में रहना नहीं है, हमें वह धर्षण से सम्बन्ध रखने वाली बातों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता। स्थाया स्थ से शौधोगिक केंद्रों में ही बसने वाले मजदूर कारगाने के अनुशासन के अभ्यस्त हो जाते हैं और उनसी मनोवृत्ति यात्रिक हो जाता है। किन्तु भारतीय मनदूर में वह उत्पन्न नहा होता।

इसका एक परिणाम यह होता है कि पैकरी म मानदूर नरदी जलदी बदलते रहते हैं। कहा-कहा तो यह दर्शने में आता है कि चार पाच घण्टों में सब नये मनदूर हो जाते हैं। पुराना पर नहा रहता। क्योंकि नये मनदूर गाय जाता है तब उसे दुही का मिलता नहीं, वह नीमरी छोड़ कर जाता है। नये यह मौत्रों को महाने वे बाद सौंठ कर आता है तो उसे पुराना मजदूर होने के लालू भवा हान म कोटि सुनिखा नहा दा जाती, इस लिए अगर उमा कारगान में उगाह मिज गई तो वह उस कार ग्यान म रहा तो आर निमी कारगान म उगाह छ रहता है। हर पर कार ग्याने के यत्र, काम करन का ढग आर सरान भित्ति होता है। हमें यह मनदूर जब दूसर कारगाने में जाता है तो यह नीमित्या हाता है और उसका कायनुमना पर्म होता है। या ना इस अन्त बदल का पर यह होता है कि मिज मालिक और मनदूरों में घनिष्ठ और सोइप्पण सम्बन्ध ही स्थापित ना हो सकता। यदी नहीं, जैसा कि हम आगे चर कर बनडावेंग मनदूर जब गाँव में बाल्म लीजता है तो उसे कुछ दिनों भर कर पढ़ता है तब बड़ा चालू उसे पूर्ण दन पर आगे मिजतो है। इसम मानदूर का आरपक हानि मा बहुत होती है।

- जहाँ गांव से सम्बन्ध रहने से यह हानिया है, वहाँ लाभ भी है। हानि की अपेक्षा लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। पहला लाभ तो यह है कि कारगारों में काम रखने वाला मनदूर गांव में पलता और बढ़ा होता है। इस कारण उसका स्वास्थ्य और शरीर अच्छा होता है। एक गांव के लोगों के देखिये, जो किसान का छड़का है और एक कानपुर के निल मनदूर के बच्चे को देखिये, जो कानपुर में ही उत्पन्न हुआ हो और यहाँ हो तो आतर स्पष्ट हो जावेगा। यहि यह मनदूर गांधी से न आ कर रहरों में ही उत्पन्न होते और बड़े होते तो उनका स्वास्थ्य और भी बराब्र होता और शरीर निवल होता।

जो मनदूर प्रति वर्ष एक दो महीने के लिए औद्योगिक केंद्र से जुटी लेकर गांव चला जाता है, वह भी उसके भर्तिक और शरीर को सुख देनाता है। यही नहीं, ग्रामीण और गहरी जीवन के सम्मिलन से जो दृष्टिकोण विस्तृत होता है, वह कवल जाहरी जीवन से नहीं हो सकता। इनके मिवाय जहाँ गांव से सम्बन्ध रहता है, वहाँ मनदूर को विपत्ति और आवश्यकता के समय एक अवकाश देता है, जहाँ कि उह जा सकता है। एक प्रकार मेरे गांव मनदूरों की बीमारा, बुझपे और बकारी का बीमा है। आय औद्योगिक डेंगो में इन समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक बीमे का प्रबन्ध किया गया है। जब उक्के कन्द्रों में इनका उचित प्रबन्ध नहीं होता, तब तक तो गांवों से सम्बन्ध रखना एक अनिवार्य आवश्यकता है। गांव बृद्ध, यमवरी खो, दोटे दबों बकारों, अपाहिनों और शक्तिहारों के बिंदु शहरों की अपेक्षा अच्छा निवासस्थान है।

गांव और औद्योगिक केंद्रों के बीच यही साम नहीं है। शहरों में जाकर ग्रामीण नड़ वातों को सीखता है, नये विचारों को महसूस करता है और जब गांवों में समय समय पर आता है तथा अन्त में गांवों में असता है, तब वह उन नवीन विचारों का गांवों में भी समादर रखता है। जो अवित्तगत स्वतंत्रता की भावना मनदूर में जागृत होती है, वह उसका प्रधार गांव में भी करता है। अस्तु, औद्योगिक केंद्रों में

जाने से टसे आधिक लाभ ही नहीं होता अर्थात् उसे नवीन विचार, विस्मृत ससार का ज्ञान होता है और वह उन विचारों को गांवें में लाता है। यदि गाव और शहरों का यह सम्बन्ध समाप्त हो जावेगा तो गांव इस लाभ से बचने हो जावेगे।

अब प्रश्न यह उठता है कि भविष्य में हमें अपने श्रीयोगिक केंद्रों में पेसा मनदूर बग उत्पन्न करना चाहिये कि जो गांवों के सदा के लिए छोड़ दुख हो और जो स्थाया रूप से श्रीयोगिक केंद्र में बस गया हो, या बतमान सम्बन्ध सुरक्षित रखना चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।

यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर ध्यान देता नितान आवश्यक है क्योंकि मनदूरा की बहुत सी समस्याओं का इससे गहरा सम्बन्ध है। अतएव हमें इस प्रश्न पर एक निष्ठा कर लेना चाहिए।

यादी मनदूर कमीशन ने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए कहा था कि यह सम्बन्ध यहुत गहरा है, अतएव यदि इस इसकी नीट करना भी चाहें तो वह यहुत समय लेगा। याप ही, कमीशन का यह सन्दर्भ मत था कि यह सम्बन्ध अत्यात ज्ञानदायक है, इस कारण नीट करने के स्थान पर उसे सुरक्षित रखना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। क्षेत्रक का भी यहा मत है। आवश्यकता इस पात की है कि इस संघर्ष को नियमित और स्पष्टी कर दिया जाय, जिससे कि इसके कारण होने वाला हानिया न रहे और दमसे होने वाले जाप को बढ़ाया जा सके।

तृतीय परिच्छेद

मनदूरों की भर्ती

इद मारत्रय में आयुनिषद ग्रंथ के खारणार्णों की स्थापना हुई थी, लेकिन साक्षिदों को मनदूरों की कमी की बाधा रिकायत रहा। किन्तु ११३० के उपरान्त क्रमशः इस स्थिति में सुधार होता गया। और आज होमसे ही ज्ञानों और ज्ञान के बार्गों को छोड़ कर इसी भी पाते में

मनदूरों की कमी का अनुभव नहीं होता है। हम परिवर्तन का परिणाम यह हुआ है कि जहाँ पहले मिल मालिक मनदूरों को सुख सुविधा पहुँचाने का प्रयत्न करते थे उनके लिए महान्, औपधालय तथा अन्य सुविधायें दी जाती थीं और मनदूरों के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता था, वहाँ आज मिल मालिकों की शोषण करने की शक्ति अधिक बढ़ गई है क्योंकि उसे मनदूरों की कमी नहीं है। मनदूरों की कमी ही मनदूरों की पहले मय से बड़ी शक्ति थी। किन्तु इससे मनदूरों की बड़ी शक्ति नहीं होती जा रही है, और उनकी नुलना में मिल मालिक अधिक बल शाली होते जा रहे हैं। आनंदों स्थिति प्रहृष्ट है कि जब तक मनदूर अपना मवल मगान नहीं करते, तब तक उनका निमतार नहीं हो सकता।

आरम्भ में जब मनदूरा को बहुत कमी थी तो हर एक मिल मालिक को मनदूरों की भती' के लिए अपने आनंदिया को दृढ़र मेनना पड़ता था। मनदूरों के ठेकेदार तथा आप कर्मचारी गाड़ी में चा कर मनदूरों को भती' करते थे और उन्हें मिलों में काम करने के लिये रानी करते थे। इस कार्य के लिए उन्हें कमोशन या येतन दिया जाता था। आज भी यह तरीका चाय के बागों, फोयल की स्वानों इत्यादि में प्रचलित है। किन्तु अधिकास घाँगों में स्थिति यह हो गई है कि भती' के दिन मिल के फारक पर ही आवश्यकता से अधिक मनदूर मिल जाते हैं और मालिक उनमें से छाट कर भनी कर सकते हैं। यद्यपि आनंद मनदूरों को भती' करने के लिए मालिकों को गाड़ी में आदमी मेनने की जरूरत नहीं है किन्तु फिर भी मिल मालिकों ने मीठे मनदूरों की भती' स्वयं करने के घनाय, यह काम पहले की तरह दलालों के हाथ छोड़ रखता है। यह जो मनदूरों और मालिकों के थीच में पृक्ष मनदूरों का दलाल दग भारतवर्ष में पैदा हो गया है, यह भारत की एक विशेषता है। इसको मिल मिल औद्योगिक केंद्रों में भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जावर, मुकटम, मरदार, मिट्टी, नाथक नामों से उनका सम्बोधन होता है; लेकिन यह मय 'एक ही पर' के नाम। हाँ, तो मनदूरों और मालिकों के थीच में जो यह

**‘नायर’ नमा दुश्या है, यह हमारे आंदोलिक केंद्रों का एक भव्यकर रोग है।
जानें**

‘नायर’ इह एक पैकरा में होता है और इसकी शक्ति असीम होती है। वह एक प्रकार से मनदूर के लिए सर्वेत्यता होता है। यह उम्मुक्त चार्नसैन होता है, जिस मनदूरों का घण्टों से पुराना और चुनर होते थे कारण ‘नायर’ ऐसा दिया जाता है। मनदूरों का अपने विमान में भती करना, उन्हें आपरेशन शिक्षा देना, उन्हें वापर की दरमाल करना तथा भशाना की गीर्व रेतना, उसके मुख्य काम होते हैं। मनदूर कुनूल पैकरा में जगह पाने के लिए उस पर निभर नहीं रहता, वरन् अपनी जगह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर ही रहता है। इसी किसी स्थान पर तो नायर मनदूर का महानन भी होता है। मनदूर उसके लिये से दबा रहता है। यही नहीं, कहीं इसी नायर के ही भकानों में मनदूर रहते हैं। यहाँ, कलकत्ता में इन लोगों ने युवत से रहने के स्थान पट्टों पर ले लिए हैं और इनमें उनके आधीन मनदूर किये यह रहते हैं।

इससे भी अधिक महत्वार्थी कार्य, जो नायर करता है, यह है, उसका मानिक और मनदूरों के बीच में दुमापिण्य का काम। जब मानिक कोड सुनता मनदूरों का दबा चाहते हैं तो वह नायर को ढा जाता है आर वह मनदूरों को समझ देता है। यही नहा, यदि मनदूर की कोई मौग होती है, उन्हें काढ कर दोता है या वह कोई सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह नायर का द्वारा हात अपनी बात मालिखें तक पहुँचाते हैं। दूसरे शब्दों में नायर युद्ध कार्य मनदूर भशाना के भी करता है। इसका इस अधिक परिणाम यह होता है कि जायर एवं मनदूर द्वारा अर्थात् यन यापा है कि मैनेजर इन्साफ भा उसको नहीं हगन का साहस नहीं बरत, इसका कारण यह है कि अधिकारी मिज्ज में उन मनदूरों से साझा संवेदन दर्शान करने में अमरमध्य है।

अब सुनिये ‘नायर’ कैसा व्यक्ति हाता है। अविकर उसे कोड

पिंडा नहीं होता। योही बहुत हिना इस काय के लिए यथए होती है। वह उम्री मिल का काढ़ पुराना मगदूर होना है जो अपने अपनी का मुश्ग रखने के कारण 'जावर' बना दिया जाता है। ऐसी दशा में उम्रे यह आता करना कि वह अपने मिथिल से लाम नहीं उठावेगा, भूल होगा। जावर मनदूरी से घूम धूस लेता है। जब वह किसी मनदूर को नीमर रखता है तो पक या नो भास का चेतन धूम के रूप में लेता है। कहा कहो मनदूर प्रति भास एक दृश्य या कुछ कम धूम टसे देते हैं। जब किसी भी उत्तरी का प्रश्न आता है तो फिर मनदूर को भेट चढ़ानी होती है। जावर को शहर पिनाना, उसका जापत करना भा आवश्यक होता है। इसक अतिरिक्त जावर के घर पर बारी बाग में काम करना तो अनिवार्य है। जावर अपने ले चार समझियों को भत्ता कर लेता है, वे अधिकाश में बाम नहीं करते। यह काय अन्य मनदूर से बिंदा जाता है और तनाखाह के द्वितीय यह लोग तनाखाह ले लेते हैं। यह दृश्य भी जावर का जब में जाता है। सच तो यह है कि जावर मनदूरी का धूम ही लगता है। याथ ही मनदूरी पर उम्रका ग्रभाव भी इतना अधिक होता है कि मिल मालिन मा उम्रको निकालने में हिलत है।

वह अपने उदाहरण निये जा सकते हैं कि जावर को निकालने पर उसन दहलान करता दा। यही सब कारण है, जिनसे मिल मालिन यह जानते हुए भी कि वह धूम लेता है और मनदूरी का शोषण करता है, जावर को इगाना नहीं चाहते।

जावर ही केवल धूम लेता हो, ऐसी बात नहीं है। जावर को हड़ जावर को धूम देनी पड़ती है और कहीं कहा तो उचे अधिकारी भी धूम में हिम्मा पाते हैं। यही मनदूर कमीशन ने इस सम्बन्ध में यह राय ही यी कि जावर की शक्ति को कम करता और रिशतदारी को समाप्त करना अपार आवश्यक है, नहीं तो मनदूरी का शोषण नहीं रुक सकता।

कमीशन ई सम्मति में रिशतदारी तमा रोका जा सकती है, बहि

मजदूरों को भती करने और उहें निकालने का काम जायर के हाथ में से को छिया जावे। प्रत्येक कारधाने में 'लेयर आफिसर' नियुक्त किया जाना चाहिए। वह सीधा जनरल मैनेजर के आधीन हो और उसके हाथ में वह काय दिया जावे। लेयर आफिसर को ऊचा वेतन दिया जाना चाहिए। वह ऊंची शिक्षा प्राप्त, इमानदार, मजदूरों से सहानुभूति रखने वाला और उच्चे चरित्र का यकित हो। मिल के जितने भी विभाग हों, उनके अधिकारों की सजाइ ली जावे कि तु मजदूरों को नौकर रखने तथा निकालने का काम लेयर आफिसर के हाथ में ही होना चाहिये। यदि योग्य चयित इस पद पर रखे गये तो वीध ही ऐ मजदूरा का विश्वास प्राप्त कर लेंगे और यदि मजदूरों की सुख सुविधा का काय भी उनके हाथों में सौप दिया जाय तो वह मनदूरों के विशेष रूप से विश्वास भाजन घन सकते हैं।

जिन कारधानों में अधिक छिया काम करती हैं, वहाँ वे एक खी जायर के आधीन रहती हैं, जहाँ कम होती है, ऐ युरो जायर के ही आधीन रहती है। फहीं कहीं तो वह युरो खी जायर, जिसे नाय किन सरदारिन, तथा मुकादमिन भी कहते हैं, खी-मजदूरनियों को अन्यन्त धृणित जीवन व्यतात करने पर विवश करती है और उनका रूप ही शोपण करता है।

वह सब बुराह्यों तभी दूर हो सकती है कि नव सुशिक्षित, चरित्रवान तथा योग्य लेयर आफिसर प्रत्येक कारधाने में नियुक्त किये जावे और यदि कारधाने में योग्य सम्या में मजदूर छिया काम करती हो तो एक चरित्रवान और रिहित महिला उनकी सुख-सुविधा और आवश्यकताओं की दरम भाष्ट बरने के लिये उनकी जावे, जो लेयर आफिसर की सहकारी हो।

ऐसे की बात है कि भारत का अधिकार मिलों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और आन भा ग्नित जैसों की हीमी है। हो, यम्यहै तथा अन्य कुछ काँड़ों में "बदली प्रथा" में कुछ सुधार बरेने का प्रयत्न अवश्य किया गया है जिससे कि जायर विजयुल मनमानी न कर सके;

परन्तु फिर भी 'बदलियों' में से मज़दूर भत्ता करने या काम देने का अधिकार तो जावर को ही होता है, इस कारण उनकी शक्ति बहुत कम नहीं हुई है।

बदली बदले पढ़ति

यह पढ़ति १६३५ म सर्व प्रथम बम्बई में अपनाई गई और फिर शोलापुर में भी मिलों ने इसे अपनाया। मिल मालिक सम ने इस पढ़ति को इस खिये अपनाया था कि "बदली" वाले मनदूरों की स्थापित में सुधार हो और जावर की शक्ति घटे। हर एक मिल में जो स्थापित मज़दूर गैरहानिर होते हैं, उनके स्थान पर 'बदलियों' की जस्तर होती है। इस पढ़ति के पढ़ते "बदली" वाले मनदूर किसी एक मिल से यधे नहीं थे, प्रनि निन थे मनदूरी की चलाग में मिलों में चक्कर लगाते रहते और जावर को धूम देकर नींवरी पाने की कोशिश करते थे। इससे जावर को रिश्वत लेने का गूर अवसर मिलता था। जावर किसी भी बदली वाले को कुछ ही दिनों एक मिल में काम मिलता था। इसमें जहाँ जावर की जेव गरम होती थी, वहाँ मिल और मज़दूर दोनों को ही उक्सान पहुचता था।

इस पढ़ति के अनुसार प्रत्येक मिल अपने मिल भिन्न विभागों की गैरहानिरी का अनुमान लगा, एक सम्प्या निश्चित बताती है और उतने ही बदली कार्ड बना कर प्रति मास उतने ही बदली वाले मनदूरों को दे दिये जाते हैं। प्रत्येक विभाग के लिये बदली वालों की सम्प्या निश्चित रहती है। प्रत्येक 'बदली वालों' को प्रात काल मिल में जाना पड़ता है और उनमें से ही वे पञ्चजी रखते जाते हैं। जब तक वाहू वाले बदली होते हैं, तब तक नये बदली भत्तों नहीं किये जाते। जब कोइ स्थापित जगह बदली होती है तो पुराने बदली को वह दी जाती है और इर पक 'बदली' का नम्बर उपर होता जाता है। इसी तरह स्थापित जगहों

पर 'बदलिया' में से नम्बर धार नियुक्ति होती जाती है। जब प्रथमेक दिन 'बदली' काम की व्योज में ग्रात काल आता है और काम नहीं होता तो उस विभाग का अध्यक्ष उसके कार्ड पर हस्ताक्षर कर देता है। यदि कोई 'बदला' हानिरा में अनियमित होता है या उसका काम ठीक नहीं होता तो उसका नाम कार्ड दिया जाता है। इस प्रकार 'बदली' प्रथा से मन्त्रदूर को कुछ लाभ तो अप्रश्य हुआ है। जावर की शक्ति कुछ कम हुई है। परंतु बदलिया म से नौकरा दता, पुराने बदलियों को स्थायी करना आदि काम जावर ही करता है। और वह अब भी रिप्रत करता है। आप्रश्यता हम बात की है कि यह काय उसके हाथ स निकाल किया जाये।

जावर की शक्ति और प्रभाव तभी घट सकता है कि नव उसे मन्त्रदूरों को रखने और निकालने का अधिकार न रहे और यह अधिकार लेवर अधिकार को द दिया जाये। अब भी सूती कपड़े का काम करने वाले मन्त्रदूरों की जात्य के लिये नो लेवर कम्पनी विश्वास गढ़ थी, उसकी यह राय थी कि अब अहमदाबाद, तथा शोलापुर म "लेवर एक्सचेंज" स्थापित की जायें, जो सब घरों के लिये मन्त्रदूरों की भता का काम करें।

अधिकार साल भर चलने वाले कारणों म जावर ही मन्त्रदूरों को भना करता है और उसके साथ रिप्रत और शापण अनियाय है। अब हम कुछ विशेष घरों के विषय में लिखेंगे, जिनकी अपनी विशेष समस्याएँ हैं।

आमाम के चाय के थाग

यह तो पहले ही कहा जा सकता है कि चाय के बारा में मन्त्रदूरों की बहुत कमाई होता है। कारण यह है कि आमाम में जनसत्त्वाकम है और वर्षों का उल्तायु नम हान के कारण चाय प्राप्त वालों के अनुदूल नहीं पहुंचता। यही कारण यह कि आमाम के थारों के मालिकों न एक कानून बनवा कर गए बदल मन्त्रदूरों की प्रथा का आर्हा किया था। चाय के थग

अपने सरलरों को हथया देकर विहार, समुक्तप्रान्त, उडीमा, उत्तरी मरकार तथा अन्य घने आवाद प्रार्थों में उन्ह मेंनवे थे और यह भोजे भाजे प्रामीणों को धोना देकर उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन निकर भर्ती कर ले रे थे और जब वह मनदूर निला अधिकारी के समने अग्रण लगा देता था तो पिर मानो उसने जीवन भर की दासता का पट्टा लिय दिया। सरदार उसे आसाम ले जाता था। मनदूर न नो कानून नीकरी छोड़ मकना या और जहाँ वह चाय के बागों में रहता था, उसकी रात्रि को रूपगाढ़ी की जाती थी कि निससे कोइ मनदूर भाग न जाने। यदि दोउ मनदूर भाग नाये तो उन्हें पकड़ने और उस को भना देने का अधिकार बाग के मैनेजर को दे दिया गया था। मच तो यह है कि मनदूर एक ग्राम भनी होने पर ग्रीतदास बन जाता था। और उहुत मे तो वहाँ भर जाते थे। गोव के लोग इन भनी करने वालों को आरकारी कहते थे और उनमे अत्यन्त पृष्ठा कहते थे। १६२६ में सखार ने इस पृष्ठित कानून को धोर आदोलन के उपरान्त रद कर दिया और एक नया कानून बनाया गया, जो उतना दुरा नहीं है।

आमाम और बगाल दोआर के चाय के बागों का समस्या बास्तव में है भी कठिन, क्योंकि मनदूरों को विहार, खाल परगना, लोटा नाग पुर, मत्यप्रान्त और उत्तरी मरकार के निलों मे भर्ती करना पड़ता है। हम कारण मनदूरों को खाले में व्यय अधिक होता है और चाय के बागों में स्त्री मनदूरों की यहुत जरूरत रहती है। इनी कारण सरदार छोग क्षेत्रियों और प्रिवादित स्त्रियों की धोगया दे कर उनक नाम बदल कर उनको भगा लाते थे। यही कारण था कि चाय के बाग के मालियों को कानून (workman's breach of Contract Act) बनवाने की धावरपक्षना हुई। यह कानून १८५१ में बना और १६२६ में धोर आदोलन के उपरान्त रद किया गया। १६२१ में आमाम के चाय के बागों के मनदूरों में धोर अशान्ति ऐक रही। इन्हों दी सरत्या मनदूर चाय के बागों से भाग खड़े हुए। रेलो ने उन्हें गिर्जित नहीं

दिया। पुजिस ने भागते हुए मन्त्रदूरों पर गोबी चलाइ, सैकड़ों भारे शये, हजारों को जेलों में ढूस दिया गया। इसके उपरान्त एक कमेटी बिघड़ गई, जिसकी सिफारिश के अनुसार वह धूणित कानून रद्द कर दिया गया।

१९३३ में एक नया कानून बनाया गया, जिसके आधीन आसाम के चाय के बारों के लिए मन्त्रदूरों की भवा होती है। इस कानून के अन्तर्गत एक उच्च अधिकारी जिसे प्रशासी मन्त्रदूरों का कन्ट्रोलर कहते हैं, नियुक्त हिया जाता है। उसे मन्त्रदूरों के हितों की रक्षा के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कानून के अनुसार प्रत्येक मन्त्रदूर और उसके परिवार को चाय के खरें पर तीन वर्ष के उपरात अपने गाँव लौट का अधिकार मिल जाता है। यदि मन्त्रदूर का स्वास्थ्य अच्छा न रहे या अन्य कोई विशेष कारण हा तो तान साजा का समर्थ कम भी किया जा सकता है।

बंगाल, बिहार, उडीचा, मायमात मढास या भयुक्तशात के सभन जिलों को जिनसे मन्त्रदूरों का भत्ता होती है, “नियंत्रित प्रवास यथ धारित कर दियेंगये हैं। जब हिमी चाय के बाग का सरदार आसाम या बांग से इन लंगों में मन्त्रदूरी की भवा के लिए घब्बता है तो उसे प्रशासा मन्त्रदूरों के कंट्रोलर से लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के दिन वह उन जिलों में भत्ता का काम नहीं कर सकता। जब सरदार उन जिलों में पहुँचता है तो यह बहाँ के जिला अधिकारियों को अपना लाइसेंस दिखानापड़ता है। तब कहाँ वह ऐसे में मन्त्रदूरों का भवा कर सकता है। आ मन्त्रदूर आसाम या बंगाल के नामें में जाना चाहिए है वह अधिकारिया के नामें उपरिधित किया जाता है और इस बात का नाम की जाती है कि मन्त्रदूर पर अनुचित दशव से नहीं दाढ़ा गया है और उसको मारी परिमिति समझ दी गई है। यहाँ से वह उस आसाम जाता है तो उसका नाम दूरपादि आसाम मन्त्रदूरों के कंट्रोलर के दफ्तर में दब कर छिपा जाता

है। यदि उसके साथ कोइ धोन्ना किया गया हो तो वह कंट्रोलर से शिरापत कर सकता है। यदि भर्ती करने में कानूनों के विरुद्ध कोइ काय किया गया हो तो उन सरदारों का लाइसेंस जल्त किया जा सकता है।

दक्षिण के काफी, रवर तथा कुनैन के बागों में, जो मजदूरों की भर्ती होता है, वह अभीपवता प्रदेशों से ही आते हैं। बाग के मालिकों का एक समाजन है, जो इन बागों के लिए मजदूरों की भर्ती करता है। इसकी शाखे भिन्न भिन्न जिलों में होती हैं और यह भर्ती करने के लिए एजेन्स रखते हैं, जिन्हें 'कनगानी' कहते हैं। मजदूरों को बागों में काम करने के लिए उत्तराधित करने के लिए रेश्य से उहैं पेशगी रखया दिया जाता है, जिसमें से अधिकारा 'कनगानी' की जेव में ही चला जाता है। १९२६ तक दक्षिण में एक कानून लागू था, जिसके आधीन मन्दूर नाम्मा छोड़ कर जा नहीं सकता था और भागने पर उसे कठोर दण्ड किया जाता था।

एक प्रकार से वह दासवत् जीवन 'यतीत करता था। १९२६ में यह कानून भी रद्द कर दिया गया। अब मन्दूर इच्छा न रहने पर नीकरी छोड़ सकता है। दक्षिण के बागों में काम करने वाला मन्दूर प्रत्येक वय सुन समय के लिए अपने गावों को लौटता है। यद्यपि १९२६ में वह पृथिव बानून रद्द कर दिया गया, किन्तु पिर भी अभी पूण दृष्टि से भर्ती करने के दोष समाप्त नहीं हुए हैं।

खानों में मजदूरों की भर्ती

भारताय कोयले की खानों में अधिकतर मन्दूर टेक्नार्ट द्वारा भर्ती किये जाते हैं। टेक्नार्ट को एक निश्चिन सलया में मन्दूर लाने को कहा जाता है और सान पिर उन मन्दूरों को नाकर रद्द लेती है। क्षेत्रिक नूमरी भा प्रथा है जो कि कोयले की खानों में अनुत्त अधिक शब्द लित है। टेक्नार्ट के बाज मन्दूरों को भर्ती करने का ही जिम्मेदार नहीं

होता, घद कोयले की सुशाङ्क का टका क्षेत्र है और जितना कोयला सुदृश्यता है, उसी के द्विसाम से उसे मनदूरी दे दी जानी है। लगभग ५० से ७० प्रतिशत मनदूर इस प्रकार टेकेडारों के आधीन काय बरत हैं। यान ज्ञ मैनेनर प्रति इन सुशाङ्क और डिंगों में कोयले की सुशाङ्क का एक ऐ निश्चित करता है। टेकेडार जितना कोयला सुशवा कर भरवा दगा उसी द्विसाम से उसे सुशाङ्क दे दी जारेगी। इस प्रकार मन दूरों को टेकेडार बथा मनदूरी देता है, इससे यान को कोइ मतलब नहीं। फल यह होता है कि मनदूर का एवं ही शोषण होता है। शाही मनदूर कमीशन ने इस प्रथा का धोर विरोध किया था। कमीशन की राय थी कि यानों में मनदूरों की सीधी भत्तों होनी चाहिए, इस प्रथा का अत कर ना चाहिए किन्तु अभी तक कलियत खानों को छोड़ और मन यानों में जोयने की सुशाङ्क का टेकेडार पहले का तरह ही जमा हुआ है।

टकेडार के अनिरक्षित मनदूरों की भत्तों की कुद और भी प्रधायें हैं। यान का मनदूर मनदूरों की एक टोड़ी भरती करता है और घद उसकी तर रेत में ही काम करते हैं। यह सरदार हा मैनेनर के प्रति उनके काम का जिम्मेदार होता है। एक सीसरी प्रथा है, जिसे "सरमारी" कहते हैं। मैनेनर अपने आदिमियों को मनदूरों की भरती के लिए भेजता है और मनदूरों की साधी भरती करता है। शाही मनदूर कमीशन की वह राय थी कि यान मनदूरों की भरता टकेडारों के द्वारा न कर के सीधी की तरे किन्तु अभी तक इस दिशा में अधिक सुधार नहीं हुआ है। और अधिकार मनदूर सीधे यान के अधिकारियों द्वारा भरती न किये जा कर टेकेडारों द्वारा भरती किये जाते हैं। यह किमी भी प्रकार आदानीप नहीं है। इसमें विकनी लार्डी सुधार हो उतना ही उत्तम है।

मनदूरी मनदूर

जहानों पर काम करने वाले दोन के बिष बैंदरगाहों पर

मनदूरों की जरूरत होती है। नुभाग्यपर मारत का समुद्री यातायात मव विदेशी जहानी कपनियों और विशेष कर निश्चिक कम्पनियों के हाथ में है, वे अपने लिए मनदूर भरती करने का काम सरकारी लायबैंस प्राप्त किये हुए दलालों को सुपुत्र कर देते थे। यह न्याल ही जहाजी कपनियों के लिए मनदूरों की भरती करते थे। समुद्री मनदूरों की सख्त्या इतनी अधिक होती है कि कर्मी भी माधारणतया एक तिहाड़ से अधिक मनदूर काम नहीं पाते। इम कारण मनदूरों को नीकरी पाने के लिए खूब रिक्षत देनी पड़ती थी। १९७२ में मारत मरकार ने इम समस्या की जाँच के लिए 'समुद्री मनदूर भरती कमेटी' बैगड़। पूरी जाँच करने के उपरान्त कमेटी ने अपना भत प्रगट किया कि मनदूरों की भरती करने का यह दरा बहुत ही दोषपूर्ण है और इससे रिक्षत घेहू बढ़ता है। कमेटी ने यह मिफारिश की कि समुद्री मनदूरों को भरता करने का एक दफ्तर स्थापित किया जाने और उसका अधिकारी नियुक्त किया जाव, जो मनदूरों के लिए स्थायी नौकरी निलाने और रिक्षत से बचाने का प्रयत्न करे।

भारत गरकार ने १९२६ में आनंद निकाल कर द्वाढसैम प्रातः दृढ़ज्ञों के द्वारा ऊचे दर्जे के मनदूरों का भरती करना चिल्ड्रन रोक दिया। अब ये या तो सीधे जहानी कम्पनियों द्वारा भरती किये जाते हैं या सरकारी अधिकारी द्वारा, जहानी दफ्तर में। यह प्रयत्न किया जाता है कि जो मनदूर मन से अधिक ममत्य से येकार रहा हो, उसको पहले स्थान दिया जावे। जहां जहानी कम्पनिया अपने मनदूरों की रनिस्ट्री का प्रयत्न नहीं कर पाती है, वहां जहानी दफ्तर मनदूरों की भरती करता है। अस्तर में ऊचे दर्जे के मनदूरों के नाम रनिस्ट्र में लिख लिए जाते हैं और जहानी के साक्षिक या उनके ऐनेन्ट उन लोगों में से मनदूर ढाठ लेते हैं। यद्यपि कोइ नियम और प्रतिशाध तो नहीं है, परन्तु प्रयत्न यह किया जाता है कि नो अधिक लम्बे समय से येकार हो, उसे पहले ज़गड़ दी जावे।

यद्यपि स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, किन्तु पर भी रिक्षत का यानार जैसा का तैसा है। कोह मनदूर विना रिक्षत द्विये काम नहीं

होता, यद कोयले की सुदाइ का ठेका करता है और जितना बोयला सुदगता है उसी के दिसाय से उसे मजदूरी दे दी जाती है। लगभग ४० से ७० प्रतिशत मजदूर हस प्रसार के टेकेदारों के आधीन काय बरते हैं। यान इन मैनेनर प्रति टन सुदाइ और डिंपों में कोयले की सुदाइ का एक रेट निश्चित करता है। टेकेदार जितना कोयला सुदवा कर भरवा देगा उसी दिसाय से उसे सुदाइ दे दी जायेगी। इस प्रकार मन दूरों को टेकेदार क्या मजदूरी देता है, इससे खान को कोइ मतलब नहीं। फल यह होता है कि मनदूर का खूब ही शोषण होता है। शाही मनदूर कमीशन ने इम प्रथा का घोर विरोध किया था। कमीशन की राय थी कि यानों में मजदूरों की सीधी भर्ती होनी चाहिए, इस प्रथा का छात कर नेना चाहिए किन्तु अभी तक क्षिप्र गतिशील यानों को छोड़ और यब यानों में कोयले की सुदाइ का टेकेदार पढ़ले की तरह ही जमा हुआ है।

टेकेदार के अतिरिक्त मजदूरों की भर्ती की प्रथाएँ हैं। यान का सरदार मजदूरों की एक टोक्ही भरती करता है और यद उसकी देग रेय में ही खाम करते हैं। यह सरदार ही मैनेनर के प्रति उनके काम का निमेदार होता है। एक तासरी प्रथा है, जिसे "सरकारी" कहते हैं। मैनेजर अपने आदमियों को मजदूरों की भरती के लिए भेजता है और मजदूरों की सीधी भासी करता है। शाही मनदूर कमीशन की यह राय थी कि यान मजदूरों की भरती टेकेदारों के द्वारा न कर के सीधी की जाये किन्तु अभी तक हस दिशा में अधिक सुधार नहीं हुआ है। और अधिकतर मनदूर सीधे यान के अधिकारियों द्वारा भरती न हिये जा कर टेकेदारों द्वारा भरती हिये जाते हैं। यह ऐसी भी प्रथा जोड़नीय नहीं है। इसमें जितनी जल्दी सुधार हो जाना ही उत्तम है।

मनदूरी मनदूर

लाज्जों पर खाम करन जाया माल ढोने के लिए यंदरगाहों पर

मनदूर्ग की नहरत होती है। दुमारगढ़ भारत का समुद्री यातायात मर खिंदेशी नहानी कपनियों और विशेष केर विभिन्न कम्पनियों के हाथ में है य अपने लिए मज़दूर भरती करने का काम मरकारी लायसेंस प्राप्त किये हुए दलालों को सुपुद कर दते थे। यह न्लाल ही जहानी कपनियों के लिए मनदूर्ग वी भरती करते थे। समुद्री मनदूरों का सम्बन्ध इतनी अधिक होता है कि कभी भी माधारणतया एक तिहाइ से अधिक मनदूर काम नहीं पाते। हम कारण मनदूरों को नौकरी पाने के लिए व्यवस्थित नहीं पड़ता था। १९२२ में भारत सरकार ने हम समस्या की जांच के लिए “समुद्री मनदूर भरती कमेनी” बैगड़। पूरी जांच करने के उपरान्त इसने आपना मन ग्राम किया कि मनदूरों की भरती करने का यह दग घटूत ही दोषाण है और इससे रिश्वत बेहद बढ़ता है। कमेनी ने यह मिट्टरिंग का कि समुद्री मनदूरों की भरती करने का एक उपरान्त म्यापित किया जाए और उसका अधिकारा नियुक्त किया जाए, जो मनदूरों के लिए स्थायी नौकरी लिलाने और रिश्वत से बचाने का प्रयत्न करें।

भारत सरकार ने १९२१ में आना निकाल कर छाड़सेंस प्राप्त दलालों के द्वारा उचे दर्जे के मनदूरों की भरती करना रिलाइन रोक किया। अब य या वो माध्ये नहानी कम्पनियों द्वारा भरती किये जाते हैं या मरकारी अधिकारा द्वारा, नहानी उपरान्त में। यह प्रयत्न किया जाता है कि जो मनदूर मर से अधिक समय से बेकार रहा हो, उसको पहले स्थान दिया जाए। जहा नहानी कम्पनिया अपने मनदूरों की रनिस्ट्री का प्रयाप्त नहा कर पाती है, वहा जहानी उपरान्त मनदूरों की भरती करता है। उपरान्त में ऊचे दर्जे के मनदूरों के नाम रनिस्ट्री में लिए जाते हैं और लहाना क मालिक या उनके एनेट उन लोगों में से मनदूर छाट लेते हैं। यद्यपि कोइ नियम और प्रतिवाच तो नहा है, परन्तु प्रयत्न यह किया जाता है कि जो अधिक लम्बे समय से बेकार हो, उसे पहले जगह दी जावे।

यद्यपि स्थिति में कुछ सधार अवश्य नहा है — — — — —

पा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्री मन्त्रदूरों में ऐकारी वैद्युत रहती है। आवश्यकता इस बात का है कि खाइसेस प्राप्त दलालों के द्वारा भर्ती विज्ञकुल मढ़ कर दी जाये। जहाँनी दफ्तर में सब मन्त्रदूरों की भर्ती हो और उहाँनी कर्तवियों को नियमानुसार उहाँनी मन्त्रदूरों में से सज्जदूर लेने पर विवश किया जाये। आवश्यकता से जो अधिक मन्त्रदूर समुद्री काम में लगे हैं, उहाँ दूसरे धार्या में लगाने का प्रयत्न किया जाय।

रेलवे

रेलें भी यहुत बड़ी सरकार में मन्त्रदूरों को भर्ती करता है। रेलें तीन विभागों में मन्त्रदूर्द की भर्ती करती है (१) इंजिनियरिंग (२) यातायात तथा व्यापार (३) वक्षाप। यहाँ भी रिश्वत देकर ही किसी को जगाइ भिजाती है। साथ ही रेलों में जाति तथा रंग में भी यहुत अधिक है। एक ही काम के लिये भारतीय को कम बतन दिया जाता है और यौंदों इंडियन को अधिक। आप जबकि सभी रेलवे लाइनें सरकार की हैं, तब यह पृथक्षण के लिये भी सहज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही भर्ती करने का काम, इस्पत्तरों, स्टेशन मामरों, चालानीनों तथा आप नीचे कमचारियों के अधिकार में न देकर उसके लिए एक पृथक् विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जो उसे व्यवितरणों का एक इंटिमर रखेंगे कि जो रेलवे के विभिन्न विभागों के लिए प्राप्ति होंगी और उनमें से जो भी अधिक उत्तराधीन उम्मीदों पहले स्थान दिया जावे। जब भर्ती करने का अधिकार स्थानीय कमचारियों का होगा, तब तक रिश्वत को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सरकार, निस्टिक्षण था, तथा मुनिसर्वलग्न इमारतें बढ़ाकें, उक्त तथा छायों के लिए दमुन बढ़ा सरकार में मन्त्रदूर रक्षत हैं किन्तु इन कार्यों के लिये टक्का दिया जाता है। ठक्कर मन्त्रदूरों को नीचरी दत्ता है। इन मन्त्रदूरों की इस आपात दृष्टिकोण होती है। दृढ़े यहुत अधिक कार्य बरना

पढ़ता है। उनसे १२ घण्टे काम किया जाता है और मनदूरी यहुत कम दी जाती है। ये तो असम्भव है कि सरकार या डिस्ट्रिक्टबोर्ड इन मनदूरों को भर्ती करें परन्तु उका दते समय यह शर्त रखी जानी चाहिए कि टेकेदार को अपने मनदूरों को सरकार हारा निर्धारित मनदूरी देनी होगी। साप्त ही १२ वर्ष में कम आयु के बालकों को मनदूर नहीं रखा जायेगा। शाही मनदूर कमाशन ने इस आशय की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने इस ओर प्रयत्न नहीं दिया। जब तक नियम बना कर टेकेदारों को एक यूनिटम मनदूरी देने पर विवर नहीं किया जावेगा, तब तक इन मनदूरों की दशा नहीं सुधर सकती।

जो भौमिका कारबाने हैं, जैसे शब्दर, कपास, चावल, तथा तेज दृत्यादि, उनम अविक्तर निकटवर्ती गांवों के खेत मनदूर और किसान काम करते हैं। यद्यपि इन कारखानों में भर्ती होते समय रिश्ते नहीं देने पड़ती किंतु इनकी मनदूरी यहुत कम होती है।

इन कारखानों के अतिरिक्त हुए ऐसे भी धार्ये हैं, जिनमें केकरी कानून लागू नहीं होता, जैसे घोड़ी, दरी, गलीचे के कारबाने। इनमें छोटे छोटे चर्चों, स्थियों और पुरुषों को यहुत लम्बे समय तक काम करना पड़ता है और उनको यहुत थोड़ा वेतन मिलता है। इन कारखानों में कई कहा छोटे लड़कों को माँ बाप कुछ रपथा पेशगी केरर गिरवी रख दते हैं। इससा अभ्य यह है कि यह लड़का अपने सामाजिक का काम नहीं छोड़ सकता। यद्यपि अब कानून इसके विरुद्ध है, किन्तु फिर भी यह पथा कहीं-कहीं ज्यों की त्यों थनी है।

सब तो यह है कि मनदूरों की भर्ती से सम्बन्धित नो झुराह्या हम दरते हैं, उनसा मूल कारण ताय २ है कि गांवों में काम की कमी है धन्ये बहा न् । है और खेतों पर आवश्यकता से अधिक लोग अवलम्बित हैं। साथ ही दरा की सामाजिक मिपति और मानूरों की अशिक्षा भी इसके सुलग कारण हैं।

मनदूरों की भर्ता के सम्बन्ध में दो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं

जितकी थोर हमें भ्यान देना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि कारबानों में वरावर स्थान राली होते रहते हैं, इस कारण आवश्यकता से अधिक मन्त्रदूर् श्रीयोगिक केंद्रों में इस सालच से पहुँचते हैं कि उन्हें ले ने वर काम तो मिल ही जायेगा। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि मन्त्रदूरों की भरती का इस प्रकार नियंत्रण किया जाये कि आवश्यकता से अधिक मन्त्रदूर् श्रीयोगिक केंद्रों में न पहुँच सवें। दूसरी बात यह है कि अधिकतर पुरुष ही श्रीयोगिक केंद्रों में जाते हैं, हिंसा गारों म ही रह जाती है। इसका पल यह होता है कि श्रीयोगिक केंद्रों म पुरुषों का अनुपात मनुष्यों की तुलना में अधिक होता है और इससे व्यभिचार तथा भौतिक पतन का रास्ता खुलता है। अतएव इस बात की आवश्यकता भी है कि श्रीयोगिक केंद्रों में दमचियों को प्रशासन करने के लिए डासाइट किया जाये। यह तभी हो सकता है, जब एन्ड्रा में स्थिर्या के बाह्य काय चढ़ा मिल सके और मन्त्रदूरों की भरती का नियंत्रण किया जाये। यही नहा भविष्य म उद्योग भाष्यों की दशनि के लिए यह भी आवश्यक है कि जो मन्त्रदूर केंद्रों म आये, उनको भरती करन समय दरक्षी कुरुक्षता और काय शक्ति का भ्यान रखता जावे। यह तभी हो सकता है कि एव मन्त्रदूरों की भरती पर साधकनिक नियंत्रण हो। इस सम्बन्ध म दम बदारी के परिदृश्य में लिखेंगा।

चतुर्थ परिच्छेद

पारम्पानों में मनुष्यों का जीवन और स्वास्थ्य

कारबानों में मन्त्रदूर् योग्य समय व्यतीत करता है, इसकिए कारबानों के जीवन का उसके स्थान्य भी उसकी कापशक्ति पर भारी प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से हमें मारलाय कारबानों के जीवन का सम्बन्धन करना आवश्यक है।

बूल और गदगी

कुछ कारखानों में धूल और गदगी इतनी अधिक होती है कि मजदूर ना स्वास्थ्य शीघ्र न ले सकता है। कुछ कारखाने तो ऐसे होते हैं कि निनम होने वाली किशोरों से ही गद निकलती रहती है और यदि उसे यत्रां द्वारा कम करने का प्रयत्न न किया जावे तो उस से मजदूरों को बहुत हानि पहुँचती है। उदाहरण देखिये यदि किमी क्षमता के ऐच या सूती कपड़े के मिल भ जाना हो तो जहा रुद को साफ करने, धुमने और अन्य क्रियाएँ होती हैं, वहाँ इ के बहुत बारीक रेंगे और धूल सारे बायुमण्डल में भरे रहते हैं। इसी तरह बागज, चमड़ा लकड़ा तथा अन्य कारखानों में भी ऐसी बहुत सी क्रियाएँ होती हैं कि जिनसे बहुत अधिक धूल और गदगी उत्पन्न होता है। यदि मिल मालिक प्रेसे म्यानो पर धूल और गदगी सोख करने वाले यत्र लगा द या विजली के पर्क से हवा में सेनी उत्पन्न कर द तो इस से हानि कम हो सकती है और मजदूरों को सुविधा हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक कारखाना धूल और गदगी को सोपने वाले यत्र तथा विजली के पर्के लगाये। इस से एक जाम तो यह होगा कि मजदूर उपरोग इस्यादि रोगों से बचेंगे, उनका स्वास्थ्य नहीं गिरेगा और मजदूरों की कार्य शक्ति बढ़ेगी, मिल की उपत्ति म तृदि होगी और मनदूर को सुख पहुँचेगा। यदि भी यात है कि मिल मालिक इस और बहुत कम ध्यान देते हैं और मनदूर सभायें भा जो मनदूरी उत्पाना ही अपना कर्तव्य मानती हैं, इस और तनिक भी ध्यान नहीं दता। रुद, जूट, ऊन तथा अन्य धारों म जहा धूल और गदगी उत्पन्न होती है, कैकड़ी कानून के अनुमार यदि कारखानों का हन्मपेक्टर आवश्यक समझे तो मिल मालिकों को आन्दा दे सकता है कि वे धूल और गदगी कम करने के लिए यत्र लगायें। किन्तु अधिकार इहपेक्टर अपने कर्तव्य को अब हैलना करते हैं और मिल मैनेजर को इस सम्बन्ध मे कोड आगा नहीं

दते। आवश्यकता इस बात की है कि भजदूरों में कार्य करने वाले इस और इयान देखीं और कारबाना के अद्वार धूल और गढ़गी को कम करने का आदेश दें। यही नहीं कारबानों की साधारण स्वाक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दीपार्ण तथा फर्ण को बरायर सार किया जाना चाहिए और प्रति घर्ष उसकी चूने से पुताइ होनी चाहिए। पैकरी कानून में यह धान आ जानी चाहिए कि प्रयोक कारबाना प्रति यह साक किया जाये।

मफाई

पैकरी कानून के अनुसार प्रयोक कारबाने में भजदूरी की सख्ता के अनुसार शीघ्रगृह होना चाहिए। पिर भी कारबानों में शीघ्रगृही की यहुत कमी होती है और जो भी शीघ्रगृह होते हैं उनकी व्यवस्था यहुत ही गमाव होता है। यह इतने गद रहते हैं कि गाव से आने वाला भजदूर उन गद शीघ्रगृहों का उपयोग करना पस्त नहीं करता। मिल मालिक सदैव यह कहते हैं कि भजदूर, शीघ्रगृह इत्यादि सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। मच तो यह है कि ये इतने गद होते हैं कि उनका उपयोग गाव से आने वाला भजदूर नहीं कर सकता। आवश्यकता इस बात की है कि उहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ प्रयोक मिल “सैटिक टैक” बनाय। बगाल की जरूर मिलों ने इसका प्रयोग किया है और भजदूर उनका मृत्यु उपयोग करते हैं। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ भी यथात् ग्राम शीघ्रगृह होना चाहिए और उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

गरमी

आवश्यक गरम दग है। गरमी में आर घरमाल में यहाँ इननी भी आवश्यक गरमी पड़ती है कि भनुष्य मेनना ये घबड़ाना है। उमड़ो यहुत घड़ान इनीं होती है। पिर कारबानों की तो कदम चूकिये। वर्षे तो ऐहद

गरमी रहती है और दम पुराता है। यहाँ तक कि गरमियों में फैक्ट्री के पाहर हवा कम गरम होती है और अन्दर अधिक गरम होती है। मिल मालिक कारम्भाने के अन्दर गरमी कम करने का तनिक भी प्रयत्न नहीं करते। यदि कारम्भानों के अन्दर गरमी कम रहे तो मनदूर के कट्टी में कमी हो सकती है। यही नहीं कोइँ-कोइँ कारम्भाने ऐसे बने होते हैं कि जाहों में बड़ा घघेट भूमि नहीं आती। फैक्ट्री कानून के अनुसार जिन कारम्भानों (कपड़े के कारम्भानों) में पानी की भाष्प का उपयोग कपड़ा तुलने में होता है, वहाँ तो कानून मिल मालिक को कारम्भानों की गरमी कम करने के लिए विवश कर सकता है। अन्य कारम्भानों में कानून मिल मालिकों को कारम्भाने के तापक्रम (गरमी) को कम करने के लिए विवश नहीं कर सकता। सूती कपड़े के कारम्भानों में जहाँ भाष्प से सूत को नम किया जाता है वहाँ भी यदि फैक्ट्री इन्स्पे कर समझे कि भाष्प में गरमी इतना अधिक हो जाती है कि मनदूर को उस से धोर कर्ण होता है और उसके स्वास्थ्य पर इसका खुरा शमाव पड़ेगा, तब वह फैक्ट्री मैनेजर को आजाद सकता है कि वह कारम्भाने को ठड़ा रखने वाले घन्तों की लगावें या अन्य उपाय से कारम्भाने को ठड़ा रखें। यदि धूत को घूमे से पोता जावे, छुत पर नहों छारा दरा दर पत्ती घरमाया जावे और अन्दर विजली के पत्तों की सुविधा हो तो गरमियों में फैक्ट्री के अन्दर काम करना दृतना काटसाच भतीत न हो; किन्तु अधिकारी कारम्भानों में इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता। फैक्ट्रीयों के अन्दर ऐसी भाष्पण गरमी होती है कि मनदूर पर्माने से शिथित हो जाता है और जिन कारम्भानों में भाष्प का प्रयोग होता है वहाँ तो मनदूर बैद्योग तक हो जाते हैं। बहुत थोड़े लघ्य से कारम्भानों के अन्दर की गरमी को कम किया जा सकता है, किन्तु मिल मालिक मनदूरों की इस सुविधा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। यदि मिल मालिक इस ओर तनिक ध्यान दें तो केवल मनदूरों को ही सुपार और सुविधा न मिले, वरन् कारम्भानों की उत्पत्ति भी

यह जावे वर्षोंकि इस दशा में भवनदर मन लगा कर काम कर सकेंगे। किन्तु मिल मालिकों को तो अपने दृष्टि का ध्यात भी समझ नहीं पड़ता। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि कानून बना कर मिल मालिकों को विश्वास किया जावे कि वे कारखाने का ठड़ा रखते। कानून द्वारा फैक्ट्री के अद्वार का तापक्रम अधिक से अधिक क्या हो यह नियांरित दृष्टि दिया जाए और यदि फैक्ट्री के अद्वार का तापक्रम उससे अधिक हो तो यह तुम माना जावे। तापक्रम नियांरित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि नितनी गरमी भवनदूर बिना कटके सहन कर सके और जा डनक स्वास्थ्य के लिए अद्वितीय न हो, उससे अधिक तापक्रम नियांरित न किया जावे। जब तक इस प्रकार वा कानून नहीं बन जाता, तब तक भवनदूरों का यह कानून नहीं हो सकता। निन कारखानों में भाष का उत्तरायण होता है वहाँ तो कानून बना कर शातररण यथा (Cooling Plant) लगाने का प्रबन्ध होना हो चाहिए।

रना

यह तो सबसार्थ बात है कि नहा विनली या भाष से यांत्र चलत है, यहा काम करने में भवनदूर का नोभिम रहता है। आवश्यकता इस बात का है कि भवनार्बी की टाक तरह से घराबंदी (fencing) की जाए कि इस से काम करने वाले के लिए स्वतंत्र क्षम हो। यही नहीं दो भवनाना के बाच में यथार्थ स्थान होना चाहिए। अधिक विच पिघ होने से भी ऊपरनाएँ हान की सम्भावना रहता है। किन्तु योद की बात है कि मिल मालिक अपने इस प्रथम क्षताय की ओर भी ध्यान नहीं देते। कदं शत्रुनाक भवनानों का ही कहाँ कहाँ घेराबंदी देखने को मिलता है और दो भवनार्बी के बीच में बहुत कम स्थान रहता है। इसका परि याम यह हुआ है कि विद्युत वर्षों में भारतीय भवनानों में होने वाली ऊपरनामा की संख्या में वृद्धि हुह है। यह विताकी बात है और इस अपरिविष्ट स्थान द्वारा आवश्यकता है। यथार्थ मिल मालिक और

फैक्टरा हन्सपेशन इस बृद्धि का कारण यह चतुराने हैं कि पहले बहुत सा दुष्करात्रा के बारे में नीक गश पता नहीं चलता था, जिन्होंने अब अधिकारी दुष्करात्रियों रेकार्ड पर ली जाता है। यह टीका है कि पहले मिल मालिक अधिकारी दुष्करात्रियों का किमों को पता ही नहीं लगान ढूँढ़ते थे, और न उनका कोड लेना ही इच्छते थे। परन्तु अब उनका जीवा इच्छा जाता है। फिर भी आकड़ों से यह मिल होता है कि दुष्करात्रियों की मरण और अनुपात में भा पहले से बृद्धि हुई है।

दुष्करात्रियों को कम करने के लिए यह नियान आवश्यक है कि भारत में 'रक्त पहले' आदोनन चलाया जावे। जिस प्रसार नापान इन्यादि नगों में इस आनंदोलन के अन्तर्गत दुष्करात्रि के समय अपना रखा किम प्रकार करना चाहिए, जो लगने पर प्रारम्भिक चिकित्सा आर सुधुणा कैम्पी करनी चाहिए यह मिलाया जाता है, इसी प्रकार भारतवर्ष में भा 'रक्त पहले' नियस या सप्ताह मनाकर कारबानी के भन्दूरों को दुष्कर नार्थों से बचने की शिक्षा दिनों चाहिए। यह एक महतवपूर्ण कार्य है, जिस पर भन्दूर सभायों को विशेष ध्यान न्हा चाहिए। ये मिल मालिका पर यह दराव ढाल कि भन्दूरों को यह छिना आवश्यक नहीं चाहिए। गेंद है कि भन्दूरों के साथ इस और तरिके मा ध्यान नहा जाते।

कानून के अनुसार प्रयोक भारताने में प्रारम्भिक चिकित्सा के सामान रहना आवश्यक है। किन्तु केवल इनका ही आवश्यक नहा है आवश्यका इस पात का है छिप्रत्येक वारेने में लुद्र लोग पस हो, जो कि प्रारम्भिक चिकित्सा कर सकें। जिस कारबाने में २५० भन्दूरों न अधिक हो तो एक कल्पान्दिश और यहा २०० से अधिक ही ना एक दारगर मर्जन कारबाने में रहे तिसमि कि आवश्यका एडन पर उसकी यज्ञायता ली जा सके।

इमारतें

कारबाने की इमारत भी भन्दूरों के लिए एक विशेष गतर का कारण

यह जाये क्योंकि उस दशा में मनदूर भन लगा कर काम कर सकेंगे। किन्तु मिल मालिकों को तो अपने हित का धौत भी समझ नहीं पड़ता। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि कानून बना कर मिल मालिकों का विवर किया जावे कि वे कारबाने का टड़ा रखें। कानून द्वारा ऐसीरी के अन्दर का तापक्रम अधिक से अधिक बढ़ा हो यह निष्पारित कर दिया जावे और यदि ऐसीरी के अन्दर का तापक्रम उससे अधिक हो तो यह जुम भाना जावे। तापक्रम निष्पारित करते समय इस बात का ध्यान रखता जावे कि वित्ती गरमो मनदूर बिना कट्टें महन कर सके और ना उनक स्वास्थ्य के लिए अहितकर न हो, उससे अधिक तापक्रम निष्पारित न किया जाये। जब तक इस प्रकार का कानून नहीं बन जाता, तब तक मनदूरों का यह बहु दूर नहीं हो सकता। तिन कारबानों में भाष का उत्तराग होता है वहा तो कानून बना कर शातरण यथा (Cooling Plant) लगाने का प्रबाध होना हो चाहिए।

इच्छा

यह तो सबमात्र बात है कि जहा विनली या भाष से यन्त्र चलने हैं, वहा काम करने में मनदूरका जोगिम रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि मरीनों की टीक ताद से घेराव-दी (fencing) की जावे कि जिस से काम करने वाले के लिए खतरा कम हो। यही नहीं दो मशानों के बीच में यथो स्थान होना चाहिए। अधिक धिच पिच होने से भी दुघनाएँ हान की सम्भावना रहता है। किन्तु गेड़ की बात है कि मिल मालिक अपने इस प्रथम कलाय की ओर भी ध्यान नहीं देते। केवल भवरनाक मरीनों की ही कहाँ कहाँ घेराव-दी देखने को मिलती है और दो मरीनों के बीच में यदुष कम स्थान रहता है। इसदा परि याम यह हुआ है कि विद्वले वर्षों में भारतीय कारबानों में होने वाली दुघनाओं की सर्वा में वृद्धि हुई है। यह चिंता की बात है और इस भार विशेष ध्यान दने की आवश्यकता है। यद्यपि मिल मालिक और

ऐसी हस्तेक्षण इस बुद्धि का कारण यह उत्तराने है कि पहले वहुतपा दुष्टनाथों के बारे में ठीक नहीं पता नहीं चलता था, किन्तु अब अधिकार दुष्टनाथों रेकाँड़ पर ली जाता है। यह ठीक है कि पहले मित्र मालिक अधिकार दुष्टनाथों का किमी को पता ही नहीं लगते थे, जार र उनका कोइ लेखा ही रखते थे। परन्तु अब उनका कौन्हा रखा जाता है। पर भा आपडों से यह मिठ होता है कि दुष्टनाथों को सत्या और अनुपात में भा पढ़के में बृद्धि हुई है।

दुष्टनाथों को कम करने के लिए यह नितात आवश्यक है कि भारत में “रक्षा पढ़के” आदोलन चलाया जाये। जिस प्रकार जापान इत्यादि देशों में इस आदोलन के अन्तर्गत दुष्टना के भय अपना रखा किस प्रकार करनी चाहिए, चोर लापने पर प्रारम्भिक गिरिसा आर सुषुप्ता कैमा करनी चाहिए यह मिशाया जाता है, इसी प्रकार भारतजय में भा ‘रक्षा पढ़के’ लिवस या सप्ताह मनाकर कारभानों के मनदूरों को दुष्ट नाथों से बचने की शिक्षा दनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण काय है, जिस पर मनदूर सभाओं को पिशेष ध्यान दमा चाहिए। ये मिल मालिकों पर यह दयाव टार्ल कि मनदूरों को यह शिक्षा अपश्य देनी चाहिए। येद है कि मनदूरों के साथ इस ओर तनिक भी व्यान नहीं नहीं।

कानून का अनुमान प्रथेक कारभाने में प्रारम्भिक चिरिसा दा नामान रहना आवश्यक है। किन्तु केवल इतना ही आवश्यक नहीं है आवश्यकता इस यात की है कि प्रथेक कारभाने में हुद्द लोग पेसे दा, जो कि प्रारम्भिक चिकित्सा कर सकें। जिस कारभाने में २५० मनदूरों से अधिक हों उस नो एक कम्पाड़-दर और जना ५०० रुपयिक हो। यह एक दारगर संघ कारभाने में रहे नियमों कि आवश्यकता पढ़ने पर उसकी मदायना जी ना सके।

उमारतें

कारभाने की इमारत भी मनदूरों के लिए एक विशेष स्थान का कारण

यह सकती है। कारण यह है कि जहाँ यथा, भाष और विज़नी से चलते हैं, पहाँ इमारतों पर यहुत भार पड़ता है और ऐस्ट्रियो म कड़ भविल होने के कारण इमारत के गिर जाने की समावना यही रहती है। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि कारणानी भी इमारतें यहुत मज़बूत और टिकाऊ हों। इमारतों के एवज़ भज़बूत और सुदृढ़ होने से ही काम नहीं चलेगा। इमारतें ऐसा होनी चाहिये कि जिनमें धूप, हवा और रोशनी का हर मौसम में दूष प्रवाह हो मँडे, जिसमें भज़दूर को भाराम मिले और उसके स्वास्थ्य पर आङ्गा प्रभाव पड़े। अभी तक इमारतों के सम्बन्ध में कानून न भज़दूरों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध नहीं किया है। फैक्टरी कानून के अनुसार फैक्टरी इ स्पेक्टर को यह अधिकार है कि यदि उसकी सम्मति में फैक्टरी का कोइ भाग जज़र और खतरनाक हो गया हो तो वह मालिक को आज्ञा दे कि बद उसको गिरवा दे या भरम्मत करवावे। फैक्टरी इ स्पेक्टर इमारतों सम्बन्धी कोई ज्ञान तो रखते नहीं, अतएव यह इस और अधिक ज्ञान नहीं देते और न मिल मालिखों पर ही उनकी बात का प्रभाव पड़ता है।

आवश्यकता इस बात की है कि इमारतों की जाच प्रतिवर्ष विशेष इंजीनियरों से करवाड़ जाये, तभी यह काय आँखी तरह से हो सकता है। फैक्टरी इन्स्पेक्टरों का भी यह अधिकार रहे और भज़दूर नेता भी इस सम्बन्ध में फैक्टरी इन्स्पेक्टरों और इंजीनियरों को समय समय पर लिखा करें। केवल इमारत के कमनोर होने से ही भज़दूरों को रातरा नहा है, यदि उसमें हवा, धूप या रोशनी वी कमी हो, तब भी वह भज़दूरों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

वार्षिक जाच के अतिरिक्त जब कारणाना स्थापित हो और इमारत बने, उस समय प्रांतीय सरकार को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि कारणाना के मालिकों को फैक्टरी की इमारत का नक्शा पढ़ाए स्वीकृत करवा लेना चाहिये, तब इमारत बनवानी चाहिए। इसके लिये सरकार एवं विशेष कमचारी नियुक्त करें,

लो यह देखे कि हमारत मनदूरों के आराम, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। इस समय तो कानून में केवल इतना विधान है कि जब हमारत बन जाये तो कारखाना चलने से पहले मिल मालिक को फैक्ट्री इन्स्पेक्टर से पहले मर्टिविक्टर ले लेना पड़ता है कि हमारत कारखाने के लिये ठाक है। अनुत आन भी भारतीय कारखानों की हमारतें बहुत ही रही और अन्वयक्तर होती हैं।

भारतीय मिल मालिक मनदूरों की सुप्रभुविधा की ओर से ऐसा उदासीन रहता है कि जबतक दस पर कानून का दगाव न ढाला जाये वह मनदूरों के लिए कुछ करना ही नहा चाहता।

भोजन

यह तो पहले ही कहा चा चुका है कि भारतीय मनदूर अनुत आसीण होता है। वह प्रात काल कारखाने के भोजू के बचते ही मैंके कपड़े में रात्रि की रोग बाध कर फैक्ट्री के फाटक की ओर नौदता है और अपने काम पर शुट जाता है। नौशहर की जब छुड़ा होती है तब वह अपनी रोगी चाहता है। कहीं कहीं लो उसे रोटी खाने के लिए आराम की जगह भी नहीं मिलती। वह मरीन के पास हा बैठ कर रोटी खाता है। आपश्यकता इस बात की है कि प्रायेश मिल के बगाड़एङ में घरमात के दिनों के लिए दीन या सामैंट के शैँड [नरामदे] हों, और गरमिया के लिए मायेदार युक्ता की पसित लगाड जाये, जहा बैंकर मनदूर भोजा कर सके। किन्तु कानून मिल मालिक को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए बिल्ह नहा करता। इसी आरण मिल मालिक इस और ध्यान नहीं देते।

भोजन के समध में एक बात ध्यान देने योग्य है, मनदूर जो रोगी ले जाता है वह रात्रि की बर्नी होता है, और वह दूसरे दिन दोपहर को बासी रोगी चाहता है। वर्गी तरफ लगातार यही व्रम चलते रहने से उम्रका द्वारा नाट हो जाता है। इस आर अभी तक किसाका ध्यान नहीं

गया है। जो कारणाने यह दह अर्थात् वे द्रा में नहीं हैं, अर उन्होंने मजदूर पास हा रहता है, वही सो यह समझ है कि मजदूर की पनी या घर का काइ व्यक्ति दोपहर का भोजन द जावे। अन्यथा अधिकारा कारणाना क मजदूर यामा रोटी ही खाते हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि दोपहर की छुट्टी इतनी लम्ही हो कि यदि मनदूर चाह तो रोटी तना से। इसमें कोइ सादेह नहीं कि हिन्दू मजदूरों म जाति पाँची की मम्लों के बारण मिल मालिकों को उह स्थान दने म कुछ असुविधा हा मरती है परन्तु यह है आवश्यक। यदी नहीं प्रत्येक कारणाने म एक सस्ता भाजनगृह भा होना चाहिए कि जहा उचित मूल्य पर रोटी ताल, भात दृश्यादि मिल सक। मिल इस प्रकार के भोजनगृहों को चलाव। भोजन की उचित यवस्था होना अत्यात आवश्यक है।

जल

भोजन के उपरात नल भी मजदूर के लिए नितान्त आवश्यक है। फैक्ट्रा एवर के अनुसार मिल मालिकों को पाने के लिए यथेष्ट जल देना चाहिए। कानून होते हुए भा अधिकारा मिलों म मनदूरों को स्वाक्ष, माठा और ठाना जब नहीं मिलता। यदि पानी का प्रबाध भी दिया जाता है तो वहा इतनी भीड़ होती है कि बहुत सा समय व्यध मार्द हो जाता है। होआ यह चाहिए कि बहुत सी नल की टोरिया एक पिशाल सीमें या लोहे के गल कुण्ड में लगा दी जावें, और उसमें कुएँ का शीतल स्वच्छ नल पिगली के पव स गिरता रहे। इससे पानी धूप से गरम भी नहीं होगा, और प्रत्येक मजदूर को पीने के लिए जल मिल जावेगा।

पीने के लिए जल की यवस्था तो कानून के अनुसार आवश्यक है इसलिए कारणानों म उसका तो कुछ प्रबाध होता भी है, परन्तु नहाने और बस्त धोन के लिए तो मिलों में जल की कोई व्यवस्था ही नहीं

होती। यह तो मानी हुड़ बात है कि जब मनदूर प्रातःकाल कारखाने आता है, और सायरसाल घर पहुँचना है, तो वह स्नान तो घर पर कर ही नहा सकता। यदि कोइ करना भी चाह, तो वहेवहे शहर म, जहाँ मजदूरों की बन्तिया होती है, वहा सार्वनिक पप हतने कम होते हैं, और खल केने वालों की इतनी अधिक भीड़ रहता है कि काम के दिनों म तो क्या छुट्टी के दिन भी वहा कपड़ा धोना और नहाना कठिन हो जाता है। शरीर और वस्त्रों को भी साफ न कर सकने का परिणाम भी मनदूर के स्वास्थ्य के लिए दुरा होता है।

आवश्यकता हूँस बात की है कि कानून बनाकर मिल मालिङ्गों का मजदूरों के लिए स्नान गृहों की "यग्नस्था" करने पर विवर दिया जाव। प्रथेक मिल में मजदूरों की साधा के अनुमार स्नान गृह हा आर करखाना उन्ह प्रति मास वपड़ा धोने के लिए साउन मुफ्त ह। हूँस से यह खाम होगा कि मनदूर गढ़े नहीं रहेंगे।

शौचगृह

दैश्वरा एवं के अनुमार प्रथेक भिज में शौचगृह का यवस्था होना आवश्यक है। किन्तु शौचगृह इतने गढ़े और उनको साफ रखने का प्रबन्ध इतना चराब होता है कि गाय से आया हुआ मनदूर उनका बहुत कम उपयोग करता है। अतएव इम यार की आवश्यकता है कि शौचगृह आँखे हों, और उनका सफाइ का उचित प्रबन्ध हो। मनदूर-यमाशा और मजदूरों में कार्य करने वालों का भी यह कर्तव्य है कि उन मिल मालिङ्गों का ध्यान इस त्रुटियों की ओर निलाया जर। यदि वह हम और मरकर रह, तो यह छाटे माटे सुवार तो अनायास ही हो सकते हैं। किन्तु मजदूरों में कार्य करने वालों का ध्यान मजदूरों की इन अनिक असुविवादों का और तनिक भी नहीं जाता। वह मनदूरा यद्याने के लिये प्रयत्न करना और आवश्यकता पड़ने पर हहताज उठाना ही एक मात्र अपना कर्तव्य समझते हैं। ये सब सुविधाएँ नभी प्राप्त हो

सकती है जब कि मन्त्रों में काय करने याके इस आर अधिक्षयान है।

शिशुगृह

किसी किसी फैसली में जहाँ अधिक सत्या में सी मन्त्रादिनें काम करती हैं मिल मालिका ने शिशुगृह स्थापित किये हैं, और उनमें निश्चित दाह्यों का प्रयोग किया गया है। बच्चों को दूध मिलने का व्यवस्था भी है। किंतु यहुत से कारखानों में ऐसी कोइ व्यवस्था नहीं है। मन्त्रादूर खिया अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता है, मठीन व पास ही ऐ अपने बच्चों को लिंग देती है। ऐसा करन स यथा के स्वास्थ्य पर यहुत बुरा असर पड़ता है। मरीनों का शोर, घूर्छ और गदगी, सभी का नज़ारा शिशु पर यहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अतएव बच्चों का वहा रखना जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा सकता। इस प्रथा को शीघ्र ही बढ़ा करना होगा। परंतु भारतीय खिया अपने बच्चों को किसी की देख रेख में खोदना पसद नहीं करतीं किंतु जात विरादी की भी भौमिका उपस्थित होती है। यह कुछ पर्स कठिनाहर्या हैं, जिनके कारण शिशुगृह अधिक सफल नहीं होते आवश्यकता इस बात का है कि मन्त्रादूर खियों को समझाया जावे अप्रै स्वभाव की नर्म नियुक्त की जावें, और खियों का दिन में दो चार बार अपने बच्चों को देख आने सी सुविधा दी जावे। मन्त्रादूर सभायों वे सहयोग से मिल मालिक इन शिशुगृहों की उपयोगिता का प्रचार करें कानून के द्वारा उन फैसलियों में जहा एक निश्चित सत्या से अधिक मन्त्रादूर खिया बाम करती हों शिशुगृह की स्थापना अनिवार्य कर दो जावे।

पाचवा परिच्छेद

मजदूर सम्बन्धी कानून

“मजदूर कानून पर प्रभाव” ढालने शाली शक्तियाँ

मजदूरों के सम्बन्ध में बहुत से कानून पास हो गये हैं। सच तो यह है कि प्रथम योरोपीय महायुद्ध (१८१५—१८) के उपरान्त मजदूर सम्बन्धी कानून तना से बनाये गए। इसका मुख्य कारण यह या कि भारतमें मजदूरों का मानन इसी समय हुआ, मजदूरों में वांचैतन्य उदय हुआ। इसके अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय मजदूर न्यव की स्थापना से भी भारत में मनदूर सम्बन्धी कानूरों को प्रोत्साहन मिला। अन्तराष्ट्रीय मजदूर सम्मेलनों में जब भारतीय मजदूरों, व्यवसायियों, तथा सरकार के प्रतिनिधि अन्य देशों की तुलना में भारतीय मजदूरों की दृष्टिनीय अवस्था की तुलना करते तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता या कि भारतीय मजदूरों की अवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। १८३१ में शाही मजदूर कमीशन ने भी बहुत सी शिकाइयों को और भरकार को उक्त कमीशन की सम्मति के अनुसार कुछ कानून बनाने पढ़े। इसके अतिरिक्त कामेस जो ट्रेन की पृक्कमात्र राष्ट्रीय सम्या है, उसने सर्वेव मजदूरों के प्रश्न को आगे रखा। कामेस के सदृश व्यवस्थापिका समाचों और उनके बाहर मजदूरों के दिवों का सर्वेव समर्थन करते रहे। इसके अतिरिक्त बनिय प्रिय मिल मालिकों की भी समझ में यह बात आ गई कि उच्चोग घरों की उच्चति के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरों की दशा में कुछ सुधार हो। यही न्यव कारण थे कि १८३० और १८३६ के बीच मजदूर हित के कानून बने। इसके बारे १८३७ में न्यव कि मव प्रथम प्रान्तों में उत्तरदायी मन्त्रि मण्डल स्थापित हुए और आगे प्रान्तों में कामेस का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने तेज़ी से मजदूर हित के

कानून बनाने का प्रयत्न किया। बम्बड़, मध्यप्राचीत, कानपुर, तथा विहार में लेखर कमेटिया विश्वास हुआ गढ़ और उड़ाना प्रान्तिकारों सुधारों की सिफारिश का। यद्यपि काप्रस मण्डि मण्डलों ने १९३८ म रायग-पर द दिया, इस कारण वे मन्त्रदूर हित क सभी कानून ज्ञा य चाहत थ, नहीं यना भवे। परंतु फिर भी बहुत से कानून बनाये गए।

प्रान्ती म उत्तरदायी शासन की "यत्पस्था हो जान का पक्ष यह हुआ कि त्रिभिंश भारत म पक्षे ही दशा रायों से अधिक मन्त्रदूरों को सुविधायें मिली थीं, अब तो यह अन्तर बहुत अधिक यह गया। समस्त भारत के लिए जहाँ तक सम्भव हो एस्ट्री मन्त्रदूर सम्बाधों नीति वाले में नाह जावे, इस उद्देश से भारत सरकार ने लेखर मिनिस्टरों (प्रार्टी और अन्य राज्यों के) का सम्मेलन बुलाना आरम्भ किया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कुद्र दशी रायों म इस दिशा म उच्चति हुइ। १९४२ म एक सम्मेलन की नवि ढाली गई। जिसकी स्थायी समिति म मन्त्रदूरा पूजापतियों, प्रांताय तथा केंद्रीय सरकार के प्रति निषिद्ध है। यह सम्मेलन मन्त्रदूरों से सम्पर्क सभी प्रश्नों पर विचार करता है और अपनी ममति प्रगत करता है। आशा है कि भवित्य म यह और अधिक उपयागी सिद्ध होगा।

दूसरे कुद्र के उपरांत इश म फिर राजनीतिक हलचल जारी पर है, तो भी कुद्र भी हा परंतु यह निरिचा है कि अब उत्तरदायी शासन फिर स्थापित होगा और मन्त्रदूर सम्बाधी कानून सेजी से बनाये और जाग दिये जायें।

मन्त्रदूरा में काय करने वाला को उन सभी कानूनों की पूरी जानकारी हाना चाहिए कि जिनका सम्बन्ध मन्त्रदूरा से है। इस यहा मुख्य मुख्य कानूनों का पिवरण नह ई।

पैकटरी कानून

१९३८ का पैकटरी कानून अंतिम पैकटरी कानून है, और इस समय

वही समस्त भारत में प्रचलित है। इस कानून की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं—

(१) यह एक उन स्थानों का फैक्ट्री घोषित करता है और लागू होता है जहाँ २० या उससे अधिक आदमी काम करते हों और यात्रिक शक्ति (यिगला, भाष, गैम,) वा उपयोग होता हो। इस एक के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इसी ऐसे स्थान को भी फैक्ट्री घोषित कर सकते हैं जहाँ १० या उससे अधिक आदमी काम करते हों और यात्रिक शक्ति वा उपयोग होता हो या न होता हो। बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने इस छर का लाभ उठाया है और ऐसे स्थानों को जहाँ १० आदमी काम करते हैं उन्हें फैक्ट्री घोषित कर दिया है।

(२) फैक्ट्री एक के अनुसार वप भर चलने वाली फैक्ट्रियों और मौसमी फैक्ट्रियों में अंतर दिया गया है। फैक्ट्री एक के अनुसार जो फैक्ट्री वप में १८० दिन से अधिक चले वढ़ वप भर चलने वाली मानी जायेगी।

वप भर चलने वाली और मौसमी फैक्ट्रियों के मजदूरों के काम के घटों में भिन्नता रखती रहती है। क्यास के और जूर के पेंच, भूगरबली के पेंच, चाय, काफा, लालू, नीज, रवर, गका, गुड़, हल्दी के खारबानी मौसमी फैक्ट्रिया मानी जाती है।

(३) वप भर चलने वाला फैक्ट्री में प्रौढ़ स्त्री, पुरुष एक दिन में १० घण्टे और एक सप्ताह में ४४ घण्टे से अधिक काम नहा सकते। उन खारबानी में नहा काम लगाताह होता है, प्रौढ़ व्यक्ति एक दिन में १० घण्टे से अधिक और सप्ताह में ४६ घण्टे से अधिक काम नहा कर सकता।

मौसमी खारबानी में प्रौढ़ पुरुष एक दिन में ११ घण्टे और सप्ताह में ६० घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। और मिश्या एक दिन में १० घण्टे और सप्ताह में ६० घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकती।

कानून बनाने का प्रयत्न किया। पश्चिम, मध्यप्रान्त, कानपुर, तथा विहार में सेवर कमेटिया विगड़ गए थे और उड़ोंग आतिकारी मुखारा की सिफारिश का। यद्यपि काप्र सं मन्त्र मण्डल ने १९३६ में रवाग-नव द दिया, इस कारण वे मज़दूर हित के सभी कानून जा ये चाहते थे नहीं बना सके। परंतु फिर भी बृत्त से कानून बनाये गए।

प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापस्था हो जाने का एक यह हुआ कि विनिश भारत में पहले ही दशा राष्ट्रों से अधिक मज़दूरों को सुविधायें मिली थीं, अब तो यह अन्तर बहुत अधिक बढ़ गया। समाज भारत के लिए नहीं तक सम्भव हो एकमी मज़दूर सम्बंधों नीति काम में लाई जाये, इस उद्देश से भारत सरकार ने सेवर मिनिस्टरों (प्रान्तों और दूसी राज्यों के) का सम्मेलन उलाना घारमें रिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कुछ दूसी राष्ट्रों में इस दिशा में उच्चति हुइ। १९४२ में एक सम्मेलन की नीव ढाली गई। जिसकी स्थायी समिति में मज़दूरों पूँजापतिया, प्राताथ तथा केंद्रीय सरकार के प्रति निधि हैं। यह सम्मेलन मज़दूरों से सम्बन्धित सभा प्रश्नों पर विचार करता है और अपनी समिति प्रागर करता है। आशा है कि भवित्व में यह और अधिक उपयोगी सित्र होगा।

दूसरे युद्ध के उपरान्त देश में फिर राजनीतिक हलचल जारी पर है, जो भी कुछ भी हो परन्तु यह निश्चित है कि अब उत्तरदायी शासन फिर स्थापित होगा और मज़दूर सम्बंधी कानून सेजी से बनाये आर जाएंगे।

मज़दूरों में काय करने वालों को उन सभी कानूनों की पूरी जानकारी होना चाहिए कि जिनका सम्बन्ध मज़दूरों से है। इस यहा सुरक्षा सुरक्षा कानूनों का विवरण नहीं है।

पैकटरी कानून

१९३४ का पैकटरी कानून अंतिम पैकटरी कानून है, और इस समय

वहा समस्त मारत में प्रचलित है। इस कानून की मुख्य बातें नीचे दी जाता है —

(१) यह पक्ष उन स्थानों का प्रैक्टिश घोषित करता है और लागू होता है वहा २० या उसमें अधिक आमंत्री काम करते हों और यात्रिक यात्रियों (विनाड़ा, भाषा, गीत,) का उपयोग होता हो। इस प्रक्ट के अनुसार प्राचीय सरकारी को यह आमंत्री निया गया है कि व दिव्या उसे स्थान वो भी प्रैक्टी घोषित कर सकती है वहाँ ३० या उसमें अधिक आमंत्री काम करते हों और यात्रिक नियत का उपयोग होता हो या न होता हो। बहुत सा प्राचीय सरकारों ने इस दृष्टि का लाभ उठाया है और ऐसे स्थानों का जहा १० आमंत्री काम करते हैं उन्हें प्रैक्टी घोषित कर दिया है।

(२) इसी पक्ष के अनुसार वर मर चलने वाला प्रैक्टिशों और मीमंसा प्रैक्टिशों में अन्तर किया गया है। प्रैक्टिशों प्रक्ट के अनुसार वो प्रैक्टी वर में १५% नियंत्रण के अधिक तरह वह उपर्युक्त भारत राजी माना जाता है।

वर भा चलन वाला प्रैक्टिशों के मत्तूओं के काम के अंत में नियत रखता है। उत्तम का अंत ज्ञात के पैर, मूलगमा के पैर, चाप, काढ़ा, लाल, गाह, इन, इह, गु, इयाति के कारणात मायमा प्रैक्टिशों भाग जाता है।

(३) वर मर चलन वर्ती चला में प्रैक्ट, त्रिपुरा पक्ष नियंत्रण में १० पर्युक्त एवं एक सप्ताह में १० पर्युक्त अटिक्ट उपलब्ध नहीं कर सकता। उन अस्थानों में चला का अन्त नियंत्रण द्वारा द्वारा अधिक प्रैक्ट व्यक्तियों नहीं कर सकता।

मीमंसा कारन्टरी में प्रैक्ट युक्त एक नियंत्रण में ६० पर्युक्त अधिक इस नहीं कर सकता। और स्थिया एक दिन में १० पर्युक्त और सप्ताह में १० पर्युक्त अधिक काम नहीं कर सकती।

स्त्रियों को रात्रि में काम करने की भवाही है। केवल मादुली के धरे में व रात्रि में काम कर सकती हैं। कोई स्त्री कानून के अनुसार ७ बजे सायकाल तथा ६ बजे प्रातः काल की ओर मैकरी में काम नहीं कर सकती। ग्रान्तीय सरकार विशेष आणा द्वारा इसमें उड़ परिवर्तन कर सकती है और ७~३० बजे सायकाल तथा ६ बजे प्रातःकाल की ओर के समय में स्त्रियों को फैकरियों में काम करने की भवाही कर सकती है।

हिसी भी दिन स्त्री या पुरुष मनदूरों को कारखाने में विधाम (दापहर की छुट्टी) को मिलाऊ १३ घटे से अधिक नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में काम के धर्टे और विधाम का समय १३ घटे से अधिक समय में नहीं पैलाया जासकता।

प्रत्येक प्रौढ़ मनदूर को अनिवार्य रूप से यीच में, विधाम वी छुट्टी मिलनी चाहिए। कोई भी मनदूर ६ घट, ८ घटे और ८ घटे यिना स्वभाव १ घण, १२ घटा और आध आध घटे की दो विधाम की छुट्टी पाये काम नहीं कर सकता।

(४) १२ घण की वर्म की आयु के बच्चे फैकरियों में काम नहीं कर सकते और कानून के अनुसार १२ और १३ घण की आयु बाले बच्चे माने जाते हैं।

कानून के अनुसार १२ और १३ घण की आयु बालों को वयस्क नाम से एक अलग भेणी में रखा गया है।

कोई भी १२ घण से ऊपर का बालक मनदूर विना डाकटरी सर्टिफिकेट के प्राप्त किये फैकरी में काम नहीं कर सकता। डाक्टर इस बात का प्रमाण पत्र देता है कि उसका स्वास्थ्य फैकरी में काम करने के योग्य है और प्रत्येक ऐसा बालक मनदूर फैकरी में काम करते समय इस सर्टिफिकेट का चिन्ह एक टोकिन अपने पास रखता है।

यह तो ऊपर ही कहा जा सकता है कि १२ और १३ घण की आयु बालों को वयस्क माना गया है, तब तक वे डाक्टर से इस आशय का

प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते कि वह प्रौद्योगिक मन्त्रूर के समान कार्य करने के योग्य है, उन्हें याकृक मन्त्रूर ही माना जाता है और व सब कानून जो याकृक मन्त्रूरों को लागू होते हैं, उन्हें भी लागू होते हैं।

याकृक मन्त्रूर निम्नमें ५ घटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। उनके काम के घटे ७२५ घण्टे से अधिक समय में नहीं रखने जा सकते अथात् वे फैक्ट्री में ७२५ घटे से अधिक नहीं रहते जा सकते।

याकृक मन्त्रूरों को भी रात्रि में काम करने की मनाहा है। ० बजे सायकाल से ६ बजे प्रातःकाल के बान में कोइ याकृक मन्त्रूर काम नहा कर सकता। प्रान्तीय मरकार इसमें योड़ा परिवर्तन कर सकती है, अथात् वह घोषणा कर सकती है कि कोइ याकृक मन्त्रूर (विगेय फैक्ट्रियों में) ० २० बजे भायकाल और ५ बजे प्रातः काल के बीच में काम नहा करेगा।

याकृक मन्त्रूरों का एह ही दिन में ने फैक्ट्रियों में काम करना छुम्ह है, और यह कोइ याकृक मन्त्रूर एक ही दिन में ने कारबाना में काम करता पाया जाता है, तो उसके अभिभावक को दरड़ दिया जाता है। भारतीय मात्राप लालच वश गलका को दावर के पास कुछ समय के अन्वर से दो बार भेज कर ना प्रमाण पत्र ले लेते हैं और एक दिन म दो कारणों भ उनमें काम करवाते हैं। इस प्रकार वह पाच घटे के स्थान पर १० घण्टे काम करता है। इस कृप्रथा को रोकने के लिए यह विग्रान रखना गया है।

(५) फैक्ट्रियों के सब मन्त्रूरों (पुर्ण, स्त्रा, याकृक) को रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए। कुद दगाओं में प्रौद्योगिक मन्त्रूरों को इस विद्याल से छूट मिल सकती है। परन्तु यह भी किस प्रौद्योगिक मन्त्रूर को लगातार इस दिन म अधिक बिना एक नियम की छुट्टी के काम करने की मनाइ है।

याकृक मन्त्रूरों को इस सब्बर में काड़ छूट नहीं मिल सकती। उन्हें साप्ताहिक छुट्टी अवग्य ही मिलना चाहिए।

यदि प्रान्तीय सरकार से विशेष आना प्राप्त करके यह भर चलन बाली पैकरियों में ४४ या ८६ घट से अधिक ६० घट तक मसाइ में काम कराया जाये तो साधारण मनदूरों में सगड़ मनदूरा देनी होगी।

मौसमी या गैरमौसमी पैकरियों में यदि मनदूरों से ६० घटे से अधिक (विशेष आना प्राप्त करके) काम कराया जाया तो साधारण मनदूरी से ट्यूडी मनदूरा देना होगी।

(१) कानून के अनुसार प्रत्येक पैकरी मनदूरा का सुरक्षा का प्रबंध होना आवश्यक है। अधान् गतरताक यत्रों की घेराबंदी, पत्ते पट्ट का सामान कमरे के किनाड़ा का बाहर की ओर सुलना इत्यादि। प्रत्येक पैकरी में मफ है, गधा वायु, आवश्यक टड़क और यथोर्णशना का प्रबंध करना अनिवार्य है।

कानून के अनुसार प्रत्येक पैकरा को पाने के लिये यथेष्ट नज़ की आवश्यकता चाहिए सकाई का पूरा प्रबंध रखना चाहिये, और नदाने तथा झाड़े यान के लिये नज़ या उचित प्रबंध करना चाहिए। रत्तताक यत्रों की घेराबंदी आवश्यक है। पैकरी इन्सपेक्टर यदि आवश्यक समझे तो पैकरी मैनेजर का उसे यत्रा से मनदूरा की रक्षा और हमा रत कारबाने के लिए ठार ह इसका सतोष बरबाने के लिये कह सकता है। पैकरा मैनेजर को किसी भी नुघाना (जिसमें कि मनदूरों का चोर लगे और यह बतार हा गाय) की सतता ४८ घट मैकरी इन्सपेक्टर को दे दना चाहिए।

कानून प्रान्तीय सरकार का इस यत्र का दूर देता है कि यदि ये खाड़ तो रात्रिनाल र माव माव उम विशेष नियम बतावें, यानी चयस्कों तथा छिया का नालिम के कामा को करने से मनाहा कर दें जो पालरु कानून के अनुसार पैकरी मराम नदा कर सकते, उनसे पैकरों का हमारत म आने का मनाहा रुद और कारबाना में भाव वां प्रयोग पर नियमण रम।

इस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार दे

निये गए हैं कि वे जिन पैकरियों में १८० मत्तूरा से अधिक काम करने हों, उह विश्राम करने लिए मायानार म्यान बनाने पर विवरण करें, आर जिन फैकरियों में १० लियों से अधिक काम करती हैं, उन्हें शिशु गुर्दों की व्यवस्था बनाने को आना दें। जूँ ६ वर्ष से कम के बच्चों की अब भाल हो और प्रत्यक्ष फैकरी को फस्ट एड के औचारों और अवाहनों को रखने पर विवरण करें।

यदि इस कानून का किसी फैकरी में अवहेलना का आदती कानून के अनुसार १०० रुपये तक जुमाना किया जा सकता है और बार बार कानून के विश्वेष काय करने पर अधिक करा दए जिया जाता है।

इस कानून के अनुसार प्रातीय भरकारे पैकरियों के निरीक्षण का प्रबंध अपने निराजनीयों को नियुक्त करके कराती है। प्रातीय भरकारे ही फैकरी इ प्रेक्षण का नियुक्ति करती है और दाकगों की भी नियुक्ति प्रातीय भरकारे ही करती है जो मनदूर यानकों को अर्निकिट देती है।

बालक उधर कानून १९३३

(The children pledging of Labour Act 1933,

यह एक एक विशेष कुरीति को गोकर्ण के लिए पाय किया गया है। शाहा बमागन की जात के समय यह जान हुआ कि चन्तुत से माता पिता अपने बालकों के श्रम को मालिकों के पाय बधक रथ देते हैं। इस कानून के अनुसार इस प्रकार जो कोड भा सौदा चाह यह जितित हाया जवानी हो गैर कानूनी होगा। जो अभिभावक जान घूम कर अपने बालक के श्रम को बधक रक्खेगा उस पर ५० रुपये रुपये जुमाना हो सकता है। बालकों को जारी रखने का फानून (१९३३)

इस कानून के अनुसार रेलों और बन्दरगाहों में सामान छाड़ने

और उत्तरान में लगा हुए वालक मन्त्रियों की कम से कम आयु १८ वर्ष की होनी चाहिए। इस कानून के अनुसार सवारियों, डाक और भाज के आन जाने के मध्यभूमि में रेल या शादरगाह पर काइ भा वालक तथा तक काम नहीं कर सकता तब तक उसका आयु १८ वर्ष की न हो गई हो। यदि इन कायों में कोइ अनित १८ वर्ष के कम आयु के वालक को देखेगा तो उसको ५०० रुपए तक धरह दिया जा सकता है।

लकों का नोनर रखने का सशोधित कानून (१८२८)

इस कानून का उह इस नीचे लिये कायों में काम करने वाले वालकों की कम से कम आयु को घटा कर १२ वर्ष कर दिया है। इस कानून के अनुसार कोइ वालक जो पूरे १२ वर्ष का न हो जुझा हो नीचे लिये काम पर नहीं रखा जा सकता।

(१) बीदा बनाना, (२) दरा और गलाचा बनाना (३) सामैंट के थोरे भरना या सीमेंट की आव तियाय, (४) कपड़े पर छपाइ करना, कपड़े की धुलाइ और रगाइ करना (५) दियासलाई, आतिशायाजी तथा अच रिस्ट्रोटक पदाथ बनाना (६) अचरन्व को काटना और उसे अल इदा करना, (७) लाख तैयार करना (८) सातुन बनाना, (९) चमड़ा कमाना, और (१०) उन को साफ करना।

१८४० का सशोधित फैक्टरी कानून

यह तो पढ़ले ही बतलाया जा जुझा है कि १८३४ के कैक्सरा कानून के अनुसार प्रातोय सरकारा को इस बात की दूर दे दी गई थी कि यदि व चाहे तो उन छात्रों फैक्टरियों में जहा १० या उससे अधिक आदमी काम करते हो और उन भाष या विज्ञानी से काम होता हो ऐसा छोग फैक्टरिया में प्रामतीय सरकार वालकों और वयस्कों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, काम के घट, और काम करन की परिमितिया समर्थी १८३४ एक की धाराओं को लागू कर सकता है। पर तु अब कानून

द्वारा प्राचीय मरकारे इस प्रकार की छोटी फैक्ट्रियों में उन धाराओं को लागू करने के लिए विवर कर दी गई है। साथ ही इस कानून के अनुसार प्राचीय सरकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि यदि वे चाहें तो किसी ऐसे स्थान को भी फैक्ट्री घोषित कर नहीं नहीं १० अवितरण से भी कम काम करने वाले हों।

१६३४ का फैक्ट्री कानून उन्हीं स्थानों के लिए अधिकतर लागू होता है जहा २० अवितरण काम करते हों और यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो। परन्तु उस एक की धारा ५(१) के अनुसार प्रान्ताय सरकारों को जो अधिकार दिया गया था कि वे ऐसे स्थानों को भी इस एक के अन्तर्गत फैक्ट्री घोषित कर सकते हैं कि जहा १० या उससे अधिक अवितरण काम करते हों और यात्रिक शक्ति का उपयोग चाहे होता हो या न होता हो। यहुत भी प्रान्ताय सरकारों ने इस अधिकार का उपयोग किया है।

इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे वर्कशापों में काम करने वाले मन्त्रालयों को भा कानून का सरकार प्राप्त हो गया। परन्तु यह भी भारतवर्ष में नो छोटे छोटे पेशे और धरे हैं और निजमें देश की एक यहुत बड़ी जन सख्त्य लगी हुई है, वह अभी तक कानून का सरकार प्राप्त नहीं कर सकी। इनमें सुन्दर ऐसे यह है — (१) दूसरी के नोकर और कमचारी, व्यापारिक फसों में काम करने वाले, इमारतों को बनाने वाले रा, मन्त्रालय, और उद्दरगाड़ों में माल लाने वाले उतारने वाले मन्त्रालय। अभा कुड़ दिन पहले कुड़ प्रान्ताय सरकारों ने इस और ध्यान दिया है, और इन पेशा और धरों में कम के धन्ता को नियन्त करने का प्रयत्न किया है। मन्त्रालय की सरकार न छानी, अनियन्त्रित वर्कशापों के सम्बन्ध में एक कानून पाय करके काम के पश्च को नियन्त करने का प्रयत्ननीय काव किया और यम्यइ मरकार ने व्यापारिक फसों द्वारा दूकानों में काम करने के धरों को निश्चिन करने में पहला बन्द दृढ़ाया, निसका अनुकरण पनाय, -याताल, मिध, आमाम, सयुस्त प्रान की

सरकारों तथा वैद्वीय सरकार ने भी किया।

मध्यप्रान्त अनियन्त्रित फैक्टरी कानून (१९३७)

यह एक उन बारगदान और स्थानों में लागू होता है, जिनमें १९३४ का फैक्टरी कानून लागू नहीं होता और जहाँ ५० या उससे अधिक यक्षित काम करते और जहाँ नाचे लिखे धार्घे होते हैं — (१) यीही बनाना (२) लाल सीधार करना (३) घमड़ा कमाना। सरकार को यह भी अधिकार है कि यह किसी स्थान में जहाँ २२ मानूरों से अधिक काय करते हों और जहाँ इन धार्घों के अलावा दूसरे धार्घे होते हों इस कानून को लागू करे। किन्तु कानून को ऐसे स्थानों में लागू करने से पहले सरकार को इस आशय की घोषणा करना होगी।

इस कानून के अनुसार पुरुषों के काम के घरे १० नियन्त्रित किये गये हैं। ८ घट काम कर जुकने के उपरांत आध घन्ट का विश्राम जहरी है और साहू म एक दिन छुट्टी आवश्यक है।

इस एक के अनुसार १० और १४ वर्ष की आयु के बीच के बालकों को उसी दशा में अनियन्त्रित फैक्ट्रियों में काम करने की आज्ञा मिल सकती है, तब उनको शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पर दाक्षर ने दिया हो और काम के समय वे उस आशय का टोकिन (विहा) रखते हैं। ऐसे बालकों के लिए ७ घटे का दिन, आध घटे का विश्राम और सप्ताह में एक छुट्टी कानून द्वारा निश्चित कर दी गई है। बालकों के जिए रात्रि में काम करने की मनाई है। बालक कंगल म बजे प्रात काल से १२ बजे दो पढ़र तक और १ बजे मध्याह्न से लेकर ८ बजे तक काम कर सकते हैं।

स्त्रियों के लिए कानून में १ घटे काम, आध घट का विश्राम, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी का नियांत्रित किया गया है। स्त्रियों के लिए भी रात्रि म काम करने की मनाई है।

१९३४ के एक के अनुसार ही इस एक में भी सप्ताह, हवा, रोशनी,

रीचगृह और पेशावरानों, पीने के पानी और इमारतों की मज़बूती की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। कानून के अनुसार सरकार द्वारा इन अनियन्त्रित वारपानों का निरीक्षण करने के लिए इन्सेप्टरों और वालों को सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए डाकगों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। यदि बोड कारपाने का मालिक इस कानून को अपहूलना करे तो उस पर २०० रुपए का जुमाना हो सकता है।

दुपानों में काम करने वालों से सम्बन्धित कानून

यह तो पहिले ही कहा जा सकता है कि सर्व प्रथम घम्बड़ सरकार ने इस और कदम बढ़ाया और फिर अन्य प्रान्तों ने उसका अनुशःश्य किया। अस्तु, इस सम्बन्ध में बहुत से प्राचीय प्रृष्ठ धन गए हैं, इस यहाँ उनकी एक तालिका देते हैं।

घम्बड़ शाप प्रकट १८३६ —

यह कानून दूकानों, व्यापारिक फर्मों, रसायन, होटल, तथा विष्टर सिनेमा तथा अन्य मनोरंजन के स्थानों में लागू होता है। इसके अनुसार दूकानों के लिए प्रतिदिन ६॥ घटे, व्यापारिक फर्मों के लिए महीने में २०८ घटे और रेसरिंग तथा मनोरंजन गृहों में १० घटे प्रतिदिन नियत रखिये गए हैं। सप्ताह में सब कर्मचारियों को एक छुट्टी मिलना चाहिए। यदि नियमित घटों से अधिक काम किया जाए तो कर्मचारियों को गगड़ मजदूरी दिनी होगी। कानून के अनुसार एक नियमित आयु से कम के वालों को इन स्थानों में काम करने की मनाही है। दूकानों के खुलने और यद्य होने का समय नियमित कर दिया गया है। प्रृष्ठ तथा पुर्यों के लिए काम के घटे प्रतिदिन ८ और नप्ताह में ४८ नियमित करता है और वे ६ बजे प्रात काल में ७ बजे मायकाल के बीच में ही काम कर सकते हैं।

पंजाब व्यापारी कमचारी एकट १६४ -

धम्बह के समान ही यह दूकानों, कमों तथा मनोरजन गुदा में लागू होता है। कमचारी प्रतिदिन अधिक मे अधिक १० घंटे और सप्ताह में अधिक स अधिक ५४ घंटे काम कर सकते हैं। कमचारियों से गमियों में ७ बजे प्रात काल से ३० बजे रात्रि की बीच में और जार्वी में ८-३० प्रात काल से ६ बजे रात्रि तक काम लिया जा सकता है। सप्ताह म एक छुट्टा आवश्यक है। यदि निर्धारित धरा से अधिक काम कराया जावे तो दुगनी मन्त्रदूरी दर्ती होती है। १४ वर्ष से कन आयु वालों को नीकर रखने की मतादा है। बद वाले जिन सब दूकानों का बद होना अनिवाय है। पदहवें दिन मन्त्रदूरी दा जानी चाहिए। एक रथे में एक पैसे से अधिक जुमाना नहीं किया जा सकता। निकालने के लिए एक महीने का नोटिस या एक मास का धतन देना आवश्यक है। यदि किसी कमचारी ने वर भर जगातार काम किया हो तो १५ दिन की सधेतन छुट्टी और यदि ६ महीने काम किया हो तो ७ दिन की सधेतन छुट्टी मिलना चाहिए। एक दिन म एक घंटे का विधाम मिलना चाहिए। कन्नीय सरकार का सासाहिक छुट्टी का निल

यह कानून दूकानों "व्यापारिक कमों, रस्तेरं तथा पियेर्स म लागू होता है। इसके अनुसार सप्ताह म एक दिन छुट्टी मिलना आवश्यक है। दिनु ग्रान्तीय सरकार चाहे तो किसी का इस कानून से मुक्त कर सकता है।

मयुर ग्रान्तीय दूकान सम्पदा निल

इस निल का आशय यह है कि केवल दूकान में कमचारियों को ६ घंटे से अधिक वाम १ करता पड़े। सप्ताह में एक दिन छुट्टी हो। १५ वर्ष स वस का आयु के बालदी को नाफर नहा रखा जा सकता। निशालने के लिये एक मास का नोटिस दर्ता अनिवाय होगा। येतन

पढ़ाहें तिन रुना होगा ।

आमाम के विचार में भी लगभग यही बातें रखती गईं थीं किन्तु शर्मी तक यह विज्ञ कानून नहीं बन पाये ।

सिध का कानून तो एक प्रकार से अन्वड कानून की नश्ल मात्र है । अर तो अधिकाश प्रत्येकों में इस प्रकार का कानून बन गया है ।

मानों में काम करने वालों के सम्बन्ध में कानून

भारताय खानों में काम करने के घटे तथा अन्य बातों का नियन्त्रण भारतीय स्थान (सशोधित) पक्ष १९३८ के अनुमार होता है, उसकी मुख्य धारा नीचे लिखी है —

(१) वे सभी स्थान जिन्हें किसी व्यक्ति पदाय के आप करने के लिये सोदा जावे, इस कानून के अनुमार 'स्थान' हैं और उसमें यह कानून लागू होता है ।

(२) कोड प्रैद पुरुष भूमि के ऊपर एक दिन में १० घटे से अधिक और सप्ताह में ५४ घटे से अधिक काम नहीं कर सकता । और यहि यह स्थान के अन्दर काम रुका हो तो ६ घटे से अधिक काम नहीं कर सकता । याज के अन्दर काम के घट किसी एक व्यक्ति के लिये पृथक नहीं होते । नय दुकड़ी का प्रथम व्यक्ति स्थान में घुमता है, काम शुरू हो गया माना जाता है और नव अन्तिम व्यक्ति बहर निरन्तर है, तब काम समाप्त हुआ माना जाता है । यह समय ६ घट से अधिक नहीं होना चाहिए । सच तो यह है कि आने जाने में जो समय लगता है, उसका निकालने पर ८ घण्टा काय होता है ।

स्थिरों के लिए स्थानों में काम करने के घटे पुरुषों के अन्दर ही हैं, किन्तु ७ मार्च १९३८ को या नियम घनाया गया, उसके अनुमार नियम को स्थानों के अन्दर काम करने का मनाहा करदा गइ । क्योंकि उस समय स्थानों के अन्दर काम करने वाली स्थिरों की संख्या यहुत अधिक था इस कारण नियम के अनुमार १ तुनाह १९३८ तक क्रमशः

सभी स्त्रियों को खानों से बाहर निकल जाने की व्यवस्था की गई। किन्तु १९३८ के बड़े वप पूर्व ही भारतीय खानों के अन्दर स्त्रियों से काम केना बदल दिया गया था। परन्तु युद्ध के समय बोयले की कमी के कारण भारत सरकार ने अस्थायी रूप से स्त्रियों को खाना के अंदर काम करने की फिर आना दे दी, जिसका देश तथा विदेशों में घोर विरोध हुआ। अब शीघ्र ही यह आज्ञा वापस ले ली जायेगी।

१८ वर्षों से कम की आयु के यालक वो खान में काम करने का मना ही है। १८ से १९ वर्ष की आयु के तरण तथा तक खान में काम नहीं कर सकते, जब तक कि उनके पास शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र न हो। और उस प्रमाण पत्र का सूचक बिल्ला उसके पास न हो।

(३) खान के मैनेजर को उन सब दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखना आवश्यक है, जिनसे किसी व्यक्ति को ऐसी चोट लगे कि वह इन घटे के लिए बेकार हो जावे और दुर्घटना के फलस्वरूप सृखु या गहरी चोट लग जावे तो उसकी सूचना चीफ इन्सपेक्टर को देना आवश्यक है।

(४) मैनेजर को खान में योग्य पीने के लिए जल तथा शौच, पेशावधर इत्यादि का समुचित प्रबंध करना चाहिए। निन खानों को केंद्रीय सरकार आज्ञा दे, उह फस्ट-पूँड की सामग्री तथा अन्य दवायें इत्यादि रखना आवश्यक है।

(५) इस प्रकट को शासन केंद्रीय सरकार करती है, जो खानों का चीफ इन्सपेक्टर नियुक्त करती है और उसके आधीन और बहुत से नियीक छोड़ते हैं। केंद्रीय सरकार कोट भी नियुक्त कर सकती है, जो कि खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की जाच करती है, और उस जाच की रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

प्रवट के अनुसार केंद्रीय सरकार माइनिंग चोड़ या माइनिंग कमेंटरी नियुक्त करता है जो कि खानों मध्यधी सभी बातों पर अपना मत प्रगट करती है। माइनिंग चोड़ पर शो प्रतिनिधि मनदूरों के सी होते हैं,

जिन्हें के द्वीय सरकार खान में काम करने वाले मजदूरों की ट्रैट यूनियन के प्रमाण से नियुक्त करती है।

इस कानून के विरुद्ध काय करने पर २०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

बाग में चाय करने वाले मजदूरों से सम्बन्धित कानून

मजदूरों की भर्ती वाले परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि आसाम के चाय के बागों में १८८६ के कानून (Workman's breach of contract Act) के अनुसार मजदूर एक बार भर्ती होकर नियत अधिकार तक काम करने के लिये विवश था। वह बाग की मजदूरी करना नहीं छोड़ सकता था। यदि वह बाग जावे तो बाग के मालिकों को उसे कैद करने और सजा देने का अधिकार प्राप्त था। यह घृणित कानून कहा १८२५ म जाकर रद्द हुआ। मद्रास प्लार्स एक्ट १८०३ और कुग लेवर एक्ट में भी ऐसी घृणित धारायें थीं किन्तु यह कानून भी प्रमाण १८२७ और १८२६ म रद्द कर दिये गए। १८०१ में आसाम प्रवास एक्ट यन्त्र जिसके अन्तर्गत प्रनीतीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह चाय के बागों के सरदारों को नियूनि सरकार से मजदूर भर्ती करने का कायमैस नहीं लिया है, अपने लेन म भर्ती न करन दें। १८०८ में एक नया कानून यन्त्र, जिसके अनुसार चाय के बागों में यन्त्र कायमैस प्राप्त लेकेदारों के द्वारा मजदूरों को भर्ती करने की मनाही करनी गई और मजदूरों को कैद करने का अधिकार छीन लिया गया। १८१२ में आसाम मजदूर प्रवास (सशोधित) कानून पास हुआ, जिसके द्वारा आसाम में शत बद कुला प्रथा बंद करदी गई और आसाम लेवर बोड की स्थापना हुई। यही बोड अब चाय के बागों के लिए मजदूर भर्ती के काम की दम भाल करता है। आनन्दल चाय के बागों के लिए मजदूर भर्ती तथा चाय के बागों में काम की व्यवस्था का नियन्त्रण “चाय के बागों का प्रवास” कानून १८३२ के अनुसार होता है। इस

एक की मुख्य बात नीचे लिखी है-

(१) केन्द्रीय सरकार को प्रवासी मनदूरों के एक कटौलर को नियुक्त करने का अधिकार है और सरकार उसके तथा उसके आधीन कमचारियों के व्यय के लिए मजदूरों की भर्ती पर फास लगा सकता है।

(२) केन्द्रीय सरकार किसी भी लेन्ड्र को 'नियन्त्रित प्रवास लेन्ड्र' घोषित कर सकती है। इन नियन्त्रित जेन्ट्रों से मनदूरों की भर्ती किसी चाय के बाग के लिए बिना लायसेंस प्राप्त एजेन्टों के और कोई नहीं कर सकता। एजेन्ट को मजदूर के भोजन और रहने की डिपो पर उचित यवस्था करनी होगी और जब वह मजदूर डिपो से चाय के बाग को भेजा जावेगा तो भाग में भी उसके लिए भोजन की उचित यवस्था करनी होगी।

(३) केन्द्रीय सरकार किसी भी लेन्ड्र को सीमित भर्ती लेन्ड्र घोषित कर सकती है। इस लेन्ड्र में कोई भी यक्षित जो लायसेंस प्राप्त भर्ती करने वाला न हो या चाय के बाग का सरदार जिसके पास चाय के बाग के मालिक का प्रमाण पत्र न हो, मनदूरों की भर्ती नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति इस कानून के विरुद्ध चाय के बागों (आसाम) में काम करने जाता है अपवा वह यक्षित नो कि किसी मजदूर को आसाम के चाय के बागों में जाने के लिए सहायता करता है, उसको ६ मीने वी कैद या २०० रु. जुमाना या दोनों सनाय दी जा सकती है।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जो कि आसाम के बागों में काम करने जाता है, तीन वर्ष बाग में काम कर सुनने के उपरात चाय के बाग के खर्च पर अपने घर बापम लौग आने का हकदूर है। यदि कोई मजदूर सर जाये तो उसके परिवार का भी यह हक होगा। यदि मजदूर का स्वास्थ्य बाग में अच्छा न रहता हो अधिया अच्य कारणों से उसका बहा रहना शक्य न हो तो घर ३ वर्ष पूरे होने से पूर्व हा बाग के खर्च पर लौगने का अधिकारी है।

(५) कोई बालक जो १६ वर्ष से बम आयु का है भर्ती नहीं

किया ना सकता जब तक कि वह अपनी माता के साथ न हो ।

(६) प्रवासी मनदूरों का क्लोजर तथा उसके आधीन कर्मचारी इस बात की देख भाल करेंगे कि कानून के अनुयाय भर्ती का काम हो रहा है या नहीं और वह प्रवासी मनदूरों के हितों की रक्षा करता है । नव मनन घर से चाय के बागों को जाता, चाय के बागों में रहता है, और अपने घर चायम कौशल है तर क्लोजर उसके हितों की नियम भाल और रक्षा करता है ।

गमनागम के साथना म लगे हए मनदूरों मे सम्बंधित कानून

अभी तक कोई एक ऐसा कानून नहीं बना है जो रेलवे, बदरगाहों और मढ़क, मोर पर काम करने वालों की रक्षा करे, किन्तु रेलवे और बदरगाहों पर काम करने वालों के सम्बंध में कुछ पुनर्कर कानून बने हैं ।

भारतीय रेलवे (मरोयित) एकट १९३८

रेलवे यक शारों में काम करने वाले मनदूरों के जिण १९३८ का दैकरी कानून लागू होता है । इस कानून का उहैश्य उन अमनीवियों के हितों की रक्षा करना है, जो रेलवे लाइन पर स्थायी स्प से काम करते हैं । इस कानून की मुख्य धारायें नीचे लिखी हैं ।

(१) निन अस्तियों का काम दीच बाच में रुक नहीं जाता है, वे सप्ताह में ६० घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकते ।

(२) उन अमनीवियों का निनका काम दीच दीच में बद हो जाता है, वे २४ घण्टे पह सप्ताह में काम कर सकते हैं ।

(३) यदि विशेष आवश्यत आ पड़े तो नियारित घों से अधिक भी काम निया ना सकता है और नियारित घों से अधिक नियते घों काम किया जायेगा, उनके लिए सवाड मनदूरी देना होगी ।

(४) निन कर्मचारियों का वाय मुरायत याच दीच म यह हो जाने

बाला नहा है, उन्ह सत्राह म पक दिन की अवश्य सुट्टी मिलना चाहिए।
भारतीय रेलवे कर्मचारिया के काम के घटे सवधी नियम (१९३१)

इस एक द्वारा बताये कर्मचारियों के काम के घटे भी और विश्राम की अवधि नियारित कर दी गई है। इस एक के अन्तर्गत ये जोग नहीं आते, जो रेल गाड़ियों पर काम करते हैं (सनिग स्टाफ) बाच बाई (दिवधाल) तथा मैनेजर सुपरवाइजर इत्यादि। ये जोग पैकरो पक के अन्तर्गत आते हैं। अब रेलवे में भी ए घट प्रति दिन काम करने का नियम बन गया है।

अभी तक यदृगाहों में काम करने वालों के काम के घट नियारित नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में कोइ कानून नहीं बना। १९३१ के पोर्ट एक के अनुसार कोई बालक जो कि १५ वर्ष से कम की आयु का हो, यदृगाह में काम नहीं कर सकता। किन्तु १९३८ के (Employment of children Act) वाक्रांति नीकर रखने सम्बन्ध कानून के अनुसार १५ वर्ष की आयु से कम का कोई बालक यदृगाह में काम नहीं कर सकता।

डाक में काम करने वालों से सम्बन्धित कानून १९३४

इस एक का उद्देश्य डाक में काम करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। इस एक में डाको पर आने जाने के रास्ता का डाक रखना, भाल को डाने जले यरों को डाक डाक रखने, प्रतिभाव चिकित्सा की सामग्री रखने की यत्वता की गई है।

जहाज पर काम करने वालों से सम्बन्धित कानून

कोई भी बालक जिसकी आयु १५ वर्ष से कम है, जहाज पर साधारणतया काम नहीं कर सकता। हाँ, यदि वे अपने समीप के रितेदार या पिना के चान में काम करें तो १५ वर्ष से कम के बालकों का काम करने की आनंद मिल सकता है। १८ वर्ष से कम की आयु का बहुत

(Trimmei) या (Stoke1) साधारणतया काम नहीं कर सकता। विरोप दशाओं में ही ऐसा करने की आज्ञा मिल सकती है १८ वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति जहाज पर विना छाकरी सर्टिफिकेट के कि वह शारीरिक दृष्टि से काम करने के योग्य है, काम नहीं कर सकता। भारतीय सरकार ने १९३१ के नोटिसिवेशन के अनुमार (ग्रिमरों) और स्टोकरों के काम के घटे भी नियुक्त कर दिये हैं।

अमज्जीवी ज्ञति पूर्ति कानून (सशोधित) १९३३

यह कानून उन अमज्जीवियों के लिए लागू होता है कि जो शारीरिक थम करते हैं और नीचे लिखे न्यायों में काम करते हैं—(१) फैक्ट्रियाँ जहाँ १० आदमी काम करते हों और यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो, और ये फैक्ट्रिया जहाँ यात्रिक शक्ति का तो उपयोग न होता हो, किन्तु २० व्यक्ति काम करते हों (२) खाने (३) बाग (सिनकोना, रबर चाय, कहुआ) जिनम २८ से अधिक व्यक्ति काम करते हों। (४) जहाजी काम म, (५) जहाजों पर माल लादने और उतारने में (६) जहाज बनाने में (७) मकान बनाने में (यदि एक मजिल से अधिक ऊँचा हो) (८) मढ़कों के बनाने में (९) यात्रिक गाड़ियों को चलाने म। (१०) विम्फोटक पदार्थों का बनाने या उनका उपयोग करने में। (११) गैम या बिजली तैयार करने में (१२) सिनेमा फिल्मों को तैयार करने और उनको दिखलाने में (१३) हार्पी तथा अन्य जगला जानवरों को रखने में।

इन कार्यों म चोट लग जाने या मर जान का ही कबड्ड दुघटना नदा माना जावेगा किन्तु कुछ ऐसों देरों से यामार पर्नों या मरने को भी दुघटना माना जावेगा। और उसके लिए सानिक मज़दूर की ज्ञति पूर्ति करेगा। ऐसे रोग नीचे लिहे हैं।

(१) ऐनथेक्स (२) सासा (Lead) फामफोरम, पारा और Benzene का जहार (३) ग्रोम (Ulceration) (४) Comrie

ssed Mar illness

हति पूति का हजाना केवल उँडा। यक्षिण्या का दिया जाता है, जिनका मासिक वेतन ३०० रु से अधिक न हो, माथ हो जो यक्षित बलाक का काम होते हैं, उँडे यो हति पूति का हजाना नहीं मिल सकता। यदि काम करते भवय और उसके फलस्वरूप किमी न्यक्षित को चोट लग जावे, अपवा दुष्यना से उसको लृत्यु हो जाए तो वह इस कानून के अन्तर्गत हति पूति का हड्डार होगा। वे बडे भ्रीयोगिड के द्वारा में इस कानून के अन्तर्गत मामलों को तय करने का काम कर्मितर करते हैं, जो इसी काय के बिषे नियुक्त किये जाते हैं। किंतु अय स्थानों पर उन घर्षणों इस कानून के अन्तर्गत मारे मामलों को तय करता है।

किमी यक्षित को कितना रथया हजाने के रूप म भिजेगा, यह उसके मासिक वेतन पर निभर है। दुष्यना के फलस्वरूप मतदूर को नब चोट लगती है तो उसके नीचे लिखे परिणाम हो सकते हैं — [१] आशिक असमर्थता [२] पूण असमर्थता [३] सृत्यु। इसके अतिरिक्त धार्थों में काम करने वालों को कुछ रोग लग जाते हैं, जो उन धार्थों के विशेष रोग स्थीकार किये गए हैं। आशिक असमर्थता अस्थायी अथान् थोडे दिनों के लिए भी हो सकती है और स्थाया अर्थात् हमेशा के लिए भी हो सकती है। इसी प्रकार पूण असमर्थता भी कुछ समर्थ के लिए अर्थात् अस्थायी अथवा सदैव के लिए अर्थात् स्थायी हो सकती है।

यदि काम करने वाला अवित चोट से केवल ७ दिन तक ही अस मर रहे तो उसे कोई हजाना नहीं मिल सकता। जब दुष्यना से ७ दिन से अधिक के लिए असमर्थता हो तो मतदूर को कानून में दिये हुए अनुसार हजाना मिलता है। कानून म हजान वी जो रकम निधा रित की गई है, वह वेतन के अनुमात है। दुष्यना होने पर चोट खाने या भरने वाले को नीचे लिखे अनुसार हजाने की रकम दी जावागी —

एवं वाले वाले मजदूर का आसिक बेतन या मजदूरी	प्रौढ़ की तुल्य होने पर	स्थायी पूँजी आसमयता होने पर [प्रौढ़ की]	प्रौढ़ की अस्थायी आसमयता होने पर पखवारे [१८ दिन] म दी जाने वाली रकम
इससे अधिक	लेकिन इससे अधिक नहीं		
०शून्य	१०	५००	७००
१०	१५	२५०	३५०
१५	२०	३००	४५०
२०	२५	५२०	८८२
२५	३०	७२०	१००८
३०	३५	८१०	११४४
३५	४०	९००	१२६०
४०	४५	१०५०	१४७०
४५	५०	१२००	१६८०
५०	५५	१३५०	१८६०
५५	६०	१५००	२१००
६०	६५	१८००	२४२०
६५	७०	२१००	२८४०
७०	८०	२४००	३३६०
८०	९०	२७००	३८४०
९०	१००	३०००	४२००
१००	२००	३६००	४६००
२००		४०००	४६००

ऊपर दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक प्रौढ़ श्री पुरेयों का सम्बन्ध है तुल्य होने पर बेतन के अनुमार कम से कम २०% और अधिक से अधिक ४००० रु और स्थायी पूँजी आसमयता

पर कम से कम ७०० रुपये और अधिक से अधिक ८६०० रु हजारों मिल सकता है। प्रौदों के अस्थायी असमर्थ होने पर प्रति रुपवारे अर्थात् १५ दिन के बाद एक रुपम दी जाती है, जो १० रु तक मासिक बेतन पाने वाले के लिए उसके मासिक बेतन की आधी (अथात् उसके पूरा मासिक बेतन हजारों में मिलता है) और तदुपरात ८ रु से ३० रु तक है। अस्थायी असमर्थता होने पर ८ वर्षों तक यह प्रतिवारे की रुपम मिलती रहती। यदि बोइंग यकित ८ वर्षों तक भी ठीक न हो तो उसकी असमर्थता स्थायी भाव ली जावेगी। यदि ८ वर्षों से पूर्व ही अस्थायी असमर्थता स्थायी हो जावे तो मज़दूर को अस्थायी असमर्थता होने पर जो एक सुरत रुपम मिलती है, उसमें से जितनी रुपम उसे अस्थायी असमर्थता के कानून में प्रति प्रतिवारे मिल चुकी है, वह कम कर दी जायगी। प्रौदों की पूर्ण स्थायी असमर्थता होने पर जितनी एक सुरत रुपम मज़दूर को मिलनी चाहिए, वह तो ऊपर दी हुई तालिका में है किन्तु प्रौदों की “स्थायी आशिक असमर्थता” होने पर जितनी रुपम दी जावेगी यह दिसाव लगा कर मालूम की जा सकती है। स्थायी आशिक असमर्थता से मज़दूर की काय उमता नितनी घट जावे, उसी अनुपात में उसे स्थायी पूर्ण असमर्थता होने पर मिलने वाली रुपम का दिसाव मिल जावेगा। उदाहरण के लिए किसी मज़दूर का जिसे १० रु मासिक मज़दूरी मिलती है, वहाँ हाथ कट जाता है तो वह स्थायी रूप से आशिक असमर्थ हो गया। कानून के अनुसार वाया हाथ कटने पर उसकी ६ % प्रतिशत काय उमता नष्ट हो गई। पूर्ण स्थायी असमर्थता होने पर उसे २१०० रु शति पूर्ति के मिलते। अस्तु वाया हाथ कट जाने पर उसे २१०० रु का ६०% प्रतिशत अथवा १२६० रु मिलेंगे। कौन सा धर्म भग हो हो जाने पर जितनी काय उमता नष्ट होती है, उसकी भी एक तालिका एक भग में दी हुई है जिसे हम आगे चल कर देंगे।

यदि अक्षपदयस्क (१२ वर्ष और १५ वर्ष के बीच का आयु वाला) स्थायी रुप से पूर्ण असमर्थ हो जावे तो उसे एक सुरत १२०० रु

मिलेंगे। फिर चाहे उसे जो कुछ भी मनदूरी मिलती हो। परं अल्प वयस्क की सूख्य हो जाए तो उसके माता पिता या अभिभावकों को केवल २०० रुपए मुश्त मिलेंगे।

अस्थायी असमर्थता होने पर फिर चाहे वह आधिक या पूरा हो, उपर दी हुड़ लालिका में जो पत्रवारे की रकम नियत है, वह प्रीढ़ मनदूरों को वेतन के अनुसार मिलेगी। अल्पवयस्क जब अस्थायी रुप से असमर्थ हो तो उसको प्रति मास अपनी मासिक मनदूरी की आधी रकम इनाम में मिलेगी। किन्तु यह मासिक इनाम की रकम ३० रुपए प्रति मास में अधिक नहीं हो सकती।

नीचे दी हुड़ लालिका में इसी अग के भाग होने पर जो स्थायी आधिक असमर्थता होती है, उसमें होने वाली काय घमता की हानि का व्यौरा दिया हुआ है।

चोट	काय घमता की हानि प्रतिशत में
-----	---------------------------------

को-ही पर या को-ही से ऊपर दायें हाथ का नष्ट हो जाना	७० प्रतिशत
” ” ” बायें „, „ ”	६० प्रतिशत
को-ही से नीचे दायें हाथ का नष्ट हो जाना	६० ,
को-ही के नीचे से बायें हाथ का नष्ट हो जाना	६० ,
घुणे पर से या घुणे से ऊपर टांग का नष्ट हो जाना	६० ,
घुणे से नीचे टांग का नष्ट हो जाना	६० ,
स्थायी रूप से पूरा बहिरा हो जाना	६० ,
एक आँख नष्ट हो जाने पर	३० ,
हाथ का अगुण नष्ट हो जाने पर	२५ ,
एक पैर की सब अगुलिया नष्ट हो जाने पर	२० ,
अंगूष्ठा पृष्ठ पोरा [हड़ी का हुकड़ा] नष्ट हो जाने पर	१० ,
पैर का अगूढ़ा नष्ट हो जाने पर	१० ,
हाथ के अगूठे के पास वाला अगुलो के नष्ट हो जाने पर	१० ,

किसी अगुल्ही के नष्ट हो जाने पर

प्रतिशत

किन दशाओं में मालिक हजाना दने को धार्य न हागा

(१) जब कि चाट से पूण या आशिक व्य से मजदूर ७ दिन मे अधिक के लिए असमय न हो ।

(२) चाट डस समय लगी हो, जब कि मजदूर रात्राव या अन्य किसी नशीली बल्लु के प्रभाव में हो । अथवा मजदूर जानवूफ कर उन नियमों को तोड़े या अवहेलना करे कि जो विवाहकर उसकी सुरक्षा के लिए बनाये गये हो । अथवा कोई सुरक्षा यथा छगा हो उसका जानवूफ कर दृटा दे । यदि वह यह जानता था कि यह यह उसकी भशीन से रक्षा करने के लिये भा तो वह इति पूर्णि के हजाने का द्रवा नहीं कर सकता ।

(३) यदि मजदूर अपने काम का छादक दूसरे मजदूर के काम पर जावे ।

परन्तु यदि नशे की अवस्था म अथवा जानवूफ कर सुरक्षा के नियमा इत्यदि की अवहेलना करने पर चोट से मृत्यु हो जावे तो मालिक का हजाना दना होगा ।

यह तो पहले ही बतलाया जा सुका ह कि इस प्रकट का शामन कमिशनर करते ह, जिह प्रानीय सरकार इन बाम के लिए नियुक्त करती है । यहु की सूचना पाने पर कमिशनर ३० दिन के अद्वार मालिक से इस आशय का बयान दन को कह सकता है कि निससे यह ज्ञात हा कि यह हजान वी रकम दना स्वीकार करता है, या नहा करता है । यदि मालिक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो वह हजाने की रकम कमिशनर के पास नहा कर दता है । कमिशनर का तुनक मजदूर के परिवार खालों को उसके उतक सहार के लिए २५ रु पराया दने का अधिकार है । यदि मालिक हजाना दने की जिम्मेदारी लेना अस्वाकार करे तो कमिशनर को यह अधिकार है कि वह शुत्र यक्षित के आधिकारों को

यह सूचना दे कि ये हताने का नाम करें। कमिशनर को सारे मामले को मुनने और उमस्ता कंसल्टा देने का भी अधिकार है।

मालिक और मजदूर यदि कोइ ट्रूघटना होने पर दी जाने वाली रकम के सम्बन्ध में आपमें भी व्यक्तिगत रूप से समझौता कर लें तो वह ऐसे कानूनी होगा, जब तक कि उसकी रनिस्ट्री कमिशनर के यहां न हो जावे। कमिशनर को यह अधिकार है कि इस प्रकार के समझौते की रनिस्ट्री कर दे। यदि वह इस बात से सतुर्प हो जाए कि वह धोखे या दबाव से नहीं हुआ है। मृत्यु होने पर प्रत्येक मालिक को उसकी सूचना कमिशनर को देनी होती है।

१९३७ में कानून में जो सशोधन हुआ है, उसके अनुसार वह यदि गोपनीय में माल को छाड़ने, दोने और छारने में यदि कोइ चोट लगे या मृत्यु हो जावे तो भी यह कानून लागू होता है।

१९३९ के सशोधन के अनुसार यदि मजदूर मालिक का नोटिस इन भूल जावे या नियारिन समय के अन्दर दबाव न करे तो इससे उसके हताने का दावा करने का एक नए नहीं हो जाता। हाँ, उस दशा में कमिशनर को यह सताप हो जावे कि भनदूर ने प्राथना पत्र इस विवास में दिया या कि उसकी पोट ऐसी है कि उसे दानून के अनुसार हताना मिलना चाहिये या और वह प्राथना पत्र अस्वीकार हो गया; तथा वह यह दिना जोनिस द्विये ही उस धर्ये को मुन मकना है। किन्तु भनदूर या मजदूर कायकतार्थी के लिये ठाक यही है कि वे हताने का नोटिस मालिक को अवश्य दें।

मजदूरी अदायगी एकट (१९३६)

इन कानून का मुख्य उड़े-य यह है कि मजदूरों को उनमा घेतन समय पर आया जाए, उनके घेतन में मनमाना छौतो न की जा सके, एक निश्चित रकम से अधिक लुमाना न किया जा सके। कानून की मुख्य भाराये नीचे लिखा हुआ है —

(१) यह कानून पैकरियों और रेलों में लागू होता है और ये सब मन्त्रालय आर कमचारी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं जो २०० रु. मासिक से कम पाते हैं। जिन पैकरियों तथा रेलों में एक इनाम व्यक्तियों से कम काम करते हैं और जिनमें एक इनाम से अधिक काम करते हैं, उन्हें अपने कमचारियों को वेतन का समय व्यतात होने पर प्रमाण ७ दिन और १० दिन के अद्वार मध्यों का वेतन चुका देना चाहिए। जिस व्यक्ति को नौकरा से हटा दिया गया हा, उसको निकाले जाने के दूसरे दिन तक उसका वेतन अवश्य मिल जाना चाहिए। वेतन का मन्त्रालयी छुट्टी के दिन भी यांत्री ना सकती। काम के ही दिन बाटी जानी चाहिए। और वेतन का समय एक महिने से किसी दशा में अधिक नहा हो सकता। वेतन नक़द रूपयों में ही चुकाया जाना चाहिए। वस्तुओं में वेतन दन की भनाही है।

(२) कानून द्वारा जो कर्तृती स्वीकृत है, उसके अतिरिक्त वेतन में से और अधिक कर्तृती नहीं हो सकती। यदि मालिक और कोइं कर्तृती करे तो वह गैर ब्रान्डा समझी जावेगी। जो कर्तृतिया कानून द्वारा स्वीकृत है वे नीचे लिखी हैं —

जुर्माना, गैरदाखिरी, मकान का किराया, आय कर, प्रावीडेंट फाई की किरत, अदालती रूपया जो देना हो, मालिक ने जो रूपया पेशगी दे दिया हो, सहकारी समिति का कर्ज, और आय कोइं सुविधा जो कि मालिक द्वारा मन्त्रालय को पहुँचाई जावे।

(३) कानून द्वारा जुर्माने का इस प्रकार नियमण किया गया है —

(अ) बालकों पर उर्माना करने की भनाही कर दी गई है।

(ब) जुर्माने की रकम किरतों में या जुर्माना करने के ६० दिन बाद घमूल नहीं की जा सकती।

(क) किसी भी महीने में मन्त्रालय के वेतन (जो उसने प्राप्त किया हो) में से आध आना प्रति रूपया से अधिक जमाना नहीं किया जा सकता।

(५) नुमाने की वसूली में जो रकम डूकटी हो, वह मज़दूरों के देने के कियी काम पर ही व्यय की जा सकती है। जिससी न्यौत्ति मालिकों को सरकार से लेना आवश्यक है।

(६) मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार का पूचनायें नोटिस बोड पर लगा दें कि किन दोपों के लिए जुमाना होगा। उन भूजों का उस नोटिस में कोड उल्लेख न हो, उनके लिए जुमाना करना गैर कानूना है।

(७) जब मालिक जुमाना करे तो मज़दूर को यह अवमर मिलना चाहिए कि वह नुमाने के विश्वास अपनी मफाट दे सके। और जो भी नुमाना किया जाय तब वेतन घटने वाला पक्का रजिस्टर में दर्ज करे।

(८) इस कानून की अवहेलना होने पर दण्ड का विधान है कि नो मालिक देरी से चतन बांगे उन पर ₹३०० रु. तक जुमाना हो सकता है। और गैर कानूनी जुमाना करने पर मालिक को जुमाने का अम गुना नहूंदेना हांगा। जो मज़दूर मालिक के विश्वास मृती रिपायत करेगा उस पर ₹३० रु. तक दण्ड दिया जा सकता है।

यदि मज़दूर काम करने समय शारात के नहीं भी हो, या उसने जानधूम कर उन सुरक्षा के नियमों की अवहेलना की हो, तो कि नुमानाओं में मज़दूरों को बचाने के लिए यनाये गए हैं तो भौग लगने पर वह मज़दूर हताना पाने का जावा नहीं कर सकता।

(९) नहा तक पैकरियों का सम्बाध है, पैकरी इन्स्पेक्टर इसका शामन करते हैं। रेलों में लगे हुए कमचारियों तथा मज़दूरों के लिए प्रान्ताय भरकार पृथक् इन्स्पेक्टर नियुक्त कर सकती है।

हडतालों तथा श्रीदोगिक शान्ति वनाये रखने से सम्बन्धित कानून

प्रथम योरोपीय महायुद्ध (१६१८) के उपरात भारतीय बारगानों में हडतालों की याद सा आगढ़। प्रथेक श्रीदोगिक कद्र में लम्बा लम्बी हडतालें हुईं और उनसे धर्षा को बहुत हानि पहुंची। अनेक श्रीदोगिक

शासित यनाये सम्बन्ध के लिए १९२९ में हड़ताल कानून (Trade Disputes Act) बनाया गया।

हड़ताल कानून १९२९

इस कानून का मुख्य उद्देश्य पेसे साधन उत्पन्न करना है, जिनमें औद्योगिक भागी शासितपूर्वक विना हड़ताल के निवार नावें, और विनालों, पानी रलवें, इन्व्यादि जन उपयोगी कारबानों या धार्था में यकायक हड़ताल करना जुमे बना दिया जाय। तथा राजनीतिक हड़ताल गैरकानूनी कर दा जाये। कानून की मुख्य धारायें नीचे लिखी हैं—

इस कानून के द्वारा वैद्यीय तथा प्राकृतिय सरकारों को यह अधिकार द दिया गया है कि यदि कोई हड़ताल हो रही हो या हड़ताल होने की आशका हो तो उस भागी को तब करने के लिए सरकार “समझौता घोट” या जात्यक अदालत नियुक्त करे। सरकार घोट या अदालत का रिपोर्ट का प्रकाशित कर सकता है।

(१) जन उपयोगी धारों से रेलवे, जहाज तथा नावों, ग्रूमगाड़ी दार, नार, तथा टेलापोन, शक्ति, रोशनी, तथा नल के कारबानों तथा स्वास्थ्य और सफाई के काम में लगे हुए मानवों के द्वारा विना १५ दिन का नार्मिन दिये हड़ताल बरना गैर कानूनी है। साथ ही मालिक भी विना १५ दिन का पश्चाती नोटिस दिये हड़तालबोध (Lock-out) नहीं कर सकते। यदि इस कानून की महादूर अवहेलना करें तो उन्हें एक महीने की मात्रा या २० रुपयोंना या दोनों ही किया जा सकता है। यदि मालिक इस कानून की अवहेलना करें तो उन्हें पर १००० रुपयोंना या एक मास का कारबास या दोनों ही किये जा सकते हैं।

(२) जो हड़ताल राजनीतिक या साधारण हो और औद्योगिक भागी से सम्बन्ध न रखती हो और जिनमा उद्देश्य समाज को धोर कर पहुँचना हो, वे गैर कानूनी घासित बरदा गई हैं। इस प्रकार की हड़ताल में भाग लेने पर जिन प्राप्तसाहित करने वालों को ३ महीने का

कारोबाय या ५०० रु का जुम ना या नोना हा किया ता सहता है। जो मत्तदूर इस प्रकार की गौर कानूना हडतालों में भाग लेने से इन्दूर वर्गो कानून ने उनक माधवण मत्तदूर सभाओं क अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है। अथवा मत्तदूर सभायें पर्मे मत्तदूरों का अपना सदस्यता स हग नहीं सकती।

(४) इस प्रकार क अन्तर्गत कांडीय सरकार का समझौता अधिकारा (Conciliation Office) नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकारी मालिक और मत्तदूरों क बीच में समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं।

बम्बई हडताल कानून (१८-८)

बम्बई का कांग्रेसी सरकार ने १८-८ में हडताला सम्बधी एट प्रोटोकॉली कानून चानाया। जिसका मुख्य उद्देश्य मालिक और मत्तदूरों के बीच समझौता कराने के लिए माधव उपस्थित करना, प्रात के यह और मगान्नि धधो भ मत्तदूरों का नौकर रखने में मतमानी न हाने दना, और बिना नोटिस दिये हुए हडताल या द्वारावरोध करन का मताहा करना है। इस कानून का यही मुख्य उद्देश्य है कि जब तक समझौता करने क सारे प्रयत्न विफल न हो जावे, तब तक हडताल न हाने दी जाए। १९२३ के हडताल वानून में जनादरयोगी धधों में जो नोटिस दने का केंद्र लगाड़ गइ था, बम्बई कानून में प्रत्येक धध क लिये लागा आ गइ है। इसकी मुख्य धारायें नीचे लिखा है -

(१) इस कानून के द्वारा औदामिक माध्यों को नय वरन इ लिये तथा मिल मालिक और मत्तदूर क बीच समझौता करवाने के लिये बुना समुचित प्रयत्न दिया जाया है।

प्राताय सरकार का लघु अधिकार मुख्य समझौता कराने वाला(पद) है। किंतु सरकार दिया दियोग भगवद का निपगरा करन के लिये दियोग समझौता कराने वालों की नियुक्ति कर सकता है। यदि समझौता कराने

धालों से झगड़ा न निपट और ये असफल हो जावें तो सरकार समझौता बोर्ड स्थापित कर सकती है। पृष्ठ के अन्दर इस बात की भी सुविधा कर दी गई है, कि यदि दोनों पक्ष राजी हों और अपनी स्वीकृति लिखाकर द दें तो उनका झगड़ा तय करने के लिये किमी ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाये, जिसे कि दोनों पक्ष चाहें। कुछ दशाओं में झगड़ा श्रीयोगिक पचायत अदालती के सामने भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठ के अन्तर्गत श्रीयोगिक झगड़ों को निपटाने के लिये मुख्य समझौता कराने याला (लेवर आफिसर) विशेष समझौता कराने वाले, समझौता बोर्ड, स्वयं नियाचित पक्ष, श्रीयोगिक पचायत अदालत इत्यादि समझौता कराने के माध्यम उपलब्ध कर दिये गये हैं।

(२) श्रावाय सरकार को यह अधिकार है कि वह लेवर आफिसर की नियुक्ति करे, जो कि मजदूरों के हितों की रक्षा करे और यदि उनका और मालिकों का कोइ झगड़ा हो, तो यदि मजदूर अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है तो उस दशा में उनका प्रतिनिधित्व करे।

(३) पृष्ठ के अन्तर्गत उन प्रश्नों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिनको लेकर मालिक और मजदूरों में झगड़ा होता है। व इस प्रकार है। पहले भाग में निम्नलिखित प्रश्नों को रखता रखा है -

(अ) मजदूरों का धरण-करण-उदाहरण के लिए स्थायी, अस्थायी, अपरेटिस, प्रोवेशनल, और यद्यपी मजदूर।

(ब) मजदूरों के काम के घटे, छुटिया, तनावाद का दिन और मजदूरी की रेट इत्यादि की सूचना देने का ढग।

(क) शिफ्ट में काम करने का आयोगान।

(ख) दाजरी और दरी से आने के सम्बन्ध में नियम।

(ग) छुटियों, छुट्टी दिन लेने के नियम, शर्तें, छुटियों कोन मजदूर करेगा इत्यादि।

(घ) कारबाने में खोज का उत्तरदायित्व, और फारका से शुमने के सम्बन्ध में नियम।

(द) अस्थायी रूप से कारग्वाने प्रद हो जाने पर मालिकों और मनदूरों के अविकार और दायित्व ।

(८) नौकरों का सभासु द्वाना । मालिक तथा मनदूरों का पृष्ठ दूसरे को नोटिस देना ।

(९) अवारद्वनीय चरित्र के लिए सुअत्तिल करने तथा नौकरी से हटाने के सम्बन्ध म नियम ।

(१०) मनदूरा क साथ मालिक अथवा उसके कमचारियों के दुष्यवहार से उन्हीं रक्षा करने के उपाय ।

दूसरे भाग में निम्नलिखित प्रश्नों का समावेश है ।

(अ) स्थायी अथवा अर्ध स्थायी रूप से मनदूरों की सख्ता में कमी करना ।

(ब) किसी विभाग में अथवा विभागों म स्थायी अथवा अर्ध स्थायी रूप से मनदूरों की सख्ता को घटाने की मांग ।

(क) किसी कमचारी को नौकरी से हटाना जो कि इस कानून के अन्तर्गत घने हुए स्टंडिंग आर्डर के विरुद्ध हो ।

(ख) रेशैनेलाइज़ेशन तथा अर्थ उन्नत तरीकों का कारग्वाने में उपयोग करना ।

(ग) गिरफ्त सिस्टम म परिवर्तन करना, उसको बद करना इत्यादि जो कि स्टंडिंग आर्डर के अनुसार न हो ।

(घ) मनदूर सभाधों को स्वाक्षर करना या स्वाहृति को चापम केना ।

(ङ) छोड़ पुरानी मुगिया जो कि मनदूरों को प्राप्त हो, उसको चापम केना या किसी पुरानी परम्परा में परिवर्तन करना ।

(च) अनुशासन सम्बन्धी नये नियमों का प्रचलन करना और प्रचलित नियमों में परिवर्तन बरना ।

(द) मानदूरी और ससाइट के काम के कुल धरों को निषारित करना ।

इस कानून के प्रचलित होने के दो भीने के अन्दर निम्न मालिक को प्रथम भाग के सभी प्रान्तों के सम्बन्ध में नियम बनाकर जिवर कमिशनर

के पास भेजना आवश्यक है। लेवर कमिश्नर का उन नियमों पर निवार करने और मजदूरों डल्यादि सभी पचों में गय करके तय करने का अधिकार है। यदि उन नियमों के सम्बन्ध में अनिम समझौता हो ताकि तब वे रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रा के लिए भन चिये नाते हैं। भाग १ के सम्बन्ध में इन नियमों को स्ट्रिंग आईर कहते हैं। स्ट्रिंग आडरा के सम्बन्ध में यदि मजदूरा को कोई आपत्ति हो तो उन नियमों के प्रचलित होने के १२ दिनों के अन्दर उन्ह अपनी आपत्ति लेवर कमिश्नर के पास भेजनी चाहिए। लेवर कमिश्नर के फैमले के विरुद्ध स्ट्रिंग आईरा के सम्बन्ध में औद्योगिक अदानत या पचायन में अपील की जा सकती है। लेकिन एक बार नियमों के अनिम रूप से तय हो जाने पर ६ महान तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि मालिक या मजदूरों में से कोई पहले उन नियमों में परिवर्तन कराना चाहे तो उसे दूसरे पक्ष तथा लेवर कमिश्नर, लेवर आफिया, अथवा विशेष समझौता बनाने वालों को नोटिस देना होगा। यदि १२ दिन के अद्वार दोनों पक्षों में काइ समझौता हो जाता है तो उस समझौते की एक प्रति लेवर कमिश्नर, लेवर आफियर तथा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जानी चाहिए। यदि दोनों पक्षों में कोई समझौता न हो सके तो नायिम ने वाला पहले नोटिस देने के २१ दिन के अद्वार लेवर कमिश्नर को मार मामन का व्योरा (लिसित) भेजेगा। जब भगदूर के सम्बन्ध में जिमिल व्यापा आना चाहिए तो प्रान्ताय सरकार उस फार्म का महत्ता के अनुमार उसे तय करने के लिए मुख्य समझौता कराने वाले, विशेष समझौता कराने वाले, अथवा समझौता बाई के पास भेजेगा। समझौता कराने वालों को उस मामले की जाच करके दो महीने के अद्वार और अधिक से अधिक ४ महाने के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। यदि समझौता ने जाव रो समझौता कराने वालों का समझौते का रजिस्ट्री करवा दना चाहिए और यदि समझौता न हो सके तो उस मामले का पूरा रिपोर्ट (कि समझौता क्यों नहीं हुआ) प्रान्ताय सरकार को भेजना चाहिए। प्रान्तीय

भरकार उम्र रिपोर्ट को जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित कर नेगी।

(४) स्टैंडिंग आर्डर के सम्बन्ध में अनिम निर्णय या समझौता होने से पूर अथवा समझौता हो जाने पर ६ महीने अवधि त हो जाने के पूर अथवा हस्ताक्षर करने से पहले आवश्यक नोटिस न देने पर अथवा समझौते का अवधारणा जो कि कानून द्वारा बनाइ गई है उसके पूरा हुए दिन ही यदि मजदूर हस्ताक्षर करदें तो वह गैर कानूनी होगी।

इसी भावि विना स्टैंडिंग आर्डर के सम्बन्ध में समझौता हुए अथवा समझौता होने पर पूर अवधि त हो जाने के पूर अथवा विना पूर मूलना दिये कोइ परिवर्तन करने पर अथवा समझौते की अवधारणा वी पूरा हुए विना यदि मिल मालिक द्वारा बोध (कारखाना बद कर दें) कर तो वह गैर कानूनी होगा।

(५) पक के अनुमार जो ट्रैड यूनियन (मजदूर समायें) भरकार से खालूत है वे औद्योगिक झगड़ों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इन ट्रैड यूनियनों को तान समूर्तों में जागा गया है।

(६) वे ट्रैड यूनियनें जिनके सदस्यों की संख्या उस घरे में लगे हुए मजदूरों की पाच प्रतिशत से कम नही है, रजिस्टर को प्रार्थना पत्र में अद्यती है और वे क्वालीफाइड ट्रैड यूनियन घोषित कर दी जावेंगी।

(७) वे ट्रैड यूनियनें जिनके सदस्यों की संख्या उस घरे में लगे हुए मजदूरों की पाच प्रतिशत से कम नही है और जिनमें उस घरे के ३५ प्रतिशत मालिकों या ट्रैड यूनियनों ने स्वीकार कर लिया हो, प्रथना पत्र दें मरक्ती है और वे 'रजिस्टर ट्रैड' यूनियन घोषित कर दी जावेंगी।

(८) एक यूनियन जो 'रजिस्टर ट्रैड यूनियन' है और समझौते मजदूरों का २५ प्रतिशत सदस्या विकले ६ महीने में उसकी सदस्य रहा है वह 'प्रतिनिधि यूनियन' 'Representative Union,' घोषित कर दी जा सकती है।

रजिस्टर का यह अधिकार है कि वह किसी यूनियन को रजिस्टर

करना अस्वीकार करद यदि उसे यह प्रिवास हा जाव कि रजिस्ट्रा का प्राथना पत्र मनदूरों के द्वित में नहीं बरन मालिकों के द्वित में है। यह विधान इस लिए बनाया गया है कि मिल मालिकों द्वारा प्राप्ताहिन “कपनी यूनियनों” की स्थापना न हो सके। इन तीनों प्रकार की ट्रैड यूनियनों को यह अधिकार दिया गया है कि ये उन आदानिक मण्डलों में जिनम कि उनक अधिकार मन्दिरों का सम्बाध हो अपने प्रतिविधि भेजें। एकट के अनुमार मालिक इन ट्रैड यूनियनों के प्रतिविधियों से मण्डलों के सम्बन्ध म बात चात करने के लिए दाख्य है। यद्यपि एकट मिल मालिकों को प्रत्यक्ष स्पष्ट से इन ट्रैड यूनियनों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करता परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मिल मालिकों को एक ने ट्रैड यूनियनों को स्वाक्षर करने के लिए विवश कर दिया है।

(६) एक के अन्तर इस बात का भी प्रबाध कर दिया गया है कि मिल मालिक किसी मनदूर या कमचारी को ट्रैड यूनियन के काय न भाग लेने के कारण किसी बहाते हानि नहीं पहुँचा सकते। कोई मालिक किसी व्यक्ति को ट्रैड यूनियन में काम बरने के कारण निराल नहीं सकता और न उसकी अवनति हा कर सकता है।

इस कानून का अवहेलना करने पर कानून के अद्वार क्षेत्र दण्ड की व्यवस्था है।

इस कानून म १६४१ म एक महत्वपूण सशाधन दर दिया गया है। कुछ घारों में मण्डल उठ रहा होते पर “पचायत” अनियाय कर दी गह है और प्राताय सरकार को यह अधिकार द दिया है कि यदि किसी श्रीयोगिक मण्डल स जनता का घोर वष हो या घारों का बहुत हानि हो तो वह उस मण्डलों को पचायत या श्रीयोगिक अदालत के सुपुद कर द।

भारतीय ट्रैड यूनियन एकट १६४६

१६४६ मे विभिन्न मिलों में हहताल बराने पर उक्त मिल के

मन्त्रदूर सम्बन्धी कानून

मालिकों न मदरास लेपर यूनियन के पदाधिकारियों के विलद सुकदमा रायर कर दिया था और अदाकात ने उनके विलद डिगरी दे दी थी। तब मे ही टूटे यूनियन को कानून सरकार दिलवाने के लिए प्रयत्न किया गया और १९७६ म उन्हें कानून बना। इस कानून का उद्देश्य यूनियनों को कानूनों द्वारा देना और उह इकाईों के सम्बन्ध में पौँजी द्वारा तथा माल के जुर्म से भुक्त कर दना है। उसका मुख्य धाराएँ नाम लिखी हैं।

(१) मालदूरों की कोइ भी सम्या टूटे यूनियनों के रजिस्टर को रजिस्टरने के लिए प्राथमा पत्र में सकता है और यदि रजिस्टर को इस बात का सतोप हो जाये कि वह सम्या टूटे यूनियन का कार्य करने के लिए बनाइ गई है तो वह उसकी रजिस्टर करने के उपरात उसे एक रजिस्टर का प्रमाण पत्र देनगा।

(२) टूटे यूनियन के साधारण कोप में से हप्ता के बीच टूटे यूनियन के वामविक कार्यों के लिए ही व्यय किया जा सकता है। अन्य कार्यों के लिए साधारण कोप में घन व्यय नहीं किया जा सकता।

(३) टूटे यूनियन राजनीतिक कार्यों के लिए एक विशेष राजनीतिक कोप शायित कर सकती है और अपने सदस्यों से उनके लिए चदा ले सकती है। किन्तु यदि कोइ सदस्य उस राजनीतिक कोप में चदा न ले जाए तो उसको टूटे यूनियन की मददगार से हटाया नहीं जा सकता।

(४) नो टूटे यूनियन रजिस्टर है उनके विलद इकाई के सम्बन्ध में कोइ सुरक्षा नहीं चाहाया जा सकता।

(५) कम से कम टूटे यूनियन के आधे पदाधिकारी सवय मन्त्रदूर होने चाहिये जो इस धर्म गति कार्य करते हों जिसका सम्बन्ध टूटे यूनियन में है। यह व्यवस्था इस लिए की गई है कि नियम साहूर के व्यवस्था टूटे यूनियन को न दिया जाए।

(६) प्रतिशत टूटे यूनियन को अपना हिमाय रजिस्टर के पास प्रतिपत्ति में जाना पड़ता है। उह पदाधिकारियों में यदि कोइ परिवर्तन हो

अधिकार नियमा में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना भी दर्ता होती है।

इस प्रवर्त के बन जाने से ट्रॉड यूनियनों का कानूनी दर्जा बहुत ऊँचा हो गया है। अब इह इताल कानून ने दो ट्रॉड यूनियनों को और भी अधिक महत्व प्रदान कर दिया है। अब इह इताल कानून ट्रॉड यूनियनों के स्वाभाविक विकास में बहुत महायक मिहि हो रहा है।

मजदूरों की सुख सुविधा सम्बन्धी कानून

फैक्ट्री एक्ट में सफाड़, स्वास्थ्य, सुरक्षा इयादि के सम्बन्ध में जो विधान कर दिया गया है, तथा नो मजदूरों की सुख सुविधा के कार्य स्वतंत्र हर से मिज्ज भाग्निक अपने कारबानों म बरते हैं, उनको घोड़कर मजदूरों की सुख सुविधा के खिलाफ में यदि कोई कानून है तो वह मजदूर शिर्या के बाच्चा उत्पान होन के समय उह सपेतन छुट्टा देने व सम्बन्ध में है। १९२६ म सर प्रथम अम्बेड़ेर मेरनिंग ऐन बना (जो १९३४ में संशोधित हुआ) इसके उपरान्त अमरा मत्यप्राप्त (१९३०) मदरास (१९३२) न्हका (१९३६) सयुक्तप्राप्त (१९३८) बगाल (१९३६) आसाम (१९४०) के द्वीय साकार का कोयले की खानों सम्बन्धी एक (Mines Ventilation Benefit Act 1941) बनाये गये। के द्वीय सरकार का खानों सम्बन्धी मानव लाभ एक अभी केवल कोयले की खानों में लागू है।

इन खानों की सुरक्षा सुरक्षा बात लगभग एवसी है। इन कानूनों के अनुसार प्रत्येक मालिक को खी मादूर को विसने के क्षमता या खान में जगातार एक निश्चित समय तक काम कर लिया है (अधिकतर प्रत्येक भ यह अवधि ६ महिन की है) बच्चा हान से पहले और बाद को एक निश्चित अवधि (४ सप्ताह पहले और ४ सप्ताह बाद को) की छुट्टी दी जायगी और छुट्टी के समय कुछ अलाउड-स रता होगा। कितनी अवधि तक जगातार काम करने पर स्वा मजदूर छुट्टी अलाउड-स की हड्डियां हो जायेगी, छुट्टी बचा होने से पहली और बाद उन्ह मिलाकर

किसने अप्पाह को होगी और छुट्टी के समय में कितना अलाडन्य मिलेगा, यह भित्ति एकटो म भित्ति है, परन्तु मूल मिळाल सभी में पक हो है। जीवे भित्ति भित्ति प्रावेश के कानूनों का व्योरा दिया जाता है।

मिल-भित्ति प्रावेश में मानृत्यु लाभ कानून

नाम प्रावेश	अधिकारियों जिसमें लागी जाएगी। काम करने पर स्थीर मन्त्रालय लाभ दूर अलाड म और राने का अधिक छुट्टी की अधिकारी हो जाती है	मानृत्यु लाभ से अधिक ममता	मानृत्यु लाभ का दर
१ अप्पाह	३	८	८ आना प्रति दिन या औमत दैनिक मनदूरी जो भी कम हो
२ मिष्य	३	८	{
३ मन्त्रप्रावेश			
मरार	४	८	उपर के अनुमान
४ अल्लमेर			
मेरवाहा	१२	६	११ " "
५ आमाम	३	८	११ " "
६ मद्रास	३	९	८ आना प्रतिदिन उपर के अनुमान
७ नेहली	४	८	८ आना प्रतिदिन या औमत दैनिक मनदूरी जो भी अधिक हो।
८ मधुकनप्रावेश			
९ इंगाले	६	८	उपर के अनुमान

मद्रास और बगाल मानृत्यु लाभ कानूनों में एक विशेषता यह है कि उनमें इस भाव का भा ममता दर कर दिया गया है कि यह मालिक स्त्री मनदूर को मानृत्यु लाभ के देने से बचने के लिए नौकरी से हर ने तो उसको दूर कर दिया चाहे। मद्रास कानून में यह विधान किया गया है कि मालिक यहां होने के ३ महीने एवं उसी मनदूर को नौकरी से हटाने

अत्तगत इस धात का विधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी करणा, मान, देलवे स्टेशन, या बद्रगाह में इस उद्देश्य से घुमता हो कि वह अपना स्थान मनदूर से बसूल करगा तो उसको ६ महीने तक की सना हा सकता है। यह कानून १९४० में मशोधित हो गया है। अब आर भा कडाड़ के साथ महाजन का उस धान का खेता बनित रर दिया गया है, जहाँ कि मनदूर को उसका बेतन मिलता है। साथ ही रल, डाक, तार, विमली इत्यादि जन उपयोगी धधा और समुद्री जहानों पर काम करने वालों का भी इस कानून के अन्तर्गत सरकार प्रदान कर दिया गया है।

पजाब कर्जदारी कानून (१९३५)

पजाब कानून में एक शासी व्यक्ति (judgment debtor) जिसके क्रण के सम्बन्ध में न्यायालय ने ऐसला द दिया है, क्रण का चुकाने में असमर्थ होने पर बैंद नहीं किया जा सकता। वह केवल उसी दशा में बद किया जा सकता है कि जब वह उस क्रण को जो कि उसकी चुकाने की जमता के अद्वार है, अपनी उस सम्पत्ति को बेचकर चुकाने से इनकार करता है जो कि कुर्क हो सकता है।

वेन्द्रीय सिपिल प्रोमीजोर एकट मशोधन कानून १९३०

इस कानून के अर्तांत शासी व्यक्ति को उस समय तक बद नहा किया जा सकता, जब तक यह प्रमाणित न हो कि वह अपने स्थान को छोड़ बर अदालत के खेत्र के बाहर जाना चाहता है, अथवा यह बहमाना से अपनी सम्पत्ति को इसी दूसरे के नाम करता है जब कि शासी व्यक्ति उस सम्पत्ति को बच कर क्रण की चुकाने की जमता रखता है, जो कि कुक का जा सकता है, निससे कि अदालत का फैसला बाय रूप में परिणित न हो सके।

केंद्राय कानून बेवज उद्योग धधो में काम करने वाल मनदूरों की लिये जागू नहीं है, बरा आ सभी कर्मारों के लिए जागू होता है निनका न्यायालय रे ऐसला हो चुका है।

श्री राज्यों के मनदूर कानून

विनिश भारत में मनदूर मण्डरी कानून के बनने से श्री राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा और कुछ देशी राज्यों ने मनदूर कानून बनाये हैं। अग्रिकाश नशा राज्यों में आन भी मनदूर कानून नहीं है। ज्यान में इमर्जे का चात यह है कि विनिश भारत में नज से राष्ट्राध्य आगोलन प्रयत्न हुआ आर उमके फलभवनप मनदूरा में भी वर्ग चैतन्य का रुख्य हुआ तब से अमरा पूर्णीपति अपनी पूजी विनिश भारत में न लगा कर नगी गाजों में लगा रहे हैं। देशी राज्यों में आध कर वया आन्य कर नहीं है। मनदूर कानून या तो ही ही नहीं और यहि ही भी तो उनका क्षमारता से पालन नहीं होता। नशा राज्यों में मनदूर आगोलन नाम आत्र वो भी नहीं है और यहि कहाँ मनदूर यगदन हैं भी तो ये अग्रसन हैं क्योंकि नशा मनदूरों के अग्रसन को कभी भी सहन नहीं करते। पूर्णीपति चहुथा नरेश को प्रति वप कुछ इकम नहीं है या कम्पनियों में उनका हिस्से नहीं है। राज्य के मरी इत्यानि उनके दायरेकर्त्ता में होते हैं। ऐसी नशा में यहि राज्य में मनदूर पट्ट हों भी तो उनका शक से कभी पालन नहीं होता। यहा मध कारण है कि पिछले चीम वर्षों में नशा राज्य में बदा तना ये कैरिया स्थापित हुए हैं और आन भा हो रहा है। उनम कुछ नेत्री राज्यों न विनिश भारत के कानूनों के आधार पर मनदूर कानून बनाये हैं—उनमें सुख्य राज्य नीच विन इस्मृ, बद्दीग, हिन्दुगार, हद्दीर, ग्रावनकोर और कोचीन। इनमें अग्रिकाश वियामगों के कानूनों में ६० घंटे शाम की आदा दी हुई है।

१६३० में भारत मरकार न नशा राज्यों के सम्बन्ध में एक नाच बरताइ थी। उस सम कुछ धर्म राज्यों में कैरिया, खाता, खानें, या रेहष पा बदरगाह थ किन्तु केवल २३ में नाम आध के मनदूर कानून बन दूष थे। १६३० के उपरान्त नशा राज्यों में बहुत तेजी से कारवानों की रथापना हुई है। अबतो छोटे से छोटे राज्यों में भी जोते से कैरियों

की स्थापना का काम चल रहा है और लगभग भभी राज्यों में जहा रेल कारबाने मुनते जा रहे हैं। यद्यपि उन वर्षों में मनदूर कानून भी बहुत से राज्यों में उन है परन्तु पिर भी अधिकार देगा राज्यों में कोइ मजदूर कानून नहीं है। जहाँ मजदूर कानून है भी वे त्रिभिंश भारत व कानूनों की तुलना में खुल ही पाये हैं। पिर उन कानूनों का भी टीक तरह से पालन नहीं होता। अस्तु यह स्पष्ट है कि आज राज्यों में मनदरों की दशा और भी दयनीय है।

उपसहार

द्वितीय मन्दुष्ट (१८३८ ४२) में बुद्ध कारबानी में नहा युद्धाप योगी वम्नुओं का निमण होता या अस्थायी स्प से काम के घरों को बढ़ा कर ६० प्रति सप्ताह वर दिया गया या बोयले की व्वानों में खियों को पृथ्वी के अद्वार काम करों की आना नेशी गड़ किंतु युद्ध जनित मक्क टलते ही, यह अस्थायी छूट पिर वापस ले ली गड़।

यही नर्ने युद्ध के उपरात जहा नेश की औद्योगिक डलति की भवेक योजनाय उपस्थित की जारही है वहा मनदूर कानूनों में भी आवश्यक मुधार और परिवनन करने की चेष्टा की जारही है। १८४८ के नवम्बर दिम्बर मास में भारत सरकार के तत्कालीन मजदूर मदस्य एवं अम्बेडकर की द्वायता में जो सरकार, मिल मालिकों तथा मनदूरों क प्रतिनिधियों का त्रिलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें काम के घटों को २५ से घटा कर ४८ करने, न्यूनतम मनदूरी कानून बनाने, तथा अच्य कानून बनाने की यात तय हुड़ थी। अस्तु यह आशा है कि नवीन फैकरी एवं में काम के घटे घटा कर ४८ कर दिये जायेंगे तथा न्यूनतम मनदूरी कानून अवश्य यन जावेगा।

अस्तु जहा तक यादर से नेत्रने से ज्ञात होता है, भारतीय मनदूर-कानून अन्य दरों की सुलना में पीछे नहीं है। परन्तु केवल कानून बन जाने से ही मनदूरों को पूरा सरक्षण मिल जाये यह आवश्यक नहीं है।

कानूनों का पायदी कैसी होती है, इस पर मजदूरों की दशा बहुत कुछ निर्भर रहता है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत में मजदूर कानूनों को पायदी करनेवाले साथ नहीं होता। पहले तो भारतीय मजदूर गूँज रूप से समिति नहीं हैं, इस कारण फैक्टरियों के अद्वारा कानूनों का अवहलना रोकने का साधन ही निगल है। दूसरे, भरकार डॉकर भनानीत के इसी इन्स्पेक्टर डॉकर के कम हैं कि वे फैक्टरियों का भवा भानि निरीचण नहीं कर पाते। वर्ष में एक चार घो औ बार निरीचण होने से कानून का ठाक पावड़ा होता कठिन है। जो कारखाने द्वारा दानी नहो आर कस्ता में हैं, वहाँ फैक्टरा इन्स्पेक्टर मिलनीने जरुर का अतिथि होता है, उसको मवारा का उपयाग करता है, फिर वह फैक्टरा का चज्जता फिरता निरीचण करता है। दसीएड्यर्ड म तो निरीचण केवल एक दिवावा मात्र होता है। तासरे, यदि कोड गैर कानूनी आत पहुँची भा गड़े तो भी बहुत इक्का दृष्ट दिया जाता है। यहुवा सा चेतावना कर छाह दिया जाता है। जेवर कमीशन तक को यह आत स्वीकार करना पढ़ी कि भिन्न भिन्न प्रान्तों में कानूनों की पायदी एक-सी नहीं होता। यिहार, उडामा और शामाज में अत्यधिक नामा बहतो जाती है। यही नहीं, अविकाश प्रान्तों में आर एक ही जुर्म करने पर भा नाम मात्र का जुर्माना होता है।

आवश्यकता इस आत को है कि प्रथ्येक व्यान म कुछ गैर-भरकारा के इस निरोक्त नियुक्त किये जाव और उम्ह फैक्टरियों के निरीचण का अधिकार दिया जाव। माप ही कानून की अवहलना होने पर कहाँ भ दृष्ट दिया जाव। तभा मनदूरों को उचित सरकण मिल सकता है।

इस व्यवस्था में एक आत और भा व्यान देव याप्त है कि आगे चल कर भिन्न मिल प्रान्तों और दशीराज्यों म यदि मजदूर कानूनों म अधिक भिन्नता हो गइ तो वह कानून का प्रगति को राक दगा। डदाहरण के लिए यदि एक प्रान्त का सरकार अविक प्रगतिशाल है और पहामो देशी राज्य अपना प्रान्त हे मजदूर कानून पिछड़े हुए हों तो प्रगतिशील प्रान्त ही आंतरिक उपलब्धि एक महनी है। वहाँ की ऐसी अन्य व्यानों पर

जाकर लगेगी। ऐसी दशा में दो प्रान्तों या देशी राज्यों के मजदूरों की दशा में बहुत भेद हो जायेगा, जो कि उचित न होगा।

एक और भी समस्या है, जिसकी ओर अभी तक किसी ने भा प्यान नहीं दिया है। भारत में फैक्टरिया के अन्दर काम करने वालों की सख्त बहुत कम है। खेती के मजदूरों, छोटे छोटे काम धर्घों में काय करने वालों की सख्त बहुत ही अधिक है, किन्तु अभी तक उनको कोई कानूनी सरक्षण नहीं मिला है।

सन् १९४६ के बुछ नये कानून

काम के घटे

१९४६ में मजदूरों से सम्बंधित कई कानून पास हुए, उनमें सब से महत्वपूर्ण १९४४ के फैक्टरी एक्ट का सशोधन था। इस कानून के अनुसार कारखानों में काम के घर्ग को ४४ प्रति सप्ताह से घरा कर ४८ कर दिया गया और मासमां कारखानों में काम के घर्गों को ६० से घरा कर ५० कर दिया। किन्तु प्रातीय मरकारों को यह अधिकार द दिया गया कि यदि वे चाह तो किसी धर्घे को इस नवोन कानून से मुक्त कर सकती हैं। अर्थात् यदि प्रान्तीय मरकार चाहे तो किसी धर्घे विशेष को पूर्ववत् ४४ घटे प्रति सप्ताह काम करने की अनुमति द सकती है। इस कानून की एक अन्य धारा से ओवरटाइम (निर्धारित काम के घर्गों से अधिक) काम लेने पर दुगने रेट से मजदूरी दने की स्वतंत्रता की गई है। अभी तक यदि ओवरटाइम काम लिया जाये तो केवल द्व्योही दर से मजदूरी दी जाती थी। किन्तु अब ओवरटाइम काम करने पर मजदूर को दुगने रेट से मजदूरी दी दी जाएगी। कानून का उद्देश्य यह है कि ओवरटाइम काम न लिया जाये। यह कानून १ अगस्त १९४६ से लगा दिया गया।

सबेतन लुट्ठी

उससे पूर्व ही फैक्टरी एक्ट का १९४५ में सशोधन हो गया था,

जिसको १ जनवरी १९४६ में लागू किया गया। इस कानून के अनुसार प्रातीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे मनदूरों को संवेतन छुट्टी और नेते के सम्बन्ध में नियम बनावें। इस कानून के अन्तर्गत प्रातीय सरकारों ने नियम बनाकर प्रत्येक कारत्ताने में मनदूरों को वप में १० दिन की छुट्टी देने का नियम बना दिया है। एक वर्ष में मनदूरों को १० दिन की संवेतन छुट्टी मिलती है, किन्तु यह मनदूर ने कारत्ताने में एक वर्ष पूरा नहीं किया, उस मनदूर को यह अधिकार नहीं है अर्थात् उसे संवेतन छुट्टी नहीं मिल सकती। दूसरे शब्दों में यहे मनदूर जब तक एक वर्ष पूरा न कर लें, तब तक ये दस दिन की संवेतन छुट्टी के हकदार नहीं होते। पुराने मनदूरों के सम्बन्ध में भी यह शर्त है कि यह यह वर्ष में १० दिन से अधिक गिरहाजिर होते हैं तो उनको १० दिन की संवेतन सहित दो नहीं मिलती।

न्यूनतम मनदूरी विल

भारत सरकार ने जनवरा १९४६ में न्यूनतम मनदूरी कानून बनाने के उद्देश्य से एक विज्ञ तैयार किया, जो कि मनदूर सभों तथा मिल मालिक सभों के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा गया है। इस विल के अनुसार सभा उद्योग धर्थों, व्यापार तथा गैरिमें काम करने वालों का न्यूनतम मनदूरा नियारित कर दा जायेगी। कानून यह जाने के उपरान्त जो वर्ष के अन्दर प्रातीय सरकारे प्रत्येक धर्थे आर लिता में न्यूनतम मनदूरी नियारित कर देंगी। न्यूनतम मनदूरा कितनी नियारित होगा, इसका नियाय करने के पूर्ण प्रातीय सरकार कमेटियाँ दिग्गजगा निवास में मानदूरों तथा मिल मालिकों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। ऐसे ही आया है कि शीघ्र ही भारत में न्यूनतम मनदूरा कानून बन जावगा।

भारत सरकार की पचार्यीय योजना

१९४६ के अंत में भारत-सरकार ने मनदूरों की दशा में सुधार करने की दृष्टि से एक पञ्चवर्षीय योजना तैयार की और उसको मिल

मालिकों तथा अमज्जीवी समस्याओं में हचि रमने वालों के पास सम्मति के लिए भेजा। इस पञ्चवर्षीय योग्यता के नियार करने में भारत सरकार को १९३१ के शाही ब्रेयर कमीशन का मजदूरों के स्वास्थ्य तथा उनकी कार्यक्षमता का बान के लिये कागड़ मिफारिशों तथा 'रेन कमेंट' की रिपोर्ट से विशेष प्ररणा मिली थी। १९४४ में भारत सरकार ने उद्योग धर्यों में लगे हुए मजदूरों की मजदूरा, उनकी नीकरी की शर्तें तथा रहने के मकानों की समस्या को आउ करन के लिए कमेंट विराझ़ में। इस कमेंट ने इच्छ धर्यों को नाच का आर मजदूरों से सम्बन्धित यहुत ही उपयोगी आर मूल्यवान सामग्री इकट्ठी का। कमेंट ने नीचे लिखे दोष पाये, जिनका दूर करना निता त आवश्यक है। १ अधिकाश नवों में मजदूरी का दर यहुत नीचा है। २ धर्यों में नीकरी का शर्तों तथा मजदूरों की दर का कोड एक मापदण्ड [स्टैडिंग] निर्धारित नहीं है। ३ महगाइ के भत्ते का अलाउन्म भी एक समान सब तगड़ और सब धर्यों में नहीं दिया जाता। ४ मजदूर भरता करने उनकी उक्ति तथा उनकी वरक्षास्तगी की पड़ति यहुत ही दोषपूण है, जिससे धसखोरी को प्रोत्त्वाहन मिलता है और मजदूरों का शोषण होता है। ५ जिस दशा में मजदूरों को कारग्यानों में काम करना पड़ता है, वह अत्यात अवाञ्छनीय है और मजदूरों की कार्यक्षमता तथा उनके स्वास्थ्य को नष्ट करता है। इसका मुल्य कारण यह है कि पैकरो कानूनों की अवहेलना होती है और उनके अंतर्गत कारग्यानों का ठीक निरीक्षण तथा दखलमाल नहीं होती। ६ जब मजदूर बीमार होते हैं तो उनकी चिकित्सा का उचित प्रब्रध नहा है आर न उनसा बीमारी के भत्ते देने की ही व्यवस्था है। ७ रहने के मकानों का समस्या अप्यंत विकट है मजदूरों का नार्कीय नीवन व्यतीत करने पर विवश होना पड़ता है।

कमेंट की उक्त रिपोर्ट ने भारत सरकार के ध्यान का विशेष रूप से आकर्षित किया और उसने मजदूरा का ज्ञा म सुधार करने के उद्देश्य से उक्त पञ्चवर्षीय योग्यता तैयार की।

इस पचार्पीय योजना में मनदूरों की सभी प्रमुख समस्याओं पर विचार किया गया है,—अध्यान् मनदूरों, काम के घट, फैक्टरियों में काम इस प्रकार होता है, वहां की जगा देसी है, रहने के मकानों की समस्या, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सम्बन्धा उपाय, मनदूरों और मालिकों का सम्बन्ध इत्यादि। पचार्पीय योजना में केवल कारब्यानों में काम करने वाले मनदूरों के बारे में हो विचार नहीं किया गया है, बरन् सेती, गांगो (चाय इत्यादि के) व्यापारिक फर्मों तथा इमारतें बनाने के काम में लगे हुए मनदूरों के बारे में मा विचार किया गया है। उक्त योजना में मनदूरों से सम्बन्धित सभी तथ्यों, आँकड़ों को दृष्टिकोण से अन्वेषित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत इन्डियन लेवर काफरेस, स्टेंडिंग लेवर बमेटिया और कोयले, जूर, सूतोग्रन्थ चाय के बांगो तथा इन नियरिंग धर्घों के लिए दृष्टिकोण कमेटिया विठाइ लावगी। इन समस्याओं का सुल्य उहेण्य मनदूर समस्याओं का अध्ययन करना और उनकी जगा दो किस प्रकार भुवारा जा सकता है, इस सम्बन्ध में सुझाव उपलब्ध करना है।

न्यूनतम मनदूरी विल (१९४६)

१९४६ में नव मनदूर वग अन्यान चुध दा उठा और भद्रगाड़ के पलस्वरूप देश में हृष्टालों का ताता मा लग गया, तब भारत सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुमार एक न्यूनतम मनदूरी विल तंयार किया और उसको मिल मालिकों के भयों के पास भेजा। इस विल के अन्तर्गत सभी उद्योग धर्घा, व्यापार तथा इयि में भी न्यूनतम मनदूरा नियारित करने की व्यवस्था है। इस विल में इस का विधान है कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मनदूरी कानून बना दिये जाने पर प्राचार्य सरकारें धर्घों तथा खेती म काम करने वाले मनदूरों के लिए न्यूनतम मनदूरी नियारित कर दे। कितनी मनदूरी नियारित की जाए, इसका निषय करने को प्राचार्य सरकारें कमेटिया विठावेंगी, जिनमें आधे सहाय

मिल मालिकों के तथा आधे सदस्य मनदूर्दा के प्रतिनिधि होंगे।

यह विल एसेम्बली में उपस्थित कर दिया गया है किंतु उस पर विचार नहीं हो सका है। आशा है कि शीघ्र ही भारत में सभी धर्म में स्थूनतम् भन्दूरी कानून लागू हो जावेगा।

हडताल सम्बद्धी विल

यह सो पहले हो कह चुके हैं कि बम्बई में हडताल सम्बद्धा कानून १९३८ में बना था। १९४६ में कानून का संशोधन किया गया और वह केवल वस्त्र अयमात्र में ही नहीं, बरन् सभी धर्मों में लागू कर दिया गया।

याद का अध्यप्रात्, सयुक्तप्रा त और मदराम को प्रान्तीय सरकार न बम्बई के भवृशा हडताल सम्बद्धा कानून बनाने की इच्छा प्रस्तु की। अयप्रात् ने तो एक कानून बना भी दिया। किन्तु भारत सरकार ने उस बम्बई क सदृश एक हडताल सम्बद्धी कानून बनाने की घोषणा की तो सयुक्तप्रा त तथा मदरास ने अपने विल धापस खो लिए।

भारत सरकार का हडताल सम्बद्धी विल (१९४६) बम्बई हडताल सम्बद्धा कानून पर आधित है। इस विल पर एसेम्बली में वयेट बहस होने के उपरान्त उसे मिक्केकर कमेटी के सुपुर्दे कर दिया गया है और आशा है कि वह शायद ही एकट के रूप में आ जावेगा।

इस कानून क अनुसार दो नगीन सस्थाधों की स्थापना की जावेगी। इन संस्थाओं का कार्य हडतालों को रोकना और मिल मालिकों तथा मनदोरों के फ़गाईं को निपटना है। पहली सस्था 'वक्स कमेटी' होगी निम्नमें भन्दूरों और मिल-मालिकों के प्रतिनिधि होंगे। दूसरी सस्था का नाम 'अंग्रेजिक ट्रियूनल' है। इसके सदस्यों की योग्यता हाइकोर के नना का याग्यता के भवान होगी। इस कानून के अंतर्गत सरकार का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी फ़गाई को ट्रियूनल के पास फैसले के लिए भेज द अग्रवा पक्ष नियुक्त कर द और उनके फैसले को दोनों पक्षों पर लागू कर दे। 'वक्स कमेटियों' का कठम्य यह होगा

कि जो भी कोइं नवीन परिवहन कारपाने में होगा अथवा यदि मजदूरों की कोड मांग होगी तो सर्वसे पहले वह 'वर्स कमेंट' के मामले दरपालित की जावेगी। यदि वहां कोड समझौता न हो सकेगा तो फिर सरकार दस महाडे को पव के सुपुर्द कर देगी अथवा ट्रिब्यूनल को फैसले के लिये दे देगी, तब तक दोनों पहल क्रमग द्वारा वरीध अथवा हडताल नहीं कर सकेंगे।

मजदूर सघ की स्वीकृति मन्दन्या विज (Trade Union Recognition Bill)

१९४६ में भारत सरकार ने ट्रेड यूनियनों की स्वीकृति के मध्य में एक विज एमेंबली में उपस्थित किया था। जब विज पर बहस हो रही थी तो कुछ महस्यों ने जातिगत ट्रेड यूनियनों को स्वीकृति के प्रश्न को भी उठाया। परन्तु अधिकार धारा सभा के सदस्यों का भव या कि जातिगत मजदूर सघ मजदूरों के हितों के विषय होंगे। अस्तु, हिन्दू अथवा मुस्लिम मजदूर सघों की स्वीकार न किया जावे। यह विज मिलेकट कमेटी को विचार के लिए दे दिया गया है और आशा है कि शायद ही कानून बन जावेगा।

कैन्टीन गिल

भारत सरकार न एक विज इस आवश्यक के द्वारा भारा सभा में उपस्थित किया है कि विष कारस्ताने में २५० मजदूरों में अधिक काम करते हों, तदा कैन्टीन अवश्य स्थापित किये जावें। याप ही, इस विज के अवश्यक प्रान्तीय भरकारों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे कैन्टीन किस प्रकार के हरा, दस मम्बाय म भी नियम बना दें।

मजदूर राजसीय बीमा कानून (Workmen's State Insurance Act 1946)

१९४६ में एक अस्थात माम्बरैल कानून बनाया गया, जिसके छिप

तीन वर्षों से तैयारिया हो रही थी। मजदूरों के स्वास्थ्य के बीमे के सम्बन्ध में जो घोषना थी, उसको कार्यस्थल में परिणत करने के लिए यह प्रबन्ध पाप किया गया है। मजदूरों के हम 'स्वास्थ्य बीमा पक्का' के अंतर्गत भी मध्याह्न अथवा वर्ष भर चलने वाली प्रैवरियों में काम करने वाले कमचारी—फिर जाहे व शारीरिक परिव्रम करते हो अथवा नहा, चाहे व मध्याह्न मनदूर हों अथवा घोड़ दिनों के लिए रखले गये हों—बीमा के लाभ के अधिकारी हैं। भौमिकाओं को इस कानून से मुक्त कर दिया गया है। इस बीमा कानून के अंतर्गत यदि कोई मजदूर बीमार हो जावे, मजदूर स्त्री के बच्चा उत्पत्त हो आर काम करते समय मजदूर को खोट लग जाय तो मनदूर को कुछ अलाइन दिया जावेगा। जिन मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा इस गया है, उनके बीमार पन्ने पर सरकार द्वारा स्थापित विशेष अस्पतालों में उनकी चिकित्सा कराइ जावेगा। एक वर्षमें इश्यारम कोर स्थापित की जावेगी तो कि बीमा सम्बन्धी लावों का फैसला करगी। इसका प्रबन्ध एक कारपोरेशन के सुपुर्द किया जावेगा, जिसका नियमण केंद्रीय व्यवस्थापिका भी द्वारा होगा। कारपोरेशन का कार्य एक केंद्रीय घोड़ करेगा और स्वास्थ्य कोष (Health Fund) उसके अधिकार में रहेगा। यह केंद्रीय घोड़ उन मजदूरों को, जिनके शावा को स्वीकार कर लिया जावेगा इस स्वास्थ्य कोष में से नियांत्रित अलाइन देगा। इस काय के लिए एक कोष (एफ) स्थापित होगा, जिसमें मिल मालिक और मजदूर दोनों हो धन देंगे। जिन मजदूरों को इस शावा प्रति दिन से कम मिलता है, उसको इस कोष में कुछ नहा न होगा। इस कानून के अनुसार यथापि केंद्रीय घोड़ प्रातीय सरकार और केंद्रीय सरकार से दान स्वाकार कर सकेगा, किन्तु सरकार भी नियमित रूप से इस कोष में अपना दिस्मा देगी, ऐसा घोड़ विषयान नहीं है।

फैक्टरी कानून का संशोधन और परिवर्तन

अभी वृद्धि दिल हुए भारत मरकार ने बर्तमान फैक्टरी एक्ट में संशोधन और परिवर्तन करने के उद्देश्य से जनता का सूचनाय पक्का नया फैक्टरी वित्त प्रबाधित किया है, जो ग्राम हा कानून बनकर भारतीय कारबानी पर लागू होगा। भविष्य में भारतीय कारबानी का नियन्त्रण हमारा कानून के अनुरूप होना रहेगा, इस घटना दृष्टके सबैध में भारतीय मनदूरो का सम्बन्धियों का अवयवन करने वाले पात्रको तथा मनदूर कारबक्तव्यों को पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम उमरी सुन्दर घटनाओं का यहा विवरण करेंगे। यह कानून सम्पूर्ण पक्के प्रिस्ट १९४८ से लागू होगा, जो १९४४ के पुराने कानून को रद्द कर देगा। नये फैक्टरी कानून में नीचे लिखे गिए परिवर्तन किये गये हैं।

पहला परिवर्तन यो फैक्टरी की भाषा म ही किया गया है। अभी तक फैक्टरी घट भ्यान भाला जाना या छि निम्मे यात्रिक शक्ति का उपयोग किया जाने और नहा २० या उमसे अधिक व्यक्ति काम करते हों। इस नये कानून के अनुसार उन घटनों को भी अब फैक्टरी घोषित कर दिया जायेगा। नहा यात्रिक शक्ति का उपयोग न होता हो किन्तु २० या उमसे अधिक व्यक्ति काम करते हों। इनका दूसरे शब्द में यह अर्थ हुआ कि बहुत भ कारबार फैक्टरियों का भ्रेशी में आ जावेंगे और उनके मनदूरों का फैक्टरी कानून का भरपूर प्राप्त हो जायेगा।

अभी तक अनियन्त्रित घटों (unregulated industries) में फैक्टरी एक्ट की स्थाप्त्य, कान के घटे, रोगीनी, इवा के सम्बन्ध में जो घारायें लागू नहीं होती थीं, वे भी लागू होती, घटोंकि अनियन्त्रित कारबानी द्वारा काम के स्थानों की दूरा अत्यन्त अनीय है। इसके

अतिरिक्त नये फैक्टरी कानून में मोसमो और स्थायों कारखानों के भेद को समाप्त कर दिया गया है। अब मायमा कारखानों तथा स्थायी कारखानों में काम के घरों हन्यादि में कोइ अन्तर न रहेगा।

नये फैक्टरी कानून में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि प्राइवेट पुरष का न्यूनतम आयु १७ वर्ष से बढ़ा कर १८ वर्ष कर दी गई है और बालक मजदूरों की आयु १२ वर्ष से बढ़ा कर १३ कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि १८ वर्ष की आयु से बम का अधिकार प्रीड नहीं माना जावगा और उसे 'पूरे द घटे काम नहीं करने दिया जावगा और १३ वर्ष की आयु से कम का बालक कारखानों में काम न कर सकेगा। बालक मजदूरों के काम के घटा को नये फैक्टरी कानून में से घर बर छोड़ कर दिया गया है। प्रातोय सरकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि खतरनाक धार्डों के लिए यदि वे चाह तो बालक मजदूरों की न्यूनतम आयु को १३ वर्ष से भी अधिक कर दें।

मव में अधिक परिवर्तन वर्तमान एक के उस अध्याय में हिया गया है, जिसमा सम्बन्ध मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से था। नये एक में एक अध्याय के हायान पर तान अध्याय है,—१ स्वास्थ्य, २ सुरक्षा, ३ मजदूरों का द्वितीयधन। अभी तक कानून में कारखानों की सफाई, हवा, रोगना, तापक्रम, खतरनाक गदों धूत, चिनगारियों, लपटों और तेज चमक में मजदूरों का रखा करने के सम्बन्ध में कोइ स्पष्ट विधान नहीं था। तो कुछ भी घोटा सरकार ने मजदूरों को दिया गया था, यह बहुत कुछ फैक्टरी हन्मपक्षरों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। इसका परिणाम यह हाता था कि कारखानों में अन्यथिक तापक्रम, लप्त तथा चमक और गदों धूत के कारण मजदूरों के स्वास्थ्य को अपार हानि होती थी। इसके अतिरिक्त अलेक्सी रखा, फस्ट एन्ड विश्राम गृह शिशु पालन गृह नहाने घोने की सुविधाओं तथा मजदूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी वर्तमान कानून में समुचित विधान नहीं था। अब हून महत्वपूर्ण प्रहनों के

रम्भार में जा भा दपधाराये हैं, उनको विलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। इस यत्क के सिए निश्चित भानदृढ़ निधारित कर दिये हैं, जिन्हे प्रत्येक कारवाने को करना हा होगा। अब फैक्टरी इन्स्पेक्टर के हाथ में पह बात नहीं दो गढ़ है कि यदि आवश्यक समझे तो मिल मैननर को प्राप्ति के कि अमुक सुविधा भजदूरों को दी जावे।

इस विष्ण म कारवाना को इमारतों के सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान देन्मा गया है। वायु, रोगनी इयार्टि का मसुचित प्रबन्ध तभी हो सकता है, नव कि कारवानों का इमारतें ठोक प्रशार से बनी हो। अतएव इस विल के अन्वयत ग्रान्तीय मरकारों को अधिकार दे दिये गये हैं कि वे इमारतों के सम्बन्ध में नियंत्रण बनावें और अन्ह लागू करें। इस विल के अनुसार ग्रान्तीय मरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार का नियम बनादे कि दिसो भी नवे कारवाने की इमारत विना ग्रान्तीय मरकार की आना के नहीं बनाइ जावी और न बरामान इमारतों में कोड बुद्धि विना ग्रान्तीय मरकार का आना के को जावी। ग्रान्तीय मरकार कारवानों का इमारतों के नवगे तंयार करायेगी और उनका प्लान किम प्रकार का हो यह भी निधारित करेगी। प्रत्येक कारवाने को ग्रान्तीय मरकार में लायर्सम लेना होगा। लायर्सम के प्रायनायन के माध्य इमारत का प्रान तथा नवरा हृत्यादि मेज़ना होगा। इमका परिणाम यह होगा कि इमारतों के ऊपरांग यने होने से कारवानों में जो वायु तथा रोगनों का कमा रहती है और मन्त्रूरों के लिए मनग रहता है वह बहुत कष्ट दूर हो जावेगा।

विन में मधेतन छुट्टिया के बार म भा परिवर्तन हुआ है। मनदर सुविधा को दृष्टि में रखते हुए मधेतन छुट्टिया (वर्ष में १० दिन की) वर्ष म एक साथ न सेकर दो बार में ले सकेगा, साथ ही, वर्ष में २० दिन विना अधिकारियों को आना प्राप्त किये अनुपमित रहने पर भी वह निश्चला नहीं जा सकेगा।

इसमें कोइ सार्दी नहीं कि इस वर्ष के बन जाने में मञ्जूरों के

स्वास्थ्य, सुरक्षा और दित में तृदि होगा। यह कानून उत्तमान पैकरी प्रृष्ठ से आवा है, परंतु इसमें पक्की कमी है। जब तक ऐकरियों के निरीक्षण का उचित प्रयोग न हो, तब तक कानून में विशेष ज्ञान नहीं होगा। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रयोग आधोगिक केंद्र में अवैतनिक पैकरी निरीक्षक भी रखे जावें जो भवनाननीय चक्रित हो और मनदोरों के शुभचिनक हों।

ट्रोड डिस्ट्रिट्स एक्ट १९४७

१९४७ में भारत सरकार ने ट्रोड डिस्ट्रिट्स पृष्ठ बनाकर मिल मन्दूर तथा मालिकों के समय का कम करने का प्रयान किया है। इस कानून का उद्देश्य यही है कि कारखानों में हड़ताल तथा द्वारावरोध को जहां तक हो कम किया जावे, तिससे उपायन पर तुरा प्रभाव न पड़े आर उद्योग धर्मों में शान्ति रहे।

इस कानून के अनुसार प्राताय सरकार कियो भा कारखाने के मनदूरों तथा मालिकों के महाड़ को निवारने के लिये पृक्क समझौता कराने वाला अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि वह अधिकारा यमझौता कराने में असफल रहे तो सरकार उस महाड़ को पूरा जाच करने के लिये तथा निषय ने के लिये पृक्क ग्राहुदिकेशन बोड बिग सकता है। बोड की जानकारी के लिये तर्फा को समझौत करने के लिए पृक्क आधोगिक अदालत भा बिगड़ ना सकती है। बोड के निषय का किसा किसा नहा में सरकार नेनों पहा पर भी लागू कर सकता है, उहै उस फसले को मानना हा छागा। तिस समय समझौता आजिमर समझौता कराने का प्रयान कर रहा हो अथवा बाड़ मामले का जाँच कर रहा हो, उस समय हड़ताल करना गैर कानूना होगा। जो जनहित के घये हैं अथवा जो मूलभूत घये हैं, उनमें हड़ताल करने से पूर्व सरकार को भूचना दनी होगी। इस प्रकार घयों में हड़तालों पर अधिक प्रतिवाद लगा दिये गये हैं।

इस कानून के द्वारा मनदूरों के हड़ताल करने के मालिक अधिकार

पर कुठारावान हुआ है, यही इसका सबसे बड़ा दोष है। यद्यपि सरकार का रूप मजदूरों की आर सहानुभूतिपूण है और इस कानून के अन्तर्गत जो कैमले किए गए हैं, उनमें मजदूरों के हितों का ध्यान भी रखा गया है। फिर भी मनदूरों को उनके इस अधिकार से बचित किए जान का समर्थन नहीं दिया जा सकता।

न्यूनतम मजदूरों कानून

फ्रवरी १९३८ में भारतीय पालियामन्ट ने 'न्यूनतम मनदूरा विल स्वीकार कर लिया और अब वह शामिल ही कानून के रूप में शेर में लागू होगा। न्यूनतम मजदूरों को नियमित रूप से न्यूनतम मनदूरा दिलाने का यह पहला प्रयास है। मजदूरों का न्यूनतम अधिकार यह प्रयास अन्यत अशामनीय कहा जायेगा, यदि इस कानून के अन्तर्गत उचित नियम बने और उनका कडाह स पालन किया गया। किन्तु यदि न्यूनतम मनदूरों का अर्थ लिया गया कि एक प्रौढ़ को उतनी मनदूरी दी जाये कि वह किसी प्रकार अपना पेट मात्र भर भक्षण करने की गरीबी की रक्त मात्र कर सके तो इससे अधिक लाभ न होगा। न्यूनतम मनदूरा नियमित करते समय सरकार को इस खात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रौढ़ की मनदूरा कम से कम इतना हो कि जो उसकी कुभलता को बढ़ाने म सहायक हो और उसके परिवार के पालन-पोषण के लिए योग्य हो।

स्वीकृत विल के मुख्य अग नाचे हिस्ते हैं —

प्रान्तीय सरकार तथा कांग्रेस सरकार दो उद्याग भेजे में, निम्न का विल में मूर्ची दी हुड़ है, न्यूनतम मनदूरी नियमित करने का अधिकार होगा। न्यूनतम मनदूरा नियमित करने के लिए सरकार सलाहकार समिति तथा उप-समिति नियुक्त करगा। कांग्रेस सरकार प्रान्तीय सरकारों के न्यूनतम मनदूरी सम्बंधी बारों को सम्बद्धित करने के लिए वेन्ड्राय सलाहकार नोट्स स्थापित करेगी। न्यूनतम मनदूरा से कम मनदूरी मिलने के दारों पर नियम करने के लिए आयोजन

किया जावेगा ।

प्रमुख धर्मों के अतिरिक्त नीचे लिखे धर्मों में भी न्यूनतम मज़दूरी कानून लागू होगा — उन्होंने गलीचे, शरथवा कम्बल बनाने के कारबाने, चावल, आटा और दालों का मिलें, धीढ़र बनाने का पाठा, मोर बर्षों पर काम करने वाले, सहक और मकानों का कार्य करने वाले, अमाल्य तथा चमड़े की छस्त्रें बनाने का उद्योग तेल परन का मिलें, लालू और अध्रक का उद्योग, खेत मज़दूर अथान् खेती में काम करने वाले, तथा गौशालाओं वाले हत्यादि में काम करने वाले शमिल । प्राताय सरकारों को उलिङ्गित उद्योगों के अतिरिक्त अब उद्योगों को भी भूमि में मम्मिलित कर लेने का अधिकार दिया गया है ।

इस कानून के बन जान से लगभग १० करोड़ शमिलों पर प्रभाव पड़ेगा । इस कानून के अंतर्गत लगभग ७ करोड़ हृषि शमिलों के जीवन स्तर में परिवर्तन होने की सम्भावना है । इसमें काइ सदह नहीं कि खेती में लगे हुए मज़दूरों तथा छोटे मोटे पुर्कर धार्धा में लगे हुए मज़दूरों को सरकार प्रदान करने के कारण इस कानून का बहुत प्रभावक प्रभाव होगा । परन्तु यह सब तभी होगा जब कि न्यूनतम मज़दूरी निधारित करते समय बदार ट्रिटिकोण रखता जाव और जो भी मज़दूरी निधारित की जावे, उसको कड़ाइ से कागू किया जाव ।

पूजीपतियों ने अभी से इसका, विरोध करना आम कर दिया है और वे कहने लगे हैं कि इससे धर्मों का उत्पादन व्यथा वा जावेगा, अश में धर्मों की अवनति होने लगेगी, उद्योग धर्मे इस भार का सहन नहीं कर सकेंगे और व वार हो जावेंगे । इससे उत्पादन में कमी आयेगी और दश में उत्पादन सकू उपस्थित हो जावेगा इसका उत्तर माननीय अम मत्री से अवैश्वार्द्ध में दिया है । 'जो उद्योग धर्म अद्व भज दूरों वो न्यूनतम मज़दूरी नहीं द सकते, वे वास्तव म शमिलों के शोषण पर चबत हैं और राष्ट्र के हित म वाह बन्द ही हो जाना चाहिए । यदि राष्ट्र को कियो एसे धर्मों की अवश्यकता है तो सरकार उसको आर्थिक

सहायता देगी।” इससे सरकार की दृढ़ता प्रगट होती है। आशा है कि सरकार भविष्य में इसी दृढ़ता से उस नियम को लागू करेगी।

यह यह कह देना आवश्यक है कि पूँजीपतियों का विरोध सन्य के आधार पर 'नहीं है।' यदि मजदूरों को मजदूरी अधिक मिलेगा तो उनका नीबनन्दन ऊँचा होगा और उनकी कुशलता में उँदिं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि उत्पान्न-चयन नहीं बढ़ेगा। बहुत मेर अन्य देशों में न्यूनतम मजदूरी नियारित करने का यही परिणाम हुआ है। किन्तु इस बात की आवश्यकता है कि खेत मजदूरों और पुरकर छोट मोटे घरों में लगे हुए मनदूरों को भी समर्पित कर दिया जावे, नहीं तो असमर्पित होने की दशा में उह न्यूनतम मजदूरी कानून का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि नेशनी राज्यों में भी यह कानून लगाया जावे। नेशनी राज्यों में मजदूरों की अशा प्रान्ता के मजदूरों से भी गड़ बाती है।

छठा—परिच्छेद

मजदूरों के रहने के मकान

मजदूरों के लिए रहने के मकानों का ममम्या भारतवर के लिए काढ़ नह नहीं है। प्रथेव आधोगिक नेश मे यह ममम्या उठ चढ़ी हुठ है। पिउले पचास वर्षों में लगातार ग्राम निवासो नन समूह यहे बड़े आधो गिक तथा व्यापारिक बन्दों का ओर बहना रहा है। यही कारण है कि वस्तु, कलशना, मदराम, कराचा, कानपुर, लाहौर, दिल्ली, नागपुर, जयलपुर, मदुग, नमशेदपुर आदि बड़ा तना से बहत हुये और दमन देवने इन केंद्रों की नममरया कड़ गुरी हो गइ। इन बड़े यह नगरों में मन दूरों के रहने के लिए मकानों की ममम्या ने भयकर स्वय धारण कर लिया है। नगर की कमी के कारण भूमि का मूल्य कल्पनातीत यह गया है और

इसी कारण इन नगरों में वेदाद भाव हो गइ है। वस्तुस्थिति यह है कि वहा रहने के लिए मकान नहीं मिलते। एक कठिनाह यह भी है कि अभी तक उद्योग धर्घों की स्थापना बिना किसी सोच विचार आर योजना के हुइ है। कहा नये कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये, इसका ध्यान किये बिना हा यहे बड़े केंद्रों के मध्य में कारखाने स्थापित किये जाते रह है। इसका परिणाम यह होता है कि केंद्रों के मध्य में जहा कि वस ही बहुत भाव होता है, बहुत बड़ी संख्या में मज़दूर रहना चाहते हैं और मकानों की बड़ी विफ़राल रूप धारण कर लेता है। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद इत्यादि बड़े-बड़े आव्यासिक केंद्रों को दरिये। ऐसा प्रतीत होता है कि मनो कारणार्नों के बनान में किसी को हस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता हो नहा यी कि कारखाना ऐसे स्थान पर बनाया जाव, नहा काफी जगह हो। यहा कारण है कि इन धर्घों की स्थापना से बड़े-बड़े केंद्रों में अत्यधिक भीड़ गढ़गी आर बामारिया उत्पन्न होनी है। जहा धर्घों की स्थापना से इन केंद्रों की सञ्चालिक, बम्बव, वाणिज्य आर व्यापार में आवश्य जनक उत्पत्ति हुइ है वहाँ इन धर्घों के कारण औद्योगिक केंद्रों में दाय, गढ़गी बीमारी और भीड़ का बाहुल्य हो गया ह। इसी जा कारखाने छोटे छोटे स्थानों पर स्थापित हुए हैं उदाहरण के लिए शकर, रुइ के पेंच, गूर के पेंच इत्यादि, वहा मकानों की समझा ऐसी विकट नहीं है।

भीड़

भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में सरस्तारी नाच अभी तक कोइ नहीं हुइ है, इस कारण मकान म भाव का गीक ठाक अनुमान करना कठिन है परन्तु जो भी पुर्कर नाच हुई है आर उनसे नो कुछ ज्ञात हुआ है, वह हदय को बैंगा ने बाला है। विज़ुली जनगणना के अनुसार बम्बई में ७० प्रतिशत मकानों म लेवन एक कोर्टी है। १६२१ २२ में लेवर आफिय न कुछ पारिवारिक बनार तैयार किये थे, उस नाच के अनुसार बम्बई में ६७ प्रतिशत भज़दूर एक कोर्टी के मकानों में

रहते थे और प्रत्येक कोठी में ६ से ८ तक जीव रहते थे। कगड़ी में वो सारा मजदूर वाँ ही एक कोठी में ६ से ८ लाहिं प्रति कोठी के द्विसाथ से रहता है। अहमदाबाद में ३३ प्रतिशत मजदूर एक कोठी में रहते हैं। शाही मजदूर कमीशन का कहना था कि भारत के अन्य औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार के आकड़ प्राप्त नहीं हैं, परन्तु जो कुछ कमीशन ने देखा उससे उसका कहना था कि कलकत्ता, कानपुर, मद्रास इत्यादि सभी वहे औद्योगिक केन्द्रों में लगभग सभी मजदूर एक कोठी के मकानों में रहते हैं। रहने के स्थान की इस कमी का मजदूरों के स्थान्य पर भयकर प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि यह काट बीमा रियों के स्थायी घड़ी बन गए हैं और अनदूरों को इन स्थानों में नार कीय औद्योगिक व्यवसाय करना पड़ता है। जिन लोगों ने इन स्थानों को नहीं देखा है, वे तो उनकी भवितव्यता का कल्पना भी नहीं कर सकते। टाट के पहुँच या टीन दाल भी जाती है, जिससे कि हवा और रोशनी घर में प्रवेश ही न कर सके। हमारे मजदूर के रहने के स्थानों का यह एक साधारण चित्र है। सच तो यह है कि निम्न प्रकार के मकानों में भारतीय मजदूर रहता है, वे मनुष्य के लिए क्या, पशुओं के लिए भाृत्य युक्त नहीं हैं। यब हम भिन्न भिन्न औद्योगिक केन्द्रों के मन्त्रालय में कुछ विस्तार पूरक लिखेंगे।

बम्बई

बम्बई में अधिकारी मजदूर “चाक्रो” में रहते हैं। चाल एक लम्बा कोठरियों की पवित्र को कहते हैं, निम्न भाग में पतला बारामदा हाता है। पहले दो-तीन मिनिट की होती है और एक दूसरे से लटी हुड़ बर्ती होती है। मकानों की दो पवित्रियों के बीच में एक गड्ढ से अधिक जगह नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि नीचे की मिनिट तथा ऊपर की मिनिटों के बीच के कमरों में न तो हवा पहुँचती है और न रोशनी हो। इन चाक्रों में अधिकारी में तो शीघ्रगृह होते ही नहीं। दो चाक्रों के

थीघ में जो पतली सी गली होती है, उसमें ही टटियों होती हैं, वही शौचगृह का काम देती हैं। इतने अधिक अवक्षितयों के लिए शौचगृहों का सचित प्रबन्ध न होने के कारण और दूसरे उन सड़ासों की सफाई का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण वहाँ बुरी दुर्गम्भ फैली रहती है। यदि पाठकों में से किसी को इन चारों में जाने का अवसर हो तो वह उस दुर्गम्भ को अधिक देर तक सदृश नहीं कर सकता। दुर्गम्भ से बचने के कारण मन्त्रदूर् अपनी विद्विकियों को, जो उसी पतली गली में सुखती हैं जिसमें टटिया होती हैं, बाद रखते हैं। इस कारण कोटियों में हवा का प्रवेश नाममात्र को ही हो पाता है। केवल इतना ही सत्र कुछ नहीं है, इन मकानों का सारा कूड़ा भी हन्दी पतली गलियों में फैल दिया जाता है। मल मूर और कचरे की सड़ाद भयानक दुर्गम्भ उत्पन्न करती है और सारे वायुमण्डल को विपेक्षा बना दती है।

अभी तक विट्ठानों ने भारत के श्रीयोगिन केंद्रों में मकान की कमा के कारण होने वाली भीड़ का और उनमें रहने वालों की भूत्यु का सम्बन्ध नियारित नहीं किया है। किन्तु श्री वरनट हस्ट महोदय ने वन्धु म जो योज की थी, उससे उन्होंने यह प्रभागित बर दिया है कि एक घोटी के मकान में रहने वाले बच्चों की भूत्यु सर्वा (८३ प्रतिशत) सबसे अधिक है। दो कोटियों के मकानों में रहने वालों की ३२ प्रतिशत, तीन कोटियों के मकान में रहने वालों की भूत्यु-सर्वा १६ प्रतिशत और अस्पतालों में रहने वालों की भूत्युसर्वा १६ प्रतिशत याने सत्रसे कम है। श्री वरनट हस्ट की योज से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि मकानों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मन्त्रदूरों के बच्चों की भूत्यु-सर्वा में वृद्धि होती है। अस्तु, मकानों की समस्या इस दृष्टि से अत्यन्त महत्व की है। यदि मित्र मान्द्रिक अपने स्वार्य के कारण इस और अ्यान नहीं देते तो सरकार को इस ओर से उदासीन नहीं होना चाहिए।

कुछ उघोगपति यह कहते भही यहते कि गोव में जिन मकानों में

मज़दूर रहता है; वह भी कुछ अधिक अच्छे नहीं होते, किंतु वह ऐसा कहते समय यह भूल जाते हैं कि यद्यपि गाव के मकानों में हवा का पूरा प्रवाह नहीं होता और गाव का गजिया डलवादि गढ़ी रहती है, फिर भी उनमें जो आगन होता है, उसमें धूप रोशनी आर हवा यथेष्ट मात्रा में रहती है। फिर किसान खेतों के स्वास्थ्ययुक्त चाताचरण में काम करता है। किंतु नगरों में मज़दूरों के रहने के स्थान अत्यन्त गर्दे, सोलडुक्त और कुड़े फुरे से भरे हुए हैं। वडा का सारा वायुमण्डल दुर्ग-धयुक्त और विपैला हो उत्ता है। रोग के तो ये स्थायों अड्डे बन जाते हैं। कई मजिल और वास पास मटे होने के कारण उनमें यथेष्ट धूप, रोगनी और हवा की गुंजाइश नहीं होती। एक कोठों के मकानों में पर्दों के लिए खिद्की और दरवाजों पर के पर्दे का तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। उमका विवरण लेखनों का शक्ति के बाहर की बात है।

कुछ समय हुआ यमदृ शरकार ने एक लेडी डाक्टर को मज़दूर घरियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जांच के लिए नियुक्त किया था। उसने नो विवरण अपनी रिपोर्ट में लिया है वह हृदय को कपा दने वाला है। एक मकान के सम्बन्ध में उसने लिया है “मैं चाल की दमा मजिल के पह कमरे में गइ, जिसकी जम्बाइ १५ फीट और चाँड़ाइ १२ फीट थी। उस कमरे में ६ परिवार रह रहे थे। उनका भोजन पकाने के लिए उस कमरे में ६ चूल्हे थे। उन परिवारों में खो पुर्ण दब्बे ममी मिलाकर ३० प्राणा थ और ये सब उसी एक कमरे में रहते थे। छन से दोहरियों बांध कर, उनमें बास बाध कर, उन परटाट और कमबख दाल दिये गये थे, जिससे कि प्रथेह परिवार पृष्ठ २६ सके। उनमें से ३ लिया गर्म गर्ती थीं और उनक शीम ही यथा होने वाला था। वे ममी बम्बड में ही यथा उत्पन्न करने वाली थीं। जब मैंने नम से पूँडा नो मेरे माथ था कि एक हिस्से प्रकार इस कमरे में बचा उत्पन्न करेंगी, नो मुझे एक कोन में चार पीट जम्बरी और ३ फीट चौड़ी जगह दिखाइ गई, जिसके चारों तरफ पश्च कर, दिया गया था। इन ६ चूलों से निकलने वाले शुरू और गम्भीरी

का प्रभाव माता और बचों के स्वास्थ्य पर कैसा पड़ेगा, यह तो किसी से दिया नहीं है। यह इस तरह का अकेला कमरा नहीं था। ऐसे बहुत से कमरे मेरे दखने में आये। बम्बह की चालों का नारकीय नीजन वर्णन के बाहर है।

अधिकाश चालों की ईमारतें जजर अवस्था में हैं। नीचे की मणिल में बेहद सीलन होती है। कहीं रहीं तो चाल की ईमारत सढ़क के घरातक से ही खड़ी कर दा गई है, उसकी कुसीं दोती ही नहीं। ऐसी अवस्था में बपा की छटु में जब बम्बड़ में मूसलधार बर्पा होती है, तब सढ़क का पानी कमरों में आ जाता है और सीलन का तो कहना ही क्या? इन चालों के अद्वाते में कृष्ण-कचरा और यहा तक कि मज़ के ढर लगे रहते हैं, जो कि बपा के दिनों में सढ़कर विपैले रोग के कीरणश्चों को जाम देते हैं। प्रत्येक चाल में नज़ की थोड़ी सी ही टोगिया एवं स्थान पर होती हैं। चाल के भाभा रहने वाले, चाहे स्त्री हों या उरुव, उर्द्दा नबो पर नहाते और कपड़ा धोते हैं। नला की कमी के कारण और बन्द स्नानागार न होने के कारण मज़दूरों को विशेषकर मज़दूर हित्रिया को बहुत बठिनाह का सामना करना पड़ता है। घरों प्रतासा करने के उपरांत कहीं वे यथेष्ट जल पाती हैं।

उत्तम चाले

उपर तिन चालों के सम्बन्ध में कहा गया है, ये यकिन विशेष की सम्पत्ति होती हैं और ये ज्ञान अधिक से अधिक किया वसूल करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य समझते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि जावर या सरदार किसी चाल को पढ़े पर के लेता है और अपने अधीन मज़दूरों को उसमें रखकर मनमाना लाभ उतारता है। उस दशा में उसका मज़दूरों पर बेहद प्रभाव होता है। इन चालों के अधिकित कुछ मिलों ने अपने मनदूरों के लिए रहने की सुविधा की है और कुछ चालें

बनवाइ है। लगभग ३० मिल्यों में अपन शीम प्रतिशत मनदूरों के लिए एक कमरे की चालें बनवाइ हैं। इसमें सेंडें नहीं कि यह चालें उन चालों से, जो व्यक्ति विरोप की समर्पित होती हैं, यहुत अच्छी हैं, फिर भी उनमें स्थान की कमा है। मिज माकिक इन कमरों के लिए किराया लेते हैं। किन्तु अनुमत यह बतलाता है कि गाँव से आया हुआ मनदूर जो मकान का किराया देना नानदा ही नहीं, कुछ लोगों को रख केराहा है और उनमें किराया बमूल करता है। याधारणतया कोइ मिल ऐसे व्यक्ति को, जो इन टस मिल में काम नहीं करता, कमरा किराये पर नहीं नहीं किन्तु इन्ह टस मिल में काम करने वाला मनदूर न अन्य किसी व्यक्ति को अपना माड़ या भनीजा कह कर रख लता है तो उसको हराना करना हो जाता है और इन चालों में भी भी दो नहीं है।

मिलों के अतिरिक्त बम्बइ पोर्ट ट्रस्ट ने तीन स्थानों पर अपने मनदूरों के लिए चालें बनवाइ हैं, जिनमें टट्ट के ८००० मनदूरों में से ३००० मनदूर रहते हैं। बम्बइ इम्प्रेयर्स ट्रस्ट ने अपने सभी मनदूरों के लिये रहने की सुविधा की है, परन्तु वहाँ भी जिन में स्थाइ हुई यहुत घनिया कोरिया हैं।

पिछले महायुद्ध के उपरात बम्बइ में मनदूरों के लिए मकानों की सुविधा उत्पन्न करने के लिये बम्बइ सरकार ने एक विरोप हैरेक्सप्रेसेन्ट विभाग स्थापित किया और उस विभाग ने २०३ फ्लाइट को नवीन चालें बनाइ। इन चालों में १६००० एक कमरे बाले घर हैं। इन चालों में कमरे खदे हैं, रोशनी और इवा की सुविधा है। साथ ही फ्लाइट, गाँधगृह और विजली का प्रवेष्य है। यद्यपि गाँधगृह आवश्यकता को देखते हुए सभ्या में कम है। प्रत्येक चाल में विजली की रोशनी, पानी और शूकानों की सुविधा का प्रवेष्य है। इन चालों में स्कूल और श्रीपथाब्दयों का भी प्रवेष्य किया गया है। परन्तु आरम में इन चालों को मनदूरों ने पसड नहीं किया और यहुत सी चालें स्वास्ति पाई रहीं। इसका मुख्य कारण यह था कि यह चालें मिलों में दूर थीं और

आने जाने के लिये कोहू उचित प्रबंध नहीं था। यद्यपि औरेधीर पह चालें आवाद हो गईं।

बम्बई में मकानों की समस्या वितनी भयकर हो उठी है, इसका अनुमान तो दूसों से लगाया जा सकता है कि १९३८ के पूर्व भी वहाँ एक बहुत यही स्थान पुरुषाधों पर सोया करती थी। अधिकाश मज़दूरों के लिए एकान्त स्थान नहीं होता, एक एक कमरे या कोडरी में जा तान और उससे भी अधिक गृहस्थिया रहती हैं। पुरुष अधिकाश बाहर हा रहते हैं। खिया ही उन कमरों में रहती है और वे मामान रन्ने तथा साना पकाने के काम आते हैं।

कलकत्ते की बस्तिया

कलकत्ता और द्विद्वा में मिल मज़दूर बस्तियों में रहते हैं। यह बस्तिया अधिकतर सरदार या सम्यक व्यक्तियों की होती है। सरदार भूमि को पट्टे पर ले लेता है और जो मज़दूर रहने के लिए स्थान चाहते हैं, उसे बास तथा फूस इत्यादि देकर स्थान बतला दता है और मज़दूर उसी स्थान पर एक कचा झोपड़ा लगा कर लेता है। इन बस्तियों के मालिक इनसे खूब ही लाभ कमाते हैं। कलकत्ते की यह बस्तिया इतनी गदा और स्वाद होती है कि जिनकी कोड कल्पना ही नहीं कर सकता। एक लोग ने ढीर ही कहा है कि ‘ व गद रोगप्रस्त विल हैं नहां मानवता सबती है ।’ इन झोपड़ों में न तो कोई चिकित्सा या रोशनदान ही होता है और न कोड चिमनी ही होती है। बस्ता के झोपड़ों का बनाते समय मिट्टों स्वोदने से जो पात्र बन जाते हैं, उनमें दृक्ष्या पानी साधारणत काम में ज्ञाया जाता है और पीने के पानी की भा बहुत कमा होती है। मफाई का तो इन बस्तियों में नाम भा नहीं हाता। इन बस्तियों में जान के माग दलदल भार गदगी से भरे रहते हैं और वर्षा में तो ये राग-कीरणालुधा के अहूं बन जाते हैं। बगाल भ्यनिसिपल कानून के अन्तर्गत इन बस्तियों के मालिकों को उनके सुधार के लिए दल

द्वायी छहराया गया है। किन्तु आज तक कभी इन मालिकों के विहङ्ग कोई कानूनी कायदाही नहीं की गई। कारण यह कि इनके भाड़ बदली म्युनिस्पेलिटरों के कायदाता होते हैं।

हावड़ा का स्थिति 'तो और भी भयकर है। सच तो यह कि कलकत्ता और हावड़ा में म्यान की इतनी कमी है कि प्रत्येक इन्च भूमि का उपयोग मकान बनाने में किया गया है। इन घस्तियों की गलियाँ, जिनकी दोनों तरफ घस्तिया बनी हैं, ३ फाट से अधिक चौड़ी नहीं हैं और इहाँ गेलियों में घस्तियों की गढ़ी नाली बढ़ती है। इन घस्तियों के रहने वाले अस्थित नारकीय जीवन व्यक्ति कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के मालिक बेचारों से बहुत अधिक कियाया जाता है। जूर मिलों तथा अन्य धंधों में काम करने वाले मजदूरों का अधिकांश भाग ऐसी ही गढ़ी घस्तियों में रहता है।

मिलों द्वारा धनाई हुई कुली लाइन

जूर मिलों ने अपने मजदूरों के लिये हुब्बु कुली लाइन बनवाई है। इन कुली लाइनों में थोटे-झाटे ४०,००० फाट हैं और एक लाम्ब से ऊपर मजदूर रहते हैं। इन काटरों की लम्बाई १० फीट और चौड़ाई ८ फीट होती है और य उन घस्तियों से कई अच्छे हैं। एक तो यह क्षालैने पड़ा होती है और पानी की सुविधा होती है। हुली लाइन काटरों का एक लाइन होती है। प्रत्येक फाटर में एक कमरा और उसके सामने एक बरामदा होता है, जिसका उपयोग रोगी पकाने और स्नान के लिये किया जाना है। इन क्षालैनों के दोनों ओर पतझीभी जगह होती है उभयों पक्का ढांचा दिया गया है। सीमेंट की पक्की नालिया बना दी गई है, जो कि साथ रखनी आ सकती है। इन क्षालैनों के काटरों में विहङ्गिया होती है और किन्हीं छिह्नों में से दृष्ट में मालया के माला होते हैं। अम्बु, रोगनी और पायु का इन क्षालैनों में समुचित प्रबंध हो सकता है। शीक्षणों की समस्या को हल करने के लिए सेटिंग बनवा दिये गए

है। किसी किसी मिल ने इन खाइनों में अस्थाया भी स्थापित कर दिये हैं। हावड़ा और कलकत्ता की मिलों ने पहुँचाइने वाला कर मजदूरों को रहने की सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। जल्द का प्रबन्ध करने के लिए कहीं कहीं गहरे ट्यूब बेल खोदे रखे हैं और कहीं नदियों के पानी को शुद्ध करके मजदूरों को दिया जाता है। कुछ खाइनों में विजली का भी प्रबन्ध किया गया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह कुली लाइन उन गढ़ी बस्तियों से कहीं अधिक अच्छी है। पिर भी जगह का कमी के कारण कमरे छोटे हैं और इन लाइनों के बीच में बहुत थोड़ी जगह छोड़ी गई है। पृक खाइन दूसरी खाइन से सगा कर चनाइ गई है। पिर अधिकांश मजदूरों को तो यह भी प्राप्त नहीं है। वह जो उहाँ नरक नैसी बस्तियों में रहने पर विश्वास है।

मद्रास की चेरी

मद्रास क आधिकारिक काउन्ट्रा (मद्रास, मदुरा, तथा कोयम्बूर इत्यादि) में मकानों की समस्या इतनी ही गम्भीर है। मद्रास शहर में ३५,००० एक कोर्टी के मकानों में १५०,००० मजदूर रहते हैं। मकानों की इतनी अवकर कमी है कि सैकड़ा मजदूरों को मकान तक नहीं मिलते और वह सदकों के किनारे अपना सामान रख कर पढ़े रहते हैं या बासगाह के किनारे जो बड़े बड़े माल गोदाम वो हुए हैं, उनके बाहरों में रहते हैं। मदुरा में तो स्थिति और भी भयावह है। जहाँ सुनिष्पत्ता और न सूती कपड़े को मिलों ने ही मकानों की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है। केवल मदुरा मिल ने १०६ एक्टरों का एक छोटगामा उपनिवेश स्थापित किया है, जिसमें कि उस मिल के मजदूर रहने हैं। कोयम्बूर तथा तूतीकोरन में भी कोइ मकानों का प्रबन्ध नहीं है।

मकानों की इस भयकर कमा का परिणाम यह होता है कि निर्धन मजदूर खाली खानों पर अम्भार्या भोजन या कच्ची पक्की कोटरियाँ खड़ी कर लेने हैं और जब उन जमीनों के मालिक जमीन का किराया बहुत

अधिक गदा लेते हैं तो वे उठकर दूसरी जमीनों पर चले जाते हैं। इन अस्थायी वस्तियों को ही चैरी कहत है। यह चैरिया अधिकाश में नगर के उस भाग में होती है, जो सबसे गदा और उपेक्षित होता है। सइक और पाइप न होने के कारण इन चैरियों में म्युनिस्पैल्टी भी सफाइ नहीं करती, क्योंकि चैरिया अस्थायी होती है, इस कारण न तो यहाँ नालियाँ होती हैं, सफाइ और रोशनी का तो कहना ही क्या? म्युनिस्पैल्टी भी इनसी और से उदासीन रहती है। गन्दगी का तो यहाँ एक न्यून राज्य होता है और इन्हीं स्थानों में अधिकाश मनदूर रहते हैं। मनदूर खियों को पानी के द्विये भी बहुत दूर जाना पड़ता है।

इन चैरियों में जो कोटिया होती हैं, वे ६ फीट ऊँची आर ए पीट चौड़ी होती हैं। दोबालें कच्ची होती हैं और मिट्टी के तेल के पीपों की टीन से छाँड़ जाती है। यह भोपड़े एवं दूसरे वे सटे होते हैं। इन भकानों में गांडगी के अतिवित वर्षा और धूप से बचाव भी नहीं होता। पानी की कमी के कारण गन्दगी जो डृतना होता है कि उनके कच्चे रास्ते पर निकलना भी कठिन होता है। शीघ्रहीन कोइ प्रबन्ध नहीं होता हम कारण ऐसी और भी भयकर रूप घारण कर लेती है।

मद्रास की सफाइ सुधार समा ने इस सम्बन्ध में जो जाच की है, उससे प्रतीत होता है कि सब मिला कर मद्रास में १८३ ऐसे गन्दे उपनियेश ये। इनमें से २६ चैरियों की जमान मरकार की थी, २५ चैरियों की जमान कारपोरेशन की थी और शेष की जमीन व्यक्तियों की थी। सरकार और कारपोरेशन की जमीन पर स्थापित चैरियों पर जल पाइप, सर्वनिक शॉचगृहीं और सड़कों की सुविधा है, परन्तु अन्य चैरियों में इनका सर्वथा अभाव है। अधिकाश चैरियों ए नक्क और शॉच गृह न होने के कारण गांडगी ऐसा भयकर रूप घारण कर लेती है कि उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। पहीं कारण है कि इन चैरियों के रहने वालों की मृत्यु-मरण बहुत अधिक है। मद्रास की मृत्यु-मरण की जांच के लिए एक कमेटी बिठाइ गई थी, उसने हम सम्बन्ध में जो जिम्मा

है यह महत्वदूर्ण है ॥ इन उपनिषदों में जो सब स्थानों पर मल यहा मिलता है, उसका कारण मजदूरों की गंदी आदत नहीं है, यरन् सार्वजनिक शाश्वत गृहों की कमी है । कोई भी स्थानिमानी व्यक्ति, चाहे वह कुली हो या म्युनिसिपल कारपोरेशन का सदस्य, उन गद शीघ्रगृहों का उपयोग नहीं करेगा । यही नहीं, ये गद शीघ्रगृह भी यथेष्ट नहीं हैं । और उनका इतना अधिक गतिशुल्क दोता है कि वे सारे रखने वाले नहीं जा सकते । इस समस्या में जिसोलु विषया जा मिलता है जब कि उनका शीघ्रगृह का बहुत अधिक प्रात काल होने से है तो यहाँ लिखा गया है । इन उपनिषदों में इनके बाली शीघ्रगृह के लिए, नाली या किसी खाली स्थान पर शोधेश्वर की शीघ्रगृहों की वहा बेहद कमी है ।

यह वैरियो बहुधा सदकों से नीचे होती है और उनमें नाली लिखा गया है, इस कारण गदा पानी वहीं भरता रहता है । वर्षों में तो सदक क नाली भी इन्हीं में भर जाता है । वर्षों के दिनों में इन लिखी हुई नालों पर उपनिषदों में बहुत पानी हो जाता है और बहुत से कच्च भोपाल घरानेरार हते ही यही जात है ।

कमी किसी वैरी में जाह्ये, रास्ते म गाड़ी, कुका, कालू तून भार पूज दार स्वाने का सामान रखनेर बेचत हैं और उन पर मनिष खाँ भिनभिनाया करती हैं ।

एक चार महारा म्युनिसिपलिटी के अभिनवदत्त-पत्र १९ उत्तर म महात्मा गांधी ने कहा था 'आपने कहा है कि म्युनिसिपलिटी हरियालों को शिशा तथा अन्य जरूरिक सुविधा सवणों के समान ही दता है परन्तु जो कुछ आपने कहा है, वह सच नहीं है । आप उन मजदूरों को वे सुविधायें तभी द सकते हैं कि जब आप इन वैरियों को नष्ट कर दें । जिन दमा छरे कि म्युनिसिपलिटी ने उन निधन व्यक्तियों के रहने के

स्थानों का सुधार करने का त्रिनिक भी प्रयत्न नहीं किया। एक चैरी जो मैंने देखी, उसके चारों ओर गाड़ी नाली और पानी मरा हुआ था। वहाँ में वह स्पाल मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हो सकता। वह सड़क से नीचे पर है इस कारण वहाँ का पानी चैरी में भर जाता होगा। न इन चैरियों में कोइ सड़क है न अन्य सुविधायें ही हैं।”

मत तो यह है कि मद्रास प्रान्त के सभी शौद्योगिक केन्द्रों मद्रास, मद्रा, सूतीकोरन तथा कोयम्बटूर इत्यादि में मनदूरों के रहने के स्थानों की ऐसी ही दृश्या है।

मद्रास में मकानों की समस्या हल करने का प्रयत्न

मद्रास सरकार के केवर डिपार्टमेंट (मज़दूर विभाग) तथा एक दो महकारी गृह समितियों ने कुछ मज़दूरों के लिए कार्टर बनाये हैं, परन्तु उनका प्रयत्न शाल में नमक के घरावर भी नहीं है। केवल बिहारी उत्तराकंठ मिल ने अवश्य ही अपने मनदूरों के लिए रहने के मकानों का मुद्र ग्रवार किया है। उनके केवल नमक के घरावर आदर्श मज़दूर ग्राम यसाये हैं, जिनमें लगभग ३०० मकान हैं। प्रत्येक मकान में एक कमरा, उसके सामने घरांडा, एक रसोइ घर, एक स्नानागार तथा आगान होता है। इन गारों के बीच-बीच में काफी जगहें छोड़ दी गई हैं। पहली सद्दें दाढ़ा। गढ़ है और उन पर बिजली की रोशनी का पराध है। अभी तक योंगों में बिजला की रोशनी नहीं है। पानी के लिए पाइप का प्रयोग है। मदकों की रोशनी, मफर्झ तथा पानी का सारा वर्च कम्पनी देती है। प्रत्येक घर का हेठला सासिक कियाया जिया जाता है। किन्तु मज़दूरों को इस बात को आज्ञा नहीं है कि वे उसे दूसरे को उठा लेया दूसरी मिथों में काम करने वालों को रम लें। हतना सब कुछ करने पर भी मिल अपने दम प्रतिशत मज़दूरों को ही मकान दे मकी है। इसका कारण यह है कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त व्याह नहीं है, और जमीन का भूज्य बेहद ऊँचा है। इसी कारण मिल इन्हाँ रहने भी

उचान, बाजार, अस्थाल, सूल, मन्दूरो की इस्टियूट तथा मन्दूरों के सम्बन्ध में अन्य संस्थाओं की इमारतों के लिए जमीन निरिचत कर दी गई है। यद्यपि अभी तक यह पूरा उपनिवेश बन नहीं पाया है, महानुद्ध ने इसमें बाधा ढालती है, परन्तु जब वह बन जावेगा तो एक अत्यन्त सुदूर और आकर्षक मन्दूर उपनिवेश होगा तथा मन्दूरों को इस बात का गौरव होगा कि उनका अपना भकान है।

चाय के बाग

आसाम तथा बगाल के चाय के बागों में मन्दूर बहुधा दूसरे प्रान्त से आते हैं और चाय के बागों में उह रहने के लिए भकान देने का नियम है। यद्यपि यहाँ पर जमीन की समस्या नहीं है, परन्तु किसी भी बहा भकानों की दशा सतोपजनक नहीं है। अधिकारी भकानों में कवल एक ही कमरा होता है, भकान की कुर्सी ग्राम बिलकुल ही नहीं होती, इसी कारण सीलन बहुत रहती है और बहुत से बागों में मन्दूरों की सुलना में भकान इतने बम होते हैं कि एक कमरे में एक से अधिक परिवार रहते हैं। इनके अतिरिक्त यह भकान सुले और इवादार नहीं होते। चाय के बगीचों के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि बहा बाहरी आनंदियों को नान नहीं दिया जाता। चाय के बागों के मालिकों का बहना है कि इतना यथ करके जो मन्दूर इस लाते हैं, उह यदि बाहरी व्यक्तियों से मिलने की सुविधा दी जावेगी तो गैर जिम्मेदार मन्दूर कार्यकरा उद्देश्य भड़का देंगे। इसी कारण वे अपने मन्दूरों को बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क में नहीं आने देते। दिन का सा निगरानी रहती ही है, रात्रि में भी उनसी लाइना पर पहरा रहता है। एक प्रकार से चाय के बागों के कुछी केंद्री हैं आर उनके सम्बन्ध में बाहरी जनता को कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। यहाँ मन्दूर कमीशन ने चाय के बागों के मालिकों की इन मनोवृत्तियों की निश्चा करते हुए कहा था कि एक ज एक दिन सो यह होना ही है। इसी प्रकार मन्दूरों

को हमेशा दबाये नहीं सकता जा सकता। अस्तु मालिकों को उनमें संगठन उत्पन्न होने दना चाहिए। किन्तु अभी तक चाय के खानों के मालिकों की वही नीति चली आ रही है।

खानों के मज़दूरों के रहने के मकान

विस प्रकार बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों में मज़दूर अस्थन्त दयनीय दशा में रहते हैं, उसी प्रकार उन्हें खानों में भी रहना पड़ता है। बगाल और बिहार की कोयले की खानों में तीन प्रकार के मज़दूर होते हैं। (१) वे ग्रामीण किसान, जो खान के समीपत्ती^१ गाँवों के रहने वाले होते हैं। उनके गार खानों से ५ भील की दूरा पर होते हैं। वे अपने घरों पर रहते हैं और खानों में काम करते हैं। (२) दूसरे प्रकार के वे मज़दूर होते हैं जो खानों से बहुत दूरी पर स्थित गाँवों में रहते हैं और वे वपुं में कुछ महीनों के लिए खानों में काम करने के लिए आते हैं तथा खेत जोने तथा फसल काटने के समय वे अपने गाँवों को वापस लौट जाते। (३) तीसरा प्रकार के वे मज़दूर हैं, जो स्थायी रूप से खानों में रह कर काम करते हैं। खानों के पास के गाँवों में रहने वाले सायाजी मज़दूर अपने सुदर, स्वच्छ और आकरक गाँवों को छोड़कर कभी खानों के गढ़ी 'धौरों' मकानों में रहना पसद नहीं करते, परन्तु अन्य मज़दूर इन 'धौरों' में रहते हैं। इन 'धौरों' में एक कमरा होता है, जिसकी लम्बाई १० फीट और चौड़ाई १० फीट होती है। इन्हीं कमरों में मज़दूर सोते हैं और खाना पकाते हैं और उस कारण यह कमरे बहुत काले हो गये हैं। अधिकारी की छतें टपकती हैं और वपा शून्य में दो मज़दूर के लिए इन 'धौरों' में रहना ही बहिन हो जाता है। यद्यपि खानों में बिजली होती है, किन्तु "धौरों" में बिजली नहीं दी गई और अधिकारी खानों में मज़दूरों की सरका अधिक होने के कारण एक-एक कमरे में दो या अधिक परिवार भा रहते हैं। इन धौरों में हवा और रोशनी के लिए खिड़की या रोशनदाम नहीं होते। कोयले को

स्थानों में केवल रहने की ही कठिनाई हो, केवल यही बात नहीं है। इन धौरों की जाइनो में सफाई का भी समुचित प्रबंध नहा होता। शौच गृह तो बहुत ही कम होते हैं और नहाने तथा कपड़ा धोने के लिए भी यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। अधिकारी मनदूर गद वालाओं के उपयोग करते हैं। इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि स्थानों के मालिक मनदूरों के लिए पानी के नस्हों और स्नान गृहों की उचित व्यवस्था कर और साथ ही अच्छे शौचगृह भी बनाये जावें।

कोलार सोने की स्थानों में मनदूर झोपड़ियों में रहते हैं। इन झोपड़ियों की दीपारे चाम की चाराई की होती है। उनपर टीन को छत होती है। झोपड़ियों की लम्बाई और चाराई ह फीट होती है। इन झोपड़ियों में कोई नाली का प्रबंध नहीं होता, पानी बहीं भरता रहता है और गदगों उत्पन्न करता है। प्रत्येक झोपड़ी में चार चरित्र होते हैं। इन झोपड़ियों की ऊँचाई बहुत कम होती है, इस कारण गर्मियों में टीन वी छत इतनी गरम हो उतती है कि मनुष्यों का बहाँ रहना टूभर हो जाता है। नम कि हवा तेज़ चलती है तो खूल और गद बास की चाराईयों की सधों से गांपड़ी में भर जाती है। मजदूर का भोजन, बस्तु सभी खूल से भर जाते हैं और उसी खूल में बह सास लेते हैं।

जमशेदपुर (टाटानगर)

मकानों की ऐसी भव्यता कमी और गदगी, जैसी कि ऊपर दिये हुए औद्योगिक केंद्रों में दिखलाई देती है, अनिवाय हो, ऐसी बात नहीं है। जमशेदपुर को देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि यदि बास्तव में प्रयत्न किया जावे तो मनदूरा के रहने की समस्या को हल किया जा सकता है, मजदूर को नरक तुल्य स्थानों में रहने से बचाया जा सकता है।

जमशेदपुर में ऐसी अच्छी सदृक्ष है, स्वास्थ जल का ऐसा सुन्दर प्रबंध है और चिकित्सा की जैसी समुचित व्यवस्था है, वैसी भात के कम

शहरों में मिलती है। बालक-यालिकाओं के लिए खेलने के लिए मैनानों और पांचों की समुचित व्यवस्था की गड़ है और शिशा का भी समुचित प्रबन्ध है। शहर में बिनली अपेक्षाकृत यहुत कम मूल्य पर दी जाती है। निम्न भूमि पर उमोन्सुर नगर बमा हुआ है, वह टाटा कंपनी का सम्पत्ति है, अतएव नगर का प्रबन्ध कंपनी की व्यवस्था में हो होना है। रोशना, नालियों और सदकों की मपाड़, शिशा, चिकित्सा तथा ऐसा व्यवस्था का व्यवस्था का व्यवस्था का व्यवस्था करनी है।

कंपनी ने मनदूरों के रहने के लिए भरनानों की भी व्यवस्था की है। लगभग ६००० कड़ावर कंपनी ने अपने व्यवस्था से उनकाये हैं। प्रथमेक बड़ाटर के घारा और छह द्वेष्टा सा घरीचा होता है और मात्र शुष्कगृहों का व्यवस्था की गड़ है। मनदूरों को भी कंपनी उपयोग कर दे कर महान बनाने के लिए उमाहित करती है। मकान तो खागड़ का नो तिहाइ तक व्यवस्था कंपनी करने वाली है। शूल पर ३ प्रतिशत मूद निया जाता है और मामिक किरणों में व्यवस्था तुका दिया जाता है। नियन मनदूर यहुत सांदेह, कर्त्त्वे और कम व्यर्चले मकान बना लेते हैं। ये व्यवस्था ही काम करते हैं, केवल मिलियरों को नौकर रख लेते हैं और सामान खरीद लेते हैं। इस प्रकार यहुत कम व्यर्चले में मकान बन जाने हैं। नगर के भिन्न भिन्न भागों में इस प्रकार के लगभग दस हजार मकान हैं।

उपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मनदूर औद्योगिक केन्द्रों में अधिकतर आव्यास गढ़े मकानों में रहते हैं और भीड़ इतनी अधिक होती है कि विवाहित खी पुरुष एकात में स्वतंत्रस्वप्न से भिज जुत भा नहीं सकते। गद्दास और भाट के काण्डे उनके व्यवस्था और चरित्र पर यहुत बुरा प्रभाव पहला है। यव तो यह है उन आद्योगिक केन्द्रों में मानवता नज़ की जा रही है। यदि इसने मनदूरों के भीवन को अधिक सुन्दर और सनुदिशाली नहीं बनाया तो यह कहना परेगा कि राष्ट्र के लिए यह उद्योग धर्म व्यवस्था इनिवारक मिट दीजे।

यदि राष्ट्र की बहुत बड़ी जनसत्त्वा को केवल इसलिए नारकोय जीवन अतीत करने पर विवश होना पड़े कि निससे बड़े पूर्णीपतियों को अधिकाधिक लाभ मिल सके तो यह कदापि सद्गत नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार इस स्थिति को सद्गत नहीं कर सकती। मजदूरों के नीवन को सुखी बनाने लिये पूर्णे दबावादार और अच्छे मकानों की अवस्था करना अत्यत आवश्यक है।

मकानों की समस्या हल करने में कठिनाइयाँ

कारखानों को मजदूरों के लिये मकानों की समस्या हल करने में सबसे बड़ी कठिनाइ नमीन की उपस्थित होती है। जो कारखाने छोटे छोटे केन्द्रों या कस्बों में हैं, उनमें यात्र छोड़ दें तो वडे शौकोगिक केन्द्रों में तो नमान की बहुत कमी है और यदि है भा तो उसका मूल्य करपनातीत है। अभी तक सरकार जहाँ अब साधननिःहित के कार्यों के लिये उचित मावजा देवर (Lind acquisition Act) कानून के अंतर्गत जमीन ले सकती थी, वह कारखानों के मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन लेने को सुविधा नहीं थी किन्तु शाही मजदूर कमीशन की सिफारिश के अनुसार कानून म सशोधन कर दिया गया है और अब इस काय के लिए भी सरकार जमीन को उचित मावजा देवर ले सकती है। किंतु भी जमीन की समस्या शौकोगिक केन्द्रों में है हो।

एक कठिनाई यह है कि बहुत से नगरों में मिलों के पास तो उनिक सी जमीन नहीं है द्वा, बहुत दूर पर जमीन मिल भी सकती है। स्वभावत मजदूर मिल के पास ही रहना पसार करता है। क्योंकि यदि मिल से घार पाउ मील दूर जाकर रहे तो आने जाने की कठिनाइ के अनिवित उसे तान घट आने जाने के लिए नष्ट करना पड़ेगे। ऐसी दशा म दसे अपने घर से दा घटे पहले घलना शोगा और दिन भर काम कर चुकने के बापरा त छुट्टा होने पर खसा मादा दो घटे के उपरात वह

धर पहुँचेगा। यही कारण है कि जहा जहा मिज्जों से अविक दूरी पर मन दूरों के रहने का प्रवाद किया, वहा मनदूरा ने रहना पस्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त बाजार और अस्पतालों की भी सुविधा मनदूर अवश्य देखते हैं। अतण्ड आवश्यकता इस बात भी है कि यदि मनदूरों के लिए बहुत दूरी पर अच्छे मकानों का प्रवाद किया जाये तो बाजार और अस्पतालों की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त उनके मिल तक आने और जाने के लिए यम सर्किम या द्यूम का भा प्रवाच किया जावे और उसका व्यय मिलें दें।

धने आगाद श्रीयोगिक केन्द्रों में नए कारणाने न रोलने दिए जावे

भवित्व में मकानों की समस्या और उपग्रह धारण न करके इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे नगर में नृा की आगादा धन है और जहा भकानों की कमी है, कोइ नया कारणाना न मुलने दिया जाय। यह अत्यत आवश्यक सुधार है नहीं तो श्रीयोगिक केन्द्रों में इस समस्या का हल कर सकना समव न होगा। यो भी धर्यो का विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो गया है। अस्तु यदि भवित्व में किसी भी घटे नगर में कारणाना रोलने से पूर्व प्रान्तीय मरकार से आना लेना अनिवार्य कर दिया जावे तो भवित्व में इस समस्या की भवकरता को कम किया जा सकता है।

कारणानों के लिए मकानों की व्यवस्था-

अब प्रश्न यह है कि मकानों की व्यवस्था किस प्रकार की जाय। मादूरों के लिए मकानों की व्यवस्था तो इसी न किसी प्रकार होनी ही चाहिए। यह तभी हो सकता है कि प्रान्तीय मरकार म्यूनिमिपल चोट रथा मिल भालिक सभी मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें। सच तो यह है कि प्रायेक प्रात की मरकार का यह पहला कानून होना चाहिए कि यह श्रीयोगिक केन्द्रों में मनदूरों की नीवन को अधिक सुखद बनाने का प्रयत्न करे।

आवश्यकता इस बात को है कि प्रयेक आंदोलिक केंद्र में नन सर्वा की दृष्टि से मजानों का जाच का नाम और विर प्रत्येक मिल मालिक को अपने मजदूरों के लिए मजान बनाने के लिए उत्पादित किया जावे। प्रातीय सरकार मजानों के लिए उपयुक्त स्थान दिलान का प्रयत्न करे और जा भी मिल मालिक चाह ड़हें बहुत बम सूद पर इस कार्य के लिए जरूर दिया जावे। जो कंपनियाँ अपनी पूँजी पर दम प्रतिशत से अधिक लाभ देता हो, उन्हें मजदूरों के लिए इवादार अच्छे और सुन्दर हुए मजान बनवाने पर विवरण किया जाय। इस आशय का पक्का कानून बन जाना चाहिए कि ना कमनिया पूँजी पर १० प्रतिशत से अधिक लाभ देता है, उनका अतिरिक्त लाभ का कुछ अश मजदूरों के लिए मजान बनाने में काम आना चाहिए, साथ ही वडे आंदोलिक केंद्रों में किसी भी नये कारखाने को सोलने का आज्ञा न देनी चाहिए।

छोटे काटे कस्ता और नगरों में जो कारखाने हैं उनके समाप्ती यथा भूमि अभी से कारखानों को लेन पर विवरण करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में वह मजानों के लिए भूमि का दोषा न हो जावे। जैसे हा कारखाने की स्थिति ऐसी हो कि वह मजाना में पूँजा लगा सके, कारखानों का मनदूरों के लिए मजान बनाने के लिए विवरण करना चाहिए। यदि मिल मालिक चाह तो सरकार उह जरूर दे दे। भविष्य में नये कारखानों का स्थापना होने पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कैररी न इतना भूमि ला है या नहीं कि निम्न पर मनदूरों के मजान बन सकें। पक्का कानून बना कर प्रयेक कारखाने को निम्नमें १०० से अधिक मनदूर लाभ करते हों, अपने लाभ का कुछ अश इस कार्य पर लिए पृथक रखत पर चाल्य किया जावे। निम्नसे कालात्तर में मजदूरों के लिए मजानों की यत्नमया हो सके।

म्यूनिसिपल बोर्डों का भा इस सम्बन्ध में कुछ कराव्य है। जहा मन दूरों का यस्तिया है वहा रोशना, पानी, सफाइ, सड़क, नाली, अस्पताल, शिव्वा और बानार का प्रबन्ध उहें करना चाहिए। अभी तक म्यूनिसिपल

ठियो ने इस आवश्यक कर्तव्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। यही नहीं, जो मकान अत्यन्त गढ़े और मनुष्यों के रहने के अधोग्रह हैं उन्हें नष्ट करवा देना। भी म्यूनिसिपल-बोर्ड का कर्तव्य होना चाहिए। बात यह है कि गठे मकानों के मालिक जो निधन मजदूरों से किराये के रूप में खूब खाम बमाते हैं, वे ही म्यूनिसिपल बोर्डों को थेरे रहते हैं। इस कारण उनके विरुद्ध कुछ शर्यवाही नहीं हो पाती। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि प्रान्तीय सरकार प्रत्येक शहर में मकानों की जांच कराव और जिन मकानों को मनुष्यों के रहने के अधोग्रह समझा जावे, उन्हें पक नियत समय के अन्दर नष्ट कर देने की आप्ना दें दे।

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार म्यूनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा अन्य सरकारी स्थायें अपने कमचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करें। निधन मजदूरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए हवादार, आश्वस्त, सुन्दर और साफ मकान की अत्यन्त आवश्यकता है और उसके लिए नितना भी प्रयत्न किया जावे योद्धा है।

ऊपर लियो हुई योजना के विरुद्ध यह आशंका की जा सकता है कि यदि कारखाना को मकान उनवाने के लिए विवरण किया गया तो अर्थोग्रह उच्चति की गति रुक जावेगी, व्योकि बहुत अधिक पूजी मकान उनवाने में लग जावेगी। परन्तु जब कारखाने पूजी पर १० प्रतिशत से अधिक लाभ हैं, तभी उन्हें मकान उनवाने पर बाध्य किया जावे और उस दृश्य में भी प्रान्तीय सरकार उन्हें बहुत कम सूद पर छणा दे। इससे भिजों को अवश्य लाभ ही होगा। मजदूरों की काय उमता बढ़ेगी और उन्हें अधिक स्थाया मनदर मिल सकेंगे। कुछ मालिकों ने इस रहस्य को समझ किया है और वे इस ओर प्रश्नलक्षीकृत हैं। ऐसे मिल मालिकों को प्रान्तीय सरकार ने हर प्रकार की सहायता देना चाहिए।

कहो-कहीं मजदूर मालिकों के बनाये हुए मकानों में रहना पमद नहीं करते हैं, व्योकि मालिक उन पर तथा उनसे कायों पर निगरानी

खतो है। मजदूर कायक्ताओं को बहाँ आने से रोका जाता है और मजदूर सभा के कायों में विघ्न ढाले जाते हैं। उस मजदूर इडताल कर देते हैं तो उन्हें तुरत मकान खाली बरदेने के लिए कहा जाता है और कभी कभी तो पानी और रोशनी बढ़ कर देने की घमकी दी जाती है। आशा है कि भविष्य में मिल मालिक मनदूरों पर इस प्रकार का अनुचित दबाव नहीं ढालगे। किंतु यदि आवश्यकता समझी जावे तो सरकार कानून यनाकर इस प्रश्न के अनुचित कायों को गैर कानूनी घोषित कर दे।

नये कारणों यदि यहे औद्योगिक केन्द्रों में न खुलते दिये जावें और वे क्रमशः छोटे शहरों तथा कुहरों में ही स्थापित किये जावें तो उनके लिए जमीन का प्रबल हो सकता है और मालिकों द्वारा मकानों की व्यवस्था हो सकती है। किंतु यम्बई, कलकत्ता, बानपुर अहमदाबाद मद्रास, नागपुर, इत्यादि में केवल मिल मालिकों के कपर ही मकानों का व्यवस्था का भार छोड़ देना सम्भव नहा है। वहा प्रान्तीय सरकार को भी इस काय में हाथ बगाना होगा। यदि आवश्यकता हो तो मिल मालिकों को सरकार आर्थिक सहायता भी दे। और यदि केन्द्र से दूरी पर मनदूरों के उपनिवेश बसाये जावें तो उन्होंने गमनागमन की सुविधायें भी प्रदान की जावें। तभी यह समस्या हल हो सकती है।

सातवा परिच्छेद

मजदूरों का वेतन तथा उनकी आर्थिक स्थिति

मजदूरों के वेतन का प्रश्न भी आज तक महत्वपूर्ण है। जब तक मजदूरों को उचित वेतन न दिया जाता तब तक उनका स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं है। क्याकि मनदूरों के इन सदून का दूजा मजदूरों को कितनी मनदूरी मिलती है, उस बात पर निभर है। मजदूरों की मुख्य सुविधा, भोजन वस्त्र वी समस्या, उनका इवास्य, तभी वेतन या मजरीद्

र ही निम्र है। अतएव मनदूर ममस्पाशों का अध्ययन करनवालों के लिए मज़दूरों का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। जहाँ तक मज़दूरों का प्रश्न है, मज़दूरों का सबाल इनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अधिकारी हवालालें मज़दूरों के प्रश्न को देकर ही जोखी हैं।

मनदूरी की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ

ध्यावदार में मज़दूरों को बहुत पद्धतियाँ हैं। क्योंकि मनदूर कितना छाम करता है उससे निश्चय करने के बहुत से ढग हैं। किन्तु मोटे हृष में हम मज़दूरों की भिन्न भिन्न पद्धतियों को दो सुख्य पद्धतियों में विभाजित रूप सकते हैं (१) पहली पद्धति वह है जिसमें मनदूरी समय के अनुमार दी जाती है (२) दूसरी पद्धति वह है जिसमें मज़दूरी उत्पादन पर निर्भै रहती है, अर्थात् मनदूर कितना काम करता है, उसके अनुमार मनदूरी दी जाती है।

समय के अनुमार मज़दूरों निर्धारित करने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि मनदूर कितना काम करता है। मनदूरी प्रतिघटा, प्रतिदिन, अथवा ब्रति सप्ताह के अनुमार निर्धारित की जाती है। समय के अनुमार मज़दूरों के निष्पादित होने पर मनदूर कितना काम करता है, इसका विचार नहीं किया जाता। इस भालिक दृष्टि बात का ध्यान अवश्य रखता है फिर कोइ मनदूर इतना कम काम तो नहीं करता कि वह रखने पोर्य न हो। समय के अनुमार मनदूरों निर्धारित करते समय भी काय का न्यूनतम मानदृढ़ रखता जाता है। जो मनदूर उनका कार्य नहीं कर पाता उसको निकाल दिया जाता है।

कार्य अथवा उत्पादन के अनुमार जहाँ मज़दूरी दी जाती है, वहाँ जो वस्तु नैयार की जाती है, अथवा जो काय किया जाना है उसके अनुमार मज़दूरी वा हिमाय लगाया जाता है।

उदाहरण के लिये यहि किसी कारणजे में प्रति घन्न दो आना

अथवा प्रति दिन १ रु के हिसाब से मनदूरी दो नावे तो उसे “समय के अनुसार मनदूरी” कहेंगे और यदि किसी बुनश्चर की प्रति गज कपड़ा बुनने के लिए २ आना प्रति गज कपड़ा मनदूरी दी जाती है तो उसे “काय के अनुसार मनदूरी ” कहेंगे ।

अधिकाश धर्घो में समय के अनुसार मनदूरी दी जाती है । क्योंकि मनदूर और मनदूर सभायें समय के अनुसार मनदूरी का समर्थन करते हैं । समय के अनुसार मनदूरी का एक गुण विशेष यह है कि वह बहुत सरल है । मनदूर की समझ में वह आसानी से आनाता है और उसका हिसाब लगाना भी सरल है । यहाँ नदा, कुछ धर्घे ऐसे होते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष ने कितना काम किया है, इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए रेलवे में, शक्ति के कारखाने में, जहाज में, रिजल्टों के कारखाने में, बाटर घरस में इत्यादि । इन धर्घों तथा अन्य ऐसे ही धर्घों में किसी एक मनदूर ने कितना कार्य किया है, यह नहीं जाना जा सकता । क्योंकि इन धर्घों में प्रत्येक किया एक दूसरे से ऐसी मिज्जी हुड़ होती है कि उसको किसी बाच की स्थिति में नाप सकना सम्भव नहीं है । इसके विपरीत सूती या ऊनी कपड़े के कारखाने में मनदूरों ने कितना कार्य किया है, इसका हिसाब वही सरलता से लगाया जासकता है । एक बुनश्चर जितना कपड़ा एक दिन में तैयार करता है, वह यहाँ आसानी से मालूम किया जा सकता है ।

निन धर्घो म कुशलता और साक्षात् काय के अन्यन्त आवश्यकता होती है उनमें भी समय के अनुसार मनदूरी देना ही उचित होता है । क्योंकि यदि वहाँ कार्य के अनुसार मनदूरी दो नावे तो मनदूर अधिक मनदूरी पाने के लालच में काय को जलदी समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे और वह काय भलाभाति न हो सकेगा । उदाहरण के लिए यदि बढ़िया रेशमा साढ़ा अधिक अन्य भूल्यवान कपड़ा तैयार करना हो, बढ़िया आचार बनाने हों, होरे के तथा अन्य बहुमूल्य आमूल्य बनाना हो, अथवा ऐसे ही अन्य कार्यों में जहाँ कुशलता की आवश्यकता

होती है, वहा समय के अनुसार ही मज़दूरी नी जाती है। कुछ ऐसे धर्चे हैं, जहा काम के अनुसार मज़दूरी देने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। उनाहरण के लिए वस्त्र व्यवसाय म, इनीनिय रिं में, चीनी मिट्टी के बतनों के कारबानों म, कपड़ा सीने के कारखानों म तथा शोयलों की खानों म काय के अनुसार ही मज़दूरा दी जाती है।

समय के अनुसार मज़दूरी देने की प्रथा में एक दोष यह है कि मज़दूर चिनना काय कर मज़ाना है, उतना नहा करता। वह समय को नभरने का प्रयत्न भरता है और कम से कम काम करने का प्रयत्न करता है। निन कारबानों में निरीचण बहुत अच्छा होता है और मज़दूर विश्वासपात्र और डमानदार होते हैं वहा काय कुछ दोष होता है और जहा निरीचण ठिकिल होता है, वहा काय ठीक नहीं होता।

किन्तु काय के अनुसार मज़दूरा देने की प्रथा में कुछ गम्भीर दोष है। एक यहा नोय तो यह है कि इसके भारण मज़दूरों में अन्वस्थकर प्रति स्पदा का भावना नाप्रत हो जाती है। जो अधिक कुशल मज़दूर हैं, वे अधिक कमाते हैं। इस प्रतिस्पदा का प्रभाव मज़दूरों के सामन पर छुरा पढ़ता है। यही कारण है कि द्रेड यूनियन (मज़दूर सम) इस प्रथा को अधिक प्रमद नहीं भरती। इस प्रथा म दूसरा भयेकर दोष यह है कि मिल मालिक मज़दूरों की कायचमता कितनी है, यह जान जाता है, और यदि वह नेयता है कि मज़दूर बहुत अधिक मज़दूरी पाते हैं तो उससा प्रयत्न मज़दूरी कम करने की ओर होता है। अथवा यह समय के अनुसार मज़दूरी निधारित कर नेता है और साथ ही एक मज़दूर को कम से कम किनना काय अपश्य करना चाहिण, यह भी वह निश्चित बर नेता है। इस कारण मज़दूरों का शोपण करने का उसे अपसर मिल जाता है। यही कारण है कि निन दशों में मज़दूर सुमगाइन ह, वहा काय के अनुसार मज़दूरों का दर द्रेड यूनियन और मालिक दोनों की व्याप्रिक्ति से ही निश्चित होता है और मज़दूर सम समय के अनुसार न्यूनतम

मजदूरी भी निर्धारित कर देता है, जो कि मजदूर को प्रत्येक दशा में मिलना चाहिए ।

प्रीमियम बोनस पद्धति

समय के अनुसार मजदूरा देने से कुशल और उमतावान मजदूर को कोइ लाभ नहीं होता । वया कि उसको उतनी ही मजदूरी निनती है, जितनी कि अकुशल मजदूरों को । अतएव वह जितना उत्पादन काय कर सकता है, उतना नहीं करता । इस कारण कुछ व्यवसायियों ने समय के अनुसार मजदूरी देन की प्रथा और काय के अनुसार मनदूरी देने की प्रथा वा समिधण करके प्रीमियम बोनस पद्धति निकाली । प्रीमियम बोनस पद्धति का स्वरूप भिज्ञ भिज्ञ है । हम यहाँ मुख्य प्रीमियम पद्धतियों का विवरण देते हैं ।

टेलर पद्धति

प्रीमियम बोनस पद्धतियों में सबसे पुरानी पद्धति टेलर पद्धति है, जिसे सयुस्तराज्य अमेरिका के एक डॉलर टेलर ने निरूपित किया था । इस पद्धति में काय के अनुमार मजदूरी की दरें होती हैं । एक ऊँची दर होती है और एक नीची दर । ऊँची दर नीची दर से छोड़ी तक होती है । यदि मजदूर काय के एक निश्चित मानदण्ड से अधिक काम करता है अथवा इतना ही काय करता है तो उसको ऊँची दर से मजदूरों दी जाती है । और यदि वह निश्चित काय से कम काय करता है तो उसको नीची दर से मजदूरी दी जाती है । इस पद्धति में धीरे काम करने वाला मजदूर बहुत घाटे म रहता है और तेज काम करने वाला मजदूर बहुत लाभ उठाता है । इसम कोइ समय के अनुसार मजदूरी को गारटो नहीं की जाती । परन्तु इस पद्धति में काय का मानदण्ड निधारित करने में बहुत सावधानी रखने का आवश्यकता है । यदि मानदण्ड इतना ऊँचा निर्धारित कर दिया गया कि केवल बहुत तेज मजदूर ही उतना काय बर सके तो साधारण

मनदूरों को उससे बहुत हानि होगी। इस पद्धति को मनदूरों ने कभी भी पसंद नहीं किया और मिल मालिनी में भी यह अधिक प्रचलित नहीं हुई।

टैट की बोनस पद्धति

टेलर का पद्धति के दोष को दूर करके तैर ने पुक नवीन बोनस पद्धति निकाली। इस पद्धति की प्रियोपत्ति यह है कि इसमें प्रति घटे के दिसाव से मनदूरी की गारटी दी जाती है, जिसे मनदूर नितना भी कार्य करे। परन्तु यदि मनदूर निपारित कार्य को कर देता है तो उसको ३० प्रतिशत श्रीमियम् दिया जाता है। उदाहरण के निए यदि कारखाने ने एक मनदूर के लिए ५० रुपये का स्टैंडिंग नियत दिया है और यदि वो ही मनदूर दो घटे में व्हेज ३० रुपया ही तैयार करता है तो उसको प्रति घटा के दिसाव में दो घटे की निर्भारित मनदूरी मिल जायगी। यदि किसी मनदूर ने ५० रुपया व्हेज कर दिया तो उसको श्रीमियम् मिलेगा। इस पद्धति में पर अनुनतम् मनदूरी की गारटी जाती है, जिसके नीचे मनदूरी जा ही नहीं सकती।

श्रीमियम् बोनस पद्धतियों में अप्पे महत्वपूर्ण और सब प्रचलित है लेप म पद्धति इस प्रसार ह— कारखाने में मनदूरों की रेट निपारित करने वाला एक पृथक् विभाग होता है। प्रत्येक काय के लिए नितना समय साधारणत लगेगा, इसको वह विभाग निपारित कर देता है। प्रत्येक मनदूर के काड पर वह समय लिख दिया जाता है जो कि स्टैंडिंग समय है और नितने समय में साधारणत मनदूर को यह कार्य कर लेना चाहिए। यदि काड स्टैंडिंग समय से अधिक में काय समाप्त करता है तो उसको पूरे समय (अधात जितने भी घटे उसने काम किया है) की समय के अनुमार मनदूरी देता जायगी। और यदि कोइ मनदूर स्टैंडिंग समय से कम में काम कर लेता है तो उसने जितने समय की अवधि की है, उसके आधे या तिहाड़ समय की मन-

दरा उसे योनस क रूप में और दे दी जाती है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। उदाहरण के लिए यदि प्रति घटे की समय के अनुसार मनदूरी ३ आना प्रति घण्टा है और उस काय के लिए पाच घन्टा स्टैंडर्ड समय नियत है और प्रीमियम योनस समय की बचत का आधा दिया जाता है तो यदि कोइ मनदूर ६ घटे में उम काय को समाप्त करता है तो उसे ६ घटे की समय के अनुसार मनदूरी १ आना दे दी जावेगी, किन्तु योनस नहीं मिलेगा। यदि वह पाच घटे में काम समाप्त कर देता है तो उसे १५ आना ४ मिल जाता है, किन्तु योनस नहीं मिलता। और यदि वह चार घटे में काम समाप्त कर देता है तो उसे १८ आना मनदूरी का मिलता है और आधे घटे की २ आना मनदूरी योनस में मिलती है। इस प्रकार उसकी मनदूरी का ऐसे चार आना प्रति घण्टा न होकर ४। आना प्रति घण्टा हो जावेगा। इस पद्धति का विशेष गुण यह है कि यह बहुत सरल है। मनदूरों की समझ में आसानी से आ जाती है साथ हा मालिक को समय की बचत का आधा ही देना पड़ता है। जहा तक मालिक का प्रश्न है, वहा तक तो उसे जाम ही है किन्तु कुशल मनदूर को अपनी कुशब्जता का पूरा जाम नहीं मिलता। यदा इस पद्धति का दोष है। साथ ही यदि प्रत्येक काय के लिए कितना समय लगता चाहिए, इसको निर्धारित करने में मालिक कुशल मनदूरों के काय को स्टैंडर्ड निर्धारित करदें, तो मनदूरों को बहुत हानि उगानी पड़ सकती है।

रावान पद्धति

रावान पद्धति हेलसे पद्धति से मिलती है। उदाहरण के लिये यदि कारखाने के अधिकारियों ने किसी काय विशेष के लिए १० घण्टा निर्धारित किये हैं और कोई मनदूर उस काय को केवल ८ घटे में समाप्त कर दता है, तो उसको ८ घटे का $\frac{1}{2}$ अधार् । ६ घटे का प्रीमियम दिया जावेगा। रावान पद्धति में प्रीमियम किनने घटे का मिलेगा, उसको

निकालने का नीचे लिखा गुर है—

नितने घटे में काम किया X जितने घटे की बचत की
जितने घटे निपारित यह
इमका
अथ यह हुआ कि जो घटे प्रीमियम के निकले, उनसे मनदूरों ने नितने
 घटे में लाभ समाप्त किया है, उनमें जोड़ किया जाता है और उसने की
 उसे मनदूरी दी जाती है। ऊपर के उदाहरण में मनदूर ने ८ घटे में
 काय समाप्त कर किया, किन्तु उसने ६ ६ घटे की मनदूरी मिलेगी। इस
 पद्धति से आरम्भ में हेलसे पद्धति की अपेक्षा आधिक प्रीमियम मिलेगा।
 किन्तु यदि मनदूर आवे समय की बचत करते हों तो हेलसे और राशन
 पद्धति से एक समान प्रीमियम मिलेगा। यद्यपि इमका जोड़ समाप्तना
 नहीं होती।

यह पद्धति भी मालिक के लाभ की है क्योंकि मनदूर नितन समय
 की बचत करता है, उसने उसका लाभ नहीं मिलता और न वह इस
 पद्धति के पेचीदे हिसाब से ही समझ पाता है।

स्लाइटिंग स्केल पद्धति

इस पद्धति में मनदूर उम बस्तु के विक्रय मूल्य पर निर्भर रहता है। यदि उस बस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो मनदूरी की दर ऊँची कर दी जाती है और घटता है तो घटा दी जाती है। यह पद्धति मालिकों की दृष्टि से तो बहुत अच्छी है परन्तु मनदूरा की दृष्टि से उतनी लाभ दायक नहीं है। कारण यह है कि हिमी बस्तु का मूल्य उसकी माग, द्राय की घगती या बढ़ती तथा अन्य बहुत से कारणों पर निर्भर है। अस्तु इस पद्धति को स्वीकार करने से मनदूरों को जोखिम भी उगाना होगी, जो कि व्यवसायी का काय है, न कि मनदूरों का और जिसके लिए व्यवसायी को लाभ मिलता है।

इसके अतिरिक्त यदि मालिक चाहे तो बस्तु का मूल्य घटा कर मनदूरों को कम मनदूरी देकर घपने लाभ को बढ़ा सकता है। यदि वह

वस्तु ऐसी हो कि जिसके मूल्य घग देने से उसकी माग बहुत बढ़ जावे तो भालिक को दोहरा लाभ हो सकता है। एक तो अधिक रिक्ती पर थोड़ा लाभ लेने पर भी, उसको कुल लाभ बहुत अधिक होगा, दूसरे मूल्य के घने के बहाने वह मज़दूरी कम कर सकेगा। इसके विपरीत यदि मज़दूर सगठित हैं तो वे उत्पत्ति कम करके, वस्तु के मूल्य को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मज़दूरी बढ़ सके। यही कारण है कि यह पद्धति अधिक प्रचलित नहा हो सकती।

बैडाक्स पद्धति

पिछले दिनों में बैडाक्स पद्धति ने लोगों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। किंतु बैडाक्स पद्धति केवल मज़दूरी देने की ही पद्धति भारत नहा है। व्योंकि बैडाक्स कपनी अपने नियोपकर्ता को प्रयोक्ता कारणाने की उत्पत्ति के द्वा का अध्ययन और जीव करने के लिए मेज़ती है। वे उक्त कारणाने को उत्पादन पद्धति में व्या सुधार हो सकते हैं, इसके सम्बाव म सुझाव देते हैं। बैडाक्स कपनी ने एक काय का मानदण्ड नियारित किया है, जो कि एक औसत मज़दूर, साधारण परिस्थिति में सामान्य तेज़ी से कार्य करते हुए और उतना विश्राम करते हुए कर सकता है, जितना विश्राम करने का बैडाक्स पद्धति आना चाहा है। दूसरे शब्दों में बैडाक्स पद्धति में यह नियारित कर दिया चाहा है कि एक औसत मनदूर यदि सामान्य रूप से उनके बताये हुए द्वाके काय करे तो नियारित काय कर सकता है, जो भी मज़दूर बैडाक्स पद्धति के अनुसार नियारित ६० यूनिट प्रति घण से अधिक उत्पादन करता है, उसको जितना अधिक वह उत्पादन करता है, उसका तोन चौथाइ लाभ दिया चाहा है। परन्तु इस पद्धति का मज़दूरों द्वारा विशेष रूप से विरोध हुआ है।

लाभ में विशेषारी (Profit Sharing)

इस विवारों का विचार था कि यदि मज़दूरों को भी कारखाने के

लाभ में सफोत्तर कर लिया जावे तो वे अधिक मन लगा कर काम कर सकेंगे। उनको एक निश्चित रेट से निकल काय के लिए भजदूरा दा जावे। योनम इत्यादि कुद्र न दिया जावे, परन्तु लाभ का एक अश वर्ष के आन में उहै दे दिया जावे। लाभ में हिस्सेदारी के भी बहुत स दोष है। पहले तो लाभ बहुत सी बार्ता पर निभर होता है, कबल मज़दूरों के मन लगा कर काम करने पर हा निभर नहीं होता। उदाहरण के लिए उन्नु की बानार में माग कम हा जावे अथवा अधिक मदी के कारण उमसा जाम गिर जावे अथवा मालिका की अवस्था और कुश्प्रध के कारण हानि हो जावे, तो मनदूरों के मन लगा कर काम करने पर भी, जाम के रक्ते हानि हो सकती है। यदी कारण है कि 'लाभ में हिस्सेदारी' ने मनदूरों का कभी भी प्रभावित नहीं किया। इसमें एक कठिनाह यह भी है कि ज्ञाम हानि का मारा -योरा तो मालिक ही तैयार करता है। अस्तु पद्धि वह चाहे तो लाभ को कम करके नियन्ता सकता है। हाहा मव कारणों से लाभ में हिस्सेदारी अधिक प्रचलित नहीं हा सकी।

मालेनारी (Co-pairnship)

कुद्र उदारमना व्यवसायियों ने मनदूरों को लाभ में हिस्सा देने उह समस कारणों का हिस्सेदार बना किया और उनके प्रतिनिधि दायरेनगर भी मालिक के माथ माय कारणों के प्रवाध में भाग लने लगे। इस प्रकार मनदूरों का भी उस कारणों पर म्बालिक म्यापिन हो गया। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में बहुत कम हैं और जिन प्रयनों में सफलता मिली है उमसा मुख्य कारण यह रहा है कि उन उदारमना ऊने रप्रित्य वाजे व्यवसायियों ने निवैन अपनी पूजी लगा कर और परिश्रम करके कारणों को खड़ा किया और सफलता मिलने पर समस उमको मनदूरों की ओज़ बना आ, उनके व्यक्तिगत के प्रति मनदूरों की इतनी ऊ भी भावना रहती भी कि यद्यपि वह सफलता

इयरेकर होता था, परंतु उसकी बात को सभी आदरपूरुष स्वीकार करते थे। वास्तव में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम हैं और साधा ऐसे पूँजीपतियों अथवा व्यवसायियों से इस मनोवृत्ति की आशा करना भी मूरखता है। यह तो कुछ भावना प्रधान उदार पक्षितयों की सिद्धात गादिना के चिंह मात्र हैं। अस्तु, इस प्रकार की कोड पद्धति पूँजीवादी नगरन म प्रचलित करना शम्भव है।

सहकारी उत्पादन (Co-operative Production)

सहकारी उत्पादन म मालिक को इटा कर मनदूर स्वयं "व्यवसायी का काय करते हैं, अर्थात् धधे की जोखिम और उसका नियन्त्रण उनके हाथ में रहता है। वे स्वयं अपने नौकर होते हैं। उत्पादन की सारी निम्ने दारी उन पर होती है और व पूँजी उधार लेते हैं। धधे का ज्ञान उन्हें मिलता है और उस पर उनका अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के सहकारी उत्पादन के आदर्श ने बहुत से सामाजिक सुधारकों, राष्ट्र घोवन, जान सुश्रद्ध मिल, फैरियर तथा विरिव्यवस्थाओं को आकर्षित किया था।

किंतु इस प्रकार की उत्पादक समितिया सफल नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि आखुनिझ यही भागा की उत्पत्ति में बहुत अधिक पूँजी और व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है। निधन मनदूरों को ऐसे इत्यादि यथात् पूँजी नहीं देते। विशेषण तथा मैनेजर तथा अ-शिक्षितगण के लोग मनदूरों के द्वारा सचालित कारखानों में काम करना नमद नहीं करते। तिर कारणानों म उन मैनेजरों को मनदूरों पर अनुशासा रखना किन होता है, जो वारतप में उनके मालिक हैं। यदि कोइ शरारती मनदूर, जो कि बहुधा अपने अन्य साधियों में प्रभाव रखता है, काम नहीं करना चाहता और मैनेजर इत्यादि उनसे दबाना चाहें तो मैनेजर का रिपोर्ट गढ़वाल हो सकती है। यही कारण है कि विशेषण और अ-शिक्षित द्वारा अधिकारी द्वारा कारणानों में काम नहीं करते

आर या का अनुशासन ठीक नहीं रहता। मनदूरों के कारबानों को येट पूजा भा नहीं मिलती, माथ ही माल की बिन्दी का भी उचित प्रबंध नहीं हो पाता। वही मात्रा जो उत्पादन मनदूर मालिकों द्वारा सफलतापूर्वक नहा हो पाता। यही कारण है कि इस प्रकार की फैक्टरियाँ सफल नहीं हुईं।

परन्तु थोटी मात्रा में सहकारी उत्पादन बहुत सफल हुआ है। उदाहरण के लिए चीन की औद्योगिक समितियों ने चीन में सहकारी ढंग पर उत्पादन का पुर अत्यन्त सफल समाजन खड़ा कर दिया है।

अपर के विवरण से यह तो स्पष्ट होता है कि मनदूर का वास्तविक शोषण तभी चढ़ हो सकता है जब कि समाजवादी "यत्पर्या स्थापित हो कि नु इस पूजीवादी व्यवस्था में उसके लिए "न्यूनतम मनदूरी कानून" बना कर इतनी मनदूरी कानून द्वारा नियारित कर दनी चाहिए कि उसको मनुष्योचित जीवन "यतीत करने के साथन प्राप्त हो सके।

भारत में मनदूरी

भारत में मनदूरी पद्धति अत्यन्त अस्त-प्रस्त दरा में है। भिन्न भिन्न धर्मों में मनदूरी नियारित करने की पद्धति भिन्न है और एक रथान में भी सब कारबानों में मनदूरी पक्ष सी हा, यह बात नहीं है। आप किमी औद्योगिक केंद्र में चड़े जान्ये, जो कारबानों की दीपांग मिली हुई है और उनम मनदूरी में आकाश पाताल का अंतर है। एक ही मालिक के द्वा भिन्न भिन्न धर्मों की मनदूरी का कोइ स्टड़िड निर्धारित नहीं किया गया है। यद्यपि १९२६ में मनदूरी अदायगी कानून पास हो गया है। इन्तु अब भी मालिक मनमाना उमाना चरते हैं, मनदूरी का कुछ भाग पसुधर्मों में देते हैं और समय पर मनदूरी नहीं देते। न देंग म मनदूर आन्दोखन ही इतना प्रथम है कि देश भर म मनदूरी का एक सा स्केल

टोला उनसा कोयला चुरा बे सकती है। इस कारण मजदूरों की बहुत सी मजदूरी मारी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि कोलियरों में अधिक टब हो और उन टबों का पूरा पूरा उपयोग हो। साथ ही कोयले की खानों में सरदार, टब मेकर, और सुपरवाइजर चालाकी से मजदूर की मजदूरी खा जाते हैं। वह कटोरता पूरक रोक दिया जाय। मुखी लोग भी टबों के जिसाने में चालाकी करते हैं। उसके लिए एक युक्ति यह की जा सकता है कि प्रत्येक मजदूर बो नब वह खान मधुसे, एक गिकिर दिया जाये जो कि कोयला भरते समय मजदूर टब में रख द। गिकिर पर मजदूर का नम्बर अकिन हो। इस प्रकार टब को उस नम्बर के मजदूर के हिसाथ में लिखा जावगा कि निससा गिकिर उसमें है।

काम पर न आना

रानी में काम करने वाले मजदूरों का कम आमननी होने का एक कारण यह भी है कि मजदूर पूरे दिन काम नहा करत। बिहार और बगाल म सदैव खाना में मजदूरों का टोड़ा रहता है, इस कारण मजदूर अधिक मजदूरी का खान में खान से दसरा खान को चल जाते हैं। मनदूरों के काम पर न आने का दूसरा कारण यह है कि नो मनदूर समीक्षनी गार्डों म रहते हैं और खेली करते हैं, वे पसल घोने के समय खानों का काम छोड़ कर खल जाते हैं, अधिन सुनाइ अगस्त तथा नवम्बर में मजदूर खाना म काम नहीं करत। सितम्बर और अक्टूबर तथा दिसम्बर से जून के मध्य तक मजदूर खानों में काम नियमित रूप से करते हैं। जब स खानों के अद्दर स्थिति को काम करने की मनाही बढ़ता गइ है, तब से मजदूर महाने म एक सप्ताह के लगभग अपने गार्डों म परिवार की दख भाल करने के लिए जाते हैं। एप्रिल और मई म गियाहों के कारण मजदूर खाना में कम काम करते हैं। खान में काम करने वाले मजदूर सप्ताह में

चार जिन कार्य करते हैं। बिहार के लोगों के अनुमार खानों में मजदूरों की उपस्थिति इस प्रकार थी।

सप्ताह में उपस्थिति

जिनों की संख्या

मजदूरों की प्रतिशत (उपस्थिति)

६

१०%

५

४५%

४

२५%

३ से कम

२०%

मनदूरों की अनुपस्थिति के सुरुच कारण यह हैं। १. किन परिश्रम के उपरांत विश्राम की आवश्यकता २. शराब और जुण का अत्यधिक व्यय ३. स्वास्थ्यप्रद मनोरजन के माध्यनों का अभाव। जिन कोयले की खानों ने मजदूरों को रहने और उनके मनोरजन इत्यादि की अच्छी सुविधा प्रदान की है, वहा अनुपस्थिति बहुत कम है। अस्तु इस परिमिति म सुधार करने के लिए अच्छे मकान, अधिक मजदूरी, काम करने की अच्छी व्यवस्था, अच्छे मनोरजन के साधा और ऊर्ध्वे दर्जे का सामाजिक जीवन आवश्यक है।

आपश्यकता इस बात की है कि कोयले के धरों में भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाए, जिसके नीचे कोइ व्यक्ति मजदूरी न पावे।

सूती वस्त्र व्यवसाय में मजदूरों

यद्यपि सूती वस्त्र व्यवसाय भारत का सबसे पुराना संगठित धर्म है, किन्तु सूती वस्त्र के कारबानों में मजदूरों की दरा अत्यांत शोचनीय है। यही नहीं कि भिज्ञ भिज्ञ के द्वारा मजदूरी की दर बहुत भिज्ञ है, यरन् एक काद्र में ही भिज्ञ भिज्ञ कारबानों द्वी दर भिज्ञ है। यस्तु मद्रास, चैताल और मध्यप्रान्त में सूती भिज्ञों के

मनदूरों की मनदूरी बहुत ही कम है। परन्तु यमदृ और अहमदावाद म मनदरी अधिक है।

बात यह है कि खेती म पूरे वप काम न मिलने के कारण तथा भूमि पर नन सरया का अत्यधिक भार होने के कारण तथा घन आवाद प्रदेशों के मनदूर इन कारणों म आकर काम करते हैं इस कारण इन शौलोगिक केन्द्रों में भी मनदूरी बहुत कम रहती है। मनदूरों की अत्यधिक सरया होने के कारण उन प्रातों म नहा उद्योग बचे अभी अधिक पनप नहीं है वहा मनदरी बहुत कम है। फिर भी मिल भालिक मनदूरा को कुशल कारीगर बनाने के लिए शिक्षा का कोड प्रमन्य नहीं करते, जिससे कि वे भवित्व म अधिक मनदूरी पा सकें। यमदृ और अहमदावाद, मदरास और मद्रा म वस्त्र यवसाय ने यवेष्ट उन्नति की है और वहा यदिया यारीक कम्पा हैयार रिया नाने लगा है। जिन केन्द्रों म यदिया सूती वस्त्र हैयार होता है, वहा धाधा आँखी अवस्था में है और मनदरी भी हुँद अधिक है, परन्तु सुनुकतप्रात, यगाल, मन्ध प्रात और पजाब में सोटा वस्त्र हैयार होता है और वहा मनदूरी भी कम है। यमदृ, अहमदावाद, शोलापुर तथा यमदृ प्रात के अन्य केन्द्रों में हुनकर एक साथ कहाँ पर कम्पा हुनते हैं। परन्तु यमदृ प्रात के बाहर दो कहाँ से अधिक एक हुनकर नहीं चज्जा पाता। भारत के अधिकारी यारीगारों में एक हुनकर एक कहाँ पर काम करता है। परन्तु यमदृ और अहमदावाद में एक हुनकर चार कहाँ पर काम करता है। नहा हुनकर दो या दो से अधिक कहाँ पर एक साथ काम करते हैं, वहा काम के घटे कम है और मनदूरी अधिक है। परन्तु जहा कुशल मनदरों का कमा है, वहा पर लम्ब भाटे तक काय करने पर भी मनदूरी कम है। किसा किसी प्रांत में अभी उद्योग धया की जियोप उन्नति नहीं हुइ है, वहा मनदूर मढ़ने म कहाँ दिन अनुरस्थित रहते हैं। इस कारण भा वहा मनदरी कम है।

यह सो हम पढ़के ही कह जुके हैं कि भारतवर्ष में मिन मिन

आंचोगिक केन्द्रों तथा एक ही बेन्द्र का भिन्न भिन्न मिलों में मजदूरी की दरें भिन्न हैं। यह टीक है कि कुछ सीमा तक कचे माल के अद्युते खुरे होने पर, यन्त्रों की भिन्नता तथा काम करने की व्यवस्था पर कुछ हर तरफ मजदूरी की भिन्नता आवश्यकभावी है। परन्तु इसी अधिक भिन्नता किसी प्रकार उचित नहीं कही जा सकती। आवश्यकता इस बात का है कि मनदूरा की दरें एक सी हों। ऐसा नहोने से मजदूर ऊर्ध्वा मजदूरी की रोन में एक कारणाने से दसरे कारणाने को दीड़ते रहते हैं। यदि एक मनदूर एक ही कारणाने में अधिक दिनों तक स्थायी रूप से काम कर सके तो वह अधिक कुशल हो यक्ता है। मजदूरी की दरों में भिन्न भिन्न कारणानों में एक ही कार्य करनेवाले मजदूर भी सगड़ित नहीं हो पाते। सच सो यह है कि मजदूरी की भिन्नता का बहुत बुरा प्रभाव होता है। वस्त्र व्यवसाय में बहुत सी इच्छाला का मूल कारण यही होता है कि मजदूरी की दरें भिन्न हैं। अतएव मनदूरों में शान्ति बनाये रखने के लिए और उन्हें एक कारणाने में स्थायीरूप से रखने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरी की यह भिन्नता दर की जावे।

अभी तक बेबल अहमदाबाद में मनदूरी की दरों को एक समान करने का प्रयत्न किया गया है, आव बेन्द्रों में भी और तनिक भी व्यापक नहीं दिया गया। अहमदाबाद में लगभग ७० प्रतिशत मजदूरों को मनदूरी का संडर्ड निर्धारित कर दिया गया है। अहमदाबाद में नो संडर्ड मजदूरी निर्धारित है, उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ मजदूर आन्तेलन अधिक शक्तिपान है और यहाँ का मजदूर सगड़न मवज्जा है।

नितु मनदूरी की दरें एक समान कर देने से ही काम नहीं चलगा। आवश्यकता इस बात की है कि सूती वस्त्र व्यवसाय में भी न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित कर दी जावे। यम्बइ टैक्सगाइल लेवर इनदौषियरी कमेंट (यम्बइ प्रान्त के सूती वस्त्रों के कारणानों में काम

करने वाले मनदूरों की जाति कमेंटी १९४० ने बम्बई प्रान्त में भिन्न-भिन्न केंद्रों के लिए सूती वस्त्र के कारखानों में न्यूनतम मज़दूरी नियंत्रित करने की सिफारिश की थी।

जूट मिला में मजदूरी

जूट का धधा भी देश का एक महत्व पूर्ण और प्रमुख धधा है, जिसमें लगभग ३२०,००० मजदूर काम करते हैं। जूट के धधे को १९३६ के महायुद्ध के पूछ घोर भाद्री का सामना करता पड़ा था। किन्तु धधे का नवान सगर्जन न करके जूट मिल मालिकों ने मजदूरों के रहन सहन के दर्ते को नीचा करके भाद्री का सामना किया। जूट मिलों सप्ताह में पाच दिन या चार दिन ही काम करती थी। प्रत्येक मिल अपने दस प्रतिशत कधें काम में नहीं जाती थी। ऊपर से मजदूरी की दरें भी कम कर दी गई थीं। इस प्रकार जूट के कारखाना में काम करने वालों की आमदनी बहुत कम हो गई थी। इसी का परिणाम था कि जूट के धधे में १९२२ और १९३७ में आम हड्डतालें हुईं। उस समय मजदूरों ने ३०५ मासिक न्यूनतम मज़दूरी, सुप्त रहन का सुविधा, बकारी अलाइ स, नि शुल्क शिशा और सम्बन्धियों का नौकरी मिलन की मांग की थी।

युद्ध आरम्भ होने पर काम के घटे बढ़ा कर ६० कर दिये गए और जो कधें बढ़ा कर दिये गए थे, वे भी चला दिये गए। किन्तु शीघ्र ही जूट की मांग न होने पर फिर काम के घटे ५५ कर दिये गए और दस प्रतिशत कधें बढ़ा कर दिये गए। १९४३ में जाफर की फिर १० प्रतिशत बढ़ा कर चलाये गए। अन्तु, इस दखने हैं कि जूट मिल में मजदूरों की स्थिति आँखी नहा। जूट का माप की स्थिरता न होने के कारण जूट के कारखाना में मनदूरों की मांग घटती बढ़ता रहता है। इस पर भा जूट के कारखानों में मजदूरा बहुत कम है। रायल लेवर कमोशन ने चब मारतीय मजदूरों को दरा की जाती की थी, उस समय जो मजदूरा बहा ना जाता थी, लगभग वही मजदूरी बहा मजदूरों को दी जाती है।

यद्यपि जूट के कारखाने कलकत्ता के चालीस मील उत्तर और चालीस मील दक्षिण हुगली नदी के दोनों ओर केन्द्रित हैं और अधिकतर उनका प्रबन्ध अप्रेची मैनेजिंग एजेंटों के हाथ म है और सभी कारखाने लगभग जूट का सब सामान उत्तराते हैं, पर भी वहा मनदूरी की एक भी दर नहीं है। एक ही काम के लिए भिन्न भिन्न कारखानों म मनदूरी भिन्न है। यह बहुधा देखने को मिलता है कि कारखानों के शहातों की दीवार एक दूसरे से मिली हुड़ हैं, परन्तु उन दोनों कारखानों में मज़दूरी की दरें बहुत भिन्न हैं। यही नहीं, वे मिलें जो एक ही मैनेजिंग एन्ज के प्रबाध में हैं, उनमें भी मज़दूरी भिन्न है। जूट कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों की, आज से बहुत दिन हुए तबसे बराबर यह मार्ग रही है कि जूट के धन्ये में से एक काय व लिए एक-सी मज़दूरी निर्धारित करना आवश्यक और सरत है, क्योंकि देश के सभी कारखाने एक ही वेद्र में हैं। जूट के कारखानों में इसी प्रश्न को लेकर बहुत भी हड़तालें भी हुई, परन्तु मिल मालिकों ने अभी तक इस और व्यान नहीं दिया।

इसका परिणाम यह होता है कि मज़दूर अधिक मज़दूरी की व्याज में एक मिल से दूसरी मिल में चक्र करा करता है। कहीं भी स्थापा हृष से रह कर काम नहीं करता। [यदि यगाल जूट मिल ऐमोसियेशन चाहे तो बहुत आसानी से सब जूट मिलों में एक-सा मज़दूरी की दरें प्रचलित कर सकती हैं। क्योंकि सभी जूट के कारखाने उससे सम्बन्धित हैं।

इनीनियरिंग तथा लोहे का धधा

इस धधे में काम करने वालों को बहुधा बहुत गरमी और घन्तर म काम करना पड़ता है। यही नहीं, इस धधे में कार्य करने वालों पर शारारिक परिश्रम भी बहुत अधिक पड़ता है। यही कारण है कि समार क प्रत्येक देरा में इस धधे म काम करने वालों की मनदूरी अन्य धधों में काम करने वालों की अपेक्षा साधारणत हुगली होती है। वहा भास्तव्य

मनदरो वा कोई सचल यगर्न हो सकेगा, इसम यहुत सदह है। इनक शोपण वा अत तो न्यूनतम मजदूरी बानून बनाकर कम से कम मिल मालिक को प्रत्येक मजदूर को बितनी मजदूरी देनी होगा, यह निश्चित कर देने से ही हो सकता है। लेखक का भत ह कि इन कारखानों में तो सरकार को तुरन्त हो एक आना निकाल कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर देनी चाहिए। भारतवर्ष म या ही मनदूरी यहुत कम है और जिन धर्थों में मनदर सगमित नही हैं, वहां की दशा तो अन्यत शोचनीय है।

भारतीय मजदूरों के रहन सहन का दर्जा

अपर दिये हुए विवरण से यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि भारत म मजदूरी यहुत कम है और उसको ऊ वा उठाने के लिए यूनतम मजदूरी बानून बनाने की नितान्त आवश्यकता है। मनदरा को सर्वा अधिक होने से और उनकी माग कम होने से यदि मनदूर काम पाने के लिए यहुत कम वेतन पर काय करना स्वीकार कर लेते हैं तब क्या मालिक को उनकी इस दयनीय स्थिति का लाभ उठाने दना याय है। जिस मजदूरी से मनदूर को भर पेट भोजन भी प्राप्त नही होता वह आधे पेट रह कर अपने इड माम को कारखानो म सुपाता है उम मजदूरी को ज्ञा नश म जुम बना ज्ञा चाहिए। परंतु न्यूनतम मजदूरी के प्रत्यन को लन से पहले हम भारतीय मनदूर के रहन महन के बारे म जान लना आवश्यक है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरा का इससे घनिष्ठ मम्बाध है।

मच तो यह है कि भारतीय मनदूर के रहन सहन का दर्जा यहुत गिरा हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका स्वास्थ ग्राघ नही हो जाता है और उसकी कायक्षमता धर जाता है। किन्तु भारतीय मिड मालिकों का यह विवाम है कि यदि भारतीय मनदूर को मनदूरी ऊ वा नाव तो वह उमका उपयोग अपने रहन महन के दर्जे का ऊ वा

उगते में नहीं करते। मिल मालिकों का यह विश्वास है कि भारतीय मनदूर का इन सहन का दना निश्चित है, वसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि उनकी मनदूरी बड़ा दी जावेगी तो या तो मनदूर मदीने में अधिक दिन गैरहातिर रहने लगेगे अथवा वही हुइ आमदनी को शराब तथा आय वेकार की चातों पर व्यय में व्यय कर देंगे। अस्तु मिल मालिकों की यह निश्चित धारणा है कि मनदूरी बढ़ाने से मनदूरों को कोई जाम नहीं होता। हाँ, भारतीय की उत्तरति में कभी आवश्य हो जावेगी।

यह तथा उहुत ही गलत है। कठिपप आन्ध्रन्त रिहाई हुइ जातियों में यह निश्चन में आता है कि वे अपना बच्ची हुइ आमदना को शराब पर व्यय कर रहे हैं अथवा काम पर नहीं आते। किन्तु उसका यह कारण कदापि नहीं है कि उनमें अपने जावन को अधिक सुन्दी और सम्मन बनाने की भावना काम नहीं करता। उसका कारण यह है कि उनका न केवल आर्थिक शोपण ही हुआ है बरन उनका सामाजिक शोपण इतना अधिक हुआ है कि वे यह करना ही नहीं करते कि उनकी स्थिति में सुगंग भा हो बहुत है। अस्तु उनको अधिक मनदूरा देकर उसको इस प्रकार व्यय करना चाहिए यह भा बतनाना आवश्यक है। यह तथा कि उनको अधिक मनदूरा हो न देना चाहिए मिल मालिकों की शोपण की प्रवृत्ति का दौतक है। अधिकाश भारतीय मनदूरा का ज्ञान इससे सर्वथा निर है। वे अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि उनका मनदूरी यह जाता है तो वे अपने रहा सहन का दना भी छोड़ा देते हैं। अस्तु मिल मालिकों के तक में तनिक भी सार नहीं है।

मिल निर औषधिक कांदों में ये इस मनदूरों के पारिचारिक वज्र जमा करें तो इमें जात होगा कि नो वस्तुयें कभ तक भारतीय मनदूरों में मिलामिला ही वस्तुयें माना जाता थो ये ही आज आवश्यक वस्तुयें यन गई हैं। यही नहीं पिन मनदूरों की, आमदना अधिक है उनका भोजन वस्त्र दूर्यादि अविवाय आवश्यकताओं पर अपश्चाकृति कम व्यय होता है और फुक्कर व्यय अधिक होता है। यम्बृ में जहा भारत

मन्त्रदूर अपनी कुर आमदना का द स १० प्रतिशत शराब पर व्यवहरण है। उस जाच से यह भी पता चलता है कि यहाँ ७२ प्रतिशत मन्त्रदूर परिवार शराब पाते हैं। शाकापुर में ४३ प्रतिशत और अमरशाहाद में २७ प्रतिशत मन्त्रदूर परिवार शराब पीते हैं। विदार की कोपले की लूगों के मन्त्रदूर में मध्यान सबसे अधिक प्रघटित है। यहाँ १० प्रतिशत मन्त्रदूर शराब पाते हैं और लगभग पचास प्रतिशत आय शराब पर गत कर देते हैं। यहाँ क्रमशः मन्त्रदूर लियों भी अधिकाधिक शराब देते लगते हैं। १६३६ में विदार का कोप्र सा सरकार न मूरिया तिहाई हन्तारीबाग और राची निजा के गुण्ड भागों में शराब यहाँ कलावं परन्तु बाद को पांच से मत्रिमात्र के हन्तारे पर, नौकरशाहीरड़ी में लिया, शराब लिये लगती। आपरपत्ता इस बात की है कि विदार के साथ माय वर्षा पर शराब के लिये दूसरी दिया आय है तांत्रिक चाय तथा दूध का रान के लिये श्रोत्साहां दिया जाते। विदार अंगौद्यागिक केंद्रा गतार बरने पर एक घज्जा है कि सभी देशों मध्यान बढ़ रहा है। यह अस्थात अमराद्यनोय स्थिति है। इसके बिन्दु शास्त्र रोका जा सके रास्ता सरकार का कठब्य है। इसमें मिल भारती तथा टेंड यूनियन का महायाग अवश्य लेगा आदिष। मध्यान के दौरे से मन्त्रदूर का आयक्षमता घटता है और भव भी हानि पहुँचती है। दौरे मिलें मन्त्रदूरी को आय अपना दूध देना का प्रवध कर सकें ताकि इसके शराब कम होगी, साथ ही मन्त्रदूर की न यक्षमता भी बढ़ेगी। इस भी सरकार मिल मालिका तथा मन्त्रदूर नेताओं सभी को शास्त्र अनु द्वारा आदिष। शभी तरह इस महावृष्णु समस्या का आर लोगों का युक्ति कर ध्यान रखा है।

मध्यान का एकल शराब यही से समाप्त करना कठिन है। यह देश में गैर कानूनी ढंग से शराब खेली जाने लगती है। बात यह है कि मन्त्रदूर जिन भर अथवा परिधम करने से अस्थाधिक थक जाता है। अमर शरीर वो खका होता ही है, उसका सन् भी थक जाता है। अत यही

या शराय की दृष्टिं पर जाहर थोड़ी शराय पी लेता है और उससे सूर्ति का अनुभव करता है। उसके थके दूष गरीर और मन में उत्पाद और सूर्ति उत्पन्न होता है। अनु मनदूर को कुशल मनन् र धनानं के लिए हास्यमय मनोरनन के साथन उपलब्ध करना अचून्त आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि उह मनदूर आर्थिक शराय में रहने हो वहा कठोरता के साथ शराय बना कर दे और मिल्क मालिका का तथा मनदूर ममाओं का यह कलन्त्र है कि उनको शराय का उत्तराद्य बता कर शाय श्वेत दृष्टि पीने के लिए प्राप्तादित कर। मालिक कुछ द्यय बरके मनदूरों को न पार दृष्टि दिलावें। इसके माध्य ही मनोरनन के साथन भी मिल मालिकों तथा मनदूर ममाओं का उपलब्ध करना चाहिए। पुर्याळ, और भारतीय रोन का प्रचार करना और उनके लिए मुविधा प्रदान करना मिल मालिकों का कत अप होना चाहिए। मनन् रा का चालों में रडियो का व्यवस्था करना आर डूसा, मननन्मन्ना, कथा तथा मिनेमा का भी प्रबन्ध होना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि यहां हुआ मनदूर शराय की भट्ठा पर सूर्ति की गोत्र में नहीं जावगा और बद आर्थिक कारणाल बनेगा।

अब तो यह है कि मात्राय मनदूर के लिए मध्यपान एवं प्याय छापा राग है जो उपही कार्यशालता को तो नह करता हो है माय हो उपही नियन और शराय भी बनाना है। अनन्त इस ममम्या को और गोप्य ध्यान देना चाहिए।

मनदूर का शरण

भारतीय के करमना में जो मनदूर काम करता है, उनका आर्थिक नियति बहुत भाँझा हो, ऐसा यात नहीं है। यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई प्रभागिक घोषणे प्राप्त नहीं है, परन्तु जो कुछ हमें जात है उससे इतना हो सकता है कि उनमें में यहुत मराया म मनन् र छनदार है। मनदूर के शरणी होने के यहुत में कारण है। मनदूर के

श्रणा होने का पहला कारण तो यह है कि जब किसान अथवा ग्रामीण गाव में रह कर अपना निवाह नहा थे या पाता तो वह उस श्रीदोगिक के-उ का और भागता है, जहा उसके गाँव के लोग काम करते हैं। जब वह गाँव छोड़ कर श्रीदोगिक के-द्वे को नाता है, तब उसके पास किराये के अतिरिक्त ऊँदू नहा होता। यह किराया भी वह महानन से उधार लेस्तर, अपनी काद बस्तु बच कर या गिरवा रख कर अथवा अपने किसी सम्बाधी से रखया उधार लेकर जुगता है। अतएव जब वह गाँव छोड़ता है, तभी से कर्जदारी आरम्भ हो जाता है। श्रीदोगिक के-द्वे मना कर उसे तुरत हा किसी कारणाने म काम मिल जावे ऐसा महा होता। वह अपने गाँव वालों के पास जाकर ठहरता है और महाने पद्धति निन आर कभी उभी इससे भी अधिक की दीड़ धूर के बाद किसा सरदार को आँखी रखम देस्तर नौकरी ठोक की जाती है। इसने दिनों श्रीदोगिक के-द्वे म रहने और सरदार अथवा जागर को जो रिप्रेन देनी होता है, उसक लिए भा र्ण जैना पड़ता है। नौकरी लग जाने पर भी मनदूर को पहला तत्त्वाद लगभग सज्जा महीने बाद मिलता है। किन्तु नौकरी लग जाने के बाद उसकी सामने ऊँदू यह जाता है। जिस चाल या बस्ती म वह रहता है, उस बस्ता को सौदा बेचने वाला यनिया या दसा नदार उसे महान भर सौदा उधार देता रहता है। अग्रिमतर तो ऐसा होता है कि मनदूर दूसानदार का क्रीत दास हो जाता है। यहुत से स्थानों पर तो दूसानदार मनदूर का धूक होता है। मनदूर जा ऊँदू भी बतब लाता है वह दूसानदार जो दे दता है और यह दूसानदार से खाने लेता रहता है। जब उस किसी विशेष कार्य के लिए अग्रिम रथये की आवश्यकता होता है तो वह दूसानदार से उधार भा ले लेता है। इस प्रधार दूसानदार मनदूर का स्नामा यन जाता है और मनदूर उसका श्रणा यन जाता है। नहा जावर या मिल का फोर्मैन या घाजमैन लेन देन करता है, वह मनदूरों की आधिक स्थिति और भा दयनीय होता है। क्योंकि यह मनमाना मूद वसूल करते हैं और उनका रथया मारा

नाने का कोट भय नहीं होता। असु झणी होने का पश्ला कारण तो यह है कि मनदूर के पास नौकरी मिलने तक निवाह और आवश्यक खर्च करने के लिए दूर्या ही नहीं होता।

झणी होने का दूसरा कारण बेनन की कमा और निवाह के लिए खर्च का अधिकता है। आन जन कि भव चीजों का मूल्य बढ़ गया है, मनदूर का सचा भी बढ़ बढ़ गया है। किन्तु मनदूरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। इसका परिणाम यह होता है कि मनदूर को झण लेकर काम चलाना पड़ता है।

इन्हुं पूर अत्यन्त महारूप कारण उसके झणी होने का उसकी प्रियूलखी भी है। यह सामानिक कृत्यों तथा उत्पादों पर आवश्यकता से अधिक व्यय करता है। बम्बड म इस भवाध में हुद्द जाति की गड़ तो पता चला कि एक मनदूर विवाह में, २५० रु के लगभग युद्ध के पूछ व्यय करता था। यहुत से मनदूर परिवारों की तो यह एक खर्च की कमाड थी। मदरास म विवाहों के कारण मनदूर को जो झण लेना पड़ा, उसका अनुपात कुल झण की तुलना म ४६ प्रतिशत है, कानपुर में ३९ प्रतिशत, जमशेदपुर में ३१ प्रतिशत और बिहार की कोयले की जानी में ३८ प्रतिशत है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मनदूर सामानिक कृत्यों पर अत्यधिक व्यय करता है।

मनदूर की बेकारी भा उसको झणी बनाने का ए प्रमुख कारण है। जिन दिनों बह तेकार रहता है, उसे कोट काम नहीं मिलता। वह अपने महानना का न्या पर हा निमर रहता है। वे भी इस आगा में कि नौकरी लग जाने पर इस आमामी भ गूब लाभ कमाया जा सकेगा, उसको झण देते रहते हैं। १९३० में बम्बड के मजदूरों द्वा ५८ प्रतिशत झण बेकारी के कारण था।

शाय भी मनदूर के झणी होने का ए मुख्य कारण है।

अतिष्ठ भनदूर के झण द्वार बरने के लिए इस यात की आवश्यकता है कि मिलों में जो भर्ती करते अमर रिश्वत लेने की परिपाटी

चल पड़ा है, वह कठोरतापूर्वक याद कर दा जाए। इस प्रयत्न किया जावे कि आवश्यकता से अधिक मनदूर औद्योगिक कान्दो में न आवें और कानून बनाफर पृथ्वी विगाह और जन्म इत्यादि सामाजिक कृत्यों पर व्यय को नियंत्रित कर दिया जावे, जिससे कि सामाजिक कृत्यों पर मनदूर अधाधुध व्यय न कर सके। साथ ही मनदूरों के लकड़ में शराब चम्बो कर दो जाए। उनमें चाय और दूध पीने की प्रथा छलाइ जाये और शराब के विस्त्र प्रचार किया जाए।

१९३७ में पितृ लेबर इनकायरी कमेटी ने बिहार के मनदूरों के सम्बन्ध में जाच की थी, उसका परिणाम इस प्रकार था —
बिहार के कोयले वा मानों के मनदूरों का शृण

आय समूह	प्रतिशत शृणी परिवार	शृणा परिवार का औसत शृण	र	आ	पा
८ रु. से नीचे	३८%		१०—०—३		
८ से १० रु. तक	२०%		१६—१—३		
१० से १५ रु. तक	२०%		३४—४—३		
१५ से २० रु. तक	४७%		२८—२—०		
२० से ३० रु. तक	३३%		३६—११—५		
३० से ४० रु. तक	२७%		४३—८—१		
४० से ५० रु. तक	३१%		१५८—१२—४		
५० रु. से ऊपर	—		—		

जमशेदपुर के कारखाने के मनदूरों का शृण

आय समूह	प्रतिशत शृणी परिवार	शृणी परिवार का औसत शृण	र	आ	पा
८ रु. से नीचे	—				
८ रु. से १० रु. तक	८८ ७%		०३—१२—१०		
१० रु. से १५ रु. तक	६३ ६%		०३—१४—८		
१५ रु. से २० रु. तक	६१ ३%		०१—१—०		

२० रु. से ३० रु. तक	७१.१%	१०५—१२—१०
३० रु. से ४० रु. तक	७६.८%	१८३—६—८
४० रु. से ५० रु. तक	८२.६%	२६१—६—८
५० रु. से ऊपर	७४.६%	२०८—८—०

ऊपर नी हुड तालिकाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि महादूरों का बहुत बड़ा प्रतिशत अखण्डी है। यद्यपि अन्य वर्गों के ममवन्य में इस प्रकार के अकड़े इस प्रात नहा हैं, परन्तु वहां का भी ज्ञा उससे मिल नहा होगा।

किसी किसी केन्द्र में भिन्नों ने अपने महादूरों को अलग ढंगे, उनमें मित्रायिता की भावना जागृत करने के लिए महादूरों के लिए महारारी मान्य मस्तिष्या स्थापित की है। यह मस्तिष्या उचित सूद पर अलग देता है और अनावायक अलग को रोकती है। यही नहा, महादूरों में यह मस्तिष्या मित्रायिता की भावना जागृत करती है। किंतु अभी उक्त कुछ ही भिन्नों ने इस और ध्यान दिया है। वह और हल्लिनर कपनी की मैनेजिंग इनेंटी में जो जूट के कामनाने हैं, उनके लिए एक बड़ा गोल रकम है, जो दो महाने का तराजाद तक १०८ प्रतिशत सूद पर अलग देता है। हुद्द मिलें अपनी दूजाने भी गोबती हैं, उड़ा में महादूरों को सम्म मूल्य पर चमुण्डे मिलती हैं। किन्तु अधिकार महादूर चनिये के कपड़ार होते हैं और वह बनिया उड़ाने माना जावार रहता है। इस लिए महादूर इन दुकानों का लाभ नहा उग पाते।

अनुमधान में पता लगा है कि अधिकार महादूर इन दुकानों के ही अलग होते हैं। यह दुकानदार आठा-दाल हस्यादि अभी आवश्यक वस्तुएँ महादूर को उधार देते हैं। इन पिछार की कोयले की द्वानों का मनदूर अधिकार इनका अलग होता है और उनकी ३०.८ प्रतिशत सूद देना पड़ता है। मेरुदानदार महादूर की दृग्नीय दरां का गूरु लाभ उठाते हैं। मनमाने ऊंचे नाम लेना तो साधारण सी बात है। हिमाद महादूरी यनाना और रुम को उड़ा कर नियाना भाषारण भी बात है।

बहुत-सी मिलों ने मार्शारा उपमोक्षा और खोल रखे हैं, जहाँ म मत्तु दूर अपनी आवश्यकताओं की वस्तु सहते दामो पर ले सकते हैं। परन्तु मनदूर नन दूकानारों से ही चीजें भोले जैना पसद करता है, क्योंकि वह उधार दे दता है। इस प्रकार ये दूकानार सहकारी स्टोरों की प्रतिद्वंद्वीया में सफल हो जाते हैं।

दूकानार में भी अधिक भवकर महानन कानूनी पठान है जो कि १५० से ३०० प्रतिशत तक सूद लेता है और अपने रूपये की वसूली के लिए घलप्रयोग और लाठी को काम में लाता है। कारखानों के पासों के पास और चाय के यागों के निरुत्तरवाह के दिन वह लाठा लेकर घूमता है आर अपने आसामी को पकड़ कर उसकी तनाखाह छीन लेता है। कानूनी विस प्रकार मनदूरों का शोषण करता है वह किसी से त्रिपा नहीं है परंतु प्राताय सरकारों ने मनदूर का रना के लिए कोइ कानून नहीं बनाया। मायग्रा तीय सरकार ने १९३७ में 'ओ चाहो रना कानून बनाया था वैसा कानून प्रत्येक प्रान्त में बन जाना चाहिए। उस कानून के अनुसार बजदार को मारना बमाना, बजदार का पीछा करना, अथवा उसके रहने के स्थान पर धरना दना या घूमना जुम यना दिया गया है। और इस कानून की अवहेलना करने वालों को ३ मास की सजा या ५०० रु. जुमाने का दद दिया जा सकता है। यम्बड़ इत्यादि आय प्राताय में यह कानून तो बना दिया गया है कि यतन मिलने वाले दिन कोइ यक्षित यदि कारखाने के आस पास घूमता नज़र आयेगा तो उसका चालान किया जा सकता है। बिन्दु इस प्रकार का कानून से ही उत्तर नहीं होगा। मायग्रा के कानून के अनुसार एक कानून बनाना आवश्यक है। देश म जा भी काण्डा अदायगी मम्बड़-वी कानून बने हैं ये किसानों के लिए ही बने हैं। उनका लाभ कारखाना के मनदूरों को नहीं मिलता। आपरवाना इस बात का है कि इस प्रकार के कानून कारखाना के मनदूरों के लिए भी बनाये जायें। होना वह चाहिए कि मनदूर के कर्ग की नाव की जावे और क्रीमतों के

अत्यधिक यह जाने से जो उन पर कज़ का भार पड़ गया है उससे कम करने के लिए कानून बना वर कज़ की रकम का कम से कम आधा वर निया जावे और फिर उस बचे हुए अण का सहकारी साख समितिया महानों को चुरा कर मज़दूर को अण मुक्त कर दें। सरकार और मिल मालिक इन समितियों को पूँनी उधार द दें और समितिया मज़दूरों से किश्तों में रुपया बमूल फर लें। तभी मज़दूर इस भयकर गायण से बच सकता है।

इस शोपणे रे कारण मज़दूर की कायदमता नष्ट होती है और वह मनारनन तथा अन्य हिन्दूर कायों का लाभ भी नहीं उठा पाता। आवश्यकता इस बात की है कि प्रातीय सरकारें लेपर मिलाम के द्वारा मज़दूरों के अण की जाप करवा कर यह मालूम कर ले कि उनसा अण दितना है। कानून बना वर अण का कम से कम आधा कर दिया जावे। प्रत्येक अण मज़दूर को साम्ब समिति वा सदम्य बना निया जावे और सरकार तथा मिल मालिक उम रकम को समिति को ३ प्रतिशत सूद पर दे दें। समिति मज़दूर के लेनदारों को कम की हुड़ रकम चुका दे और मज़दूर की आर्थिक स्थिति को ध्यान म रख कर उम पर मालिक किरत बाय द। समिति का किश्त मिल मालिक वेतन में से काढ कर समिति का दे दें। समिति मज़दूर से ३ या ८ प्रतिशत भूँ से। इस प्रकार मज़दूरों को अण मुक्त किया जा सकता है।

केवल एक बार मज़दूरों के अण को अना कर न्है स उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जावेगा। उनम जा सामानिक तथा धार्मिक कृयो पर अधाधुघ ध्यय करन, शराय इत्यानि नशीला घस्तुओं पर धन पैकड़ने की प्रयत्नि है, उमसो रोकन के लिए उनम मिल यथिता की भावना जागृत करनी होगी, इनके विस्तृ प्रचार करना हांगा आर फिर उनको उम से कम इतना वेतन दिलाने का प्रयत्न करना होगा कि जिससे य अपन रहन सहन का सुधार मैं और मनुष्यों जैसा जावन व्यवोत्त कर सक। यथ तरु मज़दूर इस प्रकार अण मुक्त नहीं किया जायेगा, तब

तक तिक्षा और अन्य वित्तकर कार्यों से उसकी स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं है। क्योंकि आज जो उसका मानने द्वारा अनवरत शोषण हो रहा है वह उसमें अपना स्थिति को सुधारने की भावना नहीं जागृत होने नहीं देता। इसका परिणाम यह है कि उसमें कोइ उल्लास नहीं रहता और उसकी कार्यक्रमता नष्ट हो जाता है। अतएव मजदूर की स्थिति को सुधारने के लिए उसको अवश्यक है।

आठवाँ परिच्छेद

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)

मजदूर और मिल-मालिकों के सम्बन्धों में न्यूनतम मजदूरी का नून द्वारा पहले नवीन आयाय लिया गया है। अभी तक यही साना जाता था कि मजदूर अपनी रखेदारी से मालिक से मजदूरी के सम्बन्ध में मोल भाव करता है और जिस मजदूरी पर वह काम करता है, उस पर उसे करने देना चाहिए। आज्य के इसमें इस्तचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजदूर अपने छित को स्वयं देख सकता है। हाँ, विचारकों ने इस बात का अवश्य स्वाक्षर किया था कि मजदूर सालिकों से बहुत निपल हैं अतएव मोल भाय टीके दण से नहीं कर सकते। परन्तु मजदूरों का समर्पन हो जाने पर उनका यह निपलता भी कुछ सीमा तक दूर हो गई और अब वे सम्मिलित रूप से मोल भाय करते हैं, और मालिक से दर्शित देवन प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो जाते हैं। यही कारण या कि मजदूरों को अपना समर्पन घनाने का अधिकार दिया गया। इतना होने से मजदूरों की दयनीय दराए में कुछ ता सुधार अवश्य हुआ। परन्तु मजदूर-समर्पन से मजदूरों की सभी कठिनाइयां दूर नहीं हुई थीं और न्यून तम मजदूर का नून घनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कारण यह है कि सभी दशों में ऐसे बहुत से धर्षे हैं, जिनमें मजदूर समर्पित नहीं हैं अथवा

इदू विशेष परिमितियों के परिलाम-स्वरूप वहाँ मनदूरों का मगठन बढ़िन है। जिन घरों में मनदूरों का सागठन स्थापित हो गये हैं, वहाँ भी इस बहुत बड़ी सारथा में मनदूर अमगठित हो हैं। यह तो विट्ठन, सयुक्त-राज्य अमेरिका, जर्मना इत्यादि उक्त राष्ट्रों की दशा है। पिछले हुए पूर्वी राष्ट्रों का तो कहना ही क्या है, वहाँ तो अभी मनदूरों का सागठन का आगणेश ही हुआ है। अतएव उन लोगों का यह विचार गलत था कि केवल मनदूरों का मगठन उनके शोपण को रोकने के लिए प्रयास है और राज्य का उसमें इस्तेव्वप करने की आमदद्वता नहीं है। सच तो यह है कि न्यूनतम मनदूरी कानून बनाने से भा मनदूरों का शोपण नहीं दृष्टा, हीं क्वन इतना लाभ अवश्य हो जाता है कि मनदूरों का मनदूरा उसमें कम नहीं की जा सकता।

कारबानों में काम करने के लिए, न्यूनतम सुविधा तथा रक्षा का प्रदान कानून बनाकर कर दिया गया है और सभी उन कानूनों से परिचित हो गए हैं। अस्तु, उनका अब कोई प्रियोग नहीं फरता, किन्तु अभी तक "न्यूनतम मनदूरा कानून का प्रियोग किया जाता है। विरोप कर भारत दूर में तो नमका मिल मालिद्दों की ओर से गद्दा विरोध होता रहा है। अस्तु, इम यहाँ भैद्रातिक रूप से इस प्रत्यन पर विचार करेंगे।

यह तो इस पहले ही बहुत है कि अधिकार मनदूर सागठित नहीं है, इस कारण वे जो भा मनदूरा मिल जाता है, उसको न्यूनतम बर लेते हैं। साथ ही व आपय में पक दूसरे से स्वदा करक मनदूरी की दर को और भी घटा दते हैं। यहा नहा, हृदय धरे ऐस है जो दोनी मात्र में तथा गृहों में होत है आर उनमें प्रधिक्षा किया काम करती है। उनकी दागा तो इतना दयनीय है कि उम्रका बाहुन हो नहीं किया जा सकता। कम मनदूरा पाने के कारण व यनियन का चार तक देने में अमरमय होती है, अस्तु, उनमें सागठन हो हो नहीं पाता।

अब प्रग्न यह है कि यदि मनदूर को इतना कम बतन दिया जाये कि वह जीवन का आवश्यक वसुर्धा को न जुग रक्क तो उसका परिणाम

दो गङ्गे हैं और उससे मानदूरों का जो नैतिक और शारीरिक पतन होता है, उसका व्यव राज्य पर अस्पताल, निधन गृह तथा सुधार-गृह स्थापित करने के कारण पड़ता है। जेसल का तो मत यह है कि प्रत्येक धर्म को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी तो देना ही चाहिए। किसी भी धर्म को इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह धन्या चले या न चले। कुछ देशों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय धर्म की आर्थिक दशा का भी ध्यान रखा जाता है।

सुस्त और अकुशल मजदूर

जब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाता है तो बहुत सुस्त और अकुशल मजदूर नौकर नहीं रखे जायेंगे। ऐसी दशा में कुछ मनदूरों को नौकरी मिलना कठिन हो सकता है। मालिक ऐसे मनदूरों को क्यों नौकर रखे कि जो पूरा काम नहीं कर सकते और जिनको कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी देनी होगी। कुछ देशों में इस प्रकार के मनदूरों को न्यूनतम मनदूरी से कम मजदूरी देन की आज्ञा कानून में दी गई है। किन्तु इससे यह भय रहता है कि मालिक इस सुविधा का लाभ उठा कर अधिकतर ऐसे मजदूर रख लें और जो कुशल मजदूर भी ह उनका भी यह कह कर कि वे सुस्त और अकुशल मनदूर हैं, कम वेतन दे। इस सम्भालना को दूर करने के लिए कानूनों में इस बात का विधान कर दिया गया है कि प्रत्येक कारखाने में एक निहित प्रतिशत से सुस्त और अकुशल मजदूर जो न्यूनतम मजदूरी से कम पायेंगे, नहीं रखे जा सकते और उनको जायसेस सजा होगा।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का ढंग

न्यूनतम मनदूरी दो प्रकार से निर्धारित की जाता है। एक तो कानून में ही पहले दर निहित कर दी जाती है और उसके अनुसार मजदूरी देनी पड़ती है। परन्तु अधिकांश दशों में इस प्रकार मजदूरी

की दूर निरिचत नहीं होती। वहा प्रायेक धर्ये के लिए प्रथम ट्रैड बोड स्थापित कर दिये जाते हैं। ट्रैड बोड उम धर्ये की स्थिति को देख कर उम धर्ये में एक निरिचत समय के लिए न्यूनतम मनदूरी निश्चित कर देता है। नय स्थिति में कोइ परिवर्तन होता है तो फिर बोड उस दर में परिवर्तन कर देता है।

नय कि न्यूनतम मनदूरी कानून बनाये गए थे, उम समय बहुत से विचारकों का कहना था कि मनदूरी आधिक नियमों के आवार पर नियातिन होती है, न कि कानून डाग, और इस प्रस्तार कानून डागा मनदूरी निश्चित करने का प्रयत्न अवश्य ही अमर्फल होगा। परन्तु जिन देशों में न्यूनतम मनदूरी कानून बनाये गए, उनका अनुभव हमें बतलाता है कि न्यूनतम मनदूरी कानून एक व्यावहारिक योनना है और वह सफलता पूरक काम म लाइ जा सकता है।

मनदूरी पर प्रमाण

न्यूनतम मनदूरी कानून बनाने से अधिकतर मनदूरा की मनदूरी चढ़ी है। नहा पहले बहुत कम चेतन मिलता था, वहा अब चेतन अधिक मिलता है। न्यूनतम मनदूरी के विवर में यह यहुआ कहा जाता है कि न्यूनतम मनदूरी बन जाता है। मिल मालिक उससे अधिक मनदूरी नहीं निकलता। इसमें उन मनदूरों को इनि पहुँचने की सम्भावना है कि नो साधारणत अधिक मनदूरी पा सकते हैं। परन्तु नहा नहा न्यूनतम मनदूरी कानून छागु किये गए, वहाँ ऐसी यात्र जैवने में नहा आह। आमुलिया में मनदूरी की माधारण दर न्यूनतम मनदूरी से बीम प्रतिशत अधिक है।

न्यूनतम मनदूरी के लिए यह सब भा उपरियत किया जाता है कि इसका परिणाम यह होता कि बहुत से मनदूर निकाल निये जावेंगे। क्योंकि ये मालिक के लिए कानून दारा नियातिन मनदूरी पर खाम दायक न होंगे। दूसरे मिल मालिक अर्पणिस इस कर अपना काम

चलाने का प्रयत्न करेंगे अथवा सुस्त और अबुशाल कहकर उनके लिए कम मजदूरी दने की सरकार से अनुमति लेकर उन मनदूरों से काम लेना चाहेंगे । ऊपर लिखी हुई आशङ्कायें कुछ सीमा तक सत्य हैं, परन्तु ठीक प्रबंध और निरीचण करने से यह दोष दूर हो सकते हैं ।

कुछ लोगों का कथन है कि न्यूनतम मजदूरी कानून लगाने से धर्षे उस देश या रियासतों में रहे नहीं किये पायेंगे, वरन् पूँजी आय दरों में चढ़ी जावेगी । भारतवर्ष में यह भय अवश्य ही हो सकता है कि आगे चलकर पूँजी देशी राज्यों में ही लगाइ जावे और वहीं कारणाने स्थापित किये जायें । क्योंकि देशों रियासतों में मजदूर समझी कानून बहुत पिछड़े हुए हैं और यदि हीं भी तो उनको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता । परंतु यह भय भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ इस प्रकार के कानून बनाये गए, वहाँ से धर्षे दसरे स्थानों पर नहीं गए । फिर भवित्व में देशी राज्यों में इस कार का कानून शोध ही लगाना पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं ।

कुछ लोगों का विचार यह कि "न्यूनतम मनदूरी कानून बन जाने से मजदूर आदेशन को धक्का लगेगा और उसकी उसति रक जावेगी । उनका कहना है कि जब मनदूरों को कानून के द्वारा ऊंची मजदूरी मिल जावेगी तो उद्द किं ट्रैड-यूनियन का सदस्य बनने की क्या आशरणता होगा । किंतु अनुमति से यह ज्ञात हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी कानून बन जाने से मनदूरों की यूनियनें और भी बलबान बनी हैं । क्योंकि यूनियन 'मजदूरी बोर्ड' के सामने मनदूरों के मामले को ठीक प्रशार से रख कर न्यूनतम मजदूरी की दर ऊंची रखनाने में सफल होती है । इसके अनिवार्य न्यूनतम मनदूरी कानून द्वारा नियंत्रित हो जाने का तो यह अथ नहीं होता कि उससे अधिक मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए । यूनियन अधिक मनदूरी और आय सुविधाओं के लिए प्रयत्न करतों हैं ।

कुछ व्यवसायियों का कहना है कि न्यूनतम भनदूरी कानून बन जाने का परिणाम यह होगा कि भनदूर काम कम से कम करेगा और उन्नादन घट जावेगा, क्योंकि भनदूरों को यह तो मालूम रहेगा कि उसको नियादित भनदूरी से कम तो मालिक ही नहीं महता। इसका परिणाम यह होगा कि भनदूर की कायचमता कम हो जावेगी और उन्नादन कम होगा, घब्बों की दबति नहीं जावेगी। यद्यपि इसकी मम्मावना हो सकती है किन्तु व्यवसार में ऐसा नहीं हुआ है। एक तो मालिक इस प्रकार का कानून बन जाने के टप्पान्त भनदूर के काय की देख भालू अधिक मतलबता से करता है और उससे अधिक काम खेना चाहता है। दूसरे भनदूर भी अधिक प्रेतन मितने के फलम्बन पर अधिक काम करते हैं। सबैपे में हम कह सकते हैं कि न्यूनतम भनदूरी कानून से घब्बों और भनदूरों को खाम अधिक हैं।

भारतपर्प में न्यूनतम भनदूरी

यहि किसी नेश्च को न्यूनतम भनदूरी कानूनों की भवये अधिक आवश्यकता है तो वह भारतपर्प को है। इसके नीचे किसे कारण है—
(१) भारतपर्प के घरों में भनदूरी बहुत कम दी जाती है (२) मिल मालिकों को लें भी अधिक भनदूरी का मामना करना पड़ता है अथवा कुदराय के कारण इनि की मम्मावना होता है तो भनदूरी की दर को घर कर दें उस इनि को पूरा कर लते हैं। नेश में जनमरण का मूलि पर हुनरा अधिक भार है कि भनदूर को जो भा भनदूरी नी जाए वह उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। (३) मिल मिल घरों में और एक ही घरों में भनदूरा की दर भिन्न होन के कारण जो हइतालें होती हैं और यनुत कम भनदूरी होने के कारण घरों में जो आये दिन सर्व चलता है, वह देख की आधिक उद्धति के लिए हानिश्वर है वया भनदूरों को विषय करता है कि ये हइतालें करें। जब तक कि नेश में न्यूनतम भनदूरी कानून मर्दी बन जाता और न्यूनतम भनदूरों नियादित

नहीं करदी जाती तब तक यह दोष दूर नहा होंगे। अस्तु देश की औद्योगिक उद्यति के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाना नितान्त आवश्यक है। यह एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो अविलम्ब हो जाना चाहिए।

सर्व प्रथम १६२८ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन ने इस आशय का पूरा प्रस्ताव पास किया था कि जिन धर्मों में सामूहिक भोल भाव नहीं हो सकता, अधात मजदूरों का प्रबल समर्थन न होने के कारण उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और जिन धर्मों में मजदूरी यतुत कम है, वहां न्यूनतम मजदूरी कानून हारा निर्धारित बर देनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक प्रबाध कर देना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सघ ने जिन अवस्थाओं में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाये जाने का समर्थन किया था, व सभी अवस्थायें भारत में उपलब्ध हैं। ये १ मजदूरी बहुत कम है और मजदूरों का सबल समर्थन न होने के कारण वे मालिकों से उचित वेतन पाने में संक्षय असमर्थ है। इसके अतिरिक्त खेती में बदती हुई जनसदया के काम न पा सकने के कारण व सब धर्मों में पृक् दमरे से होड़ करके मजदूरी को कम कर देते हैं। मिल मालिक इस रिप्टि का रूप हो लाभ उठाते हैं। ऐसी दशा में भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस प्रस्ताव को लागू करना नितान्त आवश्यक था।

ऐसा दशा में नव भारतवर्ष में शाहो मजदूर कभी शान के सामने भगवान् प्रतिनिविष्यो ने न्यूनतम मजदूरी की माँग की तो उनका विश्वास था कि कमाशन उसको स्वीकार करेगा। इन्तु मजदूर कभी शान ने इस माँग को यह कह कर टाल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन न जो यह प्रस्ताव किया था कि नहा मजदूरी कम हो, वहाँ न्यूनतम मजदूरी निधि रित कर दी जावे उसका यह लाल्पय कहापि नहीं था कि किसी देश की मजदूरी की तुलना परिषमीय देशों में प्रख्यात

मजदूरी की दर से की जावे, वरन् उसका अथ यह था कि उस देश में प्रचलित मजदूरी की दर से यदि किसी घावे में मजदूरी कम हो तो उसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करदी जावे। क्योंकि भारतवर्ष में अधिकांश जनसमुद्धया ऐती के घन्ये में लगी हुइ है और ऐती में काम करने वालों की मजदूरी कारखानों तथा अन्य घन्यों में काम करने वालों से बहुत कम है। अस्तु, जब तक ऐती में काम करने वालों की मजदूरी इतनी कम है तब तक कारखानों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। और न कारखानों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उम दशा में कोइ अर्थ हा है। ऐती में आज की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना सम्भव नहीं है। अस्तु, शाही कृपि कमीशन ने न्यूनतम मजदूरी की भाग को अस्वीकार कर दिया।

किंतु यह विचार धारा शीघ्र ही बदल गई। १९३६ में आम चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में मजदूरों के लिए उचित ऐतन की व्यवस्था का वचन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब कांग्रेस सरकार प्राप्ति में स्थापित हो गई तो प्राप्त्याय सरकारों ने उस ओर ध्यान देता आरम्भ किया। सब प्रथम १९३७ में अम्बेडकर सरकार ने निम्नलिखित आशय की घोषणा की।

प्राप्तीय सरकार उन घावों में जिनमें जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं मिलती न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रयत्न पर गम्भीरता पूरक विचार कर रही है। सरकार इस हैरिट से सब प्रथम इस बात की जाँच करवाना चाहती है कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी से प्रचलित मजदूरी कितनी कम है और उसके बया बारण हैं तथा मजदूरी किस प्रकार ऊँची की जा सकती है।

संयुक्त प्रात की कांग्रेस सरकार ने १९३८ में एक मजदूर कमीशन बिटाई थी। उसक कमीशन ने भी अम्बेडकर की उपत घोषणा का सम्पन्न इन शब्दों में किया था। “न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत का अर्थ

मनदूर को जीवन निवाह योग्य मनदूरी देना है और उस दृष्टि से भारतीय धर्मों म मनदूरी बहुत कम है।” उचित क्षेत्री ने कानपुर के मिल मजदर और ‘सो’ श्रेणा के बैद्री के भोजन के चारों की तुलना करते हुए ये बतलाया था कि कानपुर का मिल मनदूर बैद्री से १२ छूटोंके भोजन कम पाना है और मनदूर का भोजन बैद्री की तुलना में घटिया और कम पौष्टिक होता है। आय औद्योगिक केंद्रों को दशा भी इससे भिन्न नहीं है। अतएव यह सिद्ध हो गया कि भारतीय मनदूरों की मनदूरी जीवन निवाह के लिए प्रयोग्य नहीं है।

अब हम यहा कानपुर के मिल मालिकों के मत से भी दे देना चाहते हैं। क्योंकि मिल मालिकों के तो तक है, ये सभी प्रान्तों में पूक से ही हैं। कानपुर के मिल मलिक सघ ने सिद्धान्तत न्यूनतम मनदूरी का तो विरोध नहीं किया, किन्तु उहोंने इस बात की माँग की कि बहुउनको केवल हुँच शर्तें पूरी होने पर ही लागू की जाए। ये शर्तें ऐसी थीं कि यदि उनका पालन किया जाता तो “न्यूनतम मनदूरी कभी भी निर्धारित ही नहीं की जा सकता थी। अपने आवेदन पत्र में उहोंने लिखा था कि सघ पैकरिया में काम करने वाले मनदूरों के लिए न्यूनतम मनदूरी निर्धारित करने का विरोधी नहीं है। परन्तु उस समय तक कानपुर में न्यूनतम मनदूरी कभी भी निर्धारित नहीं की जानी चाहिए नब तक कि आय औद्योगिक केंद्रों में भी न्यूनतम मनदूरी निर्धारित नहीं करदी जाती। क्योंकि इससे कानपुर के मूली घस्त्र व्यवसाय के धर्मों का गहरा घब्बा लगेगा। साथ ही किसाएं एक धर्म मनदूरी निर्धारित बर देना भी उचित न होगा नब तक कि सरकार सभी धर्मों में उसे लागू न करे। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मनदूरी निर्धारित करते समय देश के उद्योग प्रगति की स्थिति तथा सरकार की आयात-निधि त कर नाति का इस से आययन करना और उसमें उचित मशोधन छना आवश्यक होगा।

सधेर में उहोंने कहा कि जब सभी प्रान्तों और देशी राज्यों में

न्यूनतम मजदूरी निधारित करदी जावे, तभी कानपूर में भी की जावे। यह बहुत सम्भव है कि कुछ प्रान्तों में जहाँ प्रतिक्रियावादी दल का यह भन हो, इस प्रकार का कानून न बनाया जावे और कम से कम देश राज्यों में तो कुछ समय तक न्यूनतम मजदूरी कानून बनाये जाने की कोइ सम्भावना नहीं है, उष दशा में कहीं भी न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार उनका यह कहना कि जब तक मध्य धन्यों में न्यूनतम मजदूरी लागू न की जावे किसी एक धर्मे में उसको प्रचलित करना उचित न होगा—एक ऐसा तर्फ है जिसका अर्थ होगा कि न्यूनतम मजदूरी कभी भी प्रचलित न की जावे। क्योंकि अभी यहूत समय तक ऐसी में न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की जा सकती।

इसमें कोइ भी सदैह नहीं कि धर्मों की आर्थिक दशा और सरकार की औद्योगिक तथा कर नीति पर धर्मों की उत्तरति बहुत कुछ निभर है। परन्तु देवज मजदूरों को उचित देतन नेने के लिए यह शत लगाना कहीं तक उचित है। यह कहना कि धन्यों की आर्थिक दशा का ध्यान रख कर ही न्यूनतम मजदूरी निधारित करना चाहिए, एक भयकर तक को स्वाक्षर करना है। यदि कोइ धर्मा अधिक लाभ नहा देता तो उसका यह भी कारण हो सकता है कि उसकी अवस्था ठीक नहा हो रही है। ऐसी दशा में यदि अवस्थायी इस तक का सहारा लेना चाहते हैं तो राज्य को उनके समर्ट और अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने का अधिकार होना चाहिये। किंतु यदि कोइ ऐसा धर्म है जो जीवन निर्णय योग्य देतन मजदूरों को नहीं दे सकता तो ऐसा धर्म यदि नह हो जावे तो कोइ इच्छा नहीं है। समुक्तशान्तीय कमेंटरी ने कानपूर के लिये उस समय १२ र न्यूनतम मजदूरी निधारित करने की मिशनिंग की थी।

सन् १९४० में अम्बदू ईमगाहल लेवर कमेंटरी ने भी प्रान्त में मूलों यथा अवसाय में न्यूनतम मजदूरी निधारित करने की मिशनिंग की थी। कमेंटरी का कथन था कि अम्बदू, अहमदाबाद और शोलापूर में प्रमुख

वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए सूती वस्त्रों के कारखानों में भिज भिज मजदूरी नियारित कर दी जावे।

विहार कमेन्टे ने जमशेदपुर में १८ रु, कोयले की खातों में २०रु, शक्कर के कारखानों में १२ रु तथा आय कारखानों में १३ रु न्यूनतम मजदूरी नियंत्रित करने की सिफारिश की थी।

१९३६ में सर्वप्रथम बम्बई कारपोरेशन ने एक प्रस्ताव पास करके अपने नौकरों को कम से कम २५ रु (प्लाऊस इल्यांडि को छोड़ कर) घेतन देना स्वीकार किया और १९४० में संयुक्तप्रांतीय सरकार ने शक्कर के कारखानों में इस आना प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी नियारित कर दी।

किंतु भारत गर्व में सर्वप्रथम "यूनतम मनदूरी लागू करने का श्रेय अरिन भारताय चखा सध को है, निसने महात्मा गांधी के आदेश से बहुत पहले आठ आना प्रतिदिन के दिसाव से मजदूरों को मजदूरी देना प्रारम्भ कर दी थी।

कहने का लात्पय यह है कि कमश देश में न्यूनतम मजदूरी कानून के सम्बन्ध में अनुकूल वातावरण बनता गया और सरकारी विचार भी यद्दल गया, उसी बाच में महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। महायुद्ध के बाल में इस विचार को और भी समर्थन मिला। यद्यपि संयुक्तप्रांत, विहार, और बम्बई की क्षेत्र कमेटियाँ का सिफारिशों कायरूप में परिणत न हो सकीं, वर्षोंकि प्रांत में कार्पोरेशन्स ने स्थानपत्र द दिया, फिर भी हर एक विचारान्वयित को "यूनतम मनदूरी कानून की आवश्यकता अनुभव होने लगी।

भारत सरकार और न्यूनतम मनदूरी कानून

१९४८ में भारत सरकार के मजदूर सदस्य ने केंद्रीय पारा सभा में यह घोषणा कर दी कि भारत सरकार शोध ही न्यूनतम मजदूरों कानून बना कर घर्षों में न्यूनतम मजदूरी नियारित कर देगी। उक्त घोषणा के अनुमार सरकार ने ऐसे विज्ञ तैयार करक द्वेष यूनियनों तथा मिड

मालिकों के सधों के पास सम्मति के लिए भेजा। इस विल के अन्तर्गत सभी उद्योग धर्यों, व्यापार तथा कृषि में भी काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की अवस्था है। इस विल में इस पात्र का भी विवान है कि भारत सरकार द्वारा कानून पास होने के उपरान्त दो धर्यों के आदर प्रातीय सरकारें धर्यों तथा ऐती में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दे। किंतु मजदूरी निर्धारित की जावे, इसका निर्णय करने के लिए प्रातीय सरकारें कमेटिया बिगड़ेंगी, जिनम आधे सदस्य मिल-मालिकों के तथा आधे सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे।

यह विल एसेम्बली में पेश कर दिया गया, किन्तु अभी इस पर विचार नहीं हो सका है। ध्याना है कि शीघ्र ही भारत में सभी धर्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो जावेगा।

किन्तु मजदूरी कानून बनाते समय इस यात्रा का ध्यान इत्यता जावे की मनदूरी इतनी निर्धारित की जावे कि जो मजदूर की सुख सुविधा के लिए आवश्यक हो। अच्छा तो यह है कि प्रत्येक धर्ये के लिए दो ढार्ड स्पष्टित किया जावे, तो उस धर्ये में न्यूनतम मजदूरी किंतु हो, यह निर्धारित करे और उससे सम्बन्धित समस्याओं का निष्णय बरे।

नवां परिच्छेद

मजदूरों का सगठन

अब कारीगर अपने घरों में सामान रीयार करते थे, तब आधुनिक दृग के मनदूर सधों का संरेप्ता अभाव था। सच, तो यह है कि उस समय मनदूर सधों की आवश्यकता ही नहीं थी। कारण यह था कि

कारीगर स्वयं कोइ पूजीपति नहीं था। वह छोटी मात्रा में उत्पादन खाय करता था। अधिकतर वह स्वयं अपने थ्रम तथा अपने परिवार बालों की सहायता से सामान तैयार करता था और यापारियों को अथवा समीप वर्ती बाजार में ग्राहकों को बेच देता था। पहले तो वह मनदूर रखना ही नहीं था और यदि कोइ युग्म उस धर्वे को सोएने के उद्देश्य से उसके यहाँ काम करता भी था तो कारीगर उससा शोषण करने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता था। कारण यह था कि वह मनदूर शिव्य उसी के गाँड़ का होता था तथा सम्भवत उसके मित्र अपवा पढ़ोसी का होता था। इस्तु सामाजिक प्रभाव के कारण भालिक अपने शिव्य मनदूर के साथ दु पवदार नहा कर सकता था। इसके अतिरिक्त कारीगर स्वयं मनदूर शिव्यों के साथ काम करता था, अतएव वह मनदूर के जीवन से, उसकी कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं होता था। उसका दृष्टिकोण सहनुभूति का होता था। केवल इन्हीं कारणों से कारीगर मनदूर शिव्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, बरन उसका स्वार्थ भी इसी में निहित था। जहा कारीगर मनदूर शिव्य को अपनी नीकरी से हरा कर उसे बेकार कर सकता था वहा उसके ऊपर व्यवहार के कारण यदि मनदूर शिव्य (जो अधिक नहीं होते थे) उससा काय छोड़ देते, तो उसका वरप्राप्ति ठाप हो सकता था। दूसरे शब्दों में भालिक मनदूरों के लिए नितना आवश्यक था, मनदूर भी भालिक के लिए उतने ही आवश्यक थे। उन दिनों भालिक मनदूरों से यहुत बाबे समय तक काम के सक यह भी सम्भव नहीं था, क्योंकि विजली का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिये रात्रि को कार्य नहा हो सकता था। काय के घट केवल दिन में ही नियंत्रित होते थे। सूप का यथेत्र प्रकाश जब तक रहे तभी तक काय हो सकता था। उस समय में से भोजन तथा विधाम का समय निश्चाल कर जो समय बचता था, उसी में फाय होता था। एक प्रकार से प्रकृति ने काय के उचित धर्गों को स्वयं निर्धारित कर दिया था। कारीगर मनदूरों से अधिक धर्टे काम करना भी चाहे तो नहीं

थे सकता था। मन्नदूरों को एक सुविधा और भी थी कि सारा कार्य तो हाथों में होता था। मन्नदूर कार्य की गति को स्वयं नियंत्रित कर सकते थे। काय की गति को नियंत्रित करना कारीगर के हाथ में नहीं था।

अस्तु उन दिनों मन्नदूर की स्थिति पेसी दशनोय नहीं थी, उसका गोपण इतना सरल नहीं था। इसके अतिरिक्त कारीगर भी कोइ पूजीवाला नहीं था। धर्म में पूजी की इच्छा कम आवश्यकता होता थी कि मन्नदूर शिष्य कुछ दिनों बाद भव्य भवत्व कारीगर बन कर अपना धर्म अन्वय चलाता था। अतएव मन्नदूर शिष्य को थोड़े दिनों ही मन्नदूरी करनी पड़ती थी। बास्तव में दस समय कारीगरों और उनके मन्नदूर शिष्यों के स्वार्थों में इतना सघर्ष नहीं था, नितना कि कारीगरों और उन व्यापारियों के स्वार्थों में निम्नको कारीगर माल बैचता था। अधिकतर तो कारीगर स्वयं अपने माल को गाव या कस्बे में बेच देता था, किन्तु जो कारीगर बहुत बहुमूल्य बम्युये तैयार करते थे, उन्हें व्यापारियों के हाथ अपना माल देना पड़ता था। परंतु उन व्यापारियों के दिव्य कारीगर कोइ समाज कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि कारीगर तो भिज्ञ भिज्ञ स्थानों पर विवरे होते थे, वे कभी समाजित हो हो नहीं सकते थे। उनके समाजित न हो सकने का दमरा कारण यह भी था कि कारीगर व्यापारी का नौकर नहीं था। व्यापारी उसे आढ़र देता और भाल तैयार करवाता था। अस्तु, व्यापारी से आढ़र प्राप्त करने के लिए कारीगर स्वयं आपमें प्रतिस्पदा करते थे। यही कारण था कि उन दिनों मन्नदूरों का कोइ व्यापक संगठन नहीं बन सका।

इन्नु शैयोगिक प्राति के उपरान्त जय यहाँ माला में दत्ताद्वय काय होने लगा, बड़े बड़े कारब्बाने स्वोले गये तो स्थिति बदल गई। कारीगर को अपना धर धोड़ कर कारब्बानों में काम करने के लिए नामा पहा शरित सचालित यथा पर काय करने के कारण कार्य की गति का नियंत्रित करना उसके हाथ में नहीं रहा, वरन् मिल मालिक के हाथ में चला गया। पितळा के प्रकाश में कारब्बानों में रात्रि को भी काम करना

मममव हो गया। फिर मालिक हजारों मनदूरों को नीकर रखता है अतः उसके लिए एक या दो मजदूरों का कोई महत्व नहीं रहता। यदि एक या दो मजदूर इस विचार से कि मालिक का व्यवहार कठोर है, वह वेतन कम देता है, उसकी नीकरी छोड़ देते हैं तो मालिक का काम नहीं इक मकता। अतएव आज की अवस्था में मिज़ मालिक के हाथ में शोषण की अनन्त शक्ति आ गई है।

जहाँ पैकूरी पद्धति के प्रादुर्भाव से मजदूरों की तुलना में मिल मालिक बहुत ही शक्तिवान हो गया है, वहाँ उसी पद्धति में भावी मजदूर आन्दोलन और मनदूर सगाठन के बीज मौजूद थे। जब प्रातः काल कारखाने का भोपू योलता है और दूर दूर से मजदूर मुद्रे के मुद्रण एक साथ सब दिशाओं से आकर कारखाने के फाटक पर हट्टे होते हैं, उस समय वे आपस में कारखाने के सम्बन्ध में ही यात्रा चीत करते हैं। उनके क्या हुख दद हैं, उनके किंवित किन सुविधाओं की आवश्यकता हैं, इत्यादि प्रश्नों पर वे आपस में यात्रा चीत करते हैं। दिन भर कारखाने में साथ साथ काम करते और साथकाल को कारखाने की छुट्टी की सीटी बजने पर जब ये हुए मादूर धीरे धीरे अपने घरों की ओर हजारों की सरखा में लौटते हैं तो स्वभावत वे अपनी स्थिति, कारखाने में होने वाले ट्रूय-वहार, कम वेतन और मालिकों के शोषण के सम्बन्ध में यात्रा चीत करते हैं। यहाँ से आधुनिक मजदूर आन्दोलन और मजदूर-सगाठन का जन्म हुआ है।

आरम्भ में मनदूर आन्दोलन निटेन में हुआ। वयोंकि मन्द्रपथम औद्योगिक क्षयति उसी देश में हुई था और वहीं पैकूरिया स्थापित हुई थीं। इन्हीं उस समय यवमाया पूनीपतियों का शामन में योल-वाला था, अतएव राज्य ने कानून बना कर मनदूरों के कलार्चा और सधों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उनके विरुद्ध पद्यंत्र का दोष लगाया गया और उनके नेताओं को कोर दद दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मनदूरों ने शुन संग्रह खड़े दिये। नेता लोग गुप्त रहते, साधारण

मनदूर उनको जानता भी नहीं था, किन्तु उसकी आज्ञा का पालन होता पा। प्रत्येक सदस्य को सदस्य पनते समय शपथ लेनी पड़ती थी। इस प्रकार जहाँ जहाँ आरम्भ में मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध कानून बनाये गए वहाँ वहाँ उसी प्रकार के गुप्त सगठन बढ़े हो गये।

जमीनी में जब मनदूर सगठन के विरुद्ध कानून बनाया गया तो वहाँ भी मजदूरों के गुप्त सगठन बढ़े हो गये, गुप्त रूप से वहाँ प्रबल आन्दोलन चलाया गया। मजदूर कायकता लगातार अपने सिद्धान्तों और विचारों का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ है कि वहाँ दो कानूनिकारी सगठन स्थापित हुये “कानून विरोधियों का सघ (Confederation of out laws) तथा कम्यूनिस्ट सघ। दोनों सघ ने प्रमिल कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो (धोपणा पत्र) प्रकाशित किया था।”

अमरा इंडिन्ड में मजदूरों के सगठन के विरुद्ध जो कानून बने थे वे तोहँ दिये गए। यद्यपि बहुत दिनों तक ऐसे भी मजदूरों पर कुछ न कुछ कानूनी प्रतिरोध लगे रहे उनको सगठन करने की सुरिया मिल गई। इस समय बाल माल्क के विचारा के कारण मनदूर आन्दोलन में बहुत उत्तराधीश था जुड़ी थी। अमरा मजदूर आन्दोलन सबल होने लगा और वह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। इंडिन्ड में ऐसे मनदूर दल आज शासन की बागड़ोर सभाओं हुए हैं।

सन १९०३ में ईंवेज रेलवे में एक हडताल हुड और कम्पनी ने मजदूरों के विरुद्ध उत्तिपूर्ति का दाया कर दिया। न्यायालय से यूनियन के विरुद्ध ऐसका हो गया। हाउस ऑफ लाइस ने यह नियम किया कि सदस्यों के कार्यों के लिए यूनियन उत्तरदायी है। यह स्थिति मनदूर संगठन की दृष्टि से भयावही थी, असु इस यात्रे के लिए प्रपत्ति किया गया कि दुःख यूनियनों को इस उत्तरदायित से मुक्त कर दिया जावे। १९०६ महातालों के समय में एक कानून बन पाने से मनदूर संघों की यह कठिनाई भी जारी रही।

मजदूर संगठन का ढाँचा

मजदूर सधों का रूप भिन्न भिन्न होता है किन्तु मोटे रूप में दो प्रकार के मजदूर सध (टेट यूनियन) होते हैं। एक क्रैफ्ट के अनुसार (दसरे धर्म के अनुसार आरम्भ में क्रैफ्ट अथवा क्रिया के अनुसार) मजदूर सधों की स्थापना हुइ थी। अधार एक क्रिया में काम करने वालों की एक यूनियन हो। उदाहरण के लिए यदि वस्त्र तैयार करने के धरे में दुनकरों की एक यूनियन हो, कत्तियों का दूसरा यूनियन हो तो उसको हम क्रैफ्ट यूनियन अर्थात् क्रिया के अनुसार यूनियन कहेंगे। क्रिया के आधार पर जो यूनियन बनाइ जाती है उनकी विशेषता यह होती है कि जो भी मजदूर एक क्रिया को करते हैं फिर वे चाहे जिस धरे में लगे हों और चाहे जिस मालिक के यहां काम करते हों एक यूनियन में संगठित किये जाते हैं। उदाहरण के लिये भारतवर्ष में अहमदाबाद का मजदूर सध क्रैफ्ट यूनियनों का एक सध है।

क्रिया के आधार पर संगठित यूनियन अर्थात् क्रैफ्ट यूनियन के विपरीत धर्मों के आधार पर संगठित यूनियन होती हैं। इस यूनियन की विशेषता यह होती है कि जो भी मजदूर उस धरे विशेष में काम करता है फिर वह चाहे किसी भी विभाग या क्रिया में क्यों न काम करता हो उस यूनियन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए रेलवे मैन यूनियन, वस्त्र व्यवसाय की यूनियन इत्यादि इस प्रकार की यूनियनें हैं।

यूनियन संगठित करने का एक तीसरा सिद्धांत भी हो सकता है अर्थात् एक ही मालिक की अधानता में जो लोग काम करते हैं उनकी यूनियन संगठित की जावे। उदाहरण के लिए एक अनुसोदिति के सभी विभागों के कमचारा फिर वे चाहे स्वास्थ्य, निमण, रिद्धा, सफ़ई इमामों भी विभाग के क्यों न हों एक यूनियन में संगठित हों, इस प्रकार का यूनियन बहुत कम देखने में आवी हैं।

स्त्रियाँ और मजदूर समाज

आरम्भ में खी मजदूरों का कोइ समाज नहा था। मनदूरों का यूनियने उन्हें समाइत करने का विशेष प्रयत्न नहीं करती थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध में जब धर्घों में बहुत बड़ी मरणों में मजदूर स्त्रियों का मरने लगी तो मजदूर नेताओं का उनको मार्गाइत करने की ओर ध्यान गया। क्योंकि उनके असमर्पित रहने से पुरुषों की मनदूरी पर उत्तर प्रभाव पड़ सकता था।

आज सभी औद्योगिक देशों में खीया भी यूनियनों की मद्दत है और ट्रैट यूनियन की कार्यकारिणी भवित्व में उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यद्यपि भारतवर्ष में ये सभी तक समर्पित नहीं हो पाए हैं। परन्तु इतना सब होने पर भी सभी दर्गों में अधिकतर खीया मजदूर असमाइत ही है। इसका सुख्य कारण यह है कि मनदूर खीया बहुत योद्दे भवय के लिए काम्हानी में काम करने आती है। विवाह करने के उपरान्त वे काम नहीं करती। परन्तु, ये यूनियन की सहस्र होने के लिए उतनी उत्सुक नहीं होती। जिन धर्घों में विवाह के उपरान्त भी काम करती हैं, उनमें उनका समाज शक्तिवान है।

यूनियनों का सघ

प्रत्येक धर्घे में जो मिल लिया औद्योगिक केन्द्रों वी यूनियन है, वे अपना एक सघ बना लेती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ, अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, हल्यादि के द्वारा की यूनियन मिल कर अविल मारतीय ट्रेनिंगइल लेवल के लिए बनाते हैं। इस प्रकार उम्म धर्घ में काम करने वाले सभी मनदूर एक भारतीय सघ की अधीनता में काम करेंगे।

किन्तु कल मिल लिया धर्घों के राष्ट्रीय सघों से ही समस्या दूर नहीं हो जायेगी। यहुत सी मनदूरों की समस्याएँ और प्रश्न ऐसे होते हैं, जो कि सभी धर्घों में काम करने वाले मनदूरों के लिए एक

समान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक भव आवश्यक होता है। अतएव प्रत्येक देश में मादूरों की कामेस (ट्रूड यूनियन कामेस) होनी है, जिससे सभी मजदूर-संघ और ट्रूड यूनियन सम्बन्धित रहती है।

मजदूर संघों का कार्य

मजदूर संघों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अम जावियों की सर्वांगीण उन्नति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मजदूर सभायें और मतदार संघ बहुत से उपाय काम में लाते हैं, उनके कार्यों की तालिका बहुत लम्बी है। किन्तु वे सब काय तीन श्रेणियों में बाटे जा सकते हैं।

१ रचनात्मक कार्यक्रम २ पूँजीपति से अधिक से अधिक मुफ्त सुविधायें मजदूरों के लिए प्राप्त करना और उसके साथ निरन्तर संघर्ष करना।
३ राजनीतिक कार्यक्रम निःका उद्देश्य मजदूरों का शासन-न्यन्त्र पर आधिपत्य स्थापित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना होता है।

१ रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों की मुफ्त सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरनन, बेकारी तथा बीमारी भ आधिक सहायता, रहने की सुविधा, भद्रकारी उपभोक्ता स्तर तथा नीचरी दिलाने के लिए व्यूरो स्थापित करना, इत्यादि सभी काय ट्रूड यूनियन करती हैं।

२ पूँजीपतियों से थात चीत करके मनदूरों के लिए उचित घेतन, आङ्का यवदार, कारखाने में शन्य सुविधायें प्राप्त करना और आवश्यकता पहने पर अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए पूँजीपतियों से संघर्ष करना।

३ राजनीतिक कायक्रम के अंतर्गत अपने प्रतिरिधियों को व्यवस्थापिक समाजों में भेज कर मनदूरों के हितों को बानून बनाकर सुरक्षित करना तो मादूर आङ्कोलन का ताकाबिक उद्देश्य होता है। परन्तु अपने उद्देश्यों का प्रचार करके तथा शासन की यागड़ोर अपने

हाथ में लेकर देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना उसका अन्तिम लक्ष्य होता है।

प्रत्येक देश में मजदूर आनंदोलन अपना शक्ति के अनुभार अपने अतिम लक्ष्य की ओर चढ़ रहा है। जिस देशमें आनंदोलन अधिक सबक है, वह लक्ष्य के उतने ही अधिक समीप पहुँच गया है। भारतवर्ष में अभी हम बहुत दूर हैं। आगे हम भारतवर्ष के मजदूर आनंदोलन का अध्ययन करेंगे।

भारतीय मजदूर संगठन

बम्बई में पहली सूती कपड़े की मिल १८६३ में स्थापित हुई और १८७० तक केवल थोड़ी सी ही मिलें स्थापित हो सकी। किंतु १८७० के उपरान्त बम्बई नगर तथा प्रांत में लैंगी से मिलें स्थापित होने लगीं और उनमें अधिकाधिक मजदूर काम करने लगे। मजदूरों में निया और बच्चे भी योग्य सख्ता में भर्ती किये गये। खिया और बच्चे भा इन कारखानों में लगभग उतने ही घण्टे काम करते थे, जितने कि प्रौढ़ पुरुष। उनमें से कुछ बच्चे यहुत छोटी उम्र के थे। खियों और बच्चों की उपस्थिति के कारण फैक्ट्रिया के नियन्त्रण का प्रभ उठा और यही प्रभ मनदूर आनंदोलन का कारण बना।

किंतु ताहाकीन भजदूर आनंदोलन को लकाशायर के मिल मालिकों से बहुत बढ़ मिला। लकाशायर के सूतों कपड़े के मिल मालिकों ने भारतीय मिलों को प्रगति की रोकने के उद्देश्य से भारत मरी के द्वारा भारत सरकार तथा बम्बई सरकार पर फैक्ट्री-कानून बनाने के लिए दग्ध दालना आरम्भ किया। विवश होकर २५ मार्च १८९५ को यम्बृद्ध सरकार ने एक कमीशन मनदूरों की दशा की जाय के लिये दिया, किन्तु कमालन ने फैक्ट्री कानून बनाने की कोई आशयकता नहीं समझी। कमालन की एसो रिपोर्ट ने ऐचेस्टर के मिल मालिकों को हिर मतकर दिया। ऐ भारत में फैक्ट्री कानून बनाये जाने के लिए किर आनंदोलन

करने लगे और इधर भारत में मिल मालिकों ने फैब्रिटी-कानून के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इसी समय श्री सोराबजी सापुरजी बगाली के नेतृत्व में मजदूरों के हितेपियों ने मनदूरों के हितों के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया। और यहां से ही भारतीय मनदर आन्दोलन का आरम्भ होता है।

श्रीयुत सोराबजी सापुरजी बगाला ने मजदूरों के प्रभ को यम्बृद्ध धारा सभा के सामने लाने के उद्देश्य से एक चिल्ड तैयार किया, किन्तु कमीशन को रिपोर्ट के आधार पर यम्बृद्ध सरकार ने उस चिल्ड को धारा-सभा के सामने उपरिधित करने की भनाइ करदी। श्री बगाली ने मैचेलर के मिल मालिकों से सहायता की ग्राहना की और अपने चिल्ड के मसविदे की प्रतिया उहँ भेज दी। प्रिटेन के पश्चों में श्री बगाली की ग्राहना प्रकाशित होने पर वहां फिर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और कामन्स सभा में ४ एप्रिल १८७३ को एक प्रस्ताव भारत में ऐक्यरी कानून बनाने के लिए पास हो गया।

उस आन्दोलन का पल यह हुआ कि भारत सरकार ने १८८१ में पहला ऐक्यरा कानून पास किया, निसके अनुसार ७ वर्ष से कम की आयु का बच्चा कारखानों में काम नहीं कर सकता था और १२ वर्ष तक के बालक दिन में देवल द घरटे बाम भर सकते थे।

किन्तु इस ऐक्ट से कोई भी सनुष्ट नहा हुआ। मनदूरों के हितेपी चाहते थे कि कानून म स्त्री मनदूरों पर भी नियन्त्रण किया जाता और यानक मनदूरों का और अधिक सरकार प्रदान किया जाता। अस्तु, कानून के बनने के साथ साथ भारतवर्ष और प्रिटेन दोनों ही राजा में उमके गिरद आन्दोलन होने लगा।

इसके कब्जावाप्त यम्बृद्ध सरकार ने १८८४ म एक मनदूर कमीशन मनदूरा का दशा की जात्य करने के लिए दिया। इधर भारतीय मिल मालिका न भी नये मनदूर पश्चोय आन्दोलन का विरोध करना आरम्भ

कर दिया। मिल मालिकों के प्रचार की असत्यता प्रमाणित करने के लिए मनदूरों के द्वितीयियों तथा मनदूरों को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मनदूरों का भी सगड़न किया जावे और उनकी आवाज भी सरकार तक पहुँचाइ जावे। इस आवश्यकता के फलस्वरूप भारत को उसका प्रथम मनदूर नेता नारायण मेघजी खोखाडे प्राप्त हुआ।

श्री खोखाडे ने पढ़ा काम यह किया कि बम्बई में मनदूरों का एक सम्मेलन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मनदूरों की मार्गों को कमीशन के सामने रखना था। सम्मेलन २३ और २६ सितम्बर १८८४ को हुआ और मनदूरों की ओर से एक आवेदन पत्र तैयार किया गया जिस पर ४२०० मनदूरों ने हस्ताक्षर किये थे।

उस आवेदन पत्र में नोचे विस्तीर्ण मार्ग इस्तो गढ़ थे—
 १ रविवार को छुट्टी रहे २ प्रतिदिन दोपहर को आवंधे घटे का विश्राम दिया जाय, ३ मिलों में ६५० बने प्रात काब काम शुरू हो और सूर्य दूखने पर समाप्त कर दिया जाय ४ पिछले महीने का वेतन अगले महीने की १५ राहाय तक अवश्य मिल जाय। ५ यदि किसी मनदूर को गाहरी चोट लग जावे तो उसके अच्छे होने तक पूरा वेतन दिया जाय और यदि मनदूर जीवन भर के लिए बेकार हो जावे तो उसे उचित हर्जाना दिया जावे।

कमीशन ने मनदूरों की इन मार्गों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट दे दी, किन्तु भारत सरकार ने उम पर कोड कार्यवाही करना अस्वीकार कर दिया।

मैंचेस्टर के व्यवसायियों का प्रस्ताव

भारत सरकार के पैकरी कानून में संशोधन न करने का परिणाम यह हुआ कि विनायत में फिर आन्दोलन आगम हुआ। लक्षाशायर के पैकरी हम्पेसर जॉन्स मोदय, जो बम्बई के गुतों करपे के काल्पनिकों

को देखने के लिए आये थे, इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने बम्बई मिलों के विस्त यहुत से छेष चढ़ा के पश्चा में लिखे और भारतीय मन्त्रीरूपों की दीन दरशा का बण्णन तृत अतिशयोवितपूर्ण भाषा में किया। भारत मंत्री ने भारत सरकार का उन आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इधर भारत में सूती रूपडे को मिलों का निरातर युद्ध से शक्ति होकर भैचेस्टर के व्यवसायियों ने एक प्रस्ताव पास बरके भारत में गिरिश कानून लागू करने की माग की। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय ननमन और विशेषकर मिल मालिक चुन्प हो उठे और भारत में मन्त्रीरूप कानून के विस्त आदोलन शारन्म हुआ।

भारतवर में नये फैक्टरी कानून के विस्त जो आदोलन हो रहा था, उसमें मन्त्री की आवश्यकताओं की ओर उपेक्षा की जाती थी। मिल मालिक यह कहते नहीं थे कि स्वयं मन्त्रीरूप मिल मालिक के विस्त कोई सरषण नहीं चाहते हैं। अतएव अपनी कमिनाइयों को सरकार के समव उपस्थित बरने के उद्देश्य से बम्बई के मन्त्रीरूपों ने २४ अक्टूबर १८८८ को गवनर ननरल के पास एक आवेदन पत्र भेजा जिसमें उन्हीं मार्गों को दोहराया गया था कि जो १८८४ के मन्त्रीरूप मम्मेजन ने न्यौकार की थी।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि जोन्स ने भारतीय कारखानों के सम्बन्ध में जो दोपारोपण किये थे, उनकी ओर भारतमन्त्री ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। किन्तु भारत सरकार ने उन दोपों को आवाकार कर दिया। किन्तु साथ ही १८८१ के फैक्टरी कानून का सशोधन करना न्यौकार कर लिया। परन्तु भारतसरकार बम्बई फैक्टरी कमीशन की मिप्रारिशों के आधार पर नया फैक्टरी कानून बनाना चाहता थी, परन्तु भैचेस्टर के व्यवसाया अधिक कहा फैक्टरी कानून चाहते थे। किन्तु भारत सरकार ने जो निल बनाया वह रोक दिया गया।

मिल मजदूरों की सभा

इस समय एक अस्थात महाविष्णु घटना हुई। २४ प्रिल १८६० को १०,००० मिल मजदूरों की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें दो श्री मनदूरी ने भी भाषण दिये और रविवार को तुटी को माँग की। उसी सभा में रमिगार थी सासाहिक लुटी के लिए एक भैमोस्थित तैयार किया गया और वम्बड़ मिल मालिक सघ के पास भेजा गया। मिल मालिक सघ ने अपनी १० जून १८६० की माधारण थैम्फ में मनदूरों की इस मार्ग को स्वीकार कर लिया। मनदूरों की यह पहली मिली थी।

इसी बीच में मजदूर आनंदोलन भी जड़ पकड़ता चा रहा था। श्रीयुत खोखड़े मजदूर आनंदोलन के नंतर और उसकी आत्मा थे। उन्होंने १८६० में वम्बड़ के मनदूरों का एक सघ स्थापित किया, जिसका नाम “वम्बड़ मजदूर सघ” था। उस सघ के समाप्ति श्री लोहाड़े न्यूयॉर्क में और उसके मंत्री श्री दी सी अथेड थे। यह भारत का प्रथम मजदूर सघ था।

मजदूर पत्र

श्री लोहाड़े ने वम्बड़ मजदूर सघ की स्थापना के साथ ही एक पत्र भी प्रकाशित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मनदूरों के प्रभ को शपस्थित करना और उनकी भरगों का प्रचार करना था। इस पत्र का नाम “दीनदधु” था। भारत का यह पहला मजदूर पत्र था। अभी तक मजदूर आनंदोलन के बहुत मनदूरों की कथनाया को सरकार तथा मिल मालिकों तक पहुँचा कर उनसे कुछ सुविधायार्थी की भिंडा मारना भर था। अभी तक मजदूर आनंदोलन में यह उप्रता दिग्गजाङ्ग नहीं नेती थी कि जो भारतीय मजदूर आनंदोलन में याद में दिग्गजाङ्ग दी।

मनदूरों की नवीन मार्गे

इसी समय भारत मंत्री के आदेश पर भारत सरकार ने एक मजदूर कर्मीशन विभाग नियुक्ते एक सदस्य मनदूरों के परम हितेशी श्री सोरायजी

सापुरजी बगाली थे। कमीशन की सहायता के लिए तीन स्थानीय सदस्य और नियुक्त किये गए जिनको रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था। बगाल तथा संयुक्तप्रान्त का प्रतिनिधित्व इस कमीशन में श्री बाबू रसिङ्कलाङ्क घोष (कल्पकच्चा) तथा कानपुर की बाल हमली मिल के फोरमैन श्री रामजी मानिक जी ने किया था और बड़बड़ के स्थानीय सदस्य छोखाडे थे। इन स्थानीय सदस्यों ने कलकत्ता कानपुर तथा बड़बड़ से मजदूरों की गवाहियां कराई और कष्टों को सुनाने का प्रयत्न किया।

रिपोर्ट तैयार होने के पूर्व बड़बड़ मिल मजदूर सघ में नीच लिखी मार्गे कमीशन के सामने उपस्थित की। १ मजदूरों को रविवार की छुट्टी मिलनी चाहिए। २ काम के घेरे ६ बजे प्रात कोल और ३० सायकाल के बीच में होना चाहिए। ३ यदि मम्भव हो तो दिन में एक घटे का पूरा विधाम दिया जाय नहीं तो आध घटे का विधाम अवश्य दिया जाये। ४ महीने की १५ तारीख को तनावाह अवश्य मिलनी चाहिए। ५ ६ से १४ वर्ष की आयु के बालक आधा दिन काम करे। ६ हिया के बजे ७ बजे प्रात काल से लेहर ८ बजे सौयकाल तक काम करें। ७ बीमार होने तथा चोट लगने पर मजदूरों को अधिक सहायता देने का प्रवाध होना चाहिए। ८ प्रत्येक कारब्बान में एक भरपनाल होना चाहिए। ९ प्रत्येक मिल में बालक मजदूरों की रिहा के लिए एक रुक्क होना चाहिए। श्री लोखाडे ने कहा कि यदि मजदूरों की ऊपर लियी भागों को नये केरारा पेंक में समाचरण कर लिया जाए तो मजदूरों को फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी।

कमारान ने अपनी रिपोर्ट १३ नवम्बर १८६० को दी और उसके अधार पर भारत सरकार ने एक विल लैंजिस्ट्रेटिव कॉमिल में उपस्थित किया और १६ मार्च १८६१ का नया पैन्करी कानून बन गया, जिसकी तीन बातें उल्लेखनीय थीं। पहले खिया के लिए दिन में ११ घटे काम करने का समय निर्धारित किया गया। दिन म ११ घन्ना विधाम

का दिया गया और तीसरी मुम्ब्य बात यह भी कि वालक मनदूरों की आयु ३ १२ से बढ़ा कर ६ १४ कर दी गई ।

१९०४ और १९०५ में सयुक्तराज्य अमेरिका के गृहयुद के कारण बढ़ा कपास की फसल उत्पन्न नहीं की गई और भारतीय सूती वस्त्र व्यवसाय को दैवी प्रोत्साहन मिल गया । बहुत सी नड़ मिले स्थापित हुईं और मिलों में अधिक समय तक काम होने लगा । भारत में अग्रेजी पत्रों ने इसके विलम्ब किए आदोलन किया, क्योंकि वे पत्र अप्रेजों के ये और वे भैचेस्टर के व्यवसायियों के समर्थक थे । यह इसके भिन्न मनदूरों ने भी एक प्राथमा पत्र भारत सरकार को इस आशय का भेजा कि पुरुषों के काम के घटे भी नियंत्रित कर दिये जावें ।

इसी समय थंग भग आदोलन आरम्भ हुआ और चगाल के कुछ नेताओं ने मनदूरों का पहला लिया और उन्हें अपनी हड्डताकों में महा बता दी । १९०६ में लकाशायर के कारखानों के मनदूरों के सब ने भारत मण्डी के पास एक गिरफ्तारी में जाकर भारत में पुरुषों के काम के घरों को नियन्त्रित करने की प्रार्थना की । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने फिर एक मनदूर कमीशन बिभाग । उस जाच कमीशन ने सूती कारखानों में पुरुषों के काम के घरों को १२ नियंत्रित कर देने की सिफारिश की । अस्तु, भारत सरकार ने १९११ में तीसरा फैक्टरी कानून पास कर के सूती वपड़े के कारखानों में पुरुषों के काम करने के घटे १२ तथा यालकों के ६ नियंत्रित कर दिये ।

इसी समय मनदूरों के प्रथम नेता श्री लोहाडे तथा मनदूरों के परम हितीयी श्री यगाली की सृजु हो गई । किन्तु उन्होंने विस मनदूर आन्दोलन की देश में जड़ अमाझी थी, वह माता नहीं । मनदूरों ने उस आन्दोलन की जीवित रक्खा, यशस्वि नेतृत्व न होने के कारण आन्दोलन की प्रगति रुक गई । १९०६ में बगड़ के मनदूरों ने फिर एक बहुत श्री समा कर के मिल माजिझों की कुछ अनुचित कार्यवाहियाँ की

निन्दा की और कानून द्वारा पुरुषों के बाम के घन्टों को निश्चित कर देने की माग का समर्थन किया।

१९१६ में यम्बै के भजदरों पा दूसरा सामाजिक स्थापित हुआ। इस सघ का नाम ‘कामगार दिव्यवधु लभा’ था। इस सभा ने भारत सरकार को एक मैमोरियल भेज कर पुरुषों के लिए १२ घण्टे का दिन, चोट लगाने या भर जाने पर ज्ञाति पूर्ति, चालकों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध और रहने के लिए आँखे मरांगों की माग रखती, इस सभा ने ‘कामगार भमाचार’ नाम से एक सामाजिक पथ भी निश्चाला। यदि सभा आज भी सफलता पूर्वक काय कर रही है।

शतंवन्द कुली प्रथा का समाप्त होना

१८३४ में हिंशयों को दास बना कर निशिरा उपनिवेशों में बाम लने की प्रथा का अन्त हो गया और निश्रो जाति के लोग दासता से मुक्त कर दिये गए। अस्तु, उन उपनिवेशों की उन्नति के लिए कुलियों की आवश्यकता हुई और भारत में शतवद कुलियों को भरती करके वहां को जाया जाने लगा। मारिशस, ट्रिनीडाड, जमैरा, नैगरल, दक्षिणी अमेरिका, निशिरा गायना, दक्ष गायना किजो, स्ट्रूट सेटिलमेंट और भजाया में मारतीय शतवद कुली भेजे जाने लगे।

शतवद कुली प्रथा के अन्तर्गत जहाँ सिसी अपह और निधन भारताद ने अपने को भरती करवाया, उसको विदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ता था। भरता करने वाले उँहें धोखा देकर अमृता लगाना क्षेत्र थे, जिस उँहें जात होता था कि पाच घण्टों के लिए उँहें विदेशों में बाम करने के लिए जाना होगा। विदेशों में इन शतवद भाजदूरों की दशा अत्यन्त शोचनीय होती थी। उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता था कि निष्पमे अपमान भी अपमानित होता और लज्जा को भी लज्जा छागती थी। उनका जीवन दार्शन से भी गया-याता था। मानिक दासों के माध्यमें अपह व्यवहार करता था, क्योंकि वह उसकी सम्पत्ति होता था और भरता

जाने से उसकी हानि होती थी, किन्तु शर्तवद् कुलियों के शीत्र मर जाने से उनकी कोइ आर्थिक हानि तो होती नहीं थी, अस्तु उह रहने के लिप अत्यन्त गर्व स्थान दिये जाते थे। उनका बेतन इतना कम होता था कि वे कभी कुछ यता हा नहीं सकते थे। उन्हें कोढ़ा से मारा जाता और प्रिना किसी पिण्डी कारण के मालिक की हच्छा पर जेल में मेन निया जाता था। कुलियों का सामाजिक जीवन भी अत्यन्त परित होता था। कुली प्रथा के नियम के अनुबार १०० पुरुष की पीछे करल ४० निया भरती का जाती थों, अस्तु उनका नीतिक पतन होना अवश्यम्भावी था। हन उपनिषेशों में कुलियों का जीवन ऐसा दुर्खी रहता था कि बहुत मे दम से दुर्घारा पाने के लिए आमदत्या कर जाते थे।

यों तो सभी उपनिषेशों में भारतीयों की दगा दृष्टिय था, किन्तु दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी समस्यायें उठ सड़ी हुईं, जिनसे भारत में बहुत अमरीप और चोम उत्तरन हुआ और उपनिषेशों में भारतीयों की सिरी हुड दगा प्रकारा में आगई। जब भारतीयों के परिश्रम से दक्षिण अफ्रीका का उपनिषेश गोरों के रहने योग्य हो गया तो गोरों ने भारतीयों को वहां से हटा देने का निरचय किया और कमश भारतीयों के विरुद्ध नये नये ड्रान्ट बनाए आरम्भ हो गए। महारामा गाधी के नेतृत्व में वहां सायाग्रह आनंदोद्धन दिला। इस आनंदोद्धन के पश्चास्त्रय उपनिषेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति भारत की जनता में गढ़ी सदानुभूति उत्पन्न हुई और शर्तवद् कुली प्रथा को समाप्त कर देने के लिए यहाँ आनंदोद्धन होते लगा। अन्त में १११० में यह प्रथा समाप्त हो गड़।

योरोपीय भाडायुद्ध और मन्त्रदूर मरण

यह तो इम पहले ही कह शुके हैं कि मन्त्रदूरों का पहला मध १८६० में दक्षिण हुआ और १८१० में कामगार दिव्यवधंक मभा बनी। इसी मध्य कुछ भारतीयों ने जो इंग्लैंड में रहते थे और उनके अपेक्ष मिश्रों ने जो हि भारतीय मन्त्रदूरों की ममम्या में शवि रमते थे, भारतीय

मजदूर हितेयिणी लीग (Indian workers welfare league) १९११ में स्थापित की। किन्तु इन मजदूर समाजों का मजदूरों पर विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा, क्योंकि भारतीय मजदूर अपनी छिपी हुई शक्ति और अपने वास्तविक हितों से अनभिज्ञ थे, मिह-मालिकों की ओर उनकी भावना “माँ याप” की थी।

किन्तु योरोपीय महायुद्ध (१९१४-१९१६) ने इस भावना में कान्तिकारी परिवर्तन ला दिया। महायुद्ध के पलस्वरूप इन सहन बहुत खर्चाला हो गया, किंतु मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी। युद्ध के समय भारतीय मिलों को कल्पनातीत जाम हुआ और श्रीचोगिक उन्नति तेजी से हुड़। मिल मालिकों में बहुत प्रकृता और सगड़न था, इस कारण मजदूरों की दशा और भी दयनीय हो गई। परन्तु युद्ध के कारण देश में आधिकारिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल हुई और भारतीय मजदूर जाग पड़ा। जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अत्यन्त महंगे हो जाने और मजदूरी के अधिक न यढ़ने से मजदूर चुन्द हो उठा। ऊपर से गरीब मजदूर और किसानों से लडाइ के लिए जबरदस्ती चढ़ा किया जाता था, फौर्जों में भरती भी दबाव के कारण होती थी, इससे भारतीय जनता चुन्द था ही। उधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में काप्रेस ने अमायोग आदोलन ढेह दिया। विटिश सरकार का दमन, जक्कियावाला बाग का गोली कारण इत्यादि कुछ घटनायें ऐसी हुईं कि भारतीय लोग अन्यात चुन्द हो गये। उधर विटिश उपनिवेशों में भारतीय मनदूरों के साथ जैसा सुरा घ्यवहार किया जा रहा था, उससे भारतवासा बहुत रुक्ख थे ही। अस्तु, भारत का मजदूर उप्र होता जा रहा था। उधर अस की बोलशीविक क्रान्ति ने तो सप्ताह भर के मनदूरों में नवान उन्माद का मचार कर दिया। युद्ध के समाप्त होने पर जो सैनिक इगाये गए, व कारमानों इत्यादि में काम करने गये। वहाँ की दशा और परिवर्मा देश के मनदूरों का दशा का तुच्छना करने पर उँहें आकाश पावाल का अन्तर दिया। व अपने साथ जो विदेशों से नया जान और नये विचार लाये थे, उँहें अन्य सापा मनदूरों में भर दिये।

इसके अतिरिक्त योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ साथ राजनीतिक कायकर्ताओं का ध्यान मजदूरों की और भी गया और उन्हें शिखित वर्ग का नेतृत्व प्राप्त हो गया। विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बाद को भारत में भी काम करने लगी और सगठित हुई उसने मजदूरों को सगठित करने का विशेष रूप से काय किया।

इन सब कारणों से युद्ध के उपरान्त देश में पेसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मजदूरों का सगठन किया जा सके। यही नहीं, जिन कठि नाइयरों का भारतीय मनदूर उम समय सामना कर रहे थे, उसका केवल एक ही उपाय था और वह था— उनका सगठन। अस्तु १९१८ के उपरान्त देश में मजदूर सभाओं का तेजी से सगम्बन्ध हुआ।

सबसे पहली औद्योगिक ट्रेड यूनियन (मजदूर सभा) २३ एप्रिल १९१८ में मद्रास के सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों की स्थापित हुई। इसकी स्थापना थी दो पी चांडिया ने की। १९१९ म मद्रास प्रात में चार ट्रेड यूनियनें काम कर रही थीं, जिनके बदम्यों भी साप्त्या २० हजार थीं।

मद्रास से यह सगम्बन्ध की जहर अन्य प्रांतों में फैली और देशते-देशते बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों में मनदूर सभायें तेजी से स्थापित हो गईं। तुच्छ ही दिनों म दश के प्रत्येक धरे म मजदूरों का सगम्बन्ध हो गया।

इस नव वित्तन्य का एक दूसरा फल यह हुआ कि भारतीय मजदूर प्रिंट्रोही हो उठा और सारे देश में मालिक और मनदूरों का सघय दिइ गया। मजदूर उम्म हो गया और उसकी मालिक के प्रति 'भा गाप' भी भावना तिरोहित हो गह।

जहाँ इह लालों के रूप म मजदूरों का मालिकों से सघर्ष चल रहा था, वहाँ कुछ रचनात्मक काय भी हुआ। दिसम्बर १९१९ म बम्बई में मजदूरों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बम्बई की ७२ मिलों के मनदूर

आधिकारिकता में प्रथम अखिल भारतीय ट्रेट यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में एक स्थायी समिति बना दी गई जो कि कांग्रेस का उस समय तक काम सभाले जब तक कि कांग्रेस का विधान न तैयार हो जाय। अधिवेशन में घटों को कम करने, मजदूरी में छूटि करने, आँखे मकानों, औपचित तथा चिकित्सा की सुविधा देने तथा बुदापे और बरचा पैदा होने पर कुछ अलाउन्म देने के सम्बन्ध में विचार हुआ और प्रस्ताव पास हुए। इस कांग्रेस में इगलैंड की ट्रेट यूनियन और त्रिनिश लेबर पार्टी की ओर से श्री वेजवुड महोदय प्रतिनिधि हो कर आये थे। वास्तव में भारतीय मजदूर आदोलन १९२० में उस स्थिति में नहीं था कि उसको एक अखिल भारतीय रूप दिया जाता, किन्तु मजदूर आदोलन को एक मत चाहिए था और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभा म मजदूरों के प्रतिनिधियों को भेजने के लिए भी एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता थी।

ट्रेट यूनियन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन फरिया में ३० नवम्बर १९२१ से २ दिसम्बर १९२१ तक हुआ। उस अधिवेशन में १०,००० प्रतिनिधि आये थे, जो १०० ट्रेट यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधि सभा प्रातों से आये थे। धो नोहेफ थैपनिस्ग इस अधिवेशन के सभापति थे। अधिकतर घाट्र विचाद काम के घन्नों, मजदूरी हडतालों तथा मालिनी और मनदूरों के सवाय के समझौते के तरीकों पर हुआ। एक प्रस्ताव भूमि के सम्बन्ध में इस से सहानुभूति प्रदर्शित करने का भी पास हुआ। एक दूसरे प्रस्ताव से ट्रेट यूनियन कांग्रेस न ससार के मजदूरों से यह आशा प्रकट की कि भवित्व में वह युद्ध नहीं होने देंग। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विधान बोर्ड भी हुआ।

कांग्रेस का एक कार्यकारिणा कॉमिटी (एक्साक्यूटिव कॉमिटी) है। इसके अन्तर्गत उनके काम का समर्पित भूमि से आगे बढ़ाने के लिए प्राताय कॉमिटी है। एक्साक्यूटिव कॉमिटी में सभापति, उप-

प्रभापति, काषायच, प्रधान मंत्री तथा महायज्ञ मन्त्री पदन प्रकाशनियुक्ति व स्थानियल के सदस्य होते हैं। इनक अतिरिक्त न्य और सदस्य हो सकते हैं। नियमें द्वेष यनियन काप्रेम का भवपूर्व सभापति जो वार्षिक अधिवेशन पर चुना जाय और सम्बन्धिन यनियनों के प्रतिनिधि जो नियम लिखित आधारों पर चुना जात है।

एक प्रतिनिधि उन यनियनों का होता है जिनके सम्म्य १००० सदस्य होते हैं।

दो सदस्य उन यनियनों के होते हैं जिनके सम्म्य १००० से ३००० तक होते हैं।

तीन सदस्य उन यनियनों के होते हैं जिनके सम्म्य ३००० से ५००० के बाच म होते हैं।

४ प्रतिनिधि उन यनियनों के होते हैं जिनके सम्म्य ५००० से ऊपर होते हैं।

जो यनियन काप्रेम में सम्बन्धित होता है उसे अपने नियमा क अनुसार अपने कार्य को करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। प्रयेक यनियन को काप्रेम से सम्बन्धित होने के लिए पीम जनी पड़ती है। द्वितीय यनियन को १० रुपये और बढ़ी यनियनों को २० रु पीम जना पड़ती है। जब कोड यनियन शाश्वतपीम द और काप्रेम का विधान और नियम इच्छादि स्वीकार कर ले तब वह काप्रेम से सम्बन्धित हो सकता है। काप्रेम का दृष्टिक्षण भारत के सभा धर्मो और पेरो तथा सभी प्रान्तों के मनदूरों के कामों को एक सूच में वाधना है और समार के किसी भी प्रसेरण से वह अपना सम्बन्ध जोड़ सकती है जिसका दृष्टिक्षण मनदूरों का हितवधन हो। यह तो इस पहले ही कह चुक है कि प्रयेक यनियन का अपने काय म स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई, किन्तु यदि कोड यनियन इकाल करे और काप्रेम से वार्षिक महायज्ञ चाह तो वह दसी दशा में दी जा सकता है जब कि इकाल काप्रेम क लिये

एक जीवन्यटिव कौसिस की आना प्राप्त कर ली गई हो । किन्तु यद्यहार में इस नियम को लागू नहीं किया जाता है । कुछ ग्रातों में काग्रेस की प्रान्तीय कमेटिया स्थापित की गई जो कि काग्रेस की काय कारिणी समिति का देव रेत में काग्रेस के उद्देश्यों का प्रचार करती है ।

टड यूनियन काग्रेस के अतिरिक्त रेलवे यूनियनों ने मिल कर अपना एक केंद्रीय संगठन 'अरिज्ज भारतीय रेलवे मैनस् फैडरेशन' स्थापित किया । १९२५ में इस केंद्रीय संगठन की स्थापना हुई और लगभग सभी रेलवे यूनियनें उससे सम्बद्धित हो गई । रेलवे मैन्स फैडरेशन भारत का एक प्रबल और प्रमुख मजदूर संघ है । रेलवे बाड़ ने भी उससे स्वीकार कर लिया है और प्रत्येक ६ महीने के उपरात रेलवे बोर्ड फैडरेशन के प्रतिनिधियों को बुला कर मजदूरों से सम्बद्धित प्रश्नों पर चातचीत करता है और रेलवे में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तथा आय समस्याओं पर निश्चय किये जाते हैं ।

१९२४ के उपरात भारत में मजदूर आदोलन के अंतर्गत कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ने लगा । कम्युनिस्टों के प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि भारतीय मजदूर में सावध घण चैतन्य उदय हुआ और मजदूर आदोलन में उग्रता आ गई । बमण लम्बा छह तालों हाने लगा । सरकार की ओर से दमन होने लगा और मजदूरों में रुद्रता उत्पन्न हो गई । सरकार के दमन का प्रभाव यह हुआ कि कम्युनिस्टों का मजदूरा पर प्रभाव बढ़ता गया । सरकार ने भव प्रथम कम्युनिस्ट आदोलन का और १९२४ में भ्यां दिया और उनके प्रभाव को नष्ट करने पे लिए कानपुर म वाम पक्षीय मजदूर कार्यकर्ताओं को पहुँच कर सरकार ने उन पर एक पड़यन वा मुच्छमा चनाया । इसका परिणाम यह हुआ कि योड़े भवय के लिए कम्युनिस्ट पर्टी को इससे धका जागा किन्तु उनका प्रभाव बढ़ता हो गया । याने यह थी कि बहुत से मिल मालिक माधारण मजदूर समाजों के कायकर्ताओं की बात नहीं मुनते थे

किन्तु जब कम्युनिस्ट लोग अपने प्रचार के द्वारा मनदूरों में कहुता उत्पन्न करते और उन्हें अध्यात्म उप्रयोग का देते तरजुमा जाकर थे मुक्त जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बम्बड इयानि स्थानों में कम्युनिस्टों का मनदूरों पर बहुत प्रभाव बढ़ गया।

१९२६ में योरोप से और विशेष कर इंग्लैण्ड की कम्युनिस्ट पार्टी के खुद कायकृता भारत में आये और उन्होंने यहाँ के श्रीधर्मिक केंद्रों से अपना सम्बन्ध स्थापित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को और अधिक यक्ष मिला। यही नहीं प्रातीय सरकारों ने जब १९२४ के उपरान्त कम्युनिस्टों के विरुद्ध दमन नीति का अपनाया और कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में काय करना करिन हो गया तो उन्होंने ट्रूड यूनियनों में शुम कर उनके हारा काय करना आरम्भ कर दिया। १९२७ में उन्होंने एक मन्दूर किसान पार्टी स्थापित की। इस पार्टी का उद्देश्य नये मनदूर सघों को स्थापित करना और जो मनदूर ममायें सुधारवादी मनदूर नेताओं के हाथ में थीं उन्हें उनके प्रभाव से निकालना था। कम्युनिस्टों ने इस वर्ष यम्बड में “गिरनो कामगार यूनियन” नामक ट्रूड यूनियन स्थापित की और उसके देखते चढ़ एक प्रत्यक्ष समाज बन गया। इसमें भूमि नहा कि उस समय यम्बड के मनदूरों पर कम्युनिस्टों का विशेष प्रभाव था। जब यहाँ ऐसी लम्ही हडवाल हुई, तो उसका नेतृत्व कम्युनिस्टों ने हा किया था। कम्युनिस्टों के पास यथेष्ट धन भी था क्योंकि उन्हें विदेश से भा सदायता मिलती थी।

यम्बड में मफतना प्राप्त होने से उठ और भी उमाह उत्तरा और उद्दोरा भारतीय मनदूर आदोलन पर अपना अद्वितीय स्थापित करने की पोजना बनाते। अपमर भी उनके अनुकूल था। नेशनल कार्पेस (राष्ट्रीय महासमाज) भारत मनदूर आदोलन की ओर से प्राप्त ददारीन थे। कही कहा कोइ कार्पेस का कायकृता मनदूर आदोलन में मात्र होता था। किन्तु कार्पेस का उधर ज्ञान ही नहीं था। नरम

दल के सुधारवादी मजदूर नेताओं को प्रवृत्ति सरकार से भिजा भाग कर मजदूरों के लिये कुछ सुविशेष प्राप्त करन की थी। ये सर्वपंच से बचते थे। इस कारण कम्युनिस्टों के लिए मनदूरों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेना बहुत सरल था।

बम्बई के उपरान्त उद्दोने अपना ध्यान बगाल की ओर और कलकत्ते में एक प्रचार केन्द्र स्थापित किया। उनका प्रभाव प्रमाण बढ़ रहा था। मनदूर उस समय बहुत ही ज़्याद थे, प्रत्येक केन्द्र में मजदूरों और मानिकों के बीच व्यवस्था था। उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ उठा कर जम्बी हड्डियाल बरबाह और उसके फल स्वरूप उनका प्रभाव आर भी बढ़ा। अब उद्दोने टेंड यूनियन कॉर्प्रेस को इधियाने की याचना तैयार की। स्वर्गीय श्री सरलतगाला इगलड की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कायकर्त्ता १९२७ की मात्र में देली के टेंड यूनियन कॉर्प्रेस अधियेशन में सम्मिलित हुए। उनको उपरिथिति का लाभ उठा कर कम्युनिस्टों ने अपने को अधिक सुमिग्धित तथा बलशाला घना लिया। इसके उपरान्त १९२८ के मार्च से दहला के टेंड यूनियन कॉर्प्रेस में एक प्रथम सम्मेलन के रूप में प्रकट हुए। अब उद्दोने अपने सिद्धाता, कायक्रम तथा नीति को कॉर्प्रेस द्वारा स्वीकार कराने का प्रयान आरम्भ कर दिया।

इस समय भारतमें घोर रानीतिक अशांति थी। सायमन कमांडों का बहिर्कार किया जा रहा था। हर्गीय श्री माताजान नेहरू की अध्यक्षता में एक भव दल सम्मेलन किया गया था जिसमें भारत की भावी शासन विधान तैयार किया गया तो सभी दलों को मात्र था। कम्युनिस्ट भी उस सम्मेलन में एक दल के रूप में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने अपने कायक्रम तथा नीति के ममधन में एक ही प्रचार किया। ए जवाहरलाल नेहरू इस समय योरोप से लौट कर आये थे। उनकी विचारधारा समाजवादी थी। वे राष्ट्रीय महासभा के केवल

प्रधान मंत्री ही नहीं ये वरन् भारत में समाजवादी विचार धारा के पोषक भी थे। अस्तु, उनके प्रभाव का मा कम्युनिस्टों ने जाम लगाया। दिसम्बर १९२८ में जब ट्रैड यूनियन काप्रेस का फरिया में अधिवेशन हुआ तो पंजाहरलाल नेहरू भी कुछ समय के लिए अधिवेशन में गए। अगले वर्ष के लिए पंजाहरलालनी को ट्रैड यूनियन काप्रेस का अमा पति चुन लिया गया।

कम्युनिस्टों ने यहाँ हुए प्रभाव को देख कर भारत सरकार चौकन्नी हुइ और प्रभिद्वं भरत पड़वन केस में प्रमुख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर मुकद्दमे चलाये गए। १९२९ में अगस्त में यिर आम हड़ताज़ हुइ। गिरनी कामगार यूनियन के नेताओं ने मजदूरों को अपने जोशाले भाषणों से उभार दिया। मजदूरों को दमन का सामना करना पड़ा और क्रमशः मजदूरों का डत्साह मद पड़ गया।

१९२९ के दिसम्बर में नागपुर में ट्रैड यूनियन काप्रेस का अधिवेशन पंजाहरलाल नेहरू के समाप्तिव में हुआ। इस अधिवेशन में ट्रैड यूनियन काप्रेस के दोषिय पहुंच वाम पक्ष में तीन मतभेद और सवधांशित हो गए।

उमा समय भारत सरकार ने मजदूरों का दण्ड को नाच करने के लिए लेपर कमाशन का नियुक्ति की थी। ट्रैड यूनियन काप्रेस के अधिवेशन में हम सात को लेफ्ट घोर मतभेद था कि ट्रैड यूनियन काप्रेस लेपर कमाशन का यहिकार कर या नहीं। दोषिय पक्षीय नेता मजदूर कमाशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे और वाम पक्षीय कार्यकर्ता उसका यहिकार करना चाहते थे। कम्युनिस्टों ने ट्रैड यूनियन काप्रेस की कायदारिएँ के सामने लेपर कमाशन का यहिकार करने, निवाक के चार्पिंड अन्तरालीय अमज्जीरी मम्मेशन का यहिकार करने तथा ट्रैड यूनियन काप्रेस का पैन पैसिविक मैट्टरियल सार्क्सिमिसको तथा मास्को के गृहीय इटरेशनक से समर्थ जोड़ने और अन्तरालीय ट्रैड

यूनियन फैडरेशन का सदस्य थनने के प्रस्ताव रखे। कायझारिणी ने बहुमत से इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। काप्रेस के सुब हुए अधिवेशन में इन प्रस्तावों का पास हो जाना निश्चित था, अस्तु, सुधार चाही दिति ए पनीय महादूर प्रतिनिधिया ने काप्रेस से प्रथक होकर एक नये अखिज्ज भारताय संघ का जन्म दिया। जिसका नाम “आज्ञ इन्डिया फैडरेशन” रखा गया। अस्तु, नागपुर अधिवेशन के उपरात भारताय महादूर आदोलन म फूर और दरार पड़ गई। इस मतभेद का प्रभाव यह हुआ कि महादूर आदोलन कुछ शक्तिशील और विधिल हो गया।

जब महादूर आदोलन में फूर पड़ गई तो रेलवे फैडरेशन ने दो में से इसी भा अखिज्ज भारताय संगठन ट्रैड-यूनियन काप्रेस या लेवर फैडरेशन से अपना सम्बन्ध नहीं रखा। अस्तु, रेलवे यूनियन भारताय संगठन से प्रथक होकर अपनी केंद्रीय संस्था रखने मैनसू फैडरेशन के नाम पर्य में काय करने लगा। अगले वर्ष के लिए ट्रैड यूनियन काप्रेस के समाप्ति श्री सुभाषचान्द्र बोस चुने गए। किन्तु ट्रैड यूनियन काप्रेस में किर भी एकता स्थापित न हो सका।

श्री दीवान चमनज्जाल एवं एम जोशी, गिरी रिजाराव, एम सी नोशा और नायदू के नेतृत्व में इंडियन लेवर फैडरेशन की स्थापना हुई आर । दिसम्बर १९२६ को नागपुर में दावान चमनज्जाल के समाप्तिपर में फैडरेशन का अधिवेशन हुआ और उसमें इन सुगरवादा मनदूर नेताओं ने लेवर कमीशन और राऊड ट्रिक्स समेलन से सहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

इधर आज इंडिया ट्रैड यूनियन काप्रेस म भी मतभेद उपर स्पधारण कर रहा था। बात यह थी कि चमनज्जाय मनदूर कायकृताओं में भी दो दल थे। एक दब तो शुद्ध कम्युनिस्टों का था, जो उन उपायों को काम में लाना चाहता था छि जो तृनीय इण्ठनेशनल के बनलाये हुए तरीकों से काम करना चाहता था।

किन्तु एक दल उन कार्यकर्ताओं का भी पा जो धी एवं ऐन राय के नेतृत्व में उनकी नाति का सम्बन्धन करता था। धी एवं ऐन राय उस समय गुप्त रूप से भारत म आताएँ थे और भरकार का अधिकार से द्विप कर रहे रहे थे। उनके नेतृत्व म एक दल द्वैचन्यनियन कार्येस पर अपना अधिष्ठय जमाना चाहता था। किन्तु शीघ्र ही धी एवं ऐन राय गिरफ्तार हो गए और उन्ह लम्हे समय के लिए कैद कर दिया गया। अस्तु, ऐन एवं ऐन राय अधिकारियों को अपने नेता के नेतृत्व से बचना होना पड़ा। यद्यपि व द्विप कर ही कार्य कर रहे थे पर भा उनका गिरफ्तारी से उनके दल को छनि पहुँची। डिसेंबर १९३० में कार्येस का आनंदोन्नत आरम्भ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप यारे सारनविक काय अस्त इष्टम हो गए। और जब १९३१ म कल्पक्षते म दूड यनियन कार्येस का अधिष्ठयन हुआ तो वहा कम्पनिस और रायवादिया म द्वारा हुए औरद्वेष यनियन कार्येस के पर दो भाग हा गए और उसम पर फूर हो गड़।

कल्पक्षता के दूड यनियन कार्येस के अधिष्ठयन म हस प्रश्न को लेकर मगढ़ा ठठ गदा हुआ कि बम्बृ की गिरना कामगार यनियन के वास्तविक प्रतिनिधि कौन है। दो प्रतिद्वन्द्वी अव अपार को गिरनी काम गार यनियन का प्रतिनिधि घोषित करते थे। एक अब के नेता धी एवं वी देशपाद दूड यनियन कार्येस के प्रधार मत्री थे और दूसरे दल के कार्येस के उप प्रधान जी एल कांडालकर थे। उनमें से प्रत्येक दल कार्येस की कायकारियों म धैर्यो का दाया करता था। अत मै हम प्रश्न को एक कमेटी (Credential's Committee) को संपूर्ण दिया गया, जिसन धा कांडालकर दल के पक्ष में अपना मत निया। अब हुजे अधिष्ठयन के पूर कार्येस का कायकारियो की वैष्ण दूह तो धी देशपाद के दल ने रख दी थीर जमाना आरम्भ किया और भवेकर सहाइ ठठ वही हुए। अस्तु, सभापति मदोदय को कायकारियो की मीमिया तथा मुझे अधिवेशन को भी स्पष्टित करना पड़ा।

इसके उपरात ट्रेड यूनियन काप्रेस का अधिवेशन ७ जुलाई १९३१ को कज़ाक्ष्य में था सुभाषचंद्र बोस की अव्यवहार में हुआ। अधिवेशन में लगभग ३० प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमें सकलतवाला, तपा गैलाचर को ट्रेड यूनियन काप्रेस के अधिवेशन में मन्त्रिमण्डित होने के लिए भारत सरकार द्वारा पासपोट न दिये जाने की निर्दा का गढ़, एक प्रस्ताव द्वारा रूस का सरकार को वहाँ के मन्त्रदूरों की दशा को सुधारने के उपलब्ध में बाह्य नी गढ़। एक तीसरे प्रस्ताव में भेरठ पड़यत्र के बद्दिया और छोड़ने का माम की गढ़ यार एक प्रस्ताव के द्वारा मन्त्रदूरों से अपने शोपण को रोकने के लिए नीचे लिखी मार्गों पर टूटना पूरक डेरहने की आपाल की —

- (अ) ननता को सारी मत्ता माप दी जाव।
- (क) भारत के दशो राज्यों और गोपणमत्ता जमादारों का नष्ट कर निया जावे।
- (ग) इसानों न सब प्रसार के शायण से मुक्त कर दिया जाव, जिससे कि व सुरक्षा जावन व्यतीत कर सकें।
- (घ) भूमि, व्यानों, घरों तथा विज्ञला-गानों हत्याकृदि के धावा का राष्ट्रायकरण किया जाव।
- (घ) विशेषी मरकार के द्वारा लिया हुआ करण अस्तीकार कर दिया जाव।
- (क) प्रचेक कुशल मन्त्रदूर को ८० ह व्यूनतम मन्त्रदूरी और अनुशाल मन्त्रदूर को २० ह मन्त्रदूरा ना जाव। बाम के घरों को घटा कर ४४ प्रति सप्ताह कर दिया जाव। मानदूरों के लिए स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति उपस्थित की जाव। बामारी, युद्धाप और बकारी का थीमा किया जावे।
- (घ) दश का आर्थिक जागरूक नियान मन्त्रदूर और कियान करें, जिससे कि दश का स्वतंत्रता का लाभ पूनापनियां का न मिल कर मन्त्रदूर और कियानों का मिल।

श्री देशपांड के द्वारा ने जो काग्रेम से प्रथक हो गया था, अपना एक अलग अधिवेशन कलक्टन में मनियातुन में किया। उसमें १० या १० यूनियनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस अधिवेशन में लेवर कमीशन की रिपोर्ट और गांधी इरविन ममकौते का वहिकार करने, जैनवा के अन्वराट्राय मनदूर मन का वहिकार करा तथा दृग के किसानों के प्रति साधानुभूति प्रबन्धित करने के प्रस्ताव पास किये गये।

जब कि मनदूर आनेकता में इस प्रकार फट पड़ी हुड़ था उस समय कुछ लोग मनदूरों में फिर से एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। रेलवे मैनसूके द्वारेशन ने एक एकता सम्मेलन बुलाया और उसके सामने एक कायमम रचना नियमों वास्तव में श्री षष्ठ, एन राय ने बताया था। यह एकता सम्मेलन बम्बट म भड १६३१ में हुआ। इस नियमों में ट्रैड यूनियन काग्रेस के प्रतिनिधि भी बुलाये गये, चिन्ह कम्युनिस्ट लोग इसके प्रिस्ट्र थे। उन्होंने एकता सम्मेलन में सुधार बादी मनदूर नेताओं नया रायबार्डी कार्यकर्ताओं का घोर विरोध किया। इस एकता सम्मेलन म एक दूल दूसरे जल को गाली नेता रहा फिर भी एक उप समिति इस बार्य को आगे बढ़ाने के लिए बना दी गई। यहुत बार प्रयत्न होने पर एकता सम्मेलन का एक अधिवेशन १६३२ को तुकाइ में हुआ जिसमें ट्रैड यूनियन एन्ड्रेशन, रेलवे मैनसूके द्वारेशन के प्रतिनिधि तथा कुछ कम्युनिस्ट जो कि याहर बड़ गण थे, सम्मिलित हुए थे। उस समय कम्युनिस्ट जल के प्रमुख नेता भेरठ पड़यत्र केस के फल स्वरूप केंद्रगाने में थे। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे नियम दिए गए जिन पर दक्षिण पड़ नया याम पड़ नोनो ही भिन महत थे। सम्मेलन ने नाचे लिने नियम दिये जिसके आधार पर मनदूरों का एकता स्था पित की ना महती थी।

(१) ट्रैड यूनियन बग मध्य का एक साधन है अन्तु, उसका मुख्य काय उनके अधिकारों और वित्तों को प्राप्त करना और उसका रका

करना है। और यद्यपि पूजीबादी पद्धति में पूजीपतियों और मजदूरों का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता फिर भी इस परिवर्तन काल में पूजी पतियों से बात चीत करके मजदूरों के हितों की रक्षा करने का कार्य ट्रेड यूनियन वरेगी।

(२) यदि मालिकों से सहयोग करने से जाम होता हो, तो उसको छोड़ा नहा नावेगा।

(३) ट्रेड यूनियन आन्दोलन भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लेगा किंतु उसका उत्तेश्य दश में समाजबादी सरकार स्थापित करना होगा।

(४) ट्रेड यूनियन कांग्रेस समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता तथा सागर करने का स्वतंत्रता में विधास रखना है और उसका समर्थन करता है।

(५) ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैनेश के आराध्यों अमनावी सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजगा।

(६) मजदूर आन्दोलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस शान्तिमय, न्यायपूर्ण तथा प्रकातात्रिक इरास से काम करेगी।

ऊपर दिये हुए निषाय का आधार पर एक विधान बनाया गया और देहला भट्टेड यूनियन कांग्रेस तथा ट्रेड यूनियन पैन्नेशन का मम्मिलित अधिवेशन हुआ, किन्तु कोइ भा दल एकता सम्मलन के बनाये हुए विधान को स्वाक्षर करने के लिए तैयार नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिल १९३३ में नेशनल पैन्नेशन आफ बैयर नामक संस्था को नन्म दिया गया। ट्रेड यूनियन पैन्नेशन ने अपने कलबत्ता अधिवेशन में एकता सम्मलन के निषाय को स्वीकार कर लिया और नेशनल ट्रेड यूनियन पैन्नेशन के नाम से नेशनल पैन्नेशन आफ बैयर में मम्मिलित हो गड़। परन्तु यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ और

नेशनल फैडरेशन आफ लेवर अधिक दिनों नहीं चल सका। अन्त में दोनों और के प्रयत्न सफल हुए थीं १९३८ म दोनों पक्षों में समझौता हो गया और नागपुर में नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन ट्रेड यूनियन कार्प्रेस म सम्मिलित हो गई।

एक बार फिर ट्रेड यूनियन कार्प्रेस के नेतृत्व में मजदूर पक्ष स्थापित हो गई। केवल छाइमन्यावाद लेवर असोसिएशन उन्हसे समर्पित नहीं हुइ। समझौते की एक शर्त यह थी कि ट्रेड यूनियन कार्प्रेस इसी भी अन्तराधार्य या विदेशी श्रमजीवी समग्र सम्बन्ध स्थापित नहीं करेगी। किन्तु अवितरण यूनियनों को श्रीशी श्रमजीवी सघों से सम्बन्ध स्थापित करने की अनुश्रूति दे दी गई है। जहां तक राजनीतिक प्रश्नों तथा इडलाल रा प्रश्न है यह निराकार हुआ कि तान चौथियाइ घटुमत होने पर ही कोइ नियाय किया जा सकेगा। परन्तु अवितरण यूनियन कार्प्रेस के आदेश को मानने या न मानने के लिये स्वतंत्र है।

ट्रेड यूनियन कार्प्रेस का नवरूल कौमिल म प्रत्येक के यात्रार प्रतिनिधि (अथात ४४) रहेंगे। कार्प्रेस का विधान नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन का ही रहेगा। कार्प्रेस का झण्डा लाल होगा किन्तु उसम इसिये और हाँदा का चिह्न नहीं रहेगा।

यात यह थी कि इस समय मान्य मान्यों द्वारा जनता न होने के कारण मजदूरों की मिथित अत्यात अन्यनीय थी। मिल मालिक और सरकार वा सम्मिलित यज्ञ उनके गिर्द या और मजदूर अशमत और असदाय हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मजदूर नेताओं को एकता की आवश्यकता प्रतीत हुई। परिस्थितियों ने उन्हें एकता के लिये विवरा कर दिया।

जब मजदूर आदोलन में एकता स्थापित करने के प्रयत्न चल रहे थे, उस समय भारतीय राजनीतिक गणन में एक और राजनीतिक दल

का उच्च दुश्मा जो काप्रेस का ग्रंथ होते हुए भी देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वह काप्रेस समाजवादी दल के नाम से प्रगति दुश्मा। १९३१ के राष्ट्रीय आदोलन में जब काप्रेस के कार्यकर्ता लेलों में थे, तो उनमें से बहुत से काप्रेस की तकालीन नाति के व्योस्खलेपन को समझ गए, किन्तु साथ ही उन्होंने देश के विभिन्न समाजवाद से मोर्चा लेने के लिए काप्रेस के नवृत्त में ही संयुक्त मोर्चा बनाना आवश्यक है। किन्तु विभिन्न सरकार के हाथ से सत्ता छीन लेन के उपरान्त देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए नवता का तैयार करना भी आवश्यक था। अस्तु, पर्यामें आचाय नरेंद्र नेव के समाप्तित्व में प्रथम काप्रेस समाजवादी दल का अधिकारण दुश्मा और तब से काप्रेस में काप्रेस समाजवादी दल एवं राष्ट्रियवादी वाम पक्षीय दल के रूप में काय करने लगा। स्वभावत काप्रेस समाजवादी दल का ध्यान मन्त्रूरो की ओर गया और उन्होंने मन्त्रूर आदोलन में भाग लेना आरम्भ किया। अभी तक काप्रेस मन्त्रूरो का और अधिक ध्यान नहीं दती थी परन्तु काप्रेस समाजवादीयों ने मन्त्रूरो के समर्पन के कार्य को हाथ में लिया और शीघ्र ही बहुत भी यनियनें उनके अधिकार में आगई। मन्त्रूर आदोलन में एकता स्थापित करने में काप्रेस समाजवादी जल का भी विशेष हाय था।

मन्त्रूर आदोलन में एकता स्थापित होने हा पाइ थी कि १९३६ में द्वितीय विश्व व्यापी युद्ध दिल गया और काप्रेस के नेतृत्व में सिर राष्ट्रीय आन्दोलन दिला। काप्रेस मन्त्रिमंडलों ने स्वाग पत्र दे दिये और व्यक्तिगत मायाप्रद आरम्भ हुआ। उम्म भूमध्य भारतीय कम्युनिस्ट इस युद्ध का मायारवत्ता युद्ध का नाम से पुष्टारते थे और प्रेरणा ग्रन्ति शील व्यक्ति को इसका विरोध करना बनव्य बतलाने थे। काप्रेस समाजवादी ने आरम्भ से ही इस युद्ध में भारत का कोड समर्पण नहीं मानते थे और उन्होंने काप्रेस पर प्रमाद ढालना आरम्भ किया है।

वह भारत की स्वतंत्रता का सप्तराम छेददे । परन्तु श्री एम पन राय को इस युद्ध म अपने और अपने दल (रेटिकल पार्टी) के लिए एक स्वयं अपसर नियनाड़ दिया । कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक गैर कानूना थी । अधिकारी कम्युनिस्ट कायकज्ञा जेलो में बद रे, जो बाहर थे वे किये हुए काय कर रह थे, कपिस् जन भा जेलो में बद हो गए आर काप्रेस पर सरकार ना उमन अस्त्र काप करने लगा । श्री एम पन राय ने नेह्वा कि राजनीतिक शक्ति अपने हाथ रखने और देश में अपने न्यून ना प्रभाव बढ़ाने का अपमर उपस्थित हो गया है, अस्तु, उन्होंने नियिन सरकार से गर घटन कर लिया और व चित्र व्यापा युद्ध को फायिन चिरोधी युद्ध कह कर उसका भमयन बरने आर देश के प्रति दश द्वोह बरने लगे । द्रुट यूनियन कपिस म उनका कोड विशेष प्रभाव न था । अस्तु, उन्होंने इ दियन लेनेर फैडरेशन नामक अविल भारतीय मम्या को जन्म दिया और जो यनियने उनक प्रभाव म था, उससे सगर्नित हो गह । सरकार ने खेबर फैडरेशन तथा प्रचार भमवी कार्यों के लिए श्री राय को कल्पनातीत मारी रह में उना आरम्भ कर दिया । बात यह थी कि देश के अद्व नियिन—साम्राज्यवाद क विस्तृ तीव्र चोभ उत्पन्न हो गया था । सरकार का ऐस व्यवितयो और समूहों की आवश्यकता थी जो दश द्वोह करके नियिन साम्राज्यवाद का नड को देश म नमाये रखने के लिए नियिन साम्राज्यवाद क एन्जेट का काम कर सके । कुद समय उपरात नव डिप्लोम ने सोमियत भम पर भी आधमण कर दिया तो भारतीय कम्युनिस्टों के लिए यह युद्ध एक रात में ही साम्राज्यवादी युद्ध स बदल कर जनता का युद्ध घन गया और वे सब प्रकार मे युद्ध म महायता और उसका भमर्थन बरने लगे । अब रायवादी तथा कम्युनिस्ट कायकज्ञा भाद्रों से इदताज्ज न बरने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहते । भाद्रों की दश हम समय अद्वी न थी परन्तु लिंग भी कम्युनिस्ट तथा रायवादी कायकज्ञा उनका खोखे मे रख कर उहें युद्ध में सहयोग करने के लिए इहने

रहे। केवल अहमदाबाद तथा उन स्थानों पर जहाँ काप्रेस समाज वादी दल का प्रभाव था मनदूर राष्ट्रीय भावना से थोत प्रोत था। इसी समय काप्रेस ने ६ अगस्त १९४२ का स्वतंत्रता सम्राम घेड़ दिया। इस जन प्राप्ति से देश का कोना कोना भइक उठा। देश अपनी दासता की धेदियों को काटने का अन्तिम प्रयास कर रहा था किन्तु अहमदाबाद, मदरास, जमेदारी इत्यादि स्थानों को छोड़ कर जहा काप्रेस या काप्रेस समाजवादी कायकर्त्ताओं का प्रभाव था मनदूरों का इस जन प्राप्ति में विशेष गौरव पूण भाग नहीं रहा। काप्रेस समाजवादी कायकर्त्ता जेतों में ठुस दिये गए। अस्तु, देह युनियन काप्रेस का नेतृत्व सबथा कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। एक प्रकार से मनदूर नेताओं ने सरकार से गवर्नेंट कर लिया और इन्होंने इत्यादि न करने के लिए प्रयत्न करते रहे।

जब युद्ध के उपरान्त कैप्रेस पर से पाबंदी उठा ली गई और काप्रेस समाजवादी कायकर्त्ता, फिर बाहर निकले तो अनायास ही बहुत सा मनदूर समाजों पर उत्तर प्रभाव होगया, क्योंकि राष्ट्रवादी तथा कम्युनिस्ट कायकर्त्ता बहुत कुछ मनदूरों का भी विश्वास रखे थे। प्रान्तिय खुनावा में मनदूरों की सार्टी के लिए कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी और काप्रेस उम्मीदवारों में अविद्याश काप्रेस उम्मीदवार ही शुन गए। पोस्टल हड्डताल, तथा रेलवे इन्होंने तैयारी में काप्रेस समाजवादियों का विशेष हाथ था। परंतु प्राप्तों में उत्तरदाया सरकारों का स्थापना के उपरान्त मनदूरों पर अपना प्रभाव नहीं रखने के लिए सभी दल भरपूर प्रयत्न करने लगे। प्रत्येक दल मनदूरों पर अपना प्रभाव रखना चाहता था।

इसी समय थी गुजरातराज़ 'नांदा' ने महामाना के आदर्श पर हिन्दुस्तान मनदूर संघ का स्थापना का। वर्षह में हिन्दुस्तान मनदूर संघ का स्थापना का उद्देश्य अहमदाबाद मनदूर संघ के आशा पर मनदूरों का समर्पन करना है। संघ यह मानता है कि मालिक और मन-

तूर के हित अन्तर एक हैं अत उनके सबन्वों को अधिक अच्छा बनाना और मनदूरों के दिवों की बुद्धि और उनकी रसा करना उसका मुख्य कार्य है। हिन्दुमतान मनदूर सघ के सम्बन्ध में आभी कुछ कह सकना कठिन है परन्तु उसे महात्मा गांधी की सहानुभूति तथा शाश्वीवाद प्राप्त है, इससे यह तो स्पष्ट हो है कि यह शीघ्र ही एक शक्तिवान सम्या यन जावगी।

अद्भुतावाद मनदूर सघ

भारतवर्ष म अद्भुतावाद मनदूर सघ अपने दग को अनोखी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन है। अत उसके सम्बन्ध में यहां विस्तार पूरक कुछ लिखना आवश्यक है। मनदूर कमीशन ने भी अहम दावाद मनदूर सघ का मुक्त कठ से प्रगत्या का है। इस सम्या को जनवरा १९२० में महात्मा गांधी ने स्थापित किया और बहुत समय कर मनदूर सघ को महात्माजी का सीधा नेतृत्व प्राप्त था। मनदूर सघ के अन्तर्गत मात्र ट्रेड यूनियन है—ग्रासल वर्कर्स, क्रेम काड चौक वर्कर्स, घुनकर, एनिन मशीन चलान वाक, जावर और मुक्कड़म, बाहुड़र और रेपरम। प्रयोक्तयनियन की अपनी काय कारिणी है। इसके अतिरिक्त एक हेंद्राय काय कारिणी समिति है और मात्र ही एक सबाइकार समिति भी है। इन समितियों व अतिरिक्त प्रतिनियियों का स्थायी समितिया है जो कि सघ क भिन्न भिन्न कारों का दृग्य भाज करना है और एक प्रतिनियियों का सम्मिलित बाड है जो कि समाज घोरों में मनदूरों के दिवों का नेग भाज करता है। चेतन भाग्यगी कानून (Payment of Wages Act) पास होने के पूर्व मनदूर सघ का मिल मालिङ्गों से यह समझौता या फि वे मनदूरों के चेतन में से मनदूर सघ का चढ़ा छाठ कर उपर को द देंग। अद्भुतावाद की मिलों व लगभग आवे मनदूर सघ के सदस्य हैं। गय के मुख्य ठहरे नीचे लिखे हैं (१) अहमदावाद की मिलों म काम परने वाले मनदूरों का समाजन करना,

(३) मन्त्रदूरों में समाज और भाइचारे की भावना भरना, (४) आन्तरिक प्रयत्न से मन्त्रदूरों के नावन और उनके नज़ेरे को उत्तुत करना, (५) उनके लिए उपरित मन्त्रज्ञी वाम के घटे और शाय प्रकार की मद्दायता करना, (६) सदस्यों की किनाईया को दूर करने का प्रयत्न करना और मालिकों और मन्त्रदूरों में भगवान् उठ खड़ा होने पर मन्त्रदूरा और मालिकों से बात चात करके भगवडे को नियन्त्रणे का प्रयत्न करना और अमर्मान, न होने पर अन्त म पचो संघर्षना करवाना जिससे हृताल करने वा आवश्य कता न पह। (७) यदि हृताल रहना हा पते, तो उस शायहा मन्त्रदूरों के द्वितीय की रक्ता करने के उपरात समाप्त कर न्ता और मालिका के द्वारा द्वारापरोध (Lock out) न होने न्ता। (८) मन्त्रदूरों के हित मा दृढ़ि के लिए कानूना का उपयोग करना। (९) और अन्त में गूर्णी वस्त्र अंग्रेजीय का राष्ट्रायकरण करना।

मन्त्रदूर सब के द्वयमें मन्त्रदूरा का शिक्षायता को लिखने का प्रयत्न है। जिस मिल के सम्बन्ध म रिक्षायत होता है उसके अधिकारिया को लिखा जाता है। यदि वे उस शिक्षायत का दूर नहीं करते हैं तो प्रति नियि याड नियष्य दता है या भगवा घाहता है ता मिल मालिक एसोसियेशन को लिखता है और यदि मिल मालिक एसोसियेशन से वह भगवडा नहीं निपत्ता तो फिर वह मामला पर्चा का न दिया जाता है।

मद्दामा गाथा स्थाया स्वप म पउ बाई म थ। मद्दामा गाथा के मद्दान् अपश्चित्त्व के फल स्वप्न यन्तु म फ्लाई ता या ही नियर जान ये। मद्दामा गाथा के अन्तरिक्त कुमारी अनमूला ताराचाई तथा आर्यकर मद्दोदय न अहमदावार मन्त्रदूर सब को मधज यनाने तथा अहम शायद म मन्त्रदूरों का समाज करने का प्रशमनीय काय किया है। यह अहा दानों के रवाना और तपन्या का परिणाम है कि अहमदावाद मन्त्रदूर जने अधिक सुमणाठिन है।

यदि पचायत के फैमले को भी कोई पह नहीं मानता अथवा मिन मालिक किसी फगड़े को पचा के भी सुपुर्त नहीं करना चाहते तो आत में सध हडताल का भी आयोजन करता है। हडताल के समय में मजदूर सध का नीचे लिखा हुआ नियम है—

“यदि मालिक किसी फगड़े का पचा से फैमला करने के लिए तैयार नहीं होते अपवा पच फैमले को मानने से इनकार करते हैं, तो मजदूर सध का प्रतिनिधि मडल (बाड ओक प्रिवेटिव्ज) दो तिहाई बहुमत से उस मिन में हडताल करवाने का निश्चय कर सकता है”

यदि प्रतिनिधि मंडल यह अनुभव करे कि स्थिति ऐसी है कि साधारण हडताल (General Strike) का जावे तो अपेक्ष मजदूर को मत पत्र (Ballot) दें दिया जावेगा और यदि मत ने वालों के तीन चौथियाँ और सारे मजदूरों का दो तिहाई बहुमत हडताल के पह में हो तभी साधारण हडताल की जायेगी।

इसके अतिरिक्त मजदूर सध एक ऐसा कोष भा रखता है (Victimisation fund) जिससे उन मजदूरों को अतिक सहायता दी जाती है जो विसध का काय करने के कारण मिलों में से निकाल याहर किये जाते हैं। इस कोष के अतिरिक्त मध मजदूरों की ओर से उनके चोट हृत्यादि जगने अथवा किसी मजदूर के मर जाने पर अति पूर्ण धानून के आतरगत मालिकों में अतिपूर्ति की रकम बमूल करने की सारी जिम्मेदारा अपने ऊपर लेता है और उम इकम को बमूल करके मजदूरों के दैंक में आमा कर नेता है। इस दैंक का मनदूर सध ने मजदूरों म हम्मा धाचा कर रखने का भावना थो जागृत करने हे उद्देश्य से स्थापित किया है। आवश्यकता पड़न पर यह दैंक मजदूरों को उचित सूद पर शाश भी देता है।

मजदूरों की चिकित्सा वे लिए एक अच्छा हास्पिटल भी स्थापित किया गया है, जिसमें रोगियों के रहने के लिए बाड भी है और स्थिरता के लिए भी अबग बाड हैं जहाँ जहाँ लाना भी है।

सध मनदूरों की शिक्षा के लिए दिन के तथा रात्रि के कई सूचल चलाता है। इसके अतिरिक्त जड़कों के लिए आश्रम और जड़विहारों के लिए बन्या गृह भी हैं, जहाँ जड़के और जड़विहार रह कर अध्ययन करती हैं। सध मिला कर सध २५ से अधिक शिक्षण संस्थाओं को चलाता है।

मनदूर सध ने मनदूरी के स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिए अवाहनों का प्रबन्ध किया है, इसके अतिरिक्त अन्य देशों तथा ट्रिल का भी प्रबन्ध है। साथ ही सध ने चलते किरते पुस्तकालय भी स्थापित कर रखे हैं जिनसे मनदूरी का ज्ञान विधन होता है।

पिछले दिनों से सध ने मादक द्रव्यों के विरुद्ध मनदूरों में सूब प्रचार किया और मनदूरों में शराब तथा ताड़ी इत्यादि मानक द्रव्यों का सेवन रद्द करने की भावना पायुन की। शराब पाने वालों से इस प्रकार की प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे भविष्य में कभी भी भा शराब न पियेंगे। जो एक घार शराब अपवा ताड़ा पीना छोड़ देते हैं उनकी दम भाल रखनी चाही है जिससे फिर ये दुर्बलता भ न पस जावें। ताड़ी और शराब की दुकानों पर स्वयंसेवक नियुक्त किये जाते हैं जो वहाँ नाने घाबों के नाम सूची में लिप्य लेते हैं। शराब पीने के प्रति रुचि कम रखना हो उसके लिए भजन मड़बी इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता है जिससे कि मनदूरों का मनोरनन हो और मनदूरी के लिए शराब इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता है। इस शराब वड़ी के ग्रामोलान के फल स्वास्थ्य अहमदाबाद के मनदूरा में शराब की गमत बहुत कम हो गई। सध के अधिकारियों का कहना है कि मनदूरों में शराब की गमत यहाँ में एक चाँथियाड़ रह गई है।

मनदूर सध ने मनदूरों के रहने के भवानी की एक जात का घाँट डिमक परिणाम स्वरूप यह जात दुआ कि मनदूर ऐसे गढ़ भवानों में रहते हैं जिन मनुष्यों के रहों के बाह्य नहीं हैं। अस्तु, सध न अहम दाबाड़ म्युनिसिपैलिटी से एक क्रांति लेकर कह्याण गांव जामक एक छोटा

मा सुदूर उपनिवेश यसाया है। प्रत्येक मन्दूर का २५ वर्ष तक प्रति मास न्यूयर्क नेना पहुँचे और अन्त में वह उस भक्ति का मालिक हो जायगा। प्रत्येक क्वार्टर में तीन क्षमते, एक घराटा और पीछे छोग-सा उद्यान है और इस उपनिवेश में पुस्तकालय, झूल तथा अस्पताल सभी सुविधाय उपस्थित करनी गई हैं।

सध मन्दूर सनेश नामक नास्ताइक पत्र विश्वालता है जो मन्दूरों को यिना मूल्य दिया जाता है।

विन्तु सध का काय केन्त्र आर्थिक हा नहीं रहा है। जब जब महाभास्त्री के नेतृत्व में आद्वेलन हुआ है तब तब सा ने उस आन्दोलन में सहयोग दिया है।

परन्तु पिछले दिनों से अहमदाबाद में कम्युनिस्ट कायकाना मा वी शक्ति कम करने का प्रयत्न करते रहे हैं। यद्यपि वहां कम्युनिस्ट का अधिक प्रभाव नहीं है फिर भी वे सध के विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं।

सच तो यह है अहमदाबाद में मन्दूर सध ने मन्दूरों के हिंदा के चिन्तने का काय किये हैं उतने किसी भी भारताय मन्दूर सध ने नहीं किये। परन्तु कुछ लोगों ने विशेष कर कम्युनिस्ट कायकाना और यह मदेह की भावना उन्नन होगइ है कि अहमदाबाद का मन्दूर सध वास्तव में मन्दूर सध नहीं है वह मन्दूरों के हिंदों का काय करने वाला एक बद्र माय है। महाभास्त्री का यह मन्दूरों कि मन्दूरों और मिल मालिकों का पास्तविक रवाय पर्व है वास्तव में अहमदाबाद मन्दूर सध की गिरोप परिभिति का घोतक है। कम्युनिस्टों का यह कहना कि मन्दूर सध मिल मालिकों से मेल रखता है, इस दृष्टि से गोइ नहीं है। सर्वे मन्दूरों के हिंदों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करता है और माय ही यदि मिल मालिकों से मिलकर वह मन्दूरों के गिरा का रक्त काने में मफज्ज हो तो वह उसमें युक्ति नहीं होता।

कुछ विरोध कारणों से कम्युनिस्ट को इस प्रकार का भूता प्रचार का अवसर मिल गया। एक तो यह था कि महाभास्त्री गाड़ी की सलाह के

अहमदाबाद मजदूर सघ ने किसी अखिज्ञ भारतीय मजदूर सगठन (ट्रेड यूनियन काप्रेस इत्यादि) से अपना सदस्य स्थापित नहीं किया। दूसरे अभी कुछ समय पूर्व तक (१९३८ के पूर्व) अहमदाबाद मनदूर सघ ने ट्रेड यूनियन एकट के अतगत अपने को रजिस्टर भी नहीं करवाया था। एक बात और भी जिससे कि कम्युनिस्टों को सब के बिहूद्र प्रचार करो का अवसर मिल गया था। सब ने मिल मालिकों से यह "यवस्था करली थी कि जो मनदूर सघ के सदस्य थे उनका मासिक चान्दा मिल मालिक बनकी मनदूरी में से काट कर सघ को दे देते थे। किन्तु वेतन अदायगा कानून के बन जाने के उपरात यह प्रथा बंद कर दा गई। सघ की ये विरोध बातें मूलतः गांधी के आदर्शवाद के कारण हैं। अतएव यह कहना कि भंच वास्तविक अर्थ में ट्रेड यूनियन नहीं है गलत है।

मजदूर समाजों के सगठन में कठिनाईयों

आज दश में भिन्न भिन्न अद्यताओं वाले राजनीतिक गुल मनदूरों का सगठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे भा अधिकतर मनदूर समाजों की स्थापना हड्डताल के समय अथवा हड्डताल के पूर छोता है। वह किसी मिल या केंद्र के मजदूर अपना दृष्टिकोण से ऊब कर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सहायता मांगते हैं तो मनदूर समा का जाम होता है। विद्यान हृष्यादि यानाने में कोइ भी कठिनाइ नहीं होता। राजनीतिक कार्यकर्ताओं अन्य मजदूर समाजों के विभान को नफ्ल कर लेते हैं और मनदूर समा का रजिस्टर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रर से करवा ली जाती है। कार्यकारिणी समिति में आधे सदस्य यह लोग हो सकते हैं कि नो मनदूर नहीं है। अच्छा तो यह हो कि मजदूर समाजों का संचालन स्वयं मनदूर ही हो, परन्तु भारतवर्ष में अभी बहुत दिनों तक यह स्थिति नहीं था सकता। क्योंकि एक तो कारनामों में शिल्पित मनदूरों का विवात अभाव है, दूसरे यदि कोइ मजदूर रिहित हो भी तथा मनदूर समा को संगठित करना चाहुं तो इसी न इसी अपराध में वह निश्चल दिया जाता है। यदि मजदूर समा तब, उसमाही और उम्र हुमा तब तो

वह निकाल दिया जाता है और यदि वह स्वसाव में समस्तीते की प्रतुक्ति बाला हुआ तो कभी वह अपने साथी मन्त्रदूर्दोष के प्रिश्वाम को भ्यो देता है और उसको यूनियन में अपने पद को त्योग भेजा पड़ता है, यदि वह चाहता है कि कैशरी में उसका उच्चति हो। यह परिमिति सभी श्रीदेविग्रह के द्वारों में है। मिल मैनेजर यनियन के मनदूर काय फ्लाइयो को पदोन्नति का लोभ देते हैं और इस प्रकार या तो मनदूर्दोष के नेतृत्व को शिथिल कर नेते हैं अथवा उपर मनदूर नेताओं को निकाल देते हैं।

मनदूर सभाओं के सामने दूसरी कठिनाइ मासिक चाढ़ा इकट्ठा करने की उपमिति दीती है। यो या चार आना जो भी यूनियन का चाढ़ा होता है उसको जमा करने में यहुन कठिनाइ होती है। यदि यनियन के कायालय में चाढ़ा जमा करने का व्यवस्था की जाती है तब तो मनदूर सदस्य चाढ़ा नहीं देते और यदि कुछ सदस्यों को चान्दा जमा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो कभी-कभी वह कायकत्ता समय पर अपना नई देना और पूरा चान्दा को पापाव्युत के पाम नहीं पहुंचता। यदि यनियन के कायकत्ताँ पैकरी के अन्दर यूनियन का चान्दा जमा करते हैं, तो यहुन मिल मालिक उन कायकत्ताओं के विन्दू कार्य वाही करते हैं। केवल अहमदाबाद के मनदूर सभ तथा जमरोदपुर के खोदे सधा श्रील के कायाने की यूनियन का चान्दा मिल-मालिक मनदूरों के घेतन में से काट कर यूनियन को छोड़ते हैं। किन्तु मराधारणन न तो मिल मालिक ही पेमा करना पमद करते हैं और न यनियन ही इसे पमद करता है। मिल मालिक यह कार्य करके मनदूरों को साठिन होने देना नहीं चाहते और न इसे ये अपना काय हो मानते हैं। अस्तु, ये इस भौक्त को उगना नहीं चाहते। यूनियन मिल मालिकों पर अपने चेद को इकट्ठा करते का कार्य संपूर्ण कर उनके आधिक हो जाना पसद नहीं करतो।

परन्तु मन्त्रदूरों को मगान्ति करने में केवल यही कठिनाइ होती है। भारतीय मनदूर अगिरित है, अनण्ड उसको समावित करना यहुन सरल नहीं है। परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय मनदूर के

नितात अशिक्षित होत हुए भा उसने सगड़न के महत्व को समझा है और यदि काय फत्ती सज्जा और लगान पाला हो तो वह उसके नेतृत्व में सगठित हो जाते हैं। सबसे यही इठिनाइ जो कि मनदूर कार्य फत्तीओं को यूनियन बनाने के समय करने पड़ती है वह है मिल मालिकों का विरोध। चाहे यूनियन रजिस्टर्ड हो अथवा नैर रजिस्टर्ड मालिक उसको स्वीकार नहीं करते। कभी फत्ती तो यूनियन म कार्य करने वाला को कारपाने से निकाल दिया जाता है। कुछ कारपानों के मालिक अधिक कृप्ति होते हैं वे यूनियन को कुछ शर्तों पर स्वीकार करते हैं। पहली शर्त तो यह होती है कि यूनियन रजिस्टर करवाली जावे। यह मालिक बगल अपने मजदूरों से ही बात करना स्वीकार करते हैं बाहर बाला स नहीं। इसके उपरात वे प्रभरा और नवे नये बगलों से यूनियन को बचते हैं। उदाहरण के लिए वे बाहर बाला की सल्ला को बहुत कम कर दना चाहते हैं कभी कभी यूनियन को स्वीकार करन म उनको यह भा नह छोतो है कि यूनियन का कोइ विशेष कार्य फत्ती नो कि आर्य त उसमाही और डग्र हो उसको कोइ पर न दिया जावे और न वह कार्यकारिणा समिति म ही रखवा जावे। कभी कभी तो कारपानों का मालिक यूनियन का स्वीकार करने के लिए यह भा शर्त रखते हैं कि जोग्य म मालिकों की आलादना नहीं की जावी आर जब कि किसी बत का जेहर यूनियन आर मालिकों को बातबोत चज रहा हो तब तक मनदूर की इठिनाइ का मार्वजनिक दग से प्रवार नहीं दिया जावा। इस प्रवार यूनियन यदि मालिकों द्वारा स्वीकृत होती है तो वह बहुत कड़ अपनो मनवरा को घो दता है।

भारतवर्ष में एक आर भी यहा करिनाइ है जिसमा सामना आय दिन मनदूर काय फत्तीओं को करना पड़ता है। नहीं कारपानों के मालिकों ने दवा कि यूनियन मदज होनी जा रही है और कार्य फत्ती पर मनदूरों का विशेष नम रहा है यह उम कार्य फत्ती या यूनियन के प्रमुख काय करनों को अच्छी रफ्तर नकर नकर लेने का प्रयत्न करते

है। यदि काय-कत्ता सन्वे और इमानदार हुए और नीचे नहीं गिरे तो मिल मालिक कुछ चरित्रडीत व्यक्तियों को बेतन देकर अथवा परोच रूप से आर्थिक सहायता देकर एवं दूसरा युनियन खड़ी करता देते हैं। इस प्रकार मनदूरों में कुछ छलवा कर उन्हें शक्तिहीन बना देना उनका यदि हाथ का सेन है। अधिकतर ऐसा दृश्यने में आता है कि यह वे हिये हुए मनदूर जेता बहुत अधिक गालिया मिल मालिकों को देते हैं कि तु सभी पर भी भा मजदूरों का नेतृत्व नहीं करते।

प्रार्थों में कौप्रेस मनिप्र मण्डलों की स्थापना के पूर्व मजदूरों का सम्बन्ध करने में एक कठिनाई यह थी कि मिल मालिक मुलिस की सहायता से काय-कत्ताओं को परेशान करते थे और कभी-कभी तो मुलिस उन पर कोइ भी प्रयत्न आरोप लगा कर कैद कर लेती थी। यद्यपि प्रार्थों में कौप्रेस मन्त्री मण्डलों की स्थापना से यह कठिनाई दूर हो गई है परन्तु चिन प्रान्तों में कौप्रेस मनिप्र-मण्डल नहीं है, वहाँ यह कठिनाई अब भी है।

दूसरा रास्यों में तो मनदूरों का साठन करना आज भा कठिनाई और जीविम का काम है। अधिकतर राष्ट्र के प्रमुख अधिकारी और कई कड़ी कड़ी तो स्वयं मजाराजा कारखाने के लाभ म साम्नोनार होते हैं। वहाँ मनदूरों में कार्य करना या मनदूर समा का सम्बन्ध करना, मजाराजा के विद्व विद्वाओं ऐताने जैसा भवंहर अवशाय माना जाता है और कार्य करना शीघ्र हा जेत्त मेत्र दिया जाता है।

इतनी कठिनाई होते हुए भा भारत में मनदूर आदोलन प्रबल होता जा रहा है यह सतोष का यात है। यद्यपि आज देश में मनदूर आदोलन यथेष्ट बलगाली हो गया है परन्तु किर भी वह अन्य चीजोंगिर क्षेत्रों का भाँति प्रबल नहीं हो पाया है।

मनदूर आन्दोलन की निर्वलता के कारण

यद्यपि आज भारतीय मनदूर आन्दोलन पूछे से अधिक मध्यम

और उम्र है, परन्तु फिर भी वह अभी नियल ही है। मजदूर आदो लन की नियन्त्रण के सुरक्षा कारण भीचे लिखे हैं—

१ मनदूरों का अधिकार होना

अधिकार मजदूर अधिकार है। सरकार के लाभाकी वे शीघ्र नहीं समझ पाते और न वे ट्रेड यूनियन में पूरा भाग ही ले पाते हैं। अस्तु, मजदूरों में वर्ग चैतन्य उदय करना और उनमें अनुशासन की भावना भरना सखल नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मजदूर कार्यकर्ता उनके द्वितीयों को ट्रिप्पि में रख कर मिल मालिकों से कोइ सम्मानजनक समझौता कर लेता है और उसका कोइ विरोधी मजदूरों में यह प्रचार करता है कि वह मालिकों से मिल गया है। निर्बाध मजदूर उसके विरोधी को बातों में आ जाता है।

२ औद्योगिक केन्द्रों में मनदूरों का एक भाषा भाषी न होना

भारतीय औद्योगिक केन्द्रों में जो मजदूर काम करते हैं, वे पृक्ष ही भाषा नहीं बोलते। वे भिन्न भिन्न भाषाओं बोलते हैं और उनमें रहने सहने भिन्न होता है, अतएव उनमें यह एकता उपन्त नहीं हो पाता जो एक ही भाषा भाषी उन समूह में उपन्त हो सकती है। यह दर्शा गया है कि यस्वद् अथवा कलङ्कता में प्रत्येक भाषा के यातां वाले एक समूह में रहते हैं।

३ औद्योगिक केन्द्रों का विभार होना

भारत में औद्योगिक केन्द्र बहुत दूर दूर पर हैं। इस कारण मजदूर आन्दोलन अधिक मबल नहीं हो पाता। यदि मजदूर बहिर्भाषा पास पास ही हों, औद्योगिक केन्द्र किसी विरोध कान्त में हाता मजदूर आदो लन अधिक सुमतिहास हो सकता है।

४ मनदूरों की निर्धनता

भारतीय मजदूर अस्थन निधन है। उसके पास इतना भी नहीं

होता कि वह यूनियन का भासिक चढ़ा दे सके। बिना आधिक सहा
यता के यूनियन मफलता पूर्वक काय नहीं कर सकती।

५. मजदूरों का स्थायी रूप से औद्योगिक केंद्रों में न रहना

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय मजदूर जाधिक
विवरण के कारण औद्योगिक केंद्र में काय बरने आता है, किन्तु वह
औद्योगिक केंद्र में स्थायी रूप से रहने की भावना अपो मन में कभी
भी पोषित नहीं करता। यद्यपि यह बहुत समव है कि कोड मजदूर
जीवन का अधिकाश समय औद्योगिक केंद्र में ही व्यतान कर दे, किन्तु
वह मन में उम दिन की उत्कठा से प्रतीक्षा करता है कि जब वह अपनी
विर पोषित अभिलाषा को पूरा करेगा अथात् वह गाव को स्थायी रूप
से छोड़ जावेगा। अब भारतीय मजदूर में यह भावना बराबर नहीं
रहता है कि उसे आद्यानिक बैंड में नहीं रहना है तो फिर वह अपनी
यूनियन के कायों में उतनी रवि भड़ो द्विवलाता जितना कि प्रिटेन का
मजदूर। क्योंकि वह जानता है कि उसे अपना समस्त जीवन और उसकी
मतानी का जीवन उसी केंद्र में व्यतोत करना है। भारतीय मजदूर
कारणानी की असुविधाओं और कर्तों को दूर कराने, अपने हितों की
रक्षा करने म उतना जागरूक और मतक नहीं रहता, जितना कि अन्य
देशों का मजदूर होता है।

६. मजदूर आन्दोलन वा नेतृत्व योग्य हाथों म न होना

भारतीय मजदूर आन्दोलन इस कारण भी निर्भल है क्योंकि
उसका नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में नहीं है। लेखक का यह मन
कहावि नहीं है कि मजदूर नेता मर्चे और डमानदार नहीं हैं। उनमें
से बहुतों ने मजदूरों के बिंद बहुत ल्याग किया है। परन्तु फिर भी
उन्हें व्यक्तियों की कमी नहीं है, जो अवसर्वाशी है और जो मजदूरों
पर अपना प्रभाव लाना कर भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव लाना।

चाहते हैं और समय आने पर दश और मजदूरों के प्रवि विश्वासप्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध (१९३९-४५) में सत्ता दश विद्विश साम्राज्यवाद के बिरुद्ध रहड़ा हो गया। अगस्त १९४२ का व्राति हुई थी। परन्तु रेडिफ्ल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा कम्युनिस्टों ने विद्विश साम्राज्यवाद से समझौता करके मजदूरों को उस व्राति से अलग हो रखा। मजदूर आदोलन में जो दरार पड़ी हुई है, उसमें एकता दृष्टिगोचर नहीं होती। वह भी मजदूर आदोलन की नियतता का कारण है।

मजदूर आन्दोलन के प्रति मालिकों का कड़ा स्वयं

मिल मालिक मजदूर समाजों को सदन नहा करना चाहते। चाय के बागों में तो मजदूरों की लाहनी पर चाय के बागों के अधिकारी पहरा रखते हैं। कोइ भी ऐसा व्यक्ति नो कि घाग में नौकर है वह उनकी अनुमति के बिना रात्रि या दिन में नहीं जा सकता। यही कारण है कि चाय के बागों का मजदूर आज भी विलक्ष्य असमर्पित और गवितहीन है। जिन कारणाना न अपने मनदूरों को रहने के लिए मकान दिये हैं वे भी 'चालों' और मजदूरों को बसियों में खोकीदार नियुक्त कर दते हैं और मजदूरों का खोस्मा रक्तरी जाता ह। यदि मनदूरों में कार्य करने वाले कायकती वहा आते हैं तो उनकी रोक शाम होती है। यही नहा जा भी मजदूर यनियन के कार्य में उत्साह प्रगत करता है, उसका हिस्सा न किया यहाने निशाल दिया जाता है। अहमदाबाद मनदूर सघ का भी इस दुष्यव्यवहार का बहुत शिकायत है। जो कार सान कस्बों में है वहा तो मानिक वा और भा अधिक आतक रहता है।

मरकार का कठार व्यवहार

अमा तक प्रार्थीय मरकारों का व्यवहार मजदूर कायकतांशा तथा मनदूरों के विष्णु आवाज करार था। उनिह सी बात होने पर मिल

मैंने नर के प्रान करने ही पुलिस आ धमकती थी और मजदूरों को आतंकित करने के लिए गिरफ्तारियों, लागे चार्ज और कभी-कभी गोलिया छलाए जाता थीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने मजदूरों का पन्ज लिया हो। मजदूर कार्यकर्त्ता द्वारा के पीछे जासूस लगे रहते, उनकी डाक संसर होता, उनको आतंकित किया जाता और मजदूरों पर भी हमेशा बुरा प्रभाव पड़ता था। इन्हुंने प्रान्तों में उत्तरदायी शामन स्थापित होने पर और बहुत से प्रान्तों में काष्ठस भवीमद्दन स्थापित हो जाने से हम दिशा में चयाँ परिवर्तन हुए। सरकार अब मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखती है। किंतु जिन प्रान्तों में अभी भी प्रतिगारी दलों की घरकार है, वहाँ मजदूरों की दशा दृश्यनीय है।

मजदूर आन्दोलन में जाति भन्न

यद्यपि अभी तक मजदूर में जाति द्वेष ने पूरी तरह से घर नहीं किया है, परन्तु मिल मालिक, जातीय सगरन इस विष को मजदूरों में पैलाने का प्रयत्न भर रहे हैं। कहीं-कहीं सुस्तिम मजदूर यूनियन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और हडवाला के समय मिज्ज मालिक सवण हिन्दुओं और अद्वाता तथा हिंदू-मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने का भासक प्रयत्न करते हैं। अवश्य ही यदि मनदूर आन्दोलन में यह विष घर कर गया तो आन्दोलन की नींव ही दिल नाढ़गा। यदि मजदूर कार्यकर्त्ता मजदूरों का आधिक आधार पर सगरित करें तो यह विष मजदूरों में फैल नहीं सकता।

भारतीय ट्रेड यूनियन अन्तर्ल सहताल कमेटी है

भारत में मजदूर आन्दोलन की एक नियकता यह है कि ट्रेड यूनियन का देवल एक ही काय है। यह अधिकारी म हडवाल कमेटी का काम करती है। यहुषा ट्रेड यूनियन का नियाण ही हडवाल करवाने के उद्देश्य से होता है, जहाँ किसी मिल में मजदूरों में मालिकों के बटार अवधार से अपना मजदूरी को कभी के कारण यातावरण खुल्य हो

रहता है, तो उत्साही कायकता उनकी यूनियन स्थापित करके मालिकों को नोटिस दें देते हैं और यदि कोई सम्मानपूर्ण समझौता न हुआ तो इडलाल करदी जाती है। इडलाल के दिनों में यूनियन के सदस्य बहुत वही साम्या में होते हैं और यूनियन का प्रभाव भी बहुत होता है। यदि इडलाल सफल हुआ तो यूनियन स्थायी यन जाता है, यद्यपि लोगों का उत्साह फिर कम हो जाता है और वह अर्ध सुस अवस्था में पहुँच जाती है। यदि नुमायवश इडलाल असफल हो गइ तो यूनियन भी समाप्त हो जाती है।

अब तक जो पुरानी यूनियन है वे भी अधिकतर इडलालों का आयोजन करने सह ही अपने कर्तव्य की इति शा मानती हैं। अहमदा बाद यद्यपि इत्यादि स्थाना वा पुरानी यूनियनों को लोद कर देश में बहुत कम यूनियनें ऐसी हैं, जो मनदूरों की दैनिक समस्याओं को हज करने के क्षिण रचनात्मक कार्य करती हैं। इडलाल सो मनदूर का अतिम शहर है। इसके अतिरिक्त मनदूर की गिरा, स्पष्ट्य, रूने की समस्या, मनोरजन, वैद्यारी, तथा शोभारों में अज्ञाऊ मिलने की व्यवस्था इत्यादि ऐसी बहुत सा मप्रस्थायें हैं जिनको और द्रेड यूनियन को ध्यान देनेको आवश्यकता है। ऐसे जैसे मनदूर आइलून में योग्य नेतृत्व का प्राप्तुमात्र हा रहा है वैसे ही वैसे उनको इन आवश्यक प्रश्नों का और ध्यान जा रहा है। आशा है कि भविष्य में द्रेड यूनियन रचनामन पक्ष को भी उत्तम ही महत्व देगी जितना महत्व मध्यम को देतो है।

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कामेस

बह तो हम पहले हा कह सुके हैं कि मनदूरों के दो अल्लिल भारतीय मण्डन काम कर रहे हैं। एक द्रेड यूनियन कामेस और दूसरा भा एम एन राथ क अनुसारिया द्वारा मनान्ति लबर पैडरेशन, यद्यपि ऐसर पैडरेशन का मनदूरों पर कोइ विरोध प्रभाव नहीं है। द्रेड यूनियन कामेस में भी इटर क कायकता थे कम्पुलिम, कोप्रोम समाजवादी, और

गांधी विचारधारा को मानने वाले मनदूर कार्यकर्ता जो हिन्दुस्तान मनदूर सेवक सभ की नाति के अनुसार मनदूरों में काय करते थे। युद्ध काल में काप्रेस कायकर्ताओं के जेहां में बन्द होने के कारण ट्रेड यूनियन काप्रेस पर कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया था। कन्द्रीय कायाजलय उनके हाथ में होने के कारण काप्रेस कायकर्ताओं का उसमें प्रभावशाली होना कठिन था। उनका कम्युनिस्टों पर दोषारोपण यह था कि वे अवास्तविक मनदूर सभाओं को रनिस्टड करके ट्रेड यूनियन काप्रेस में अपना बहुमत बनाये रखते हैं। अस्तु, मई १९४३ में जब सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में हिन्दुस्तान मनदूर सेवक सभ का वार्षिक अधिवेशन देल्ही में हुआ, तो बहा पर ही राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काप्रेस की स्थापना कर दी गई और हिन्दुस्तान मनदूर सेवक मण्डल के प्रभाव में जो मनदूर सभायें थीं वे उससे सम्बन्धित हो गईं।

समानवादी मनदूर कार्यकर्ताओं के सामने राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काप्रेस की स्थापना से एक समस्या खड़ी हो गई। वे कम्युनिस्ट द्वारा प्रभावित ट्रेड यूनियन काप्रेस में ही रह नहीं सकते थे, भाग ही राष्ट्रीय-ट्रेड यूनियन काप्रेस में भी उनके लिए रह मिला कठिन था। क्योंकि उनका विचार था कि वल्लभभाई पटेल, श्री गुलामारीलाल नड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन वास्तव में मनदूरों के स्वापों की रक्षक नहीं बन सकती और न उनके हितों की पूरी स्वयं से रक्षा ही कर सकती है क्योंकि उस पर सरकार का बहुत प्रभाव रहगा। मरकारी मणियों के प्रभाव में पत्तने वाली राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काप्रेस दूर में मनदूर और कियान राज्य के लिए युद्ध नहीं कर सकता। अम्बु समानवादी दल ने यह निश्चय किया कि वह इन दोनों सगाठनों से भवत्य रह कर स्वत्र रूप से मनदूर समाज का काय करेगा। उनकी योजना यह है कि पहले प्रायेक धर्म के सगटित मनदूरों को अमित्त भारतीय ऐडेशन स्थापित कर दी जावे और फिर एक स्वत्र भूतिक भारतीय मनदूर

सगठन अपने नेतृत्व म स्थापित किया जावे ।

आज भारतवर्ष के मजदूर आन्दोलन की बाग होर चार भिन्न राजनीतिक आदर्श वाले दलों के हाथ में हैं— कम्युनिस्ट, टेक्नो यूनियन कांग्रेस के द्वारा, हिन्दुस्तान मजदूर सेवक सघ, राष्ट्रीय ट्रॉट यूनियन कांग्रेस के द्वारा रायबादी, लेपर फैडरेशन के द्वारा और समाजगादी अपने स्वता सगठन के द्वारा मजदूरों का समर्पन कर रहे हैं ।

दसवां परिच्छेद

मजदूरों और पूजीपतियों का सम्बन्ध

यह तो हम पढ़के ही कह सकें हैं कि भारतवर्ष में आधुनिक डग के कारखानों तथा खाना की स्थापना १८६० के उपरात हुई थी और अधिकांश मजदूर गाँवों से आये थे । उस समय तक भारतीय मनदूरा म वग चैताय का उदय नहीं हुआ था । मालिक का य माथा समझते थे और उसा भाइना से प्रेरित होस्त य अपन बाजा की पुकार मालिक के सामने करते, प्राथना पत्र देते थे और मालिक जो कुछ भी उहौं देता उसस मतोप करके उस धायराद नहीं थे । कारण यह था कि उहौं यह पता ही नहीं था कि उनके हुए अधिकार भा ह और मालिक जो उनके अम का लाभ उठा कर अपनी तिजारिया भर रहा है उससे कुछ प्राप करने के लिए प्राथना पत्र हा यष्ट नहीं है वरन मादूरों के सग ठन की आवश्यकता भी है । संकेत में हम कह सकते हैं कि भारतीय मनदूरों में वग चैताय और वग भाइना का सरथा रभात था । यही कारण है कि यद्यपि मनदूरों को कारखाना, खाना, और चाय के बागी

में पशुधन, जीवन व्यतीत करना पड़ता था परन्तु ऐसे भी हड्डतालों की हम कोड चर्चा नहीं सुनते। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय उद्योग धरों के प्रारम्भिक दिनों में मालिकों और मनदूरों में कोड सघप ही नहीं हुआ। इस छुरु पुर्ण सघप हुए रितु उनका कहीं ठीक विवरण उपलब्ध नहीं है।

मध्यसे पहली हड्डताल नियम संघर्ष में हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है गोलाम बाजा स्थिनिग और बीपिंग मिल में १८८२ में हुइ। इडताल दा निन तक रही—एक माहने के उपरात १६ टिक्सम्बर से २४ दिसम्बर तक फिर उस मिल में मनदूरों ने हड्डताल करदी। १८८२ और १८९० के बीच में २५ मई वपूर्ण हड्डतालें बम्बड और मदरास की मिलों में हुईं जिनका लिखित विवरण हम प्राप्त है। परन्तु छोटी छोटी हड्डतालें चहुधा हुआ करती थीं जिनमें एक या दो दिन कारब्बाने वाले रहने भार थोड़े से मनदूर भाग लेते थे। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हड्डतालों की सख्त्या यह गढ़। १८०५ में उदाहरण के लिये बम्बड के कारसानों में चिंगली लगाने और काम के घरों के बड़े जाने की सम्मावना से मनदूरों ने हड्डतालें की। १८०७ म बम्बड कारसानों में मनदूरी के प्रश्न को लेकर कड़ हड्डतालें हुई जो कि एक भास्ताह से भी अधिक चली। १८०७ में जो पैकरी कमाशन थीं या उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मनदूर हड्डताल के अख्त का उपयोग करना भली भाँति जानते हैं और उन्होंने कड़ चार मफलतापूरक हड्डतालों का उपयोग मिल मालिका में भरपनी भागों को भरनाने के लिए किया है। किन्तु यहीं पर अपना विभूति र्मग्नन करने में सफलता नहीं हुए हैं।

मध्ये प्रथम भाइवपूर्ण हड्डताल चियमें थम्बड के बगमग सभी मनदूरों ने भाग लिया, स्पर्गीय लोकमान्य तिलक को पहचान के लिए एक बरतन के अधिकार पर हुइ।

महायुद्ध के अवसर पर हड्डताला की सख्त्या यहुत बढ़ गई। १८१० म अहमदाबाद, मदरास, बम्बड के कारसानों में कड़ हड्डतालें हुईं और

मजदूरों को योद्धी सुविधायें प्राप्त होगईं। १९१८ म अधिकारा हड़तालें मनदूरी को बढ़वाने के उद्देश्य से हुई थीं। परन्तु उनमें से अधिकारा हड़तालों को अधिक दिन नहीं चलाना पड़ा क्योंकि मालिकों ने मजदूरों की मांग को स्वीकार करके उनकी मजदूरी बढ़ा दी। दिसम्बर १९१८ में बम्बई में पूर्व बहुत यड़ी हड़ताल हुई। फ्रेशर यह हड़ताल बम्बई के सभी कारखानों में फैल गई और ८ जनवरी १९१९ को लगभग एक लाख पच्चीस हजार मजदूर हड़ताल में सम्मिलित हो गए।

परन्तु १९१९ के पूर्व भोटे रूप से मालिका और मनदूरों के आपसों सम्बन्ध अधिक सराब नहीं हुए थे। १९१९ के अन्त तथा १९२० में मजदूरों में जोभ की एक तीव्र लड़ाक जागृत हुई और मिल मालिकों तथा मजदूरों में घोर संघर्ष आरब्द होगया। यह तो इस पहले ही कह चुके हैं कि १९१८ के उपरान्त भारत में मजदूर संगठित होने लगे और मनदूर आनंदोलन बल पकड़ने लगा। मजदूरों में वर्ग चैताय उदय हुआ और वे अपने कर्त्तों को दूर करने के लिए मालिकों को संगठित रूप से खुलौती देने लगे। इसका पब्ल यह हुआ कि १९१९ के उपरान्त हड़तालों का देश में ताँका लग गया। दखने दखते हड़तालों का रोग सारे देश में दूत की बामारी की भाँति फैला गया। १९२० के पहिले दो महीनों [जनवरी फरवरी] में १२४ हड़तालें हुईं, उनमें ६६ केवल बम्बई में हुई थीं जिनमें सान लाल मनदूरों ने मारा दिया था। जून १९२० तक देश में २०० हड़तालें हुई जिनमें १५ लाल मनदूरों ने मारा दिया था। शुक्रावर १९२० तक ११४ हड़तालें हुईं जिनमें केवल लाल मनदूर सम्मिलित दुएँ।

१९२१ के उपरान्त देश में हुई हड़तालों के आँकड़े इसे उपजाए हैं, क्योंकि उसी वर्ष सरकार ने लेपर औफिरा की स्थापना की थी और वह हड़तालों का पूरा विवरण रखता है। १९२१ के उपरान्त हुई हड़तालों का अपोरा इस प्रकार है।

१९३१ के उपरान्त होने वाली हड्डतालों की तालिका

उप	हड्डतालों की संख्या	मन्त्री की संख्या	काम के दिनों का हासिल कारबों में
१९३१	३६६	६००	५०
१९३२	२७८	२३५	४०
१९३३	२१३	२१	५१
१९३४	१३०	०८८	८७
१९३५	१३१	२७०	१००
१९३६	८८	८८७	८८
१९३७	१८६	१३१	८०
१९३८	८३	५०७	८१६
१९३९	१२३	५०८	८८८
१९४०	१४८	१६६	८०
१९४१	८६६	८८८	८०
१९४२	११८	१८८	१६
१९४३	१४३	१६५	८२
१९४४	१५८	८८१	८८
१९४५	१५८	११४	१०
१९४६	१४८	८८८	८८
१९४७	८७६	८८८	१०
१९४८			
१९४९			
१९५०	८८८	४४३	७८
१९५१	८६४	५५३	५८
१९५२			

वर्ष	हड्डतालों की संख्या	मजदूरों की संख्या	काम के दिनों की संख्या में
१९४४			
१९४५	८८८	७८७	३६
१९४६	{ १११५	१५०८	७५
खुलाइ तक			

१९४६ के आँकड़ों में खुलाइ [१९४६] में सहानुभूति प्रदर्शन के लिये वीं गढ़ उन १४ बड़ी हड्डतालों के आँकड़े नहा दिए गए हैं जिनमें चार लाग्य से अधिक काय वे दिनों की बम्बड़ प्रातः म, २०,००० दिनों की मन्त्रास में तथा २० लाख दिनों की यगाल में हानि हुई थी। खुलाइ के उपरात भी हड्डताला की जहर कम नहा हुड़। ऐस आइ आर की हड्डताल निसम ४०,००० मनदूरा ने २८ दिनों तक भाग लिया, गिरिधीह के १६,००० मनदूरा ने १६ दिनों तक हड्डताल की। नागपुर की सूती मिलों के २२,००० मनदूरा न हड्डताल की और कानपुर की सूती मिलों में आम हड्डताल रही।

उपर के आँकड़ों में उन घटों हड्डताला के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं कि जो गैर-ईरियों के कर्मचारियों ने का। ८०,००० डाक विभाग के कर्मचारियों ने तान सप्लाइ तक हड्डताल का ३०,००० मिलिट्री अफाउट इकों ने १६ दिनों तक हड्डताल रखाया, इमरीरियल यैक के ५,००० इकों ने ४५ दिन तक हड्डताल रखकी, सयुपत्र प्रात नहर विभाग के १००० कर्मचारियों ने ७५ दिन तक हड्डताल रखाया। दृष्टरा के बाबुआ ने बम्बड़ में हड्डताल की। ग्राम पालशालाओं गथा पश्चारिया ने कद प्रान्ता में हड्डताल की। इस प्रकार वीं हड्डताल भारतपथ में पहले कभी भी नहीं सुनी गट थी। ये यक्का अपयर था कि शिवित इकों तथा अन्य कर्मचारियों ने निम्न ईरिया में बाटु सम्बद्ध नहीं था हड्डताले की।

मच तो यह है कि १९४६ के उपरात मनदूरों में गहर असताप और

चोभ की लहरें उठ रही हुई। किंतु आश्चर्य यह है कि १९३६ के उपरात ६ वर्षों के लम्बे युद्ध काल में भारताय मजदूर अपेक्षाहृत शान रहा। निम्न समय कि वस्तुओं का भूल्य ऊँचा उठ रहा था, मनदूरों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय मजदूरों की अधिक हड्डतालें नहा हुई और १९४२ की अगस्त प्रान्ति के समय भी जब सारा नेश विनियोग साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ पैकड़ने के लिए उठ रहा हुआ था, अहमदाबाद तथा जमगेदपुर के मनदूरों के अतिरिक्त उस जन प्रांत में भी मजदूरों का कोड गोरखपूर्ण भाग नहा रहा। मनदूरों की उम्मि निश्चेत्तता का कारण भारत की तत्कालीन रानीति में दिखा है। १९३६ के युद्ध द्वितीय ही काल्पनि ने पद्धत्याग दिया और आगे चल कर काल्पनि के अभी कायकता जेलों में हृस दिये गए। दश में काल्पनि समानजादा न्ल ही एक प्रान्तिकारी न्ल था जो कि मनदूरों को राष्ट्रीय मोर्चों पर लाठे घड़ा कर सखता था। उनका ही मजदूरों पर विशेष प्रभाव था। किंतु सरकार ने समानजादी न्ल के कायकताओं को धीन धीन कर पकड़ लिया था। उधर मजदूर मार्क कार्य करने वाल अन्य मजदूर नेताओं ने विनियोग साम्राज्यवाद से घृणित मममीता कर लिया था। कम्युनिस्टों ने जमनी द्वारा उम्मि पर आनंदण होने ही साम्राज्यवादी युद्ध को जन युद्ध कूना आरम्भ कर दिया और उम्मि प्रकार से युद्ध प्रयत्नों में महायता पहुंचाना उनका बहुत दो गया। श्री एम एन राय के अनुयायियों ने काल्पनि को छोटे में हरा दख कर अपने न्ल (रिडि कल डेसाइनिंग पार्टी) को देश में चलाना नहीं के उद्देश से भारत भरकार तथा प्रान्ताय मरकारा से भोगे भोटी रुक्म सेकर युद्ध को ननता का युद्ध धड़ना और मनदूरों को युद्ध कार्य में साधायना पहुंचाने के लिए प्रोत्यादित करना आरम्भ कर दिया। मनदूरों के भस्त्रे नेता न्ल म थे। कम्युनिस्ट और रायिस्ट उद्द युद्ध वाल में शान्त रहा और हड्डतालें करके युद्ध प्रयत्न में बाधा न पहुंचाने का उपदेश देने थे। उम्मि कारण युद्ध काल में मनदूर घर अपेक्षाहृत जात रहा। परन्तु युद्ध ममास ही जाने के

उपरात जब नये चुनावों के अनुमार अधिकाश प्रान्तों में भागी सरकारें स्थापित हो गईं, तो यहुत अधिक हड्डतालें हुईं। उसका मुख्य कारण यह था कि मजदूरों से कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता युद्ध के समय कहते आये थे कि युद्ध के समाप्त होने पर उनकी सारी कगिनाइया दूर हो जायेगी। यही न० १९४८ म भद्रगढ़ हृद दर्जे को पटुँच चुकी थी और मजदूरों की अधिक दशा अस्थात दर्यनाय थी। ये और अधिक धैर्य नहीं रख सकते थे। उधर राजनीतिक दलों ने चुनाव घोषणाओं म मजदूरों की दशा को सुधारने का जो बार बार घोषणा की थी उससे मजदूरों में अधिक आशायें यह चुकी थी। किन्तु अधिक राजनीतिक कगिनाइयाँ के कारण प्राताय सरकारें मजदूरों को उन आशाओं का पूरा नहा कर सकी। इधर कम्युनिस्ट अपना प्रभाव मजदूरों पर फिर से नमाने के उत्तेश्य से मनदूरों को भड़काने में जगे हुए थे। यही सब कारण थे जिनसे १९४६ में समस्त दशा म हड्डतालों का ताता लग गया। १९४९ के आरम्भ में भी हड्डताला म कोइ कमी नहीं दायरा। नववरा १९४७ में शहर के कारणाना म हड्डतालें हुए। दृश्य के २००० हड्ड सूला के आयापसों ने हड्डतालें की और खानपुर म लग्ये समय तक आम हड्डताल रही निसम पूरा लापर म अधिक मनदूरों ने भाग लिया।

भारतवर्ष म १९२३ से १९४१ तक कुल ४८६४ हड्डताल हुईं जिनमें ६,७४,१५८ मजदूर न भग हिया आर १३८,२००, ३२१ दिनों की हानि हुई। इनमें २६४४ हड्डतालें मनदूरा भार योनम के कारण हुए, ६१ मनदूरों का रघने और निहासने का नाति सम्बन्ध समर्थी ५१, १६८ दुष्टा आर काम के घरों का छेपर हुई आर ८६१ कुर्चर कारण से हुए। इन हड्डताज्ञा में स ७४३ पूर्णत मफ्फन हुईं, १०८८ में आशिक सरकारा मिली और २६८३ अमरक्षा रही।

यह तो इस पहले हा कह शुक हि प्रथम यारापीय युद्ध के पूर्व भारत में मनदूर समाजित नहीं था। इस कारण समग्रि हृष स १९१४ के पूर्व यहां हड्डतालें नहीं हारी थीं। १९२० के उपरात में हड्डताला की याद-

भी आ गई और देश का ज्यान इस नवीन समस्या की ओर गया। योरोपीय महायुद्ध में मिल मालिकों तथा व्यवसायियों को कल्पनातीत लाप हुआ था। यद्यपि महादूरी में कुछ यूंड अवश्य हुड़ थी किन्तु चम्पुआ का मूल्य वहाँ बढ़ गया था। इस कारण उनकी वास्तविक मनदूरी कम हो गई था। मनदूर की आर्थिक दृग्गति न्यूनीय हो गई थी और ये अधिक महन नहीं कर सकते थे। इस कारण १८१८ और १८१९ में घटना हुई निम्नके फलस्वरूप मनदूरों की मनदूरी भी और उनकी सुध मुविगा म भी यूंड हुड़। यद्यपि उद्योग धर्घों का न्यून दृतना अच्छा थी कि यहि पूजीपति चाहते तो यूंन पहले ही मनदूरों को यह भक्ति देये किन्तु जब तर भन्नरों ने हड्डाल नहीं बी नष्ट तक मिल मालिकों ने ज्यान ही नहीं दिया।

इस समय उद्योग धर्घों की दृग्गति बहुत अच्छी थी, मिलों म खात्रि कार्यिक मनदूरों की मात्र थी। किन्तु इत्तलूपना की महामारी के कारण परामर्श जाव में एक करोड़ तक मनुष्यों की मृत्यु हो जाने से योग्योगिक केंद्रों में मनदूर की कमा हो गई। इही केंद्रों म भवं प्रथम मनदूर मरणित हो गये थे और प्रारम्भिक हड्डालों में माफलना मिल जान के कारण उनका समर्पन का महत्व मात्र हो गया था। ये समझने लग थे कि अपनी न्यून में सुधार करने के लिए हड्डाल एक अमोद अस्थ है। यहाँ नहीं ये अब मनदूरों के उन शिवित बिनचितों के नेतृत्व में अपने को समर्पित करने के लिए प्रयत्नशाल हो गये जोकि मनदूरों का शक्ति को पहिचान कर उनकी और आकर्षित हुए थे। योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त ने शिवित या के कायरस्तार्थों का मनदूर को नेतृत्व प्राप्त हुआ उही उनकी सबसे बड़ी गतिशील थी। युद्ध के फलस्वरूप और विग्रहकर स्वर्णी प्रतिनि ने समार भर के मनदूरों या भ नवीन आशा और आशा का खद्दर ढापथ कर दी थी। भारतीय मानदूरों में इस समय एक नवीन नोवन दिलोरे से रहा था। उहों पहली बार यह मुाने को मिला था कि जो इमान और मनदूर पूजीपतियों तथा धर्घों और गों की ज़क्कही

चोरने आए पानी भरन के लिए ही उत्पन्न हुए थे वे भी समाज म स्वामि मान और प्रतिष्ठापूर्वक रह सकते हैं और यदि वे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो वे दर के शास्त्र का बागनोर अपन हाथों में ले सकते हैं। उबर महा सर राधा के नेतृत्व म १९२१ में पहली बार सवायद हादो ल्लन ने अश की उन्नता म अपूर्ण जागृति उत्पन्न कर दी थी। सारा देश चुध दो उग था। दश में पहली बार ऊचे और नीच बगों का भेद मिश्र कर सभी लोग इन्हें आदोलन म भाग लेने के लिए आसे चाँचे। रान नैतिक और आधिक अधिकार पर किये गये आदोलन एक दूसरे से मिल गए। इसका फल यह हुआ कि सवायदा बग तथा शिवित बग म जा पायक्ष्य की भीजार थी वह दूर गई। यह ध्यान में रखने का बात है कि १९२१ में जो फैसली कानून सशोधित हुआ वह इन हड्डालों का परिणाम था। बहुत से स्थानों पर मन्त्रदूरा ने ६० घट के मात्राद का माग की थी, अम्बु १९२१ के फैसली कानून म ६० घटे का सम्पाद कर दिया गया।

इस समय की मुख्य हड्डालों में आमाम के बागा के हड्डाल सरसे अधिक महत्वपूर्ण है। १९२१ म आमाम के चाय के बागों में ऐसा तीव्र जोग उत्पन्न हुआ हि सारे मन्त्रदूर बागों को छोड़ कर भाग निकल। बाग के मालिकों की सशायता के लिए मराठा न चांदपुर रेलवे नहुन पर गुरगण फौह भेज दा। मन्त्रदूरों पर गोली चलाइ गड़ और बहुत से मन्त्रदूर मारे गए। इस कां स आय मन्त्रदूर म भी तांग आम उभान टुक्का और आमाम बगान रलव तगा गामरों पर काम करत बाल मन्त्रदूर न सदानुभूति में हड्डाल कर दा। तांग महीने तह रेल रूप रहा। इन्हु नहा तह चाय के बागा के मन्त्रदूरों का हड्डाल का प्रश्न था वह विनकुल अमान रही। येवार निर्वन निम्बहाय मन्त्रदूर का विषय होकर जिर चाय के बागा म बाम करने के लिए जाना पढ़ा। उनकी कोड माग पूर्ण नहीं तुइ आर उनकी दशा पहले स भी खुरा हो गड़। इसका मुख्य कारण यह था कि मन्त्रदूरों में कोड मागन नहीं

था कबल उनमें कागजताओं ने प्रचार करके जोश उत्पन्न कर दिया था। यिन सुदृढ़ समझन किये हड्डताल करने का नो परिणाम होता है वही हुआ और हड्डताल समाप्त हो गई।

१६२२ में बम्बांग में पुक आम हड्डताल हुइ जा कि भारतवर्ष में हुइ सब हड्डतालों से बड़ी थी। उसमें १६०,००० महादरा ने भाग लिया था। उसका मुख्य कारण यह था कि भूती क्षेत्र का मिलों में पिछले पाच वर्षों से जो शानम लिया जाता था वह उद्द कर लिया गया। दूसरे वर्ष (१६२२) में बम्बांग में फिर आम हड्डताल हुइ जो कि पहली हड्डताल से भी बड़ी थी आर नियम १ करोड़ रुप लाख काय के निंौं दी हानि हुई। यह हड्डताल पूर्ण रूप से बफल हुइ आर महादरों को महादूरी की कर्तव्य पूरी कर दी गई। १६२८ और १६२९ में बम्बांग में फिर आम हड्डताल हुई जिनमें प्रत्येक बार एक लाख से अधिक महादर सम्मिलित हुए। पहली हड्डताल कारणाना में उत्तीर्ण से काम कराने के सम्बन्ध में हुई और दूसरी हड्डताल तुब महादूर कायकताओं का जिहान पिछली हड्डतालों में कार्य किया था निकाल देने के सम्बन्ध में हुई थी। दूसरी हड्डताल दो दृष्टियों से भव्यपूर्ण है। इस हड्डताल में पहली बार कम्युनिस्टों का प्रभाव महादरों पर प्रगत हुआ और आगे से व कम्युनिस्टों के प्रभाव में आ गए। दूसरी उल्लेखनीय बात इस हड्डताल के सम्बन्ध में यह है कि इसके पलभूम्प ही १६२९ का द्वेष इस्थ्यूम् पेंट याम हुआ आर उसके द्वारा भापित पचायत ने इस हड्डताल का समर्पोता करवाया। यह हड्डताल सात महीने तक चली और भूता काढ़े की मिलो के सभी महादूरों न इसमें भाग लिया। इसी प्रकार की एक आम हड्डताल जूँ मिला के महादूरों की १६२९ में हुई और उसमें २७२,००० महादूरों ने भाग लिया। यह हड्डताल ग्यारह सप्ताह तक चली रही। इस हड्डताल का मुख्य कारण यह था कि मिल भालिरों ने काम के घट २५ से बढ़ा कर ६० कर दिये थे। ग्यारह सप्ताह बाद मिल भालिरों ने महादूरों से समर्पोता कर लिया और

उनकी अधिकाश मागो को स्वीकार कर लिया। १९३८ में बंगाल की जूट मिला में पिर एक यहाँ आम हड्डताल हुइ जिसमें २६१,८०० मज़दूरों न भाग लिया था और मज़दूरों की ३५२ लाख रुपये की हानि हुई थी। मज़दूरों की माग यह थी कि १९३२ में मज़दूरों में जो कर्तृता कर दा गइ वह उन वापस दा जाव। इसी वर्ष (१९३८) में कानपुर के मज़दूरों ने आम हड्डताल कर दी जिसम ४०,००० मज़दूरों न भाग लिया था। यान यह थी कि सयुक्त प्रातीय सरकार ने जो लेवर इन व्यायों कमगी बिठाड़ थो उसकी मिष्ठानियों को मिल मालिका न मानो से इनकार कर दिया था। मिल मालिकों का रख इस समय बहुत ही निर्वाचित था। प्रातीय सरकार ने मिल मालिकों तथा मज़दूरों के बीच समझौता कराना चाहा किंतु मिल मालिका ने उस प्रस्ताव को अस्वा कार कर दिया। यही नहा मिल मालिकों ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि वे समझौता बी खालचीत में तभा ममिलित हो सकते हैं जबकि मज़दूर अपना विश्वायता को व्यक्तिगत रूप से उनके सामने रखन न कि लेवर यूनियनों द्वारा। इन आम हड्डतालों में लाभ, मज़दूर और काय के दिनों की अपार चति ता हुई ही किंतु उच्च कारदाराना और ग्राम म तो बहुमूल्य मशान और प्लाट का भी भारा चति पहुँचाड़ गड़। उद्वाहरण के लिए जमगेदपुर के लाला चायरन वर्स म यही भारी हड्डताल हुइ नो १०२ निन तक चतनी रहा। इस हड्डताल म २६,००० मज़दूरों को २५ लाख रुपया का हानि हुड़। मालिकों को भी २२ लाख की हानि हुड़ और २८ लाख काय के दिनों का ननि हुड़। जो समझौता हुआ उम्म मज़दूरों का बहुत मामाग स्वाक्षर कर लो गह और मालिकों को मज़दूरों को कम करों की नीति बदलना पड़ा।

१९३६ में नव आठ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया तो मज़दूरों में नवीन आशा और उमाद की लहर पैल गह क्योंकि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल मज़दूरों से महानुभूति रखने थे और कांग्रेस के मालिक अधिकारों भवदर्जी प्रमाण तथा शुनाव घोषणा में मज़दूरों के

हितों की रक्षा करने की बात कही गई थी। मन्त्रदूर जानते थे कि काप्रेस मन्त्रिमंडलों के शामनारुद्ध द्वारे ही उन पर पूजीपतियों के स्वतंत्र पर आयोग पूर्ण दमन नहीं हो सकता। अस्तु, १९३७ और ३८ में बहुत अधिक हड्डतालें हुईं। प्राचीय सरकार ने जाच कमेटिया पिंगाइ, लेवर आक्सिमर नियुक्त किये और मन्त्रदूरा की स्थिति में सुशर हो इमर्शनोजनायें बनाई जाने लगीं। सयुक्तप्रान्त, बम्बृ, पिहार में डम्प और विशेष रूप से काय हुआ किन्तु इद्द हो सक, उससे पूछ ही काप्रेस मन्त्रिमंडल हट गए। क्रमण काप्रेस और सरकार का मध्यम उपर रूप धारण करता गया। १९४२ की जन-क्रांति के फल मरुप जमशोदपुर, अद्भुतावान् तथा मदरास प्रान्त में अवश्य हा मन्त्रदूरों ने अगस्त वानिक के साथ हड्डतालें करके विटिश मान्द्राज्यवाद का चुरौंतो दो बिंतु अविश्वाश म्यानो पर कम्युनिस्टों और रायवानिया के नेतृत्व में मन्त्रदूरों ने विश्व मान्द्राज्यवान् को चुरौंता देने के उनाथ उस साम्राज्यवाना युद्ध में परोचरूप से महायता पहुँचाई। युद्ध काल में काम के घटे यढ़ा दिये गए, मन्त्रदूरों के बहुत में अधिकार द्योने गए, रानों में मन्त्रदूर खिया को काम करने का आक्षय दी गई। जावन भी आवश्यक बम्बुआ का मूल्य आकाश छूने लगा और मन्त्रदूरा को महागढ़ भत्ता अपेनाहून बहुत कम निया गया पान्तु फिर भी कम्युनिस्ट और रायवानिया ने मन्त्रदूरा को हड्डतालें करने में रोका पर्याकिये विटिश मान्द्राज्यवाद से गवाधन कर चुके थे।

१९४६ में नव दनरखायी सरकारे ग्रान्टों में फिर स्थापित हो द्ये गई और गवर्नर के मन्त्राइकारों के शामन का थात हो गया तो फिर मन्त्रदूरों ने हड्डतालें करना आसान का दो जिमरा उल्लेभ हम ऊपर कर चुके हैं।

हड्डतालों के कारण

यों तो उद्योग धर्मों के पूजीगढ़ी मण्डन में मन्त्रदूरों और मिल मालिकों में मध्यम उपस्थित होना अनियाप है बर्याकि दोनों के म्यार्य

परस्पर गिरोधी है। परंतु अधिकतर हड्डतालें भीचे लिये कारण से होता है। नव मालिक किसा उत्साही ट्रैड यूनियन कार्यकर्ता को किसी बाजार से निशाल देते हैं, अथवा मनदूरों की कमी करते हु अथवा काम के घरों, मजदूरी बोनस, छुटियों तथा नौकरी की आय गतों को लेकर मजदूरों और पूँजीपतियों में सघरप हो जाता है। जब कोई आर्थिक परिवर्तन होता है, जैसे आर्थिक मदी, नेकारी तथा धरों का रेणनेलाइजेशन अथवा जावन के लिए आवश्यक बस्तुओं का अव्यवस्था महगी हो जाना, तब मजदूर तभा पूँजीपतियों का सघरप तीव्र हो जाता है।

भारतवर्ष में इन सब कारणों से हड्डतालें होती हैं। मजदूरी का कम होना, मजदूरा में कमी होना, मालिकों का कठोर व्यवहार, मजदूरों को अनुचित दड़ दना, तथा अधिक सल्ला में मनदूरों को नौकरी से हटा दने पर हड्डतालें होती हैं। कभी कभी मैनेजर अथवा किसी ऊच अस्पर के हुर्यवहार, मारपाठ, गाला में भी हड्डतालें हो जाती हैं। परंतु ऐसा दशा में कारखाने की जो आय बुराइया है वे ही सुन्धार हड्डताल का कारण होता है। हाँ, दुर्यवहार उसका बहाना आवश्यक यन जाता है। भारत में मजदूर समाज अभी उतना सशक्त नहीं है और न अधिक पुराना ही है। बहुत से स्थानों पर तो मजदूर यूनियन होता ही नहीं और यिर भी मनदूर हड्डताल कर दत है। उम दशा म उह ट्रैड यूनियन का नवाय और सलाह प्राप्त नहीं होतो। कभी-कभा ट्रैड यूनियन के यन पर अधिकारा उन मजदूरों को निशाल दते हैं तिझें उस में सक्रिय भाग लिया है। उसी पर मनदूर और मालिकों में सघरप दिव जाग है। मनदूर अपना समाज करना चाहत है कि तु उनका अपने शुभचित्त, याहरा नताओं को सलाह दन के लिए यूनियन में रखना पसता है। मिन मानिक यह कह कि हम याहरा आदमिया से बात नहीं करना चाहत मनदूर के प्रतिनिधिया तथा मनदूर व्यायकरण से न तो बात करना चाहत है और न उनके पत्रों का ही नाम लेते हैं। यहुत यार सो कबज दमा प्रभ को सेहर मनदूरों के सघरप करना पड़ता है। भारतवर्ष में

बहुत सी हड्डाल वेदल इस क्रिया होती है कि मिल मालिक ट्रॉट यूनियनों का स्वीकार ही नहीं करते और उनके मात्रों तथा जुने हुए प्रतिनिधियों का यह अधिकार ही नहों मानते कि वे मनदरा की ओर से यात चात करें। यही नहीं जब एक घार कोड यूनियन हड्डाल करके मिल मालिकों को उसे स्वीकार करने पर विवश कर दता है तो भी मालिक उसके कमनोर होते ही उसे ऐसे यवहार म अस्थीकार कर दने हैं। क्रिया पढ़ी में यूनियन को स्वीकार कर लेने पर भी मालिक उसे यवहार म स्वीकार नहीं करते आर जब उनके प्रतिनिधि उनके सामने मजदूरों की शिशायतें रखते हैं तो उसकी निनात अवहगता करते हैं। बाहुधा मालिक यह भी कहते हैं कि जब वे यूनियन को मजदूर दखने हैं तो उस स्वत ही स्वीकार कर लेते हैं और जब उसके सदस्य कम हो जाते हैं तो उसको अस्थीकार कर देते हैं। साथ ही वे इस चात का भी प्रयत्न करते हैं कि मजदूरों में आपम में पूर पड जावे और मजदूर सभा नियंत्रण हो जाव। १९४७ में कानपुर के मजदूरों ने जो आम हड्डाल को बह क्वब्ज इस क्रिया कि मिल मालिक कानपुर की मजदूर सभा को स्वीकार नहीं करते थे।

इन कारणों के अनियन्त्रित कर्मी-कर्मी राजनीतिक कारणों से भी हड्डालें होती हैं। जब राज्यीय नेता गिरपतार हात हैं अथवा सरकार जनता का दमन करती है उस समय हड्डालें हो जाती हैं। किन्तु इन हड्डालों का कोड सुनाय कारण नहीं है। यह यात अपन्य है कि जिन राजनीतिक दलों का मजदूर यूनियनों पर प्रभाव ह वह अपना नीति के अनुसार मजदूरों में हड्डालें करवान हैं अथवा उन्ह हड्डालें करने से राक्षने हैं। उम सीमा तक दश का राजनीति का मजदूरों की हड्डालों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है।

कुछ लोगों द्वारा यह यात आजचर्य म दाल देती है कि भारतीय मजदूर असमर्पित है। जो भी मजदूर सभायें दश म हैं, य अधिक गणित शब्दी नहीं है आर न उनके पास हड्डाला धन ही है कि वे हड्डाल के

समय मनदूरों को आधिक सहायता द सकें। पर तु फिर भी भारतीय मनदूरा में हड़तालें करने की आश्चर्यजनक घटना दृष्टि गोचर होती है। इसका क्या कारण है ? वे लोग यह भूल जाते हैं कि भारतीय मनदूर अधिकार गावों से आता है और उसने अपने गाव से अपना जाता नहीं सोचा है। प्रति वर्ष और यदि सुविधा नहीं होता तो दूसरे तीसरे वर्ष वह एह दो महीने के लिए अवश्य ही गावों में जाता है और अपने कुदुमियों में रहता है। अस्तु, भारतीय मनदूर हनना निराश्रय नहीं है जितना कि आप औद्योगिक दशा का मनदूर निराश्रय होता है। अस्तु, नव बम्बड हस्तादि में लम्बी हड़तालें होती हैं, तो मनदूर अपने गावों की आर चल जाते हैं। व समझते हैं कि चलो कुछ दिन अपने पैदृक गाव में अपने लोगों के साथ रह लें। नव हड़ताल ममास हो जावगी, कारणाने मुजने लगेंगे, तब इस फिर गाव से लाए आयेंगे। मनदूर नता भी जब दृष्टि है कि हड़ताल लम्बी चलने वाला है तो मनदूरों को गाव चल जाने की मनाह द दते हैं।

नहीं आधिक कारण से बहुधा हड़ताल होता है, उदौं कभा कभी मनदूर नता तथा इसी राजनीतिक दल विशेष के लोग, जिनका मनदूरा पर प्रभाव है अपन प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपना अपन प्रतिढूँढ़ी राजनीतिक दल के लिए कर्तित है उपस्थित करने के लिए हड़तालें करता है और मनदूरा का भारा उत्ति पूँजना है। कभा कभा ऐसा भी होता है कि यदि एह मिल में हड़ताल होता है तो दूसरे मिलों के मालिक उस मिल मनदूर यनियन के नतार्दा को आधिक सम्माना कर वही का हड़ताल को और लम्बा चलाने के लिए प्रोग्राम देते हैं। कह ये एसा हुआ कि नव बम्बड के मूला बम्ब की मिलों में लम्बा हड़ताल चली तो अहमदाबाद के मिल मालिकों न हड़तालियों का आधिक महायना भेजी दि जिसम ये अधिक यमय तर हड़ताल चलाने रहे आर अहमदाबाद की मिलों का करदा यातार में आँख मूल्य पर दिक्ष मह।

मनदूर और मालिकों के सधर्ष का रूप करने के उपाय

खेद है कि भारतवर्ष में अमा तक हड्डतालों को रोकने ग्राधवा सधर्ष छिड़ जाने पर उसे गोप्ता निवार ने को और विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अन्य देशों में हम और बिगण प्रयत्न किया गया है। उसका कारण यह है कि हड्डतालों से सभी का हानि होती है। मनदूरों की मजदूरी जाती है मालिकों का लाभ नष्ट होता है, उपादन कम होता है और बाजार में उस बम्बु का दोगा हा जाता है। भारतवर्ष में पिछले दिनों मिल मालिकों तथा मनदूरों के सम्बन्ध इतने खराब हो गए हैं कि हम और तुरत ध्यान ने का आवश्यकता है।

उसमें क्योंटी

हम सम्बन्ध में हम यह न भूलना चाहिए कि हड्डतालों का रोकने के लिए पर्मा सम्पत्ति की बहुत आवश्यकता है, जो कि कारबाने के अन्दर ही काम करे। अमा तक भारतवर्ष में उस और किंमी का ध्यान नहीं गया है। पश्चिमीय दृगों में इन वरम कमेन्ट्रियों के द्वारा कारबाना के आचर मालिक और मनदूरों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में विशेष सफलता मिली है। वश्य कमेन्ट में मजदूरों और मिल मालिकों के प्रतिनिधि बराबर मिलते रहते हैं। मनदूरों का जा शिकायत और काट होने हैं, उनके सम्बन्ध में यात चीत होता है और उनसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। हमा प्रकार मिल मालिकों की जा शिकायतें होती हैं वे मनदूर प्रतिनिधियों के सामने रखते हैं। यनुन सा घोरी-मोरी शिकायतें जो आग चलाकर उपर स्पष्ट धारण कर लेना है, इन कमेन्ट्रियों में सरकार से निर्माण नहीं है।

होना यह चाहिए कि मालिक मजदूर सभा (ट्रेन पूनियन) पर हम आशय की प्राप्तना वरे कि वह कारबाने में एक वश्य कमेन्ट स्थापित करने में महायता है। ट्रेन-पूनियन अपने प्रतिनिधियों का शुन दूर और मैनेपर, सुपरिटेन्ट ग्राधवा कोरमेन उस घोरी में मालिकों का

के धारों से रेल, ट्राक, बिजली, जल इत्यादि के कारखानों में दो सप्ताह का नोटिस दिया जाय। जैसे ही मनदूर मभा हड्डताल की सूचना दे, लेवर आफिसर को एक समझौता बोर्ड, जिसमें एक मनदूरों का प्रतिनिधि और एक मिल-मालिङ्गा का प्रतिनिधि हो और लेवर आफिसर उभया अध्यक्ष हो, यिन्हा देना चाहिए। नोटिस की अवधि के अंदर मन दर न तो हड्डताल करें और न मालिक द्वारा प्रतिवाप कर। एक सप्ताह के अंदर ही समझौता बोर्ड अपना निष्णय दें। यद्यपि समझौता बोर्ड का निष्णय किसी भी पक्ष को मानना अनिवार्य नहीं होगा, परंतु समझौता बोर्ड के निष्णय के विरुद्ध जो भी पक्ष नावगा, उसको सब साधारण तथा सरकार वा समर्थन प्राप्त नहीं होगा। अस्तु, उभय पक्षम से बोर्ड भी यिन्हा सोचे विचारे विषय नहीं करेगा। यहाँ यह कि इदा दना आवश्यक है कि मनदूर के हड्डताल करने के अधिकार पर उसके अधिक प्रतिशेष लगाना किसी प्रकार भी सहन नहीं किया जा सकता। जैसा कि बम्बई के ट्रू इंडियन्स् एवं तथा भारत सरकार के प्रस्तावित कानून में किया गया है। इस यह न भूल जाना चाहिए कि मनदूर के लिए हड्डताल करना एक विवशता वी वस्तु है, मनोरनन की वस्तु नहीं है। पर इडताल का सफल यन्हाँ में एक मनोरननिक जूँ की आवश्यकता है। यदि कानून द्वारा घार-पांच भद्दाने तक मनदूर का हड्डताल करने से राह दिया जाता तो एक प्रकार से उनको हड्डताल के अधिकार सहा वित्त कर देना होगा। अस्तु, हड्डताल के नामिय का अप्रिय मनदूर को हड्डताल करने से रोकना सर्वपाप अन्याय है।

हड्डतालों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक यात्रे

यहाँ इस मम्बाय में विचार कर लना आवश्यक है कि जब हड्डताल हो तो उम मम्ब मिल-मालिङ्गा, मनदूरों और सरकार का उमकु प्रति यहाँ एक हाना चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि ऐसे ही मनदूर

हइताक बरते हैं, मिल-भालिक उनको प्रयेक सम्भव उपाय में कष्ट ज्ञे पर उठाए हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहि मन्त्रदूर मालिकों के लिये हुए क्वार्टरों में रहते हैं तो उन्हें तुरन्त वहां से निकाले दिया जाता है। उनके मकानों में विचला और पाना बढ़ कर दिया जाता है। महार उनकी गटियों और नालियों को माफ करना बन्द कर देते हैं। इस प्रकार उन्ह इताक समाप्त कर नेते पर विवश कर दिया जाता है। यहि मन्त्रदूर पैकरा के जैत म अथवा अपने क्वार्टरों के पास कोड यमा करते हैं तो उनको मालिक भग करता देते हैं अथवा मार्गिका भगदी कर देते हैं। मन्त्रदूर कायकतार्थों की यह यहुत यदा विकायत है कि मालिकों के नामूम यूनियनों के कायकतार्थों का पादा करते हैं और मन्त्रदूरों को गैर कानूनी काम करने पर उक्साते हैं। मालिक गुण्डों को नौकर रखकर मन्त्रदूर कायकतार्थों को पिटवाना, उनकी समाजों को भग कराना आरम्भ कर दते हैं।

इषके विपरीत मन्त्रदूर इताकी उन मन्त्रदूरों को जो कि हइतालियों का साय न देकर काम पर जाते हैं अपमानित करते और कभी-कभी पीट भी देते हैं। यही नहीं, नव मन्त्रदूरों में मालिकों के दुर्घटवहार में अध्यन्त कटुता उपयोग हो जाता है तो ये देकगा की मम्पति को भी छानि पहुचाने का प्रयत्न करते हैं।

किन्तु यह मन्त्रदूर तभी करते हैं, जब कि मालिकों के पत्तन उन्हें महार देते हैं और उनका तथा उक्तिम का यवहार बहुत निन्दनाय होता है, नरी तो अधिकार मन्त्रदूर शान्तिप्रिय इताक बरके अपो भधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। जब नक मालिक इन निवासीय गैर कानूना कापों को ढोड नहीं देते तब नक यह आशा बरना स्पष्ट होगा कि मन्त्रदूरों में उसकी प्रतिशिया न हो।

इस चाल का अस्यात्र आवश्यकता है कि शान्तिमय इताक की एक कानूनी परिमाण स्थाकार कर ला जाये और इताक के समय मिल मालिकों और मन्त्रदूरों का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह नियमित

कर दिया जावे। मालिकों द्वारा ट्रेड यूनियन काय फ्लाईर्स की गति विधि पर ट्रूटि रखने के लिए जासूस रखना। अथवा हड़ताल को ताइंक के प्रयत्न करना कानूनन उम बना दिया जाना चाहिए। मजदूर काय कत्ताश्रा की यह शिकायत है आर इसमें बहुत कुछ तथ्य है कि हइ दश म बड़े बड़े व्यवसायी मजदूर जासूस नौकर रखन है और पशेव हड़ताल तादने वाले नौकर रखते जाते हैं। इस प्रकार व्यवसाय ट्रेड यूनियन समग्रन को नज़र करन का घृणित कार्य करते हैं। यह नहीं, बड़े बड़े लोहे तथा अय कारखानों म पूँक काली सूचा रखन जाता है आर उन मजदूरों का निमका नाम काला सूचा म आजात है, कमरा निशाल दिया जाता है। कहा जाता है कि लाहे और स्थाल के कारखानों म एस बहुत स मुपरिन्हें ह निष्ठाने सयुक्तराज्य अमरिका म हड़ताली को तादन आर ट्रेड यूनियन समग्र का नज़र रखने का वैज्ञानिक ढग स शिखा पाइ है और उस अमरिकी पद्धति का भारत म काम म ला रह है। आवश्यकता इस बात की है कि पूँक कानून बना कर कारखानों के बाहर मजदूरों को गति विधि पर ध्यान रखन के लिए चौकादार रखना आर हड़ताल को तादन वाल मजदूरों को प्रचलित मजदूर स अधिक मजदूर दकर भवा करना उम बना दिया जाव।

सयुक्तराज्य अमरिका म आविस्य इडताल का राहन तथा उसम इस्तरप करन के लिए व्यक्तिया का रातराय रला का उपयोग न हो करन दिया जाता। हमी प्रकार भारतर्प म एस कानून बनाकर हड़ताल तादन खाला का हड़ताली मजदूरो म अधिक मजदूर दकर भवा करना उम बना दिया जाना चाहिए।

बिहार का कायन का बाना आर नमग्न्युर म भालिका न मजदूरी का हड़ताल के समय कारमान द्वारा दिय गय मझाना स निराख दिया और विज्ञानी और पाना बंद कर दिया। इसा प्रकार यगाज का जूँ मिल्लो न बार बार हड़ताल हान पर मजदूरो का तुला लाइनो से बज्जूर्वल

निकाल बाहर किया। यहाँ तक कि रेलवे लाइनें भी हसी अस्त्र का उपयोग करती हैं। बम्बड़, कानपुर, देहरादून के कारखानों ने भी हड्डताल के समय मजदूरों को काम पर वापस आने अथवा कारखाने के क्वार्टर छोड़ देन की धमकी दी। बम्बड़ में चालों के कम्पाडड में मजदूरों को समा करने की आज्ञा नहीं दी जाती और कारखानों द्वारा यनाड़ गहर चालों में भनदूर कार्य कर्त्ताओं को आने से रोका जाता है। जहाँ नहा मिल मालिकों ने मनदूरों का मकान दिये हैं, वे अपना ज़म मिद्द अधिकतर मानते हैं कि वे जिसे चाहें वहाँ न आने ने और मनदूरों को अपनी समा न करने वें। चाय के चारों और कोयले का याने का तो सारा चेत्र ही मालिकों की सम्पत्ति होती है। वे टूटे युनियन के काय इताओं को वहाँ आने से रोक रखते हैं। कभी-कभी तो इर्ष्य कत्ताखो पर उनके वहाँ आने पर मुकदमा तक दायर कर दिया। युद्ध काल में कहीं-कहीं मालिकों ने भनदूरों के हड्डताल करने पर उनकी राशन तक रोक दी। जहाँ राशन की और दूसाने नहीं हो, तिनसे भनदूर अपने जीवन निवाद की आवश्यक गम्भुर्ये ले लें वहाँ मालिकों का यदि यह अधिकार मान लिया जावे, तब तो भनदूर कभी हड्डताल कर ही नहीं सकते। अतएव कानून यना कर भरकार को यह सब गैर कानूनी यना नना चाहिए।

यह इम पहले ही कह सके हैं कि मजदूरों और मालिकों को हड्डताल करने और द्वारायरोव करने के लिये नोग्रिम दना चाहिये। यदि उस धीर में कोइ समझौता हो सके तब तो अच्छा है इन्हु अनिवार्य प्रधायत अथवा अनिवार्य इप से मामले का औद्योगिक अदालत के सामने ले जाने की शर्त मनदूरों के हड्डताल के अधिकार को एक प्रकार से नष्ट कर देना है। यह कभी नहीं होना चाहिए।

एक बात और भी ध्यान दन की है, यहुधा ऐसा होता है कि हड्डताल बरने वे उपरान्त मालिक यह घोरित कर देते हैं कि हड्डताल करने वाले मजदूर नीकरी से हगा दिये जावेंगे और जब समझौता है

जाता है तो वे मनदूरों की नये सिरे से भर्ती करते हैं। इसका फल वा होता है कि उनके अधिकार और सुविधायें, जो कि उनको पुराने होने वे कारण मिले थे, छिन जाते हैं। उनकी आर्थिक हानि होती है और उन मनदूरों को निह मालिक गतरनाक समझते हैं, लेते ही नहीं। एक कानून बना कर मनदूरा के इस अधिकार को सुरक्षित कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हड़ताल करने पर भी मनदूर का अपनी नौकरी पर से अधिकार नहीं जावेगा और समझौता होन पर वह अपनी नौकरी पर दिना किसी कमिश्नाइट के चापस लौट सकेगा।

यात यह है कि मनदूर आर्थिक हृष्टि से बहुत निखल होता है। यदि अनिवाय रूप से पचायत कराने का कानून बना दिया जाता है तो सभ्य अधिक लगाने के कारण मनदूरों की हड़ताल करने की उमता नष्ट हो सकती है और मालिकों को अपनी शक्ति और साधन जुगाने का समय मिल जावेगा। सरकार को पेसा बोड कानून न बनाना चाहिए कि जो मनदूरों की शक्ति को सीण कर और मालिकों की शक्ति को बढ़ावे। इसी प्रकार मालिकों को हड़ताल के सभ्य अधिक मनदूरी देढ़र मनदूर भर्ती करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं भर्ती से मालिक और मनदूरों के सम्बन्ध और भी बराबर हो जाते हैं। नये मनदूरों के विश्वद हड़तालियों में बहुत कु भाग्नायें उत्पन्न हो जाता है और कभी-कभी मनदूर अपनी रोज़ा को जान दब्ब कर हड़ताल को शान्तिमय रखने में अमर्मर्थ हो जाता है।

मनदूरों को और से एक बात प्याज में रखने वी है। किसी किसी घार में कुछ क्रियायें ऐसा होती है कि यदि उनका भा छाद खिया जाव तो घार का बहुत हानि हाने की भग्भावना है। उदाहरण के लिए कोयले का व्यानों में यदि पग्ग न चढ़ाये जावे तो व्यानों में पाना भर जावे। इसी प्रकार लाहू और स्टील के कारवानों में भी ऐसा कुछ क्रियायें हैं। मनदूर अधिकार हड़ताल के सभ्य भी उन क्रियाओं में आदमियों को नहीं इगत।

इहताज्जो के मन्दन्त्र में एक बात और ध्यान में रखने की है कि उनिम सथा मनिस्ट्रों को किसी भी पत्र की महायता न करना चाहिए। अभी तक पुलिय और मनिस्ट्रेट वहुधा मालिकों की महायता छहते रहे हैं। शान्तिमय इहताज्जियों को गिरफ्तार करना, उन पर लाने चाज करना, उनको समायेभग कर देना, इहताज के समाचारों को बेस्टर करना, मजदूर नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा देना, उन्हें गिरफ्तार कर लेना और उलूम इत्यादि पर रोक लगा दन की धरनायें हमारे देश में आये दिन होवी रहती हैं। उत्तरायी सरकारों का पुलिय सथा मनिस्ट्रों को इस नीति को क्षेत्रतापूर्वक रोकना होगा। कहो रही तो पुलिय इहताज तोड़ने वाले मनदूरों को भर्ती करने में मालिकों को सहायता पहुचाती है और उन नये मजदूरों को अपनी देश-भाज में मिलीं के आदर पहुचाती है। जैसे ही इहताज भारतम होवी है, मनिस्ट्रेट दफा १४४ लगा देता है और मनदूरों को सभा करने इत्यादि की मनाही कर दा जाती है। आश्चर्य और खेड़ की बात तो यह है कि मजदूरों के विस्त्र भारतवर्ष में दफा १४४ का इहारों पार प्रयोग किया गया, किन्तु मालिकों के विस्त्र कब्ज एक बार इस दफा का आन तक प्रयोग किया गया है। आशा है कि भविय में जनता के प्रति उत्तरायी भाज्ञाय सरकार पुलिय और मनिस्ट्रों को मजदूरों के प्रति यह धन्याय करने से रोकेंगी। पुलिय और मनिस्ट्रों के इम ध्यवहार का ही यह परिणाम है कि यद्युत थार मनदूरों में अशान्ति उत्पन्न हो जाता है, गोर्ही और ज्ञार्जी चार्ज तक की नीदत आ जाता है। सरकार को क्षेत्रतापूर्वक इम सब को रोकना चाहिए। लेखर कमिशनर के नेतृत्व में पुलिय और मनिस्ट्रों को काज करना चाहिए और उन्हें मनदूर नेताओं का सहयोग शान्ति बनाये रखने में मेना चाहिए। मनदूर नेताओं का मनदूरों से छीन लेने का सीधा परिणाम यह होता है कि मनदूरों का नेतृत्व बरने याका कोइ नहीं रहता और यह उत्पन्न धान करने लगते हैं।

पिंडले वर्षों में भारत में सबद्वारा बग में जो अभूतपूर्व जागृति हुई है आरे वे जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूँजीपतियों को जुनौता दे लगे हैं, उसका परिणाम यह होता है कि मालिक और मनदूरों में आये दिन संघरण होता है और हड़ताल होती है। इधर १९३८ में बम्बई सरकार ने ना ट्रॅड डिस्ट्रिब्यूशंस पक्ष बनाया, उसमें एक प्रकार से हड़ताल को कानून द्वारा बहुत लम्बे समय तक रोक रखने का विचार हिया गया है। अब भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून, जो कि बम्बई ट्रॅड डिस्ट्रिब्यूशंस पक्ष के आधार पर बनाया गया है, जागूहा जावगा। इसका दूसरे शान्दो में अर्थ यह हुआ कि हड़तालों को रोकने का सरकार को अधिकार प्राप्त हो नावगा। हम यह पढ़कर हाँ कह शुक है कि हड़तालों को लम्बे समय तक रोकने का अर्थ यह होगा कि मनदूरों को हड़ताल लगाना कठिन हा जावगा। यह अनिवार्य पचायत पक्ष प्रकार से मालिक के पक्ष में आरे मनदूरों के विरुद्ध है। अतएव नव तक सरकार कानून बना कर मालिकों का औद्योगिक अदालतों के फैसलों को मानने के लिए विचार नहीं करता तथा तक अनिवार्य पचायत का विचार करना भी अव्यायपूर्ण नहीं है। इधर हिन्दु सुमित्रम द्वारा के फज़लहप्पे जो प्रान्तों में सुरक्षा बम्बई कानून बनाये गए हैं, उनमें हड़तालों को भा रोकन और गैरकानूनी घोषित करने का विचार है। यह प्रतिरक्त रक्तरक्ताछ है और मनदूर नेताओं दो इस आरे विचार स्थप से ध्यान लगा चाहिये।

ग्यारहवाँ परिच्छेद मनदूर हितकर कार्य

यह नो इस पहले हा कह शुक है कि मनदूर के अव्याय तथा उनके दिनों की रद्दा के निष मनदूर कानूनों की आवश्यकता दानी है।

मनदूर नितने ही सगड़ित होते हैं, जिस में प्रगतिशील शक्तिया नितनी अधिक उद्घाटन होती है, उसने ही अच्छे मनदूर कानून दश में बनते हैं। परन्तु केवल मनदूर सम्प्रदाय कानूनों में ही मनवर्णों के सारे कानून दूर नहीं हो जाते किन्तु दिन प्रति जिन उनके ऐनिक काय में जो आसुविग्राहें होती हैं उन्हें उप करने का भी आवायकता होता है। अन्तु, मनदूर द्वितीय कार्यों की बहुत आवायकता है। मनदूर द्वितीय कार्य मिल मालिक, मनदूर समायें नथा अन्य सामाजिक स्थायें करता है। भारतवर्ष में मनदूर द्वितीय काय कुदूर ही कांडा और कारखानों में होता है। उसे अधिक सुसमाचित तथा वैज्ञानिक बनान की आवायकता है।

काम के घटे

यद्यपि कानून द्वारा काम के घटे नियंत्रित कर जिये गए हैं परन्तु फिर भी कारखानों का इस बात का ज्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष पर के गरम उग्र है और यहाँ कारखानों में काम करना अव्याहत कर सार्व और स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। बहुत में कारखानों में गरमियों के दिनों में नाप्रापान १२० डिग्री फैरनाईट तक चढ़ जाता है और दूबा भी यहुत गरम रही हुई और घूल नथा गंगा में भी रहती है। अन्तु, भारतीय मनदूर को अधिक नियुण बनान के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि काम के घटों का कम किया जाव और ऐसा प्रबन्ध किया जाव कि विसमें कारखान में गरमी कम रह और इसका समुचित प्रबन्ध हो। कारखानों में गरमा कम करन नथा हवा का समुचित प्रबन्ध करन से मिल मानिका को भी खाम है। उससे मनदूरों की काय जमता जड़ेगी और उन्हें में वृद्धि होगा। भारतीय दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है क्योंकि अधिक गरमी और उच्ची हुई गर्मी वाले मनदूर के लिए अव्याहन हानिकर तथा कठ दायक होती है।

यही बात काम के घटों के मध्यमें में खागू होती है। भारत में

मनदूर के काम के घरों का कम करने का लगातार मात्रा की जाती है, उसका एक मात्र कारण यह नहीं है कि मनदूरों को अपने इन सहित का द्वजा ऊचा करने सथा नागरिक के बत्तों का पालन करने के लिए अधिक अवकाश चाहिए, बरन् भारत के गरम जलवायु में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि अधिक लम्बे समय तक कायन किया जाए। अगस्त १९४६ के पूर्व फैसला कानून के अनुमान वर्ष भर चलने वाले कारबाना में प्रति सप्ताह ४४ घटे काम किया जा सकता था। किन्तु युद्ध के पूर्व अधिकाश कारबानों में कानून द्वारा नियमित घरों से अधिक काम होता था। १९३८ में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष भर चलने वाले कारबानों में २६ प्रतिशत पुरुष और ३१ प्रतिशत मनदूर प्रति सप्ताह ४८ घरों से अधिक काम नहीं करते। स्वार्ण में तो प्रति सप्ताह स्वान के आदर अधिकाश मनदूर ४४ घटे ही काम करते थे। मौसमों कारबाना में जहाँ प्रति सप्ताह ६० घटे काम किया जा सकता था वहाँ भी अधिकाश मनदूर ४८ घटे ही काम करते थे। यहाँ कारण था कि नव अगस्त १९४६ में काम के घटे घर कर वर्ष भर चलने वाले कारबानों में ४८ कर दिये गये सथा मौसमी कारबानों में ६० कर दिये गये तो मिज़ माजिका ने इसका काह तिरोप विराप नहीं किया। युद्ध के मम्पत्य अप्रत्य उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए काम के घरों को बढ़ा दिया गया था परंतु वह अस्थायी था और युद्ध के उपरान्त काम के घटे किंवदन्ति कर दिये गये। परंतु काम के घरों का बढ़ाने से उत्पत्ति में कोई दृढ़ि नहा हुइ। अनुभव से हमें यह जात हाना है कि अधिक घटे काम छन से उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हाना क्योंकि मनदूर का तुश्वरता कम हो जाती है। नव जव काम के घरों को कम करने का मात्र हुड़ तब तब मिज़ मालिहा न उत्पत्ति के कम हो जाने का अप्रदर्शित किया किन्तु अनुभव से जात हुआ हि उत्पत्ति कम नहीं हुइ। इसका कारण यह है कि छने घटे काम ज्ञेने में मनदूर की कुण्डलिया कम हो जाता है।

विश्वाम

काम के घटों से भी अधिक महत्वपूण प्रश्न विश्वाम का है। मिल मालिहों को चाहिए कि वे इस जात का आययन करें कि कितनी देर तक काम करने के उपरात मजदूर को विश्वाम की आवश्यकता होगी और क्य कम विश्वाम देने से मजदूर अधिक से अधिक काम कर सकता। विश्वाम रोशनी, हवा का भयुचित प्रवाह करने तथा विश्वाम के घर्में में आराम से लेटने दैनन्दिने के स्थान, तथा नहाने धोने की सुविधा का प्रवर्ग करने से मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसा करने से मजदूरों का स्वास्थ्य और कुशलता बढ़ती है तथा बयादन बढ़ता है।

विशेषज्ञों का कथन है कि दो ढाई घण्टा लगातार काम करने के उपरात मजदूर की काय शक्ति छीण होने जाती है और उसे विश्वाम की आवश्यकता होती है। पाच छ घण्टे लगातार काम करना मजदूरों के लिए शर्य नहीं है। अनुभव से यह जात हुआ है कि दिन के अंतिम घर्में में जबकि मजदूर थक जाता है तभी दुयर्नाये अधिक होती हैं और मजदूर को खोट आ जाती है। अतएव यह निरात आवश्यक है कि मजदूर को उचित विश्वाम दिया जाव।

भारतवर्ष में मजदूर निवल है शिर ऊपर से यहा का जड़बायु तेस्या है कि मजदूर शीघ्र ही थक जाता है और उस थकावर के बारण डरादून मी कम होता है, दुयर्नाय भी अधिक होती है। अतएव भारतवर्ष मेहा तक भवित्व हो और टाइम काम नहीं लेना चाहिए। यदि अधिक डरादून की आवश्यकता हो तो शिफ्ट चजाना चाहिए।

रोशनी और हवा का प्रवाह

यहुत से कारबाना का इमारतें अमी होती हैं कि जिनमें धर्म रोशनी और हवा की गुणादूरा नहीं होता। मजदूर का ऐसे कारबानों में काम करने से यहुत कष्ट होता है। यद्यपि इसप्रदर्शों को यह अधिकार

है कि यदि वे देखें कि कारखानों में यथाप्त रोशनी और इवा नहीं आती तो वह कारखाने के मालिकों को आवश्यक सुधार करने की आज्ञा दें परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से कारखानों की इमारतें ऐसी बना हैं कि उनमें बहुत अधिक परिवर्तन करने पर ही रोशनी और इवा अधिक मिल सकती है, परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से यह बहुत अधिक होगा। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक मिल में जहा मजदूर काम करते हैं विज्ञली के पाले लगा दिये जावें। इससे गरमी के दिनों में मजदूरों का पसीना नहा आवगा और वे अधिक उत्पा दन कर सकें। थोड़े से व्यवसायों को अधिक लाभ होगा किन्तु भारतीय व्यवसायों की दृष्टि बहुत ही सकुचित है वह उन कार्यों को भी नहीं करता कि निससे मनदूरा का कप्ट कम होने के साथ उसका डापा दन भी बढ़ता है। इवा और रोशनी के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करने के लिए यह नितात आवश्यक है कि यह नियम बना दिया जावे कि जब काढ़ नया कारखाना स्थापित हो तो उसकी इमारत के नक्शा को सरकार स्वाक्षर कर तभा वह कारखाना चल सकेगा। ऐसा करने से भविय में इमारतों में सुधार हिया जा सकता है। क्याम के पेंचों के सम्बन्ध में कानून बना दिया है। उसके कानून के अनुगत नये पेंच नभी खोल ना सकते हैं कि नये वे अपनी इमारत के नक्शा को सरकार से स्वाक्षर करता न। सद्गम प्राप्ताय सरकार न एक नियम बना दिया है कि ना भा नया कारखाना स्थापित हो उसकी इमारत के नक्शे को यहिले फैक्ट्रिया का चौप इसपक्कर निरीक्षण करता और उसका ग्वीकृति मिल जाने पर ही कारखाना चल सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रान्तों में इस प्रकार का नियम बना दिया जाय।

फैक्ट्री का तापनम

भारतवर्ष में मूर्ती उपह का कारखाना तथा बाबा के कारखानों में

कुछ विभागों में गरमी इतनी अधिक होती है कि वह मनदूर के लिए अमर्हनीय हो उठता है। यही कारण है कि मनदूर निन में कड़ घन्टे द्वयर द्वयर घूमते और सभी नष्ट करते रहते हैं। शाही द्वेषर कारवाने के सामने गवाही लेने हुए कुछ उनकरों ने कहा था कि निन कारवानों में 'परे होते हैं, इस बीड़ी या तमाकू पीन बाहर जाते हैं और शीघ्र लौट आते हैं। किंतु निन कारवानों में परे नहीं हैं इस बहुत दर तक बाहर रहना पड़ता है। कारवाना के आदर जहा परे नहीं होते वायु इतनी अम हो उठनी है कि मनदूर बहुधा चेहोश हो जात है और उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ता है। गरमिया के दिनों में तो स्थिति और भा अधिक भयकर हो उठता है। मनदूर नथा थप दोनों के हाँ हित के लिए यह आपरयर है कि फैक्ट्री पक्के में हम यात का समायश कर दिया नारे कि कारवाने का तापकम उचित हो। इसके लिए फैक्ट्री पक्के में सरोपन होना चाहिए। फैक्ट्री हन्मपेक्कर को यह निश्चारित कर देना चाहिए कि विन उपायों से फैक्ट्रा का तापकम कम किया जा सकता है और इस मिल मानिरों से उसके अनुसार कार्य करवाना चाहिए। अहमदाबाद की कनिशय मिलों में प्रबार कनिशनिंग प्लाट तगाये गए हैं और इस का उचित प्रबार किया गया है। निन विभागों में भाष जेने भी आवश्यकता होती है वहाँ भी यथेष्ट सुखार किया गया है। मनदूर का बुध करने में सुविधा हो इसका उन कारवानों में विशेष ल्यान रखता गया है। ऐसा करने में कारवाने के आदर का नापनेम बाहर के तापकम से यहुत कम रहता है।

भारतवर्ष जैसे गरम देश में जहा कि गरमियों में साधारणत कार्य करना बहुत होता है, कारवानों के तापकम को उचित रखना तथा यथेष्ट इवा का प्रबार करना आवश्यक है। इससे भजदूरों को बहुत कम होगा और उत्तराद्वन भी अधिक हो सकेगा। इतिनिश्चरित तथा रेखये यक्षिणीरों में कुछ विभागों में गरमी इद दर्जे को पहुंच जाती है और बहुत से मनदूर इस भीषण-

गरमी के कारण मर जाते हैं। अतएव फैक्टरी कानून में इस आशय का सशोधन अवश्य कर देना चाहिए कि इन्स्पेक्टर प्रत्येक कारखाने में उचित तापमान का प्रबंध करे। जोहे तथा इजिनियरिंग कारखानों में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। गोलमुरी के ट्रिल्लेट कारखानों में मालिकोंने कुछ सुधार किया है। वहाँ जो 'मनदूर अग्नि' के सामने काम करते हैं उन पर ठड़ी हवा छोड़ी जाता है और पानी से फश ठड़ा रखता जाता है। आवश्यकता इस बात का है कि सभी कारखानों में गरमियों में विजली के पासे लगाये जावें भाघ छी कपास, जूर, चावल ऊन, चाय, कागज, सीमेंट तथा लाल्ह के कारखानों में धूल तथा कण भरे हवा रहती है उससे साखने के लिए यात्रा लगाये जावें। क्योंकि जब मजदूर इस डूपित हवा में साम लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

अन्य सुविधायें

कुछ कारखानों में मजदूरों को चाहांध कर देने वाली रोशनी में काम करना पड़ता है। परकार की यह नियम बना देना चाहिये कि प्रमाणित दशा में मजदूरों को धूप के चरमे दिये जावें। जहाँ मजदूरों का आग के पास काम करना पड़े वहाँ उड़ें दस्ताने तथा जूल दिये जावें।

यह कारखाना में हवा रोशनी तथा आय सुविधाओं का प्रबंध हो तो उपायन अवश्य हो यह जापगा। अहमदाबाद में वेल इवा का प्रबंध करने से उपायन में ६ प्रतिशत की घृद्धि हो गई। भारतवर्ष ऐसे ग्राम ज़िले में शिफ्टों का समय बदल देन से भी मजदूरों के कार को कुछ कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिये गरमियों में प्रातःकाल ५ बजे १० ३० तक और २ ३० सायकाल से ५ ३० तक वाम के घटे रथन में मजदूरों का कार कम हो सकता है।

भास्ताय मूला बम्ब की मिजां में रात्रि में काम करने का घड़न

है। इसपे मनदूर के गरीर तथा उसक पारिवारिक ऊंचन पर बहुत लुटा अमर पड़ता है। भारतीय औद्योगिक कन्डों में जहा पुण्यों की अपना छियों की सूखा बहुत कम है, गरि में कार्य करने का परियाम यह होता है कि मनदूरों में अनेकिता तथा अभिचार करना है, आवायकता में अधिक मनदूर कन्डों में आते हैं और मनदूरों को भी भी योद्धा भी मनोरनन तथा गिरा की मुद्रियाँ उपलब्ध हैं, उनमें भी बहुत बचित हो जाते हैं। नाशन में प्रातःकाल ~ स २ बज माय-काल तक तथा ~ बजे मायकाल में ११ बज रात्रि तक ने शिक्षों का उड़न है और इन नींघरों के गिर्झ में आय घटे का विश्राम नित्यता है। भारत में मा यदि इस प्रकार के ने गिर्झ उत्तरों जावे और दाच में एक घटे का विश्राम किया तो मनदूर के लिए मुद्रिया बनक होगा।

पुराणा और बालक मनदूरों की स्वास्थ्य-नृत्य के लिए यह आवश्यक है कि ये छितना बोझ उठावें, यह भी कानून द्वारा नियमित कर दिया जावे। पञ्चमाय देशों में इस प्रकार के कानून हैं, जिनके द्वारा अधिक भी अधिक बोझ जो कि मनदूर ले जा सकता है, नियमित कर दिया जाता है। प्राम में अधिक से अधिक बोझ जो कि पक मनदूर द्वारा ले जा सकता है, १५ पौंड है, विटन में १० पौंड, इटजा में १५ पौंड तथा मोदियर स्प्ल में पुराणा तथा छोटी मनदूरों के लिए ४० पौंड नियमित किया गया है। भारतवर्ष में पुराणा तथा मनदूर मियों के लिए ३५ पौंड अधिक से अधिक बोझ नियमित कर ना चाहिए और उस दृष्टि से पैकरी कानून तथा भारतों के कानून में सरोधन कर ना चाहिए। इसमें पूर कि इस प्रकार का काड कानून बनाया जावे, इस बाज की आवश्यकता होगा कि कुछ विशेषज्ञों का इस बाज का अप्पलन करने के लिए नियुक्त किया जावे कि ये यह पका लगायें कि पुराणा, स्वा तथा याकूक मनदूर अधिक से अधिक कितना बोझ उत्तर यद्दन है, जिसमें कि उनके स्वास्थ्य को दानि न पहुँचे।

विश्राम-गृह

भारत के अधिकारा कारबानों में विश्राम के लिए कोइ विश्राम-गृह नहीं है। छुट्टी के समय मन्त्रदूर खाना रखने और विश्राम करने के लिए बाहर निकलते हैं। यदि कारबाने के वस्त्रादाद में पर्नों का छाया हुइ तरफ तो अच्छा है, नहा तो उड़ बरसात और गरमियों में बहुत काँह हाता है। अतपि इस बात को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक कारबाने में विश्राम-गृह तथा जलपान गृह बनाये जां, जहाँ मन्त्रदूर छुट्टी के समय तथा भोजन करने के समय विश्राम कर सकें। तिन कारबानों में १० से अधिक छिया हाँ, वहाँ छियों के लिए विश्राम-गृह की अलग व्यवस्था ही।

पैक्सरा एक्ट में प्राचीय सरकारों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि ये चाहें तो नियम बना बर उन कारबानों का शिशु-गृह स्थापित करन पर विवरा करें, जहाँ फि १० से अधिक मन्त्रदूर छिया काम करती हों। सभी प्राचीय सरकारों को शिशु-गृह के सम्बन्ध में नियम बना देना चाहिए। शिशु-गृहों में इन शिशुओं के रखने का ही यात्रा-न द्वाना चाहिए, वहाँ नस रखनी चाहिए, तो शिशुओं की दूध भाज करें, दूध तथा अन्य भोजन का प्रवाह होना चाहिए, शिशुओं के राखने तथा चिकित्सा का भा प्रवाह करना चाहिए, इसके अप्रतिकृत गिरुओं के आराम का इन गृहों में समुचित प्रयोग होना आवश्यक है।

द्वेष कारबानों को फैस्टरी कानून द अन्नर्गत लाने की आवश्यकता,

पैक्सरा कानून के अनुसार वहाँ कारबाना यात्रिक शक्ति में स्थानित होता हो और कम से कम २० मन्त्रदूर काम करता हा, पैक्सरा स्वीकार की जाती है। हिन्दु प्राचीय सरकार का यह अधिकार द दिया गया है कि ये उस स्थान को भी पैक्सरा स्वीकार कर सें, जहाँ १० मन्त्रदूर काम करता हा। बहुत स पर्वतमाय दर्शों में उन स्थानों का भी पैक्सरी भाना जाता है, जहाँ १० मन्त्रदूर काम करता हा तिर

चाह वहा यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न होता हो । इस बात की आवश्यकता है कि जिन स्थानों में यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो, यदि वहा १० मनदूर भी काम करते हों तो उसे फैक्ट्री मान किया जावे और वहा फैक्ट्री एकट लागू कर दिया जावे । जिन स्थानों पर यात्रिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, परन्तु दम-यक्षितयों से अधिक काय करते हैं, वहा भी काम के घटों को निर्धारित कर देता और मफाड़, इवा तथा रोगों के सम्बन्ध में नियम बना दना आवश्यक है ।

धान कून, दाल बनाने, आट की चक्कियों, तेल परने, लकड़ी काटने (आराकशा), मटमारी शक्ति तैयार करा, बाढ़ी बनाने, चरण क कारणानो, चमड़ा कमाने, अपरग्न नथा लाय के छोटे छोटे कारखानों में मनदूरों को प्रति दिन १२ घट तक काम करना पड़ता है । इन स्थानों में यथा आर लिया का अधिकतर रकम जाता है आर वहा हजा और रोगों का उत्तिर प्रबन्ध नहीं होता । बाढ़ी, अपरग्न आर लाय के कारखानों में तो यहुत बड़ी संख्या में मनदूर काम करते हैं । उनका दगा खासतर में दयनीय है । उन्हें बहुत कम बतन दिया जाता है आर उन्ह १० घटे गद स्थानों में काम करना पड़ता है ।

किंतु केवल कानून बना ज्ञन से ही कारखानों में सुधार नहा हो जायगा । आवश्यकता इस बात की है कि फैक्ट्री इन्स्पेक्टरों का यह अधिकार दिया जाय कि वह प्रत्येक कारणाना का निराकाश करने के उपरात जा भी मनदूरों का सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझें, ये सुधार करने का भालिक को आज्ञा दे मरें । परिचमीय दगा में इन 'आशाधों' से कारणानों का दगा में योग्य सुधार हुया है । अनपव्य प्रान्ताय सरकारों को नियम बना कर इन्स्पेक्टरों को यह अधिकार द दना चाहिए । इन्स्पेक्टरों को नाचे किया जाने का विशेष स्थान रखना चाहिए । प्रत्येक कारणान में पोने के किये पर्याप्त रहा पानी रहना चाहिये, भानन करने तथा विश्राम करने के क्षिण विश्राम-गृह होना

विश्राम गृह

भारत के अधिकारा कारखानों में विश्राम के लिए कोइ विश्राम-गृह नहीं हैं। छुट्टी के समय मनदूर खाना खाने और विश्राम करने के लिए बाहर निकलते हैं। यदि कारखाने के कम्पाड़न्ड में पेड़ों का द्वाया हुँ तब तो आँजा है, नहाँ तो उँह बरसात और गरमियों में बहुत काट हाता है। अतएव इस बात की बहुत यदों आवश्यकता है कि प्रत्येक कारखाने में विश्राम-गृह तथा जलपान गृह बनाये जावें, जहाँ मनदूर छुट्टी के समय तथा भोजन करने के समय विश्राम कर सकें। जिन कारखानों में १० से अधिक खिया हा, वहाँ खियों के लिए विश्राम-गृह की अलग अवस्था हो।

फैक्ट्री पर्स्ट में प्राताय सरकारों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें तो नियम बना कर उन कारखाना को शिशु-गृह स्थापित करने पर विवर करें, जैसे कि १० से अधिक मनदूर खिया काम करती हों। सभी प्राताय सरकारों को शिशु-गृहों के सम्बन्ध में नियम बना दना चाहिए। शिशु-गृहों में वेवल शिशुओं के रखने का हा व्यवस्था न हाना चाहिए, वहाँ नस रखनी चाहिए, ना शिशुओं की दूष भाज्ब करें, दूध तथा अ॒य भोजन का प्रबाद होना चाहिए, शिशुओं के रखने तथा तिरिया का भा प्रबाद बरना चाहिए, इसके अनिवार्य शिशुओं के आराम का इन गृहों में समुचित प्रबाद होना आवश्यक है।

छोटे कारखारों को फैक्ट्री कानून न अन्तर्गत लाने की आवश्यकता।

फैक्ट्रा कानून के अनुमार नहां कारखाना प्रातिक शक्ति से मचानिन होता हो आर कम से कम ३० मनदूर काम करते हों, फैक्ट्रा म्वाक्षार का नामी है। छिंगु प्राताय मरकारा का यह अधिकार दिया गया है कि य उम स्थान को भी फैक्ट्रा स्वीकार कर लें, तहा १० मनदूर काम करने हों। बहुत म परिचमाय दशा में उन स्थानों का भी पर्याप्त माना जाता है, तहा १० मनदूर कार्य करने हों कि

काहू वहा यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न होता हा । इस दात भी आवश्यकता है कि जिन स्थानों में यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो, यदि वहा १० मज़बूर भी काम करते हों तो उसे पैकड़ा मान दिया जावे और वहा पैकरी एकट लागृ कर दिया जाव । जिन स्थानों पर यात्रिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, परन्तु ऐसे अविनयों से अधिक काय करते हैं, उहा भी काम के घण को नियारित हो दना और सपाड़, इवा तथा रोशना के मम्बन्ड में नियम यन्त्र दना आवश्यक है ।

धान कूर्ते, दाल उनान, आट की चिकियो, तत पम, लकड़ी शगन (शराकशा), गरमारा शहर तंदार करन, बाढ़ उनान, वरष के कोरमानों, चमड़ा इमाने, अपरब तेवा लाल्ह के छोट द्वाट कोरमानों में भवदूरों को प्रति दिन १३ घंटे तक काम करना पड़ता है। इन धानों में दर्दों थार खिया का अधिकतर रकना जाता है और यहा और राणों का उचित प्रयोग नहीं होता। यादों, अपरब और लाल्ह के कोरमानों में तो युत बढ़ा साध्या में भवदूर काम करते हैं। उनकी शास्त्र में ज्यनीय है। उन्हें बून करने उनके जियो जाता है और उन् १३ घंटे राज धानों में काम करना पड़ता है।

चिन्ह कथन कानून बना ज्ञन वर्दी कारबानों में सुनार नहीं है। अब इसका उम्मीदवारों का यह अभिभाव लिया जाय कि वह प्रयोक कारबानों का नियन्त्रण करने के उपरान्त जो भी अवृत्तुरा +। सुन्दर सुनिधि के लिए आवश्यक गमन, व सुनार करने का मालिक का आनंद नहीं। परिचमाप जग्या में इन 'आनंदों से कारबानों का जग्या में अवश्य सुनार होता है। आवश्यक नियन्त्रण भाकरी का नियम बना कर इन्वेस्टरों को यह अनुदार देना चाहिए। इन्वेस्टरों को भीच दिया करने का लिए अब उपरान्त चाहिए। प्रत्यक्ष कारबान में जो वे लिए — — — — —

चाहिए, नहाने और कपड़ा धोने को सुविधा होनी चाहिए, शिशु-गृह होना चाहिए और फस्ट एड का प्रबंध होना चाहिए ।

खानों सम्बन्धी कानून म सशोधन की आवश्यकता ।

खानों के अद्वार काम करने वाला के स्वास्थ्य और सुख के लिए यह अत्यान आवश्यक है कि खानों के अद्वार हवा, रोशनी, पीने के लिए ठड़ा पानी तथा शौच गृह इत्यादि का पूरा प्रबंध होना चाहिए । यथपि वही खाना म विजली, हवा और पानी का प्रबंध किया गया है परन्तु भारत की अधिकाश छोटी खानों में हवा, रोशनी इत्यादि का कोड समुचित प्रबंध नहीं है । जब मजदूर खान के अद्वार काम करता है तो यदि आधुनिक ढग के यांत्रों द्वारा हवा पानी और रोशनी का खान के अन्दर समुचित प्रबंध न कर दिया जाये तो मजदूर को बेद्द कष्ट होता है । गरमी के कारण मजदूर के स्वास्थ्य पर यहुत सुरा प्रभाव सौ पड़ता ही है । स्वान के अद्वार शाच-गृहों की व्यवस्था न होने के कारण मजदूर जो कि यहुधा नगर पर रहते हैं, उन्हें हुक्म सोग हो जाता है । यही कारण है कि फरिया के १० प्रतिशत मजदूरों को हुक्म सोग है । छोटा पानों और सदाना का कोड एक प्रकार से निरीक्षण भा नहीं करता और उनम काम करने वाले मनदूरा को अकथनीय कष्ट सहन करना पड़ता है । आवश्यकता इस बात की है कि सरकार खानों के कानून म उचित सशोधन करके खानों म उपर लियो सुविधाओं को उपलब्ध कराये ।

साधारण शिक्षा और शिल्प शिक्षा

जब भारताय मजदूर को स्वास्थ्य रक्षा के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कर दी जावेंगी और कारखानों का जावन आज म अधिक स्वास्थ्यप्रद और आस्थक होगा तभी मजदूर उन हितकर कायों से लाभ उठा सकेगा जो इसके लिए दिये जावेंगे और तभी उमरी कायदमना बदेगी । किन्तु केवल उम्रके स्वास्थ्य की रक्षा करने ही से वह सम्बन्ध

कुशल मनदूर नहीं उन जावेगा। तब तक उम्रों साधारण तथा शिल्प शिक्षा नहा दी जावेगी, तब तक वह कुशल मज़ानूर नहीं बन सकता। यदि भवित्व में हमारा देश श्रीद्योगिक उद्धति के स्वप्न दबना है तो उसे मनदूरों का शिक्षा सा प्रबाह करना होगा। नापान पिछले चिना में जो हड्डना तेनी से श्रीद्योगिक उद्धति कर सका उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहाँ के मज़ानूर शिक्षित थे और उन्हें शिल्प शिक्षा मिली थी। दुभाग्यतर भारतीय मज़ानूर नितान्त अविद्यित है और उसे हितर समझदारी शिक्षा भी नहीं मिलनी, जिस भी उसने यन्त्रों पर काम करने की अदृश्य चमत्का प्रदर्शित की है।

अभी तक भारतीय मज़ानूर को साधारण शिक्षा तथा शिल्प संबंधी शिक्षा देने का और किसी ने भी इच्छा नहीं दिया है। यमझ और यह मद्दायाद की बनियां मिलों ने रात्रि पाठशालायें खोल कर अपने मनदूरों को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है। नागारुर की प्रयोग मिल मद्दायाद की बहिराइम मिल तथा कल्पना की कुछ जूर मिलों ने रात्रि पाठशालायें स्थापित की हैं। इन्तु जो कुछ भा थोड़ी भी मिलों ने पाठ शालायें स्थापित की हैं वे यादों के लिए हैं थोड़ा के लिए शिक्षा का प्रबन्ध बिल्कुल नहीं किया गया। आवश्यकता हम यात्र की है कि प्रयोग मिल अपने मज़ानूरों के लिए रात्रि सूक्ष्म स्थापित करे। क्वाज़ पाठशालायें ही स्थापित करने से समस्या हज़ नहीं हो जावेगी वरन् आवश्यकता इस यात्र की है कि मिल मालिक मज़ानूरों के लिए बाधनाक्षय तथा पुस्तकालय और रेटियो की स्थापना वरे तिमसे मज़ानूरों का जान और उनकी आवश्यकता पढ़े। यदि मिल मालिक शिक्षा तथा मनोरजन पर थोड़ा सा ध्यय करेंगे तो उनके मज़ानूरों की कावशमता बढ़ेगा और उनको अधिक जाम होगा।

जहाँ तक शिल्प शिक्षा सा प्रश्न है उम्रके लिए कारबानों के समूहों को मिल कर श्रीद्योगिक वांद्रों में से सभी सम्पाद्यें स्थापित करनी चाहिये कि जहाँ शिल्प शिक्षा दी जा सके। प्रयोग कारन्ती अपने कुछ मज़ानूरों का

निह यह थोग्य समझे छार कर इन शिवरु मस्ताओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज। इन सस्ताओं के चलाने में सरकार भी सहायता द। भारतीय मजदूर को बुशल बनाने के लिए इस बात की बना आप स्वक्षता है जि उसको रिक्षित और निपुण बनाया जाय आयथा भविष्य में भारत की आईडीपिक उभारति में बाजा उपस्थित होगा।

यदि देश में अनिवाय प्राप्तिमुक्त शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का आदर्श लग सफल हो जाय तो मिलों का काय और भी सरकार हो जावेगा। इसमें कोइ सदैह नहीं कि दिना शिक्षा के भारतीय मजदूर बुशल नहीं बन सकता।

प्रिक्तिसा की सुविधाओं का अभाव

परन्तु बड़े बड़े कारमान अपने मजदूरों की चिकित्सा के लिए चैत निक डाक्टर इच्छने हैं और कारमान का अस्पताल भी होता है जहाँ मजदूरों की चिकित्सा का प्रबन्ध होता है किन्तु अधिकांश कारमानों में मजदूरों की चिकित्सा का कोइ समुचित प्रबन्ध नहीं होता। नियन मजदूर अपनी तथा अपने परिवार वालों की चिकित्सा के लिए यथोट धन व्यय नहीं कर सकता। परिणाम यह होता है कि उसकी पार्यगता घर्गी है। आमरणकर्ता इस बात का है कि प्रारंतोष मराठों पर नियन बनाये कि जिन कारमानों में २०० में अधिक मजदूर काय करते हुए वहाँ वहाँ योग्य डाक्टर और अमरणाल रखना अनिवाय हो। यह थोट थोरे कारनामे हो उनको मिला कर अस्पताल बजाने पर विचार किया जाये।

मामानिक बामा

जिन देशों में आईडीपिक उभारनि तृप्त है और जामानों में काम करने वालों की मात्रा बड़ी है वर्ण मजदूरों की आईपिक दियनि को तृप्त करने के लिए मामानिक धीमे का प्रबन्ध किया गया है। आईडीपिक प्रयान दरहा में मजदूर है खोट लगाने पर अथवा ऐसा होने पर वह नेपूर्ण करनुव

के आत्मन मनन्तर को अपना मन्त्रार के आधिकों की चतुर्पूर्ण वीर मन्त्र न जाती है। उसके अतिरिक्त यीमार पढ़ने पर, वेश्वार होने पर, तथा घुद हो जाने पर जब कि मनदूर काम करने में असमय हो जाता है तब उससे अलाउद्दीन दिये नान का प्रवर्त किया गया है। नान यह है कि नव मनदूर कामगान में काय करता है तब घुद होती थबन नहीं कर पाता कि वेकारी के समय, यामारी के समय तथा चुदावस्था के समय अपना निशाद कर सके। इसका परिणाम यह होता था कि नव मनदूर यीमार पढ़ता था, उसकी आय घुद हो जाता था और उस दशा में यह इलाज तथा पथ के लिए यथ नहीं का पाता था। अतएव आमदनी न होने के कारण उसका कायचमता नहीं होती थी। इससे केवल मनदूर को ही काय नहीं होता था परंतु क्रमशः उसको कायचमता नहीं होने से उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था।

यद्यु दशा मनदूर के वेद रहो जाने पर होता है। नव मनदूर वेश्वार हो जाता है तो उसकी आमदनी घुद हो जाती है अनुष्टुत उसके रहन सहन या दून गिर जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि उसका कायचमता नहीं होती है। यदि यह तम्हे समय तक वेश्वार रह तो फिर उसको काम पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उचित भावन और रहन सहन या दून गिर करके उसका कायचमता कठिन हो जाती है। यद्यु उसको कोड काम मिजना भी है तो उसको पहले से कम मनदूरी मिजना है क्योंकि उसकी कायनमता गिर जाती है।

यामारी और वेश्वारी के कारण मनदूर को कर्ते भी लेना पड़ता है। इस कारण प्राप्त धन वर उसकी कायचमता और भा गिर जाता है क्योंकि उसको अपनी मनदूरी में से कन भी निपटना पड़ता है। इस कारण आपरायकता हम पात का है कि मनदूर को यामारी तथा वेश्वारी के समय कुछ अलाउद्दीन दिया जावे जिसपे कि यामारी और वेश्वारी के दिनों में उसको पुज्द अर्थिष्ठ महाया मिन सहे। नव चटाउण्डा गो-

मनदूर काय नहीं कर सकता और यदि उसने कुछ भी नहीं कर पाया है तो उसके निपाइ के लिए उसे एक पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं तो मनदूर की दशा दयनीय हो जाता है। अन्य दशों में वृद्धावस्था में पेंशन मिलने की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार मनदूर खियों के बद्दा पैदा होने के कुछ समय पूर्व और कुछ समय के बाद तक आराम मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें उस समय का बतन भी मिलना चाहिए। क्योंकि उस समय का यदि उह बतन नहीं किया गया तो वे कुट्टा न लेंगा और उसमें उनके तथा भाग शिशु के स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पड़ेगा।

भारतराष्ट्र में अभी तक कर्ज मनदूर अतिपूर्ण कानून (World men's Compensation Act) के अन्तर्गत मनदूर के खोलगने व रा मूल्य हो जाने पर उसे हजारा देने की व्यवस्था की गई है और मैरिनिंग ऐनेक्स एक्ट के अन्तर्गत गर्भान्ती खियो को भवतन एक मास पूर्व और एक मास उपरान्त की कुट्टा दी जाती है।

अभी हाल में मनदूर स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नो कानून बनाया गया है, उसके अन्तर्गत मनदूर के बाजार होने पर उसकी चिकित्सा का व्यवस्था का जायेगी और उसको बीमारी के समय उच्च अलाउस दिया जायगा। उसके लिए मिन मालिक और मनदूर प्रतिमाप सुधर देंगे और राज्य भी कुछ आर्थिक सहायता देगा।

अभी तक भारतराष्ट्र में वेशारी तथा वृद्धावस्था के लिए कुछ प्रबन्ध नहीं हिया गया है।

वेशारी

यह तो हम पढ़ते ही कह सकते हैं कि वेशारी मादूर के लिए एक भयकर अभिशाप है, तिथसे मनदूर आय दिन प्राप्त होता है। आज का पूर्णीवाहा सुग में उत्पादन का काय भोग पर निभर रहता है और आर्थिक मन्दी के कारण कर्मी इर्मी धनर्यों की दशा गिर जाता है, उस

लगा में भिन्न मालिक काम के घन्टे कम करके, मन्त्रार्थों की कर्तृती करके, गताह में कम दिन काम करके अथवा कुछ समय के लिए कारनामों को बाज़ करके उपादान को कम करने का प्रयत्न वरते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मन्त्रदरों में बेकारी पैदा जाता है। जिन देशों में धरों में छरों हुए मन्त्रदर्शी का सम्मान यहुत अधिक होता है वहाँ यदि बेकारी पैदा जाती है तो उनकी क्रय गतिशीली कम हो जाती है और उसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक मार्फी और भागहरी हो जाती है और बेकारी भाषण स्वयं धारण कर लेता है। बेकारी में मन्त्रदर्श विवश हो जाता है, उसका कोड चम नहीं रहता। चम काम करना चाहता है, परन्तु उसको काम नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी कार्यव्यवस्था गिर जाती है और उसको द्वयनीय आपन स्वतोत करना पड़ता है।

भारतवर्ष में बेकारी की समस्या को इल करने के लिए शादो मन्त्रदर्श कामाशन ने यह उपाय बतलाया था कि प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र में म्युनिस्पैसिटी, कारपोरेशन तथा प्रान्ताधीन मरक्कर मिल कर कुट्ट निमाण कार्य की योजनायें बनावें। व योजनायें ऐसी हों कि जिनकी तुलत यो आवश्यकता न हो, किन्तु जो भार के सुगर के लिए आवश्यक हों। जब औद्योगिक मार्फी के कारण धर्म में बेकारा दैख जावे और उन्हें काम न मिले तो उस निमाण कार्य को आरम्भ कराया जावे और येकार मन्त्रदरों को काम दिया जावे। इसमें कोइ संदेह नहीं कि इस योजना से कुछ मन्त्रदर्शों को काम मिल भक्ता है किन्तु बेकारी की समस्या इससे हव नहीं हो सकती। यथाकि अब धर्म थोट थोट शहरों में भी स्थानित होने लगे हैं और यदे वेन्ड्रो में मन्त्रदरों की सकारात्मकतेहृदय बढ़ गड़ है। अतएव यह आशा करना कि म्युनिस्पैसिटिया अथवा कारपोरेशन के निमाण कार्य की योजनाओं से बेकारी की समस्या को इच्छिया जा सकता है केवल तुराशामाश है।

इसके लिए बेकारी की बीमा करना आवश्यक होगा। सगार के

प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में अनिवार्य वेशारी चीमा प्रचलित कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मनदूर को वेकारी का चीमा कराना अनिवार्य है। परंतु कुछ दशों में यह मिल-मालिकों को कुछ आधिक सहायता दक्षर ठहराते हैं अपने मनदूरों की वेशारी का बामा कराने के लिए प्रो-साहित करता है। भारत में अनिवार्य वेशारी वामा ही हमारा जब्त छोड़ा चाहिए। परन्तु यदि आरम्भ में यह कठिन हो तो राज्य मिल-मालिकों को आधिक सहायता दक्षर वेशारों पर रखापित करने के लिए प्रो-साहित करे। जिसमें मिल-मालिक और मनदूर भी धन दें। मदायुद्ध की समाप्ति हो जाने के कुछ समय उपरात दशों में वेशारी होने का भय है, ऐसी दशा में अनिवार्य वेशारी वाम के लिए मनदूरों को प्रयत्न करना चाहिए। यदि पेसा नहीं हुआ तो वेशारी के कारण मनदूरों की दशा दयनीय हो जानेगा।

लेपर एकमचेज

यद्यता हम पटवा हो कर उके हैं कि भारतवर्ष में मनदूरों की भत्तों का काम सरनार या जावर के हाथ में रहने के कारण घूम का बत्तनार गरम है और मनदूरों के श्याया सूर से एक हांसिन में काम न करने के कारण प्रत्येक मिन में कुछ न कुछ नगर गानी रहता है। अन्तु, जावर इस स्थिति का पत्र ही लाभ उठाता है और प्रयेक नीचित से नीचित दन के एवज में कुछ श्याये यना ढेता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो भी नपा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में नीचरा की भोज में चाला है, उसको कुछ ल दसर नीचित मिन्न की सम्मानना रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि औद्योगिक केन्द्रों में आवश्यकता में अधिक मनदूर आ जाते हैं क्याहि यह सूम दक्षर नीचरा भर द महन है। इस समय सरनाय औद्योगिक केन्द्रों में मनदूरों का यह दृष्टा है कि प्रयेक मनदूर भीन में २० या २५ दिन का काम या नाला है। इस कारण औद्योगिक केन्द्रों में आवश्यकता

से अधिक मनदूर आ जात है।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि प्रत्येक कारमाने में केवर आपिमर नियुक्त होना चाहिये। इन्तु इतने में ही सारी समस्या इल नहीं हो जावेगी। ऐकारी के समय मनदूरों के लिए काम ढूँगे के लिए केवर ऐकसचेन भी स्थापित होने चाहिए। जापान तथा अमेरिका में केवर ऐकसचेनों के हारा ही मिले अरने मनदूरों की भर्ती करते हैं। प्रत्येक ऐकार मनदूर ममीपतर्ती केवर ऐकसचेन में अपना नाम दब दखा देता है और लेवर ऐकसचेन उसके लिए नौकरी ढूँटती है। यदि नौकरी मिल जाता है तो केवर ऐकसचेन उसे एक पत्र देसर कारमाने के मैनेजर के पास भेज देता है। कारमाने अपनी आवश्यकताओं को केवर ऐकसचेनों के पास लिख भेजते हैं और लेवर ऐकसचेन अपने यहा उन मनदूरों में से कुछ मनदूरों को उनके पास भेज देते हैं। मिल के कमचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार मनदूरों को छाट देते हैं।

भारतव्रप में केवर ऐकसचेनों की भर्ती महायुद्ध की समाप्ति पर अपना हुइ। देश में इस समय ४० ऐकसचेनों की स्थापना हुड़ है, किन्तु यह ऐकसचेनें वैयल सेनाओं से इनये हुए लोगों को ही नौकरी दिलाने का काम करता है। आवश्यकता इस बात की है कि केवर ऐकसचेन घड़ुन बढ़ी सरत्या में स्थापित की जावे और वेकार मनदूरों को नाड़ी दिलाने में सहायता पूर्चाइ जावे।

भारतजित वीरा

जैसे जैसे भारतव्रप में उद्योग-पदों का विस्तार होता आयेगा, सामाजिक वीमे की आवश्यकता का अधिकाधिक अनुभव होगा। युद्धोराजा जो अधिक योजनावें या रही हैं, उनके अन्तर्गत भारतव्रप से भीषणिक उत्तरि की ओर अप्रमर होगा और यदि हमने सामाजिक वीमे व इतर उसके दिवों की रक्षा क्य प्रबन्ध न कर दिया

तो मनन्तर की स्थिति न्यनीय हो जायेगी ।

प्रश्न यह है कि बामारी का वीमा, वेकारी का वीमा और वृद्धावस्था में पेरान का प्रबन्ध करने के लिए तो धनराणि को आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध किस प्रकार होगा । इस प्रश्न का हल निस प्रकार अन्य देशों ने किया है, उसा प्रकार हसका हल हमें करना होगा । अथात् मिज़ मालिक, मनदूर तथा राज्य तीनों को ही इसकी आधिक क्रिमेदारी उठानी होगी । लेखक का मत है कि जो भी सामाजिक वीमे का योजनावैयन उनमें आधिक उत्तरदायित्व इस प्रकार बाटा जाव ।

मालिक ६ आना

मनदूर ६ आना

सरकार ४ आना

इस प्रकार मनदूर और मालिक वीमे के द्वय को बराबर यात्रा सहा करेंगे । तथा तक इम भारतीय मनन्तर के लिए सामाजिक वीमे की व्यवस्था नहीं बरते तथा तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । अस्तु, मनदूरसवा और देश के नेताओं का ध्यान इस आवश्यक प्रश्न का और जाना चाहिए ।

मनदूरों में सद्यपान

भारतीय मादूरों में सद्यपान यहुत अविक्ष प्रचलित है । देशा शराब और ताड़ों का चनन हतना अविक्षा से मनदूरों में प्रचलित है, जिसका अनुमान करना भी रुक्निन है । यात यह है कि यहे हुए मनदूर के लिए कुछ सूर्तं चाहिए । किन्तु उसके लिए सूर्तं देने वा काह माधन नहीं होता । यह सीधा ताड़ों का दूसरा या शराब का भट्ठी पर जाझर नशा करता है और यद्यने थेहे हुए शराब में नशान सूर्तं भरता है, खादे पर वह सूर्तं हानिहर ही क्या न हो । यह हुए शराब और डदाम मन मराव या ताड़ी पीकर चैत्र उद्य होता है । भारतीय मनदूर में भय

पात्र का स्थान बढ़ता जा रहा है। इससे उसके स्वास्थ्य और कार्य हमेहा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

आवश्यकता इस बात की है कि जहा श्रीयोगिक लग हों, वहा शाराब वदा करदा जावे और मनदूरों के सुरचिपूण मनोरनन के साधन उपलब्ध निय जावें। मनदूरों को गहियों में खेजा, मिनेमा शो, पुस्तकालय, नाटक मञ्जो, तथा अप सुरचिपूण मनोरनन के साधनों का प्रयोग होना चाहिए, तभी मध्यान के विष्ट ग्राहोलन सफल हो सकता है। जब तक इस घटे हुए गरोर थीं और उदास भव में सूर्ति आर शक्ति भरने के साधन मनदूर के लिए उपलब्ध नहीं कर देते, तब तक उसको मध्यान से बचाया नहो जा सकता। असी तक बहुत योदे भारतीय मिल मालिर्हा न मनदूरों के लिए सुरचिपूण मनोरनन के साधनों की आवश्यकता को अनुमति किया है। द्रौढ शूनियनों का भी इस दिग्गा में हुदू कराय है, जिसका और मनदूर काय-कत्ताओं को ध्यान देनर चाहिए।
